राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक–2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का छियालीसवां दिवस संख्या--29

शनिवार,

9 अप्रेल, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

व्यवस्था

अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में सदनेतर समिति का गठन

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पहले तो अपनी व्यवस्थाएं सुना दूं।

माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 4-4-94 को इस सदन में मेरी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया था जिस पर सदन में आम सहमति थी। मैंने इस तथ्य पर कि क्या अध्यक्ष ऐसी किसी समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं पर पुरानी परम्पराओं की ओर ध्यान दिया तो मुझे पता चला चला कि सन् 1965-66 में पंजाबी सूबा के गठन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त आधार ढूंढने के लिए एक समिति दोनों सदनों की गठित की गयी जिसमें अध्यक्ष, तत्कालीन लोक सभा के अध्यक्ष श्री हुकुमसिंह अध्यक्ष बने थे। इसी प्रकार मई, 1976 में दोनों सदनों की इसी प्रकार की एक समिति जो भारत के ओलम्पिक मांट्रियल में कमजोर प्रदर्शन के कारण खेलकूद के कार्यों में गति लाने के लिए बनी थी उसके अध्यक्ष तत्कालीन लोक सभा के अध्यक्ष श्री बलीराम भगत बने। राजस्थान में भी इस प्रकार की परम्पराएं पहले रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने प्रतिपक्ष के नेता से भी विचार विमर्श किया था, क्योंकि राजस्थान में पेयजल की भीषण समस्या है उसके समाधान के लिए सभी पक्ष उत्सुक हैं और आम जनता की पेयजल की समस्या को लेकर कष्टों को दूर करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करना जनहित में सर्वथा उपयुक्त है इसलिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तथा इसके लिए निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया है अध्यक्ष तो मैं हूं, श्री भंवर लाल शर्मा, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, मंत्री सदस्य, श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष-सदस्य, श्री गुलाबसिंह शक्तावत-सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी-सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

श्री भंवरसिंह चौधरी-सदस्य, श्री परसादी लाल मीणा-सदस्य, श्री महावीर प्रसाद जैन-सदस्य, श्री पूंजा लाल-सदस्य, श्री बनवारी लाल शर्मा-सदस्य, श्री कमल-सदस्य ।

इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री श्री रघुवीर सिंह जी व सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंहजी भाटी स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे ।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है और मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रेमपूर्वक आपस में विदा हों....(व्यवधान) बाइ द वे मैंने सदन कहा है तो सत्र, उसको ठीक कर लीजिये । इस सत्र का अन्तिम दिन है और जिस तरह से हमने सदन में कार्यवाही ठीक प्रकार से हिन्दुस्तान की अन्य विधान सभाओं की तुलना में बहुत ही अच्छे तरीके से चलायी है उसी की समाप्ति भी अच्छी तरह से हो इसलिए सबसे पहले, चूंकि मेरा कर्तव्य जरा कठिन है और मुझे अपने कर्तव्य के निर्वहन में कभी-कभी कठोरता अपनानी पड़ती है और इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि मेरी किसी कठोरता के कारण किसी भी माननीय सदस्य के हृदय पर चोट पहुची हो या उनकी भावनाओं को आघात लगा हो, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि वह इसको व्यक्तिगत न लें और न इस सम्बन्ध में किसी तरह का विचार मन में न रखें । क्योंकि इस आसन की यह नियति है, इस आसन को कभी-कभी सदन में व्यवस्था रखने के लिए, आप लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकार पर अतिक्रमण न करें । इसके लिये कभी-कभी कठोर व्यवहार करना पड़ता है जिसके लिए मेरा मन कभी प्रसन्न नहीं होता बल्कि मुझे प्रायश्चित होता है, मन में बहुत कष्ट भी होता है कि अनावश्यक रूप से किसी माननीय सदस्य के मन को मैंने आहत किया है या उनकी भावनाओं को चोट पहुंचायी है लेकिन चूंकि यह एक कर्तव्य है और उसका निर्वहन करना मेरे लिए आवश्यक है । इसलिए मजबूरी के कारण इस तरह की घटनाएं हों, तो कृपया उसको अपने मन से निकाल दें और यदि किसी के दिल में वाकई में चोट लगी है, तो फिर मैं उसके लिए अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूं ।

इस सदन में, एक और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम पहले विधायी कार्य लेंगे । विधायी कार्य लेने के बाद आज शून्यकाल में उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा । सर्व प्रथम तो उन विधायकों को, जिन्हें प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण सदन में अपने क्षेत्र की कोई बात न रख सकते हों उनको आज छूट है, वह बिना किसी प्रकिया के अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या या उनके मन में कोई ऐसी बात थी, जिसको सदन के सामने रखना चाहते हैं उनको पहले मौका मिलेगा उसके

(श्री अध्यक्ष)

बाद जो भी माननीय सदस्य आज अपनी कोई बात रखना चाहेगा तो पूरी तौर से आज उसमें कितना भी समय लगे, शून्य-काल में मैं अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा।

दूसरी बात यह है कि अब तक जो आज इस सत्र में हमारे काम हुए हैं उसका विवरण भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अन्त में, यह भी कहना चाहता हूं, आज सदन को स्थगित करने के पहले जन गण मन, राष्ट्रीय गान होगा इसलिए वह भी हम सब ध्यान में रखें ताकि वातावरण इस तरह का बना रहे, जो राष्ट्रीय गान के उपयुक्त हो।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : मिठाई की व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय, आज हो जाए।

सूचना

द्वितीय सत्र में सम्पादित कार्यों का विवरण

श्री अध्यक्ष : हां, मैं आपको इस बात के लिए तो बधाई देता हूं कि इस सत्र में जो काम हुआ है यदि आप उसकी तुलना पिछले किसी भी सत्र से करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और मैं समझता हूं अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस सत्र में कन्ट्रीब्यूशन किया है और बहुत से ऐसे मामले इस सत्र में आये हैं कि जिनमें आम सहमति होकर और जनता को राहत मिले उसके फलितार्थ काम हुए हैं। केवल यहां पर बहस ही नहीं हुई बल्कि उसके परिणामस्वरूप जनहित की बातें हुई हैं कि जिसके कारण सरकार को जनता की सुविधा के लिए सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझकर और कुछ ऐसी घोषणायें करनी पड़ी हैं जो जनता के लिए उपादेय है। यह उपलब्धि हमारी इस सत्र की है। इस सत्र में प्रक्रिया के नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव कुल 56 प्राप्त हुए हैं जिसमें हमने 48 सरकार को भेजे, 45 का हमारा जवाब आया, 3 का जवाब नहीं आया जिस पर मैं आज बोलने की उनको इजाजत दे रहा हूं अभी अपनी व्यवस्था में और 56 अस्वीकृत हुए। आप जानते हैं एडजोर्नमेंट मोशन सारे अस्वीकृत ही होते हैं।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : शत-प्रतिशत रिजल्ट रह गया।

श्री अध्यक्ष : वह भी बता रहा हूं।

नियम 119 लोक हित के प्रस्ताव 6 प्राप्त हुए, 4 सरकार को भेजे. 4 का उत्तर प्राप्त हुआ, 5 अस्वीकृत हुए। नियम 127 सामान्य लोक हित के 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए, सरकार को एक प्रेषित किया गया, एक का उत्तर प्राप्त हुआ, दोनों अस्वीकृत हुए। नियम 131 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 326 प्राप्त हुए जिनमें से 311 सरकार को भेजे, 231 के जवाब आ गये, 80 के जवाब आने प्राप्त हैं, 15 अस्वीकृत हुए और 62 प्रस्ताव सदन में लिये गये जिनमें 184 माननीय सदस्यों ने डिबेट में भाग लिया। नियम 157-158 के विशेषाधिकार हनन

(श्री अध्यक्ष)

के 9 प्राप्त हुऐ जिनमें सरकार को एक भेजा, उत्तर एक का मिला, 4 अस्वीकृत हुए हैं, 5 निर्णयाधीन हैं। नियम 273 का एक प्रस्ताव आया और एक अस्वीकृत हुआ, नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव 304 प्राप्त हुए और 304 सरकार को भेजे उनमें 175 का उत्तर आ गया, 129 का उत्तर शीघ्र आ जायेगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो बच गये हैं, जिनको हाउस में नहीं लिया है, उन सारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के उत्तर माननीय सदस्यों को भेज दिये जायेंगे, सब के, जो बच गये है उनके भी। नियम 288 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ और एक अस्वीकृत हुआ। मन्त्री द्वारा सदन में 7 वक्तव्य दिये गये जिनमें 106 माननीय सदस्यों ने डिबेट मे भाग लिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में 55 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। आय-व्यय बजट पर सामान्य वाद-विवाद में 18 सदस्यों ने भाग लिया। सदन में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा में 3 वक्तव्य आये जिनमें 97 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन सदन मे 4 उपस्थित हुए। आवासन मण्डल के कार्य-कलापों की जांच सम्बन्धी समिति का एक अन्तरिम प्रतिवेदन हाउस में पेश हुआ। याचिकाएं 43 आयीं। प्रक्रिया नियम 276 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दो प्राप्त हुए और सदन में दो ही माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोले। तारांकित प्रश्न कुल 2222 प्राप्त हुए, जिसमें 995 सूचीबद्ध हुए, 270 सदन में लिये गये। पूरक प्रश्न 224 हुए, अनुपस्थित सदस्य 46 रहे, असूचीबद्ध 1240 रहे और 87 अस्वीकार रहे। कुल 103 माननीय सदस्यों ने तारांकित प्रश्न किये। अतारांकित प्रश्न 2007 प्राप्त हुए, सूचीबद्ध 1389 हुए, अस्वीकार 58 हुए असूचीबद्ध 360 हुए और कुल 149 माननीय सदस्यों द्वारा अतारांकित प्रश्नों की सूचना दी गयी। अल्प सूचना प्रश्न कुल 28 प्राप्त हुए जिनमें 3 स्वीकार हुए, तारांकित में परिवर्तित 7, अतारांकित में परिवर्तित 13 और माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया एक और चार अस्वीकार हुए हैं।

आधे घण्टे की चर्चा कुल 19 प्राप्त हुयी, छह स्वीकार की गयीं, बारह अस्वीकार की गयीं निदेश संख्या पांच में परिवर्तित एक की गयी, सदन में चर्चा चार पर हुई तथा माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण चर्चा एक पर नहीं हुई। सरकार के पत्र के आधार पर अस्वीकार एक। निदेश संख्या 5 अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त कुल चार हुईं, तीन स्वीकार की गयीं और एक अस्वीकार की गयी।

इस प्रकार से इस सदन में यह सारे काम आप सब लोगों ने किये। अब जो आज की व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको सुनाकर फिर कार्यक्रम चालू करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित

Page No.5

(श्री अध्यक्ष)

करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुयी है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा के जनरल नर्सिंग के द्वितीय वर्ष के अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थियों को आठ माह से स्टाइफण्ड राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। शून्यकाल में माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं।

(2) श्री परसादीलाल मीणा व श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में दिनांक 5 व 6 अप्रेल को हुयी ओलावृष्टि से लगभग 100 गांवों के किसानों की खड़ी व कटी फसल को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

ओलावृष्टि के सम्बन्ध में इस सदन में पहले व्यापक चर्चा हो चुकी है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य शून्यकाल में बोल सकेंगे।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है:–

(1) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की नहरों में पानी की भयंकर कमी से रबी की फसल के चौपट होने तथा खरीफ की फसल को भी भारी खतरा उत्पन्न होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार की रात और मंगलवार, दिनांक 6-4-94 को आए तूफान और ओलावृष्टि से फसलों को हुई तबाही और जानमाल की हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना भुसावर के ग्राम मूड़ियासाद के दो व्यक्तियों का दिनांक 23-2-94 को अपहरण किये जाने तथा बाद में एक की हत्या कर दिए जाने तथा एक को गम्भीर रूप से घायल कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर

Page No.6

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को इन पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी, शून्यकाल के बाद।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि आज तक प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो कार्य सूची में नहीं लिए जा सके हैं, ऐसे सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना अब अधिक से अधिक एक सप्ताह में विधान सभा सचिवालय को भेजते हुए एक प्रति सम्बन्धित माननीय सदस्य को विभागों द्वारा सीधे ही भिजवायी जाएगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

(1) श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी नगर में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु नया औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित धनराशि को विकास कार्यों में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर. डी. पी. एल. में कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की मानसरोवर कॉलोनी के सैक्टर–4 में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा व सिवाना तहसीलों में हुई ओलावृष्टि से काश्तकारों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुरजगढ़ थाना के एस. एच. ओ द्वारा गाड़ियों से अवैध चौथ वसूली किये जाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड के पास स्थित सिन्धी सरकारी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल के भवन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को 1991-92 की पोशाकें नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मादरा से सिद्धमुख सड़क निर्माण के स्वीकृत अलायमैंट को बदलने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा खुला विश्व-विद्यालय में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कर्मचारियों का बैकलाग पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण परि-योजना, श्रीगंगानगर के कर्मचारियों को एक वर्ष से भी अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के एक मृत लिपिक कर्मचारी के परिजनों को दो वर्ष के उपरान्त भी पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाचना सिचाई परि-योजना के भेड़का तालाब ग्राम रौसी तहसील नादौती में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में इटावा ई. बी. सी. से टेल पोर्शन तक लिफ्ट सिचाई व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को स्वावलम्बी बनाने हेतु "दुकान वितरण योजना" के अन्तर्गत अव्यवसायिक स्थानों पर दुकानें आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) उप खण्ड के कथित भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के गांव केशवाना राजपूत के पुराने खसरा नम्बर 83 व 213 के काबिज हरिजन काश्तकार को बेदखल किये जाने की कथित कार्य-वाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिनकी तीन-तीन, चार-चार सूचनाएं हैं, वह मैं आपको सुना देता हूं।

(18) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग से अंधेरी दरवाजे के पास श्योपुर हाउस में सरकारी भूमि पर पुनः हुए अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जिला कृषि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम मोहनपुरा, बिसनपुरा को विद्युतिकृत गांव घोषित करने के उपरान्त भी विद्युत सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्द्रगढ़ नायब तहसील की पंचायत बाबई के गांव में सेटलमेंट के दौरान हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(22) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में अनेक वर्षों से निदेशक के पद का कार्य उप निदेशक द्वारा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन तहसील के ग्राम रीजवास को हिण्डौन से वाया बाजना होते हुए सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(24) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर निगम, कोटा द्वारा एक सहायक नाकेदार को 1-1-77 से 23-3-79 तक का वेतन एवं सन् 1976 से बढ़े हुए वेतन, भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ नहीं दिये जाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(25) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा का भवन खाली रहने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त उपरोक्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी। क्योंकि

(श्री अध्यक्ष)

इनकी एक-एक पढ़ने के लिए बोल दी हैं, बाकी सब पढ़ी हुई मानी जाएंगी, उनका उत्तर उनको मिलेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने दिन विधान सभा चली, यह जरा जानकारी में हो जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सिटिंग की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, कितने दिन चली ।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में बताएंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : और जो सरकार ने जवाब दिए हैं, वह भी शामिल हैं, जिनकी मियाद अभी पूरी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

आवासन मण्डल के कार्य कलापों की जांच हेतु गठित सदनेतर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियुक्त समय में वृद्धि

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवासन मण्डल के शेष कार्य-कलापों की जांच के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की समयावृद्धि की जाए ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : इस पर पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ये हो जाने दो जाए फिर आपको इसके बाद में खूब मौका मिलेगा ।

प्रश्न यह है कि समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु समयावृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृति)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री-भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) एवं विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1991-92 सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992

Page No.10

(श्री अनंग कुमार जैन)

का समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) एवं विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1991-92 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

(11.20)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : याचिका का उपस्थापन। श्री हरजीराम बुरडक।

याचिका का उपस्थापन

जिला नागौर तहसील लाडनूं के ग्राम देवरा को विद्युतीकृत किया जाना

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं जिला नागौर तहसील लाडनूं के ग्राम देवरा को विद्युतीकृत किये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : कहिये, माननीय धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, तीन-चार रोज पहले, चार तारीख को माननीय मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ एक ब्रीच आफ प्रिविलेज पेश किया गया था कुछ सदस्यों के द्वारा पेश किया गया था जिनमें एक मूवर मैं भी था। सुना जाता है कि आज उसकी रुलिंग अध्यक्ष महोदय यहां पर देंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय को आपके माध्यम से, हालांकि चेम्बर में बैठे हुए अध्यक्ष महोदय जरूर मुझे टेलीविजन पर भी देख रहे होंगे और मेरी बातों को भी सुन रहे होंगे और चर्चा को भी सुन रहे होंगे।....

श्री सभापति : आपकी शक्ल भी बहुत बढ़िया दिखती है और आवाज भी आ रही है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन है कि नेचुरल जस्टिस को देखते हुए जो प्रस्तावक हैं जिन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव दिया है और जिन्होंने कुछ न कछ आरोप

Page No.11

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

लगाये हैं मुख्य मंत्रीजी पर सदन को गुमराह करने के सम्बन्ध में ग्रौर स्वार्थवश ग्रपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए । वह कम से कम रुलिंग देने से पहले मूवर्स को तो सुनें ।

श्री सभापति : ग्रापकी भावना ग्रध्यक्ष महोदय तक पहुंचा देंगे । बिराजिये । विधायी कार्य । विचारार्थ लिया जाना वाला विधेयक ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ग्रोसियां) : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर, सर ।

श्री सभापति : फरमाइये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर यह है; सभापति महोदय,....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, ग्राज जो 295 दिये गये थे....

श्री सभापति : नहीं, वह 295 पढ़े जाएंगे । पंचायती राज विधेयक के बाद में शून्य काल प्रारम्भ होगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, प्रिविलेज मोशन है उसकी मान्यता ग्रापको भी पता है, हम सब सदस्यों को भी पता है ग्रौर प्रिविलेज मोशन के बारे में माननीय सदस्य धारीवालजी ने ग्रभी फरमाया ग्रौर जो प्रिविलेज मोशन माननीय सदस्य धनखड़जी ने उठाया उस पर सबसे पहले इस सदन में जीरो ग्रावर के बाद में चर्चा होनी चाहिए । ग्रापके माध्यम से मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं स्पीकर महोदय को, कल उन्होंने 288 की रुलिंग दी ग्रौर चूंकि 288 का मामला केवल धनखड़जी ने उठाया था । हमने उस रुलिंग को शांति से सुना ग्रौर, ग्राज जो ग्रध्यक्ष महोदय ने भावना उस चेयर से प्रकट की कि भई जो कुछ भी हो गया पिछले महीने में, सवा महीने में ग्रगर उनसे कोई भूलचूक हो गयी हो, तो उनका बहुत ही मैं ग्राभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने क्षमा भी मांगी, जिसकी मैं सोचता हूं कि ग्रावश्यकता नहीं थी । काफी कुछ यहां पर इस विषय पर चर्चा हुई । मैं सभापति महोदय, सिर्फ यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि कल तो हमने व्यवधान इसलिए नहीं किया कि वह रुलिंग 288 की थी, ग्राज भी हम व्यवधान नहीं करना चाहते लेकिन यह इश्यू ऐसा है लोक महत्व का है ग्रौर इसमें, सभापति महोदय, दूसरे सदस्यों के पास है या नहीं है लेकिन सी. बी. ग्राई. की जांच की रिपोर्ट के बारे में मेरे पास कम से कम....

श्री सभापति : माननीय मेरी बात सुन लें, मैं ग्रापको टोक नहीं रहा हूं । ग्रापने विशेषाधिकार के मामले में बात की है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जी ।

श्री सभापति : ग्रभी धारीवाल साहब ने उठाया था ।....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जी।

श्री सभापति : मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी सुन रहे हैं और मैं आपकी भावना वहां तक पहुंचा दूंगा। आप यह चाहते हैं, आप उसके फेक्ट्स पर नहीं आयें कृपया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं मैं फेक्ट्स पर नहीं आ रहा हूं। मेरी जो 16 और 17 पर जो डिबेट हुई, उसमें से एक शब्द पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग्स लोक सभा की और राज्य सभा की है।

श्री सभापति : वह आपकी सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय से मैं कहूंगा कि 'माननीय सदस्यों की इच्छा है कि आप अपनी रूलिंग देने से पहले उनसे सुन लें। बाद में अगर अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था दें तब आप सुनायें, यह उचित रहेगा। कृपया बिराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जितना जल्दी हो इस बारे में आप कुछ निर्णय करें।

श्री सभापति : कृपया विराजें। मैं उनसे निवेदन करूंगा।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994

विधयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

विधायी कार्य। श्री नाथूसिंहजी, प्रभारी मंत्री। माननीय सदस्य बोल चुके थे जनमत जानने के पाइंट पर। अब प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बारे में शुरू करेंगे। श्री सुन्दरलालजी।

एक माननीय सदस्य : नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं कर रहे हैं। प्रवर समिति के मामले में जनमत जानने हेतु माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री नाथूसिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का....

श्री सभापति : कृपया सुनें विधायी कार्य को।

श्री नाथूसिंह : पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मौके पर जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिये। माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत समय देकर हमें डाईरेक्शन दी और जिनके मार्गदर्शन में ही यह कानून बन कर तैयार हो सका। माननीय सभापति महोदय, मैं उन प्रतिपक्ष के नेता

(श्री नाथूसिंह)

महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने विशेष रुचि लेकर, समय समय पर बैठकों में शामिल होकर बहुमूल्य सुझाव दिये और इस कानून के बनाने में काफी सहयोग दिया । सभापति महोदय, मैं माननीय उन सदस्यों का भी, अधिकारियों का भी और कर्मचारियों का भी जिन्होंने बाहर सेमिनार्स में भाग लेकर, कार्यशालाओं में आकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कानून को बनाने में, इस पंचायती राज एक्ट को बनाने में सहयोग दिया, मैं इस मौके पर उनका भी विशेष रूप से आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, कानून बनाने में मैं यह तो दावा नहीं करता कि यह जो कानून हमने बनाया है यह पूर्णतया परिपूर्ण है या इसमें कोई कमी नहीं रही हो, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है जिसमें जितना ज्यादा डिस्कशन होते हैं, जितना ज्यादा विचार-विमर्श होता है, कोई न कोई नयी चीज निकल आती है लेकिन फिर भी हम भारतीय दर्शन में विश्वास रखते हैं और उसके आधार पर हमने उसको फालो भी किया है—"वादे वादे जायते तत्व बोधाः", इस आधार पर हमने सभी माननीय सदस्य, जो इस पर जानकारी रखते थे उनसे इसी चिन्तन के आधार पर विचार-विमर्श किया, सलाह ली, सलाह-मशवरा किया....

श्री हरिसिंह (महुआ) : गुर्जर भी संस्कृत बोलने लग गये ।

श्री सभापति : इसलिए मैंने इसको ठीक नहीं किया, जैसा बोल रहे हैं उसको ही ठीक मान लिया जाए ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : जब किसी भी बी. आई. पी. को विधान सभा में या बाहर कोई विशेष उल्लेख करना होता है तो वह कोई न कोई संस्कृत का श्लोक जरूर बोलता है । अब देखते यह है कि संस्कृत की स्कूलें कितनी खोलते हैं और संस्कृत के उत्थान का काम कितना होता है ।

श्री सभापति : आप और मैं तो इस काम में लगे हुए हैं ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने पहले दो कानून थे । पंचायती राज अधिनियम, 1953 और जिला परिषद् एवं पंचायत समिति, अधिनियम, 1959, इन दोनों को, जो अलग-अलग थे मिलाकर हमने एक एक्ट बनाया । इसके अलावा अक्टूबर, 1992 में भी कुछ सशोधन हुआ था, तो हमने सोचा कि 73वां अमेंडमेंट आया है, इसमें और संशोधन करेंगे तो बहुत ज्यादा पाबन्दी लग जाएगी इस कानून में । उचित यह समझा कि क्यों नहीं एक नया कानून बनाया जाए इसलिए हमने तमाम उन सभी कानूनों को एक साथ लिया, अमेंडमेंट्स को इसमें सम्मिलित किया, अक्टूबर,

Page No.14

(श्री नाथू सिंह)

1992 वाले को और जो 73वां अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट को इसमें सम्मिलित करते हुए गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जो कानून बने, उन सब कानूनों की समीक्षा करते हुए, उनको देखते हुए हमने राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल, यहां की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति के अनुकूल, आज तक राजस्थान पंचायती राज में अग्रणीय रहा उन सब बातों को देखते हुए हमने प्रयास किया बेहतर से बेहतर कानून बनाने का। इसलिए मैंने आज सबसे पहले माननीय सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। हम पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्य कई बार एक साथ बैठ कर एक-एक शब्द पर, यहां तक, माननीय सभापति महोदय, कल प्रातःकाल हमारे एक बात ध्यान में आयी, एक सैक्शन था 62 जिसमें एक "फाइन" वर्ड लिखा हुआ था। "फाइन एण्ड पैनल्टी" फाइन जुडिशियल प्रोसेस से किया जा सकता है इसलिए हमको कमी नजर आयी, हमने तुरन्त अमेंडमैंट, बिना किसी के कहे अपनी तरफ से उसको हटाकर पेनल्टी वर्ड यूज किया। हमने हमारी तरफ से बहुत प्रयास किया एक-एक सेन्टेंस पर एक--एक शब्द पर जाकर उसकी व्याख्या करने का। सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए क्षमा याचना करना चाहूंगा इस मौके पर, यदि इसमें कोई कमी रही है, तो क्षमा करें और सुझाव दें। सरकार प्रयास करेगी, वास्तव में कोई कमी रह गयी है, तो हम उसको दूर करेंगे। यहां पर कई तरह की चिन्ताएं प्रकट की गयीं....

श्री सभापति : आज तो आप नाथू सिंह जी की बजाय रामपाल जी उपाध्याय हो रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं आप जैसे पंडित के सानिध्य में रहता हूं इसलिए थोड़ा बहुत असर होना तो स्वाभाविक है।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : मैं आपका और इनका, दोनों का आभारी हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सानिध्य कहीं लुटिया नहीं डुबा दे।

श्री नाथू सिंह : मैं शिवनाथ सिंह जी के भी पड़ौस में बैठता हूं।

सभापति महोदय, हमने कानून जो हमारी पंचायती राज की परिकल्पना थी, पंच परमेश्वर की परिकल्पना, उस पंच परमेश्वर की परिकल्पना के आधार पर उसको आधार मानकर इस कानून को बनाया है। यहां पर कुछ आशंकाएं प्रकट की गयी, जिसमें ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन के मामले में कि एक कानून, it cannot be challenged in any court of law.

इसके बारे में भी आशंकाएं हैं कि आप कोर्ट से उसको दूर क्यों रखना चाहते हैं। कई माननीय सदस्यों ने ग्रामदानी गांवों के बारे में भी आशंका प्रकट की और कुछ ने

(श्री नाथू सिंह)

यह कहा है कि जब मिडटर्मपोल हो, बीच में भंग हो जाए, चुनाव हो, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए क्यों, पूरे पांच साल के लिए क्यों नहीं हो ? इस सदन के सीनियर सदस्य माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी ने परम्परागत पंचायतों की बात की, तो जैसा मैंने कहा पंच परमेश्वर की परिकल्पना के आधार पर हमने कानून बनाया है, हमने इसी बात को ध्यान में रखा है। कुछ प्रोविजंस तो मेंडेटरी थे, 73 वें अमेंडमेंट के कारण से कुछ राज्य सरकार के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स थीं, तो हमने मेंडेटरी जो प्रोविजस थे, उनको तो एज इट इज, हमको लागू करना पड़ता 73वें अमेंडमेंट के कारण क्योंकि इट इज ए कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट। जिसमें ग्रामदानी गांवों का जिक्र आया। प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने 243 (बी) जो यहां पढ़कर सुनाया था, उसके अनुसार अब यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद ग्रामदानी गांवों में भी हमें पंचायतों का गठन करना पड़ेगा। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है। राज्य सरकार के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थीं, उसमें हमने माननीय सदस्यों का सुझाव लिया और क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, वह किया है। जहां तक किसी कोर्ट में चेलेंज करने का मामला है, आज तक जितने भी एक्ट बने हुये हैं राजस्थान में, या सैण्ट्रल एक्ट, माननीय सभापति महोदय, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यह दोनों इनमें (व्यवधान) मैंने आपके पीछे आपका बहुत आभार व्यक्त किया है प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो आपका मुझे सहयोग मिला। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई भी कानून....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने क्लेपिंग किया है इसलिए आपको किया है You are the only Hon' ble Legislator of this House with LL. M. (Master of laws).

डाक्टर शंकर दयाल जी शर्मा हैं, He is a Doctor of Laws. और आप मास्टर ऑफ लॉज इसलिए मैंने क्लेपिंग किया था, क्योंकि आपको ला की इन्साइट है, ला की ग्रेस्प है और ला की पकड़ है। अब वह देखेंगे कैसे पकड़ आ रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रोविजो लगा दिया आपने।

श्री सभापति : साथ ही इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने जो पहले अपने एक्ट अंग्रेजी में थे, इस बार पहली बार मूल विधेयक हिन्दी में इन्होंने बनाकर दिया है, नगर पालिका वाला अंग्रेजी में है। हिन्दी में पहला विधेयक अपना बनाया पंचायतों का।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मूल तो हमेशा हिन्दी में आएगा।

श्री सभापति : पिछले नहीं थे ।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राफिशियल एक्ट लेंग्वेज के बाद, माननीय सभापतिजी, कोई भी बिल की ग्रोथेन्टिक कापी हिन्दी है । 1959 के बाद में ग्रोल्ड इन्एक्टमेंट्स हैं, उनकी ग्रोथेन्टिक कापी ग्रंग्रेजी में है । क्योंकि नया बिल है ग्रौर 60 के बाद तो बराबर हिन्दी में ग्रा रहे हैं । कोई नयी बात नहीं है । लेकिन माननीय मंत्रीजी ने कानून की शिक्षा प्राप्त की है, वह ग्रंग्रेजी भाषा में की है ग्रौर ग्रब हिन्दी से ही यह सब काम चलायेंगे या ग्रंग्रेजी वाले को रेफर करेंगे, यह देखने की बात है थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा ।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इसमें हिन्दी इतनी क्लिष्ट लिख दी कि इस हिन्दी को समझने के लिए ग्रंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है ।

श्री सभापति : इसका क्या कर सकते हैं ?

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य, कानूनी लेंग्वेज जो हिन्दी में है वह इतनी क्लिष्ट है कि जब हम........

श्री सभापति : क्लिष्ट नहीं है, ग्रपन उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं । क्लिष्ट नहीं है ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं जब प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने उल्लेख कर ही दिया ऐल. एल. एम. का, जब हम पढ़ते थे, तो कई विद्यार्थी जब प्रोफेसर इंगलिश में बोलते थे तो कहते थे हिन्दी में बोलिये ग्रौर जब हिन्दी में बोलते तो कहते थे कि हिन्दी समझ में नहीं ग्रा रही है । वह कहते मैं मिक्स कैसे करूं हिन्दी ग्रौर इंगलिश को ।

श्री सभापति : उस समय ग्राप क्या करते थे ।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : मंत्रीजी ने 50 प्रतिशत भी क्लासेज ग्रटेंड नहीं की हैं । एल. एल. एम. के 50 प्रतिशत लेक्चर ग्रटेंड नहीं किये ।

श्री सभापति : यह भी एक योग्यता है बिना ग्रटेंड करे पास हो गये । कृपया समाप्त करें, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, तो यह प्रोविजन जो एनी कोर्ट ग्राफ ला में चेलेंज नहीं करने का रखा है, इसके पीछे परपज यह है कि राज्य सरकार कोई कदम उठाये, तो किसी भी मुंसिफ कोर्ट में, किसी भी लोग्रर कोर्ट में रोज-रोज नहीं चले जाएं ग्रौर राज्य सरकार को कार्यवाही करने में ग्रड़चन नहीं ग्राये । इसलिए हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, नीचे के जो लोग्रर कोर्ट्स हैं, उनमें जाने से रोका है । इसके पीछे केवल इतनी सी भावना है ग्रौर कुछ नहीं है । पुराने जितने भी एक्ट है, उनमें भी यही व्यवस्था है । जहां तक ग्रो. बी.सी. का मामला सैंट्रल एक्ट में एक प्रोविजन है

…ाथूसिंह)

कि एस. सी. और एस. टी. को उनकी पापुलेशन के पर्सेण्टेज के आधार पर मेम्बर्स में, उनकी पापुलेशन जहां है उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, चेयर परसंस में स्टेट की पापुलेशन का जो पर्सेण्टेज है, उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा और उन्होंने यह भी कहा कि आप अगर ओ. बी. सी. को देते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी, सेंट्रल एक्ट कौनसा है ?

श्री नाथूसिंह : यह जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : संविधान संशोधन।

श्री परसराम मदेरणा : It has become an Act after the assent of the President.

श्री नाथूसिंह : I amend myself.

श्री परसराम मदेरणा : It is a part of the Constitution and I you refer to the Constitution alone. It is no more a Central Act.

श्री नाथूसिंह : I mend myself. And thank you for the suggestion.

मैंने निवेदन किया 73वें अमेंडमेंट में यह प्रोविजन है कि जितने भी मेम्बर्स हैं उनके लिए उनकी पापुलेशन के रेशो से रिजर्वेशन करना पड़ेगा। चेयर पर्सन्स के लिए स्टेट की जो पापुलेशन है, उसके हिसाब से और इसी तरह से ओ. बी. सी. के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन एक डिस्क्रिशनरी पावर छोड़ा है स्टेट्स पर कि वह ओ. बी. सी. को रिजर्वेशन देते हैं कि नहीं देते हैं। चूंकि बाकी सभी स्टेट्स ने ओ. बी. सी. को रिजर्वेशन दिया है इसलिए उचित यही समझा गया कि हम ओ. बी. सी. को दें। अब इसमें व्यवस्था हो पाएगी, निश्चित रूप से हमारी मंशा है कि ओ. बी. सी. को इसमें रिजर्वेशन मिले उसी तरह से। यह कुछ मुद्दे उस दिन यहां पर उठाये गये थे और चूंकि रिमेनिंग पीरियड के मामले में और था, तो अलग-अलग अगर हम चुनाव कराने लगेंगे, जैसे पर्टिक्यूलर पंचायत को भंग किया किसी कारणवश और उसमें तीन साल पूरे हो गये, उसके चुनाव फिर पांच साल के लिए करायेंगे तो पूरी स्टेट के अन्दर एक साथ चुनाव नहीं करा पायेंगे। किसी पंचायत का कार्यकाल कम हो जाएगा, किसी जिला परिषद् का कितना हो जाएगा, किसी पंचायत समिति का कितना हो जाएगा। इसको यूनिफार्म रखने के लिए यह व्यवस्था की गयी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस कानून को पास करें और जनमत जानने की आवश्यकता है नहीं, हमने काफी पहले डिस्कशंस कर लिये। जिन्होंने इसमें

(श्री नाथूसिंह)

पार्टिसिपेट किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये? ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलना है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं दुबारा पूछ लेता हूं ... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : दुबारा पूछने की क्या आवश्यकता है ?

श्री सभापति : अभी मैंने पूछा नहीं है। आप विराजिये माननीय सदस्य । आप बिराजिये ....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मेरा नम्र निवेदन है ....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया मैंने प्रश्न अभी रखा नहीं है पूरा .... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय नेता ....

श्रीमती कमला : दुबारा पूछ सकते हैं आप ।

श्री सभापति : हां, मैं यह पू

दुबारा पूछ रहा हूं ।

श्रीमती कमला : पूछ तो लिया, पर दुबारा तिबारा पूछ सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, दूसरा जब बिल यहां पर पारित करने का स्टेज आया तो हम डिवीजन चाहते थे, लेकिन आसन से यह व्यवस्था दी गयी कि आसन को यह अधिकार है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनें । प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : सदन का बहुमत किधर है । मोशन हमारी तरफ से था, हम तो हां भर ही रहे थे, उन्होंने भी हां भर दी ...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मेरी नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : आपको अब मालूम नहीं पड़ा कि हाउस की सेंस क्या है ? इसलिए अब आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति : दुबारा पूछता हूं .... (व्यवधान) ... आप बिराजिए मैं दुबारा पूछता हूं ...

एक माननीय सदस्य : दुबारा के लिए आपसे किसी ने मांग नहीं की ।

श्री सभापति : आप बिराजें ।

Page No.19

श्री शिवनाथ सिंह : दुबारा नहीं पूछ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : दुबारा के लिए....

श्री सभापति : मैं नहीं सुन सका इसलिए मैं दुबारा पूछ लेता हूं। मैं प्रसेस नहीं कर सकता ...

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, दो ही बात हो सकती है या तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बिल को पढ़कर के नहीं आए या यह कुम्भकरणी नींद में सो रहे थे, अगर कुम्भकरणी नींद में सो रहे थे, So they should pay a price for it, if they were not alert. They were in a slumber.

श्री महावीर प्रसाद जैन : (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, अभी आपने हां पक्ष पूछा है....

श्री सुन्दरलाल : सभापति महोदय, हमारे तो ....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक उसमें ना पक्ष पूछना है वह रह गया है, अब उससे पहले ही हम यह इम्प्रेशन लें....

श्री सभापति : नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूं....

श्री सुन्दरलाल : आप बोल दो फिर, क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे....

श्री सभापति : आप बिराजें, प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं वह पूरा नहीं हुआ।

श्री सभापति : हां, मैं दुबारा पूछता हूं। मैं अब हां पक्ष को दुबारा पूछता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ? (अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रवर समिति का जो संशोधन था वह मूव नहीं हुआ है इसलिए उस पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ? (स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड-2

श्री हरीसिंहजी (कुम्हेर) संशोधन प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वापस, मूव ही नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : वापिस, मूव ही नहीं किया है तो वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस पर मतदान की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। खण्ड दो।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

खण्ड-3, श्री विष्णु मोदी, श्री हरीसिंहजी (कुम्हेर) और श्री शिवनाथ सिंहजी, संशोधन पेश करेंगे ? नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं।

खण्ड 3 में संशोधन श्री शिवनाथसिंह जी ने प्रस्तुत नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4

खण्ड 4 श्री विष्णु मोदी संशोधन प्रस्ताव... नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया कया।

खण्ड-5

खण्ड 5 श्री विष्णु मोदी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ? कोई संशोधन नही।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6

खण्ड 6। श्री विष्णु मोदी संशोधन प्रस्ताव करेंगे ? नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड-7

खण्ड 7। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड-8

खण्ड 8 श्री विष्णु मोदी, श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे ? नहीं करेंगे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 8, स्वीकार किया गया ।

खण्ड-9

खण्ड 9, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, एक खण्ड 9 का एक खण्ड ।

खण्ड 9 के उपखण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा," के स्थान पर अभिव्यक्ति "या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत के या पंचायत सर्किल के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "प्रतिस्थापित की जाए ।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी । आप बोलना चाहेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : जी ।

श्री सभापति : एक सैकण्ड बिराजिये, मैं बुलाऊंगा । श्री विष्णु मोदी, श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत........नहीं करेंगे । माननीय श्री शिवनाथसिंहजी ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, खण्ड 9 में प्रावधान यह किया गया है कि पंचायत राज स्थापित हो, पंचायती राज की स्थापना हो और बात के लिए इस का हम स्वागत करते हैं कि पूरे राजस्थान में पंचायती राज इस प्रावधान के अन्दर होगा । लेकिन मैं, जैसा अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा, और पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि जो ग्रामदानी विलेज हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी । माननीय सभापति जी, मैं इस सम्बन्ध में अपने विधेयक का खण्ड 124 है, उस की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । उसमें आपने इस अधिनियम के शुरू होने के बाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1959 को तो आपने निरस्त कर दिया है, वह निष्प्रभावी हो जायेंगे । लेकिन हमारे यहां ग्रामदानी का एक एक्ट है और ग्रामदानी गांव के, ग्रामदानी पंचायत के सम्बन्ध में जो विधेयक, जो कानून हमारे यहां मौजूद है उसको इस तरह से निरस्त नहीं किया जाएगा । वह कानून भी बराबर चलेगा और आपका जो बिल है, नया जो एक्ट बन जाएगा वह भी बराबर चलेगा । इससे एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी । इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए, कानूनी विशेषज्ञ यहां मौजूद हैं, यदि इसके लिए कुछ आवश्यक हो, तो अभी

(श्री शिवनाथ सिंह)

अमेंड कर सकते हैं, इस धारा को थोड़ा स्थगित रखकर, इस सम्बन्ध में भी थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए और संशोधन लाना चाहें वह लायें, मेरा तो यह निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। माननीय श्री नाथूराम अहारी साहब।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में मेरा ख्याल है चार सौ से ऊपर ग्रामदानी गांव हैं। मेरे जिले में भी कम से कम 40 ग्रामदानी गांव हैं और केवल डूंगरपुर पंचायत समिति में ही 11 पंचायत समिति के सदस्य भी हैं ग्रामदान गांवों के लोग हैं। ग्रामदान एक ऐसा नियम है जो गांवो में गांधी, विनोबा के विचारों को प्रदर्शित करता है और हम लोग गांधी, विनोबा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। गांधी और विनोबा की जो योजना है है ग्रामदान की, ग्रामदानी योजना को इसमें उखाड़ फेंकना, मैं समझता हूं कि गांधी, विनोबा की भावनाओं को कुचलना है। ग्रामदान एक बहुत अच्छी योजना है। मैं समझता हूं कि हम से 5 प्रतिशत लोग ही ग्रामदान के बारे मे जानते होंगे। ग्रामदान में, हमारे यहां 19-20 का 50-51 का बहुमत होने पर विजयी घोषित किया जाता है लेकिन ग्रामदान में 80 का बहुमत होता है तब चुनाव होता है। इससे पार्टियां नहीं बनती हैं और ग्रामदान का कानून पंचायत से भी कहीं ज्यादा सशक्त है। तहसील का पूरा अधिकार ग्रामदान को है। जमीन अलाट करना, जमीन की रजिस्ट्री करना और जितनी भी जमीन है उसका पूरा हक ग्रामदान में होता है। अभी ग्रामदान में तीन साल के अन्दर चुनाव हो जाते हैं यह बात जरूर है कि कहीं-कहीं अध्यक्ष की नासमझी से, अध्यक्ष नहीं समझता हो वहां ग्रामदान में दुरुपयोग भी होता है लेकिन अभी चूंकि मैं भी ग्रामदानी गांव का विधायक हूं और मेरे यहां भी 20-25 साल से ग्रामदानी गांव चल रहा है। मेरे यहां भी कहीं विकास के काम अवरूद्ध नहीं हुये हैं और मैं समझता हूं कि जहां भी समझदार लोग हैं वहां तो हुए ही नहीं हैं। यह योजना बहुत अच्छी और खासकर के ग्राम के लिए है जमीन की सुरक्षा के लिए है, जमीन बेची नहीं जाएगी दूसरे गांव में, इस तरह की व्यवस्था है।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि ग्रामदान गांव का अधिकार अलग से रखा जाए। अभी पचायतें तो आपने भंग कर रखी हैं और चुनाव पता नहीं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करावें लेकिन ग्रामदान गांव के अध्यक्ष तो अभी वैसे ही काम कर रहे हैं।

विकास के काम ग्रामदानी गावों में अध्यक्ष ही कर रहे हैं और वैसे ग्रुप सचिव कर रहे हैं। राजस्थान में तो मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित पंचायत

(श्री नाथूराम अहारी)

राज्य मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप ग्रामदान की अलग से व्यवस्था करें जैसी आजकल चल रही है और उनको समझने की कोशिश करें। यही मेरी भावना है, जय हिन्द।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, पंचायत राज बिल के क्लाज 9 में एस्टेब्लिसमेंट आफ पंचायत का प्रावधान है। मैं प्रथम तो प्रभारी मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिस गजट नोटिफिकेशन का इसमें उल्लेख किया गया है पंचायतों का डीलिमिटेशन और री-आर्गेनाइजेशन करके आप गजट में नोटिफाई करने जा रहे हैं या जो पहले कर चुके हैं अब उसमें कोई भी संशोधन नहीं करेंगे। यह तो जनरल पावर्स हैं। अभी माननीय सदस्य ग्रामदानी ग्राम के विषय में पूर्व में भी सदन में इस विषय पर चर्चा हुई थी। ग्रामदानी गांवों के सम्बन्ध में पहले पंचायतें नहीं बनी हैं और आज पंचायत का नोटिफिकेशन गजट में हुआ है 1992 में लेकिन उसमें ग्रामदानी गांव की कोई पंचायत वहां कांस्टीट्यूट नहीं हुई है और सेपरेटली जिस तरह से उनके अध्यक्ष आया करते थे पचायत समितियों में, वह प्रावधान ग्रामदानी गांव में है। आपने यहां पर जो उल्लेख किया है, मैं रेफर करना चाहूंगा कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट को। कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के आर्टिकल 243 (सी) है, इसमें सभी गांवों की पंचायतें बनेंगी अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए अलग प्रावधान रखा है। अगर सभी गांवों की पंचायतें बनेंगी और पंचायतों का कम्पोजिशन पूरे स्टेट का होगा, अब आफ गांवों का तो ग्रामदानी गांवों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं? राज्य सरकार ने अगर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, तो इसका मतलब यह है कि इस बिल के अन्दर इनहरेन्ट डिफेक्ट है। इसको रेक्टीफाई किया जाना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं कांस्टीट्यूशन के 73 वें अमेंडमेंट का 243 (बी) कांस्टीट्यूशन आफ पंचायत का 'बन' पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

'There shall be constituted, in every State, Panchayat in the village ..."

माननीय सभापति महोदय, यह 73 वां कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद राज्य सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है इन ग्रामदानी गांवों को पंचायत बनाने के अलावा इसलिए राज्य सरकार इन ग्रामदानी गावों को पंचायत बनाएंगी, चुनाव कराएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो ग्रामदान एक्ट में बाद में संशोधन कर दिया जाएगा लेकिन अभी इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि यह कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है, यह बात तो सही है कि यह संविधान संशोधन के बाद में इनको भी पंचायतों में शामिल करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए जैसा वह कह रहे थे कि नोटिफिकेशन करेंगे या उनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, यह बतायें ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मिनिस्टर इनचार्ज is referring to Art. 243 (b). That is not relevant.

रिलेवेन्ट इसलिए नहीं है कि वह तो सभी पंचायतों के लिए, at all level, at the village level, at the intermediate level and at the district level.

श्री नाथूसिंह : 243 (बी) एण्ड (सी) पढ़िये....

श्री परसराम मदेरणा : 243 (बी) और (सी) के पढ़ने से कुछ नहीं होगा

श्री सभापति : 243 (ए), (बी) और (सी) तीनों को एक साथ पढ़िये ..

श्री नाथूसिंह : हां, (ए) में भी है।

श्री परसराम मदेरणा : तीनों को मैं अलग-अलग पढ़ देता हूं लेकिन डायरेक्ट जो प्रावधान है, वह 243 (ए) है। इसमें यह है :—"The Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level and the Legislature of the State may by law provide. ..."

हर विलेज लेवल के ऊपर आप एक ग्राम सभा का करेंगे तो ग्राम सभा इनकी भी होनी है। आप ग्रामदानी गांव की ग्राम सभा ही रखेंगे या ग्रामदानी गांव की ग्राम सभा होनी है उसमें भी इलेक्शन होते हैं ..

श्री नाथूसिंह : 243 (बी) पंचायतों के बारे में है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप उन गांवों के लिए ग्राम सभाओं के द्वारा जो इलेक्शन होते हैं वह नहीं करके आप इनकी पंचायत बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ? प्रश्न यह है। आगे की लेवल पर तो ठीक बात है।

श्री नाथूसिंह : मैंने कहा है कि पंचायतें हमको बनानी पड़ेंगी। हम पंचायतें बनायेंगे इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आपने बापू की और विनोबाजी की आत्मा की हत्या कर दी, यह हत्या तो माननीय सदस्य केन्द्र ने की है। उनसे जाकर बोलिये आप, आपकी पार्टी की सरकार से।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, कहीं भी 73 वें संशोधन में ग्रामदानों को हटाया नहीं गया है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र आया नहीं है। यह तो इसमें साइलेंट है। यह तो आप इसके बारे में विचार करिये, आपने पंचायतें बना लीं, पंचायतों में ग्रामदानों का अस्तित्व अलग से रखा है। अब क्या यह नयी पचायतों को आप दुबारा री आर्गेनाइज करेंगे? किस किस ग्रामदान को किस पंचायत में मिलायेंगे? आखिर क्या है आपका इरादा? इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि आप किस-किस गांव को किस-किस पंचायत में शामिल करेंगे। यह कहीं भी जिक्र नहीं है। आखिर उनके चुनाव होंगे या नहीं होंगे? क्या प्रक्रिया अपनायेंगे आप उसकी?

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंड आने के बाद में जो वैधानिक स्थिति बनती है वह यह है कि राजस्थान का कोई भी गांव पंचायत क्षेत्र से बाहर नहीं रहे इसलिए तमाम ग्रामदानी गांव भी उसके अन्दर मान लिये जायेंगे अकार्डिग टू दी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उनको पंचायतों में शामिल कर देंगे और उधर ग्रामदानी विलेज का अलग से एक्ट बना हुआ है, वह एक्ट कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के रेफरेंस में स्वतः ही खारिज माना जाएगा, जहां तक इसका संदर्भ है। लेकिन आप उसको खारिज मानना चाहते हैं या नहीं चाहते है? उनका अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? यह सोचकर अगर आप चाहते हैं कि वह रहे तो इसमें एक दूसर प्रावधान करना पड़ेगा कि This bill not be applicable on Gramdani Villages. चाहते हैं तो तब तो बनाने पड़ेंगे और नहीं चाहते हैं तो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको सुपरसीड कर दिया है।

श्री नाथूराम अहारी : ....ग्रामदानी गांव हर पंचायत समिति में एक जगह नहीं हैं। अलग-अलग हैं। आपने पंचायतों का सीमांकन किया है, पुनर्गठन किया है उसमें भी अलग है। उसमें जनसंख्या को लिया नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चुनाव नहीं होने हैं अभी। आप पुनर्सीमांकन करेंगे, पुनर्गठन करेंगे किस गांव को किसमें मिलायेंगे,यह समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि उसको निकाल दिया गया है।

श्री मोहनलाल मोदी : हाईकोर्ट में लोग जायेंगे, चुनाव होंगे नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत जल्दबाजी में इस कानून को नहीं लाना चाहिए। इसके बारे में पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और इन ग्रामदानी गांवों की अलग से पंचायत कर दीजिए। प्रश्न तो यही है ना? आप उतने एरिया को पंचायत का रख दीजिये। उनकी अलग से व्यवस्था रहे अपनी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन बिलकुल साफ है....

Page No.26

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है। सभापति महोदय, जहां तक कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रश्न है उसमें कहीं भी किसी को न आशंका है और न कहीं किसी प्रकार का मतभेद है। सीधा सा प्रश्न यह है कि आपने पंचायतों का पुनर्गठन कर लिया और उसमें ग्रामदानी गांव पंचायतों के पुनर्गठन में नहीं आ पाये, तो अब आप यह जो नयी व्यवस्था पेश कर रहे हैं, ग्रामदानी गांवों को भी पंचायतों में सम्मिलित किया जाय तो निश्चित यह है कि आपको आवश्यक रूप से एक बार राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन करवाना ही पड़ेगा। यह है प्रश्न।

श्री नारूसिंह : अगर माननीय सदस्य मुझे पूरा सुन लेते तो आपको बोलने का कष्ट ही नहीं होता।

श्री सभापति : कृपया मंत्रीजी को सुनें।

श्री नाथूराम अहारी : ग्रामदानी गांव पुनर्गठन में आये ही नहीं। क्या सुन लें?

श्री सभापति : नहीं आये हैं इसलिए ही सुनें, कि अब आगे क्या करेंगे।

श्री नारूसिंह : माननीय सभापति महोदय, जहां बड़े गांव ग्रामदानी हैं और एक पंचायत बन सकती है, तो वहां एक पंचायत बनेगी और जहां कुछ गांवों के समूह को मिलाकर ग्राम पंचायत बन सकती है तो समूहों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनानी पड़ेगी।

(12.00)

जहां कोई गांव पास की पंचायत में एड करना पड़ेगा उसको पास की पंचायत में एड करना पड़ेगा। लेकिन वहां पंचायतें सरकार बनाएगी।

श्री मोहनलाल मोदी : पुनर्गठन हुआ न फिर?

श्री सभापति : कृपया बिराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अलाउ करूंगा बाद में, पहले बैठें। मोदी जी, बीच में नहीं, बिराज जाएं। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बैठें। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इसका समाधान करेंगे।

श्री नारूसिंह : इन गांवों की संख्या बहुत कम है, ज्यादा नहीं है इसलिए यह काम बहुत जल्दी हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी कराएंगे हम।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे नीमकाथाना में 46 ग्रामदानी गांव हैं, अलग-अलग पंचायत में हैं। अब आप किसको किस पंचायत में मिलाएंगे? पुनर्गठन तो आपको करना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ): मंत्रीजी यह तो मान रहे हैं कि पुनर्गठन करना पड़ेगा। क्या आप राजस्थान की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों का सम्पूर्ण रूप से पुनर्गठन करेंगे या आंशिक पुनर्गठन करेंगे ?

श्री नाथूसिंह : केवल ग्रामदानी गांवों की पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा, बाकी का नहीं किया जाएगा।

श्री सभापति : आंशिक पुनर्गठन।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री विष्णु मोदी जी ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 10, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं खण्ड 10 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं :—

(2) खण्ड 10 के उप खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत समिति के या पंचायत समिति के खण्ड के भीतर के किसी भी क्षेत्र के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा", प्रतिस्थापित की जाए।

श्री परसराम मदेरणा : क्या मतलब है आपका ?

श्री नाथूसिंह : मतलब यह है....

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, समझकर नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझा सकेंगे आपको।

श्री नाथूसिंह : किसी ग्राम पंचायत का नाम या उसके स्थान का कोई परिवर्तन किया जाए उसमें या पंचायत समिति में, तो उसकी स्वयं की इच्छा से, उस क्षेत्र से या राज्य को भी उससे एक महीने का नोटिस उनको देकर सुनना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह ग्राम पंचायत है यहां।

श्री नाथूसिंह : तीनों में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं

Page No.28

(श्री परसराम मदेरणा)

क्या बात कर रहे हो ? सभापति महोदय, ये पंचायत बीच में घुसेड़ रहे हैं, है ही नहीं पंचायत यहां पर ।

श्री नाथूसिंह : यह पंचायत समिति का है ।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो यूं कहो न फिर ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरा अमेंडमेंट है खण्ड 10 में एक अमेंडमेंट मूव करना ही बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकार को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह पंचायत समिति या ब्लाक की जो लिमिटस हैं उनको कम कर सके, बढ़ा सके, छोटा कर सके, बड़ा कर सके । इस प्रकार की पावर्स राजस्थान सरकार को इस एक्ट में नहीं हैं । इन्होंने पंचायत को परिवर्तन करने की पंचायत की सीमाएं कम करने की या बढ़ा करने की पावर्स तो सेक्शन 101 में ले रखी हैं । 101 मुलाहिजा करें आप 'Alteration in the limits of a Panchayati Raj Instituti ns.' यह तो इन्होंने कह दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आगे आप यह कहते हैं :

"The State Government may, by notification in the Official Gazette,—

(a) declare the whole or a part of any local area included within the limits of a municipality to be a Panchayat Circle; or

(b) include in a Panchayat Circle any such local area or a part thereof, or, as the case may be, any local area included within the limits of anot ther Panchayat Circle....'

यह पूरा पंचायत के सम्बन्ध में है कि पंचायत सर्किल में कोई लिमिट बढ़ा सकते हैं कोई लिमिट कम कर सकते हैं, आल्टरेशन कर सकते हैं, परन्तु सर्किल के अन्दर आप कोई तरमीम नहीं कर सकते । केवल हैडिंग यह लिखने से 'Alteration in the limits of a panchayati Raj

(श्री हरिसिंह)

Institutions'. अगर हैडिंग सब्सटेंण्टिव सेक्शन के विपरीत है तो वह सब्सटेंण्टिव सेक्शन में जो लैंग्वेज दी गयी है वह लैंग्वेज इसके ऊपर प्रभावी होगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स लिखने का मतलब यह नहीं हो जायेगा। इस सेक्शन के अन्दर जब तक आप यह नहीं लिखें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशस की सीमाओं को आप घटा-बढ़ा सकते हैं तब तक इन्हें पंचायत सर्किल के अन्दर सीमाएं घटाने-बढ़ाने का अधिकार तो होगा लेकिन ब्लाक के अन्दर पंचायत समिति के अन्दर घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए मैंने 10(अ) मूव किया है कि राज्य सरकार को इस बात के अधिकार होंगे कि किसी ब्लाक की सीमाओं को वह घटा सकेगी, बढ़ा सकेगी; परिवर्तन कर सकेगी, परिवर्द्धन कर सकेगी। माननीय मंत्री महोदय देख लें, इनके पास में ऐसे अधिकारी हैं तो मैं अपना अमेंडमेंट विथड्रा कर लेता हूं। अगर नहीं है तो मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लीजिए।

श्री नाथूसिंह : यह हमने इसका आगे सेविंग क्लाज दे रखा है सेक्शन 124.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) . सेविंग क्लाज से पावर नहीं आयेगी। मन्त्री महोदय आप अपने को लीगली कंसल्ट कर लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : इसको डेफर कर दीजिए, आगे वाला क्लाज ले लीजिए।

श्री नाथूसिंह : न, न, डेफर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है....

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप कुछ कहना चाहें।

श्री परसराम मदेरणा : किस क्लाज को रेफर कर रहे थे आप, 124? अभी आपने 124 रेफर किया।

श्री सभापति : सेविंग क्लाज का बता रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इन्होंने रेफर किया है 124।

श्री परसराम मदेरणा : 124, रिपील एण्ड सेविंग। रिपील एण्ड सेविंग का मतलब यह कभी भी नहीं है। वे जो रिपील इनेक्टमैंट्स हो रहे हैं उसमें जो भी एक्शन दिये गये हैं उसके सेविंग की बात है। रिमूवेबल डिफिकल्टीज 133 में कोई है तो आप इसमें शब्द इन्वोक कर सकेंगे, लेकिन 124 तो रिपील है।

श्री नाथूसिंह : पंचायत समिति का 10 ही है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कहां है, बताइये पढ़िये।

श्री नाथूसिंह : पढ़ लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जो अमेंडमेंट कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तावित किया है,

Page No.30

(श्री परसराम मदेरणा)

यह तो गवर्नमेंट को पावर्स देने की बात है। गवर्नमेंट पावर्स नहीं लेना चाहती है। जब आवश्यकता पड़ेगी इसकी तो आपको इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में रखना पड़ेगा। आपने यह नहीं रखा है इसलिए उन्होंने यह लैप्स पाइंट आउट किया है। क्या आप उचित समझते हैं कि इस प्रकार का प्रावधान जरूरी है स्कीम आफ दी बिल में ?

श्री नाथूसिंह : 10 इसको आप पूरा पढ़ लें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास आलरेडी पावर है। यह 10 पंचायत समिति के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए 9 में है। उसके बाद जिला परिषद के लिए आगे है। यह सब में है आलरेडी। इसलिए एक्स्ट्रा 101 में इसका प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पावर नहीं है, एस्टेब्लिश करने की पावर्स हैं। एक पंचायत समिति आप एस्टेब्लिश करोगे....

श्री नाथूसिंह : एस्टेब्लिश नहीं चेंज करने का भी है उसमें, एक महीने का नोटिस। एक महीने के नोटिस का प्रोविजन इसलिए रखा है....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह सेक्शन तो पढ़ो आप। वह नाम का है सिर्फ, नाम परिवर्तन का है।

श्री नाथूसिंह : हां, नाम परिवर्तन का भी है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नाम परिवर्तन का मतलब लिमिट में परिवर्तन नहीं है।

श्री नाथूसिंह : एरिया का एस्टेब्लिशमेण्ट करने का है। है, उसमें निहित है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जो दे रखा है वह सिर्फ नाम परिवर्तन करने का है, एक महिने का नोटिस देकर।

श्री सभापति : माननीय बुरड़क साहब, यदि सरकार अधिकार नहीं लेना चाहती है तो क्या दिक्कत है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ठीक है, फिर उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री सभापति : आप मूव नहीं कर रहे संशोधन ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्री जी का यह अभिमत है कि क्लाज 10 के अन्दर जो मैं अमेंडमेंट मूव करने जा रहा हूं, उस अमेंण्डमेंण्ट में जो मैंने एक महीने के नोटिस की बात कही है उस, एक महीने के टर्म के अन्दर पंचायतों का और पंचायत समितियों का मैं री आर्गेनाइजेशन कर सकूंगा।

जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि प्रावधान 'The State Government may, from time to time by notification in the Official Gazette change the name of any such Panchayat Samiti.'

(श्री परसराम मदेरणा)

9 में यही था, 9 में पंचायतों के लिए- The State Government may, from time to time by notification in the official gazette change the name of any such Panchayat Samiti.

तो यह सजेशन आया था कि चेंज करने के पहले वहां की पंचायत समिति या जनता की मांग पर चेंज करना चाहिये। आपको आर्बिट्री तरीके से नाम नहीं बदलना चाहिये। पंचायत समिति के हैडक्वार्टर का पंचायत समिति का मामला है। अब वह अमेंडमेंट बिलकुल दूसरा है। इसलिये मैं यह कह रहा था कि यह कवर कौन से क्लाज में हो रहा है जो आप कह रहे हैं, आलरेडी प्रावधान है, कहां है वह ?

श्री शिवनाथ सिंह : इसको रेफर कर दीजिये।

श्री नाथूसिंह : रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती कमला : एक्सक्लूड, इंक्लूड वाली, परिवर्तन वाला नाम, वह धारा दूसरी है।

श्री नाथूसिंह : यह जो अमेंडमेंट है....

श्रीमती कमला : आप मान लेना, आपको आथोराइज ही कर रहे हैं। इसमें क्या है ?

श्री सभापति : तो क्या माननीय मंत्री महोदय, अस्वीकार करते हैं ?

श्री नाथूसिंह : इसमें आवश्यकता ही नहीं हैं, अस्वीकार करना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय हरीसिंहजी, माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लें हरिसिंहजी ने मूव नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड 10 आप प्रतिस्थापित करना चाहते हैं ? समाप्त हुआ।

खण्ड 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

खण्ड 12 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह ; खण्ड 13 में है।

श्री सभापति : खण्ड 12 में भी है आपका।

श्रीमती कमला : सदस्यों की संख्या बढ़ाने का है।

श्री सभापति : सदस्यों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में खण्ड 12 का है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका दफ्तर अप-टू-डेट नहीं है।

श्री सभापति : खण्ड 12 के परन्तुक में आपको संशोधन प्रस्तुत करना है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अमैंड करना है आपको।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 12 में, उपखण्ड (2) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परन्तु तीन हजार से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में नौ वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में, जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है, तीन हजार से अधिक के प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, नौ की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जाएगी।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। श्री विष्णु मोदीजी ने मूव नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 13 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 13 में —

(क) उपखण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) किसी पंचायत समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: निर्वाचित सदस्य, जो उप-धारा (2) के अधीन अवधारित किए जाए, और

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र सम्पूर्णत: या भागत: समाविष्ट है।

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों को, प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, पंचायत समिति की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।" और

(श्री नाथूसिंह)

(ख) उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु एक लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख से अधिक के प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिये, 15 की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जाएगी।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर), श्री जुबेर खान, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री विष्णु मोदी, श्री शिवनाथ सिंह, श्री मोहन मोदी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 में प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए? (स्वीकृत)

खण्ड 13, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 14 प्रभारी मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 14 में,:—

(क) उपखण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) किसी जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य, जो उप-धारा (2) के अधीन अवधारित किये जाएं;

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिसमें जिला-परिषद् क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं।

(ग) जिला परिषद् क्षेत्र में निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्य सभा के सभी सदस्य।"

परन्तु खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को प्रमुख या उप-प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय जिला परिषद् की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। और—

(च) उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"परन्तु चार लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद् क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद् क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, 4 लाख से अधिक के

Page No.34

(श्री नाथूसिंह)

प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिये 17 की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

श्री सभापति : श्री हरीसिंह जी (कुम्हेर), श्री जुबेर खान, श्री हरीसिंहजी (महुआ), श्री शांति कुमारजी, श्री विष्णु मोदी, श्री शिवनाथ सिंहजी अपना प्रस्ताव मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने चार लाख के ऊपर एक जिलापरिषद् की यह कम्पोजिशन की बात रखी है, उसके बाद में हर एक लाख की जो पापुलेशन बढ़ेगी तो दो मेम्बर और डाइरेक्टली अलर्ट हो जायेंगे टेरीटोरियल कांस्टीट्यूएंसी में; मैं यह जानना चाहता हूं, क्योंकि आप यह संशोधन ला रहे हैं, राजस्थान के भिन्न-भिन्न जिलों की जनसंख्या भिन्न-भिन्न है। आपने यह कुछ असेसमैंट किया है या केलकुलेशन किया है कि राजस्थान में इस क्लॉज के बाद में सबसे ज्यादा टेरीटोरियल कांस्ट्रीट्यूएंसी कौनसे जिले में बनेगी ?

श्री सभापति : जयपुर में होगी।

श्री नाथूसिंह : अभी इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी इसका इसलिये सम्बन्ध नहीं है, यह जो एक लाख की आबादी बढ़ेगी....

श्री सभापति : नहीं किया, यह कह दो न आप।

श्री नाथूसिंह : इवनली उसके अन्त में न गिनी जायेगी इसलिए सभी केल्कुलेशन हो जायेगा, जिसका ज्यादा आयेगा आ जायेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 14 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 14 (क) हरीसिंहजी (कुम्हेर) प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

खण्ड 15 श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे, नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16 श्री हरिसिंह (कुम्हेर) संशोधन प्रस्तुत करेंगे ? नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 16, स्वीकार किया गया।

खण्ड 17 श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने कहा, लेकिन मेरा फिर आग्रह है, मैं पहले संशोधन पेश करता हूं।

विधेयक के खण्ड 17 के उप खण्ड (4) में प्रयुक्त अभिव्यति "कालावधि के केवल ऐसे शेष भाग के लिऐ बनी रहेगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति—"पूरे पांच साल के लिए बनी रहेगी" प्रतिस्थापित की जाएं।"

सभापतिजी, मेरा निवेदन यह है और यह मेरी मान्यता भी है कि समूचे देश में आज इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो भी लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट का मिड टर्म पोल होता है, उस मिडटर्म पोल के बाद में वह पूरे आगे के 5 साल के लिए होता है। अभी मंत्रीजी ने कहा कि हम पूरे राजस्थान में यदि इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे, तो पंचायत समितियों और पचायतों के चुनाव विभिन्न-विभिन्न समय पर होंगे उसमें हम एक साथ नहीं करा पाएंगे। माननीय सभापतिजी, एक साथ चुनाव करवाये जाने जरूरी भी नहीं हैं। आज 2 साल के लिए किसी पंचायत समिति का चुनाव हुआ या पंचायत का चुनाव हुआ, 2 साल के बाद में फिर उसको चुनाव में डाला जाए, यह कहीं भी समझ में आने वाली बात नहीं है और कहीं भी, किसी भी देश में प्रचलित भावनाओं, प्रचलित कानूनों आदि सबके विपरीत है। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि सरकार इस पर सोचे और पंचायतों के भंग होने के बाद में, पंचायत समितियों के भंग होने के बाद में चुनाव करवाए जाएं, वह पूरे 5 साल के लिए हों और रीमेनिंग पीरियड के लिए नहीं हो। इसी भावना से मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इसमें रखा गया है कि इनकी टर्म 5 साल होगी, इंस्टीट्यूशन्स की, अगर हम इसको अमेंड करते हैं, तो यह संविधान की भावना के विपरीत होगा और जैसा मैंने

(श्री नाथूसिंह)

कहा कि पर्टिक्यूलर पंचायत समिति या जिला परिषद्.........

श्रीमती कमला : विपरीत होगा आप बता रहे हैं, एक मुद्दा तो यह है और एक समय के लिए वह भी है ...

श्री नाथूसिंह : एक समय के लिए यूनिफारमिटी नहीं रह पाएगी ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभ-नगर) : एक रूपता नहीं रह पाएगी ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंहजी मूव नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री शिवनाथसिंह : नहीं ।

श्री सभापति : प्रस्ताव विदड्रा किया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार किया जाए ?....(व्यवधान)... (स्वीकृत)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, खण्ड 17 में मेरा भी संशोधन है ।

श्री सभापति : मैंने नाम बोला था, आप उस समय नहीं थे ।

श्री विष्णु मोदी : कैसे नहीं था, श्रीमन् ।

श्री सभापति : खण्ड 17 स्वीकार किया गया ।....(व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, खण्ड 17 में मेरा भी था, आपने श्री शिव नाथसिंहजी का नाम बोला खाली ।

श्री सभापति : 17 में आपका कोई संशोधन नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : मेरा संशोधन है, खण्ड 17 में मेरा संशोधन है ।

श्री सभापति : नहीं है, आपका खण्ड 17 में । बिराजिए ।

श्री विष्णु मोदी : कैसे नहीं है ?

श्री सभापति : आप सुनें, अब कैसे नहीं है, वह नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको दिखा देता हूं, बिजनस लिस्ट दिखा देता हूं कि खण्ड 17 में मेरा संशोधन है ।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए । अब आप बिराजिए ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, श्रीमन्, मेरा संशोधन है ।

श्री सभापति : आप बिराजिए तो सही । मेरी बात तो सुनें ।

श्री विष्णु मोदी : श्रीमन्, मैंने जब संशोधन दे रखा है और बिजनस लिस्ट में मेरा नाम है तो आप कैसे रश थ्रू कर सकते हैं ?

श्री सभापति : मैं देख लेता हूं।

श्री विष्णु मोदी : हां।

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : पास हो गया खण्ड 17 तो।

श्री विष्णु मोदी : कैसे पास हो गया, पास नहीं किया है।

श्री सभापति : नहीं है, माननीय सदस्य आपका।

खण्ड 18 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 18 स्वीकार किया गया।

खण्ड 19 – प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 19 (6) खण्ड 19 में, –

(क) शब्दों "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति" से प्रारम्भ होने वाली और "यदि ऐसा व्यक्ति" पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति; और

(ख) उप खण्ड (झ) में अभिव्यक्ति "उसके लिए बिल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उसके लिए मांग नोटिस" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, समझ में नहीं आया कि 19 का कौनसा पोशर्न डिलीट करने जा रहे हैं। इंगलिश सैक्शन पढ़ दें, तो समझ में आ जाएगा आपके भी और मेरे भी।

श्री सभापति : अंग्रेजी का पढ़ दें।

श्री परसराम मदेरणा : Which portion of clause 19 you are deleting.

सब्सिटिट्यूट तो कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : क्लाज 19 इंगलिश में पढ़ देता हूं।

श्री सभापति : हां, आप पढ़ दीजिये। इंगलिश में आप पढ़ दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इंगलिश में पढ़ देता हूं इसमें क्या हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह म्युनिसिपेलिटीज का बिल नहीं है, वह तो वही पढ़ेंगे, आप क्यों बीच में आते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हू ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मेरी समझ में आया नहीं ।

श्री नाथूसिंह : इसके स्थान पर जो– "Every person who is entitled to vote at any election for any Panchayati Raj institution in a district" के स्थान पर यह होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : इन ए डिस्ट्रिक्ट तक ही है ।

श्री नाथूसिंह : हां, इसके स्थान पर अब यह कर दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, डिस्ट्रिक्ट तक आपने डिलीट किया है यह पूरा किया है यह....

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं पूरा नया करके, इसको बदल कर इसमें इसकी भावना यह है कि जो ग्राम पंचायत एरिया में रहने वाला व्यक्ति है उसमें से ही सरपंच का चुनाव लड़ सकेगा, पंचायत समिति में जो उस समिति एरिया में रहने वाला व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वोटर है वह चुनाव लड़ सकेगा और जिला परिषद् में जो पूरे जिले के रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, यह—In clause 19 : (a) for the expression beginning with the words "Every person" and ending with the words "unless such person", the following be substituted, namely:–

"Every person registered as a voter in the list of voters of a panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a panch or, as the case may be, a member of such panchayati Raj Institution unless such person", and (b) In sub-clause (i) for the expression "presentation of the bill therefor", the experession "presentation of the notice of demand therefor" be substituted:, यह क्लियर है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 19 में (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, 19 में मेरा भी है।

श्री सभापति : हां, आपका है।

श्री विष्णु मोदी : आपकी कोई नाराजगी है क्या ?

श्री सभापति : बिराजिये । आपके प्रति बिलकुल नाराजगी नहीं है। मैं आपका नाम पुकार रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : आप उत्तेजना में बिल पास करवा रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिए। सुनिये कम से कम इतनी जल्दी उत्तेजित होने की क्या बात है । माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : खण्ड 19 (आई) में है, इसको आपने एक साथ कैसे पढ़ दिया ?

श्री नाथूसिंह : अलग पढ़ा है, (आई) कहा है।

श्रीमती कमला : आई अलग से बोला नहीं ना।

श्री नाथूसिंह : आई बोला है।

श्रीमती कमला : एक साथ ही पढ़ दिया।

श्री नाथूसिंह । आई बोला हूं।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदीजी।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय मेरा खण्ड 19 में विधेयक के खण्ड 19 भाग (ख) में प्रयुक्त शब्द "दो मास" के स्थान पर 'नब्बे दिन" प्रतिस्थापित किये जाएं तथा शब्द "रखे है" के पश्चात तथा विराम चिन्ह" से पूर्व निम्नलिखित 'अभिव्यक्ति जोड़ी जाय-- अथवा जिसने धारा 71 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की हुई है " माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इस सदन में यह पंचायती राज कानून को पास करवा रहे हैं, मैं समझता हूं कि संविधान में जो संशोधन किया गया है, जो राजीव गांधी की मूल भावना रही....

श्री सभापति : आप खण्ड 19 पर बोलें।

श्री विष्णु मोदी : मैं खण्ड 19 पर ही आ रहा हूं। लेकिन खण्ड 19 पर आने के पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि मैं क्यों खण्ड 19 में संशोधन चाहता हूं; आपको इतनी जल्दी है....

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये, कोई जल्दी नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : फिर क्या मतलब है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : राजीव गांधी ने.... (व्यवधान)....

Page No.40

श्री भंवरलाल शर्मा : आप हर बार रिमार्कस क्यों पास कर देते हैं।

श्री विष्णु मोदी : फरमाइए, नहीं, पंचायत का काम आप देख रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई भी देख रहा हो इसमें क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : जो आपने नगरपालिकाओं और पानी का सत्यानाश किया है अब आप पंचायतों पर तो मेहरबानी करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हर वक्त ही रिमार्कस करते रहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : आप पंचायतों में पंचायती नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हर वक्त रिमार्कस पास करने से मतलब क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मनु ने.... (व्यवधान) ...

श्री भंवरलाल शर्मा : मनु कहां आ गयी बीच में।

श्री सभापति : मनु औरत नहीं है, मर्द है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मनु कहां से आ गया पंचायती राज में ?

श्री विष्णु मोदी : मैं पंचायती राज पर ही आ रहा हूं। लेकिन पंचायतें मनु के वक्त में थीं, गांधीजी ने....

श्री सभापति : मनु के पहले वेदों में थी, वहां से शुरू करें।

श्री विष्णु मोदी : जी हां, वेदों में भी थी.... (व्यवधान) ....

श्री नाथूसिंह : उसके पहले कहीं और से हो, तो वहां से भी शुरू कर दीजिए।

श्रीमती कमला : मनुष्य जब से समूह में रहने लगा तब से है।

श्री विष्णु मोदी : मेरी जानकारी वेदों के बारे में नहीं है, यह तो मान लेता हूं लेकिन मनु के वक्त की तो जानकारी है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : लेकिन मनु के वक्त की तो जानकारी है, श्रीमन्, उसको तो सदन को जाहिर होने दें।

श्री नाथूसिंह : विष्णुजी का पंचायती राज संस्थाओं से क्या लेना-देना है, म्युनिसिपैलिटी पर बोलते तो समझ में आता था... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव में पैदा हुआ हूं....

Page No.41

श्री शांति कुमार धारीवाल : गांव से जीत कर आया हूं ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय समापति महोदय, जो मूल भावना रही वह यह रही कि जब से हमने प्रजातन्त्र का रास्ता अख्तियार किया और राजीव गांधी ने यह महसूस किया खाली 550 लोग लोक सभा में चुन लिए जाएं 200 विधान सभा में आ जाए तो लोगों के साथ न्याय नहीं है, यह जो संविधान में संशोधन हुआ और विधान सभाओं को यह अधिकार दिया कि वह इसमें कानून बनाएं, तो उसके पीछे उनकी मूल भावना यह रही, वह डेलिगेशन आफ पावर्स नहीं रही है It is the decentralization of the Powers.

जो मूल भावना कांस्टीट्यूशन की है वह डेलिगेशन आफ पावर्स नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, हम लोगों ने, विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने आज तक पंचायती राज संस्थाओं को सिर्फ अपना दबदबा रखने का औजार बनाया है और मूल भावना जो संविधान के संशोधन की है....

श्री समापति : माननीय सदस्य, आप अपने संशोधन पर आ जाएं, खण्डशः विचार हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : मैं खण्डशः विचार पर ही बोल रहा हूं, श्रीमन्, मुझे पता है कि खण्डशः विचार क्या होता है ?

श्री समापति : आपको भी पता है तो अन्य माननीय सदस्य को भी पता है, यह भी ध्यान रखें ।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन मैं जो मूल भावना, आप अगर संशोधन की, संविधान संशोधन की मूल भावना जानना चाहते है ..

श्री समापति : जब विचारार्थ पर सैकण्ड पर, स्टेज पर पारित के अवसर पर मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री विष्णु मोदी : खण्ड 19 पर आ रहा हूं ।

श्री समापति : आप खण्ड 19 पर आ जाएं, जो आपका संशोधन है ।

श्री विष्णु मोदी : जी हां, खण्ड 19 पर आ रहा हूं मैंने जो दिया है दो माह की अवधि कम है ।

इसको 90 दिन की कर देनी चाहिये थी, क्यों कर देनी चाहिये थी, मैं बताता हूं आपको । खण्ड 19 कहता है कि किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए आता है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी जिले में, किसी भी पंचायती राज संस्था के निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है । उस जिले में किसी पंचायती राज संस्था के किसी पंच या यथास्थिति सदस्य

Page No.42

(श्री विष्णु मोदी)

के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा, यदि ऐसा व्यक्ति, अब उसमें इन्होंने दिया है, तो जो खण्ड 19 (झ) है। आपने 71 (2) में व्यवस्था की है लेकिन आपने यह कहा है कि सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को उसके लिए अपील प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो माह तक असंदत नहीं रखें। तो जो 2 माह का पीरियड है....

श्री समापति : असदत से मतलब ?

श्री विष्णु मोदी : वह तो मुझे नहीं मालूम, आप ही ज्यादा समझते हैं।

श्री समापति : अंग्रेजी में पढ लें।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको मंत्री महोदय, यह डी-सेंट्रलाइजेशन है, डेलिगेशन आफ पावर्स नहीं है। कांस्टीट्यूशन की मूल भावना है कि गांव की इकाई को, पंचायत को एक सफिशियंट यूनिट बनाये तो इसमें यह 2 महीने की अवधि कम है इसलिए इसको तीन माह कर दिया जाए।

श्री समापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, क्लाज 19 (आई) में मंत्रीजी ने जो "Presentation of the Bill therefor" यह लेवी के सम्बन्ध में, टैक्स के सम्बन्ध में है। अब जो ये संशोधन लाये हैं, वह उसका "presentation of the bill therefor" की जगह लायें है "presentation of the notice of demand therefor" यहां पर पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य का अमेंडमेंट यह है कि चाहे डिमांड हो, चाहे बिल हो, उसके सर्व होने के बाद में दो महीने की जगह तीन महीने का समय दिया जाना चाहिये और तीन महीने का समय इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस किया है क्लाज 71 को—

(1) Any person aggrieved by the assessment, levy or imosition of any tax or fees under this Act may appeal therefrom to the competent authority.

(2) An appeal under sub-section (1) may be preferred within ninety days.

यहा पर 90 डेज रखा है, वहां पर दो महीने रख रहे हैं, यह एनामोली है, यह कान्ट्राडिक्शन है और इसलिए डिमांड के नोटिस मिलने के बाद में काम्पीटेंट अथोरिटी को अपील करने का समय किसी भी व्यक्ति को, जिसके ऊपर टैक्स या लेवी इम्पोज की गयी है और नोटिस मिला है तो तीन महीने का समय दिया गया है। वह कम्पीटेंट अथोरिटी को अपनी अपील प्रस्तुत कर देगा और इसलिए यह क्वालिफिकेशन और डिस-क्वालिफिकेशन

(श्री परसराम मदेरणा)

का क्लाज है । इसलिए मैं यह मानता हूं, वह यह सोच रहा है कि मुझे अपील तो तीन माह में करनी है और ये दो महीने में उसको घर बैठा देंगे तो यह कान्ट्राडिक्शन है दोनों के अन्दर । आपने "अपील" की जगह "नोटिस आफ डिमांड" कर दिया है, ठीक है, लेकिन माननीय सदस्य का जो संशोधन है वह in consonance with the appeal.

प्रोविजन क्लाज 70 के साथ में नहीं है और इसलिए मैं यह समझता हूं कि यहां दो महीने रख रहे हैं, वहां तीन महीने रख रहे हैं ।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अच्छी तरह से समझ रहे हैं, यह सरपंच या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चुनाव लड़ने वाले के क्वालिफिकेशन के बारे में है, इसलिए उसको आलरेडी नोटिस सर्व हो चुके हैं, आलरेडी उसके खिलाफ कोई राशि बकाया है, तो वह लड़ने के लिए क्वालिफाई तभी करेगा जब वह दो महीने के अन्दर उसका पैसा जमा करा देगा । यह जो अपील करने की बात है, यह तो जो कोई फ्रेश चार्ज होगा उस पर, उसके लिए लागू है, इसलिए इन दोनों को एक साथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है । यह....

श्री विष्णु मोदी : यह एनामोली है । इसलिए इसमें दोनों को आप पढ़ लें । वह पढा होगा आपने ।

श्री नाथू सिंह : पढ़ लिया, पढ़ा हुआ है । आलरेडी यह जो क्वालिफिकेशन इलेक्शन के लिए है उसके लिए दो माह रखा है । आलरेडी वहां पर नोटिस जारी हो चुका, सुनवाई हो चुकी, पैसा उसमें प्रूव हो चुका और फिर भी कोई जमा नहीं कराये इसके लिए हमने दो महिने का समय दिया है, यह पास होने के बाद में अगर दो महीने तक वह जमा नहीं करायेगा तो वह डिस-क्वालिफाई हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए वह तीन महीने में इसको.......

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप इसकी व्याख्या........

श्रीमती कमला : .... दो महीने में एतराज है, आपने जो मुझे नोटिस दिया है, वह गलत दिया है, मेरे पर इतना बकाया नहीं है, वह वापस अधिकारी को जाकर एप्रोच करेगा और फिर उसको रेक्टिफाई करायेगा, तो तीन महीने लग सकते हैं और हो जाता है आम तौर पर इसलिए व्यावहारिक तौर पर तीन महीना होना व्यावहारिक होगा ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं, ये नोटिस तो पहले हो सर्व हो चुके, उनको आलरेडी प्रूव हो चुका, जांच हो चुकी, उनके ऊपर लागू है । यह फ्रेश नोटिस पर लागू नहीं है, डिमांड पर है, आलरेडी है डिमांड पर ।

श्री शिवनाथ सिंह : 19 में मेरा भी संशोधन है। मेरा भी खण्ड 19 में संशोधन है।

श्रीमती कमला : यह तो इसमें....... (व्यवधान)

श्री सभापति : शिवनाथ सिंह जी, एक मिनट बैठिये ।....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप जो अमेंडमेंट लाये हैं, नोटिस आफ डिमांड, इससे क्या मतलब है ? आपने....

श्री नाथूसिंह : नोटिस आफ डिमांड से यह मतलब है कि जो पैसा आलरेडी डूव हो चुका, उसके ऊपर कोई बकाया है, उसकी हम नोटिस देकर डिमांड कर रहे हैं कि इसका पैसा जमा कराये। अगर दो महीने में वह जमा नहीं करायेगा तो क्वालिफाई नहीं होगा इलैक्शन लड़ने के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : नोटिस आफ डिमांड नहीं, इस डिमांड को आपने फाइनली चार्ज निर्धारित कर दिया है और उसकी डिमांड आपने दे दी है कि आपमें इतना पैसा निकल रहा है, बकाया है और आपका 71 भी यही बात कहता है Any person aggrieved by the assessment, levy or imposition of any tax.

यह भी जो डिमांड कांस्टीट्यूट होने के बाद है, डिमांड नोटिस देने के बाद है or fees under this Act may appeal. डिमांड नोटिस मिलने के बाद में उसको अपील करने का अधिकार दिया गया है, उसमें टाइम लिमिट जो दी गयी है वह विदिन 90 डेज, इसलिए यह जो उसका नोटिस दिया, डिमांड पुख्ता हो गयी और उसको सुन लिया गया, यह मतलब नहीं है। सुनने के बाद लेवी आफ टैक्स इम्पोज करने के बाद और उसकी डिमांड तय करने के बाद में, डिटरमीन करने के बाद में 30 दिन का समय दिया गया है.......

श्रीमती कमला : डिमांड नोटिस दिये जाने के पहले कोई प्रक्रिया नहीं होती है, फर्स्ट इनिशियेटिव डिमांड नोटिस से ही जारी होता है इसलिए उसके पहले की कोई प्रक्रिया होती नहीं है, न आपने इसमें कोई लिखा है इसलिए दिस इज दी फर्स्ट नोटिस, उसके बाद में एतराज होगा, अपील होगी।

श्री नाथूसिंह : खण्ड 71 फ्यूचर असेसमेंट का है, दोनों में फर्क यह है कि आलरेडी उसने अपील कर दी, सुन ली, सारा फाइनल हो गया और फिर भी उसमें बकाया राशि है और वह जमा नहीं करा रहा है। यह फाइनल है कि अगर आप दो महीने के अन्दर, इसके पास होने के बाद में भी जमा नहीं करायेंगे, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यह है।

श्रीमती कमला : नहीं, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, डिमांड नोटिस

(श्रीमती कमला)

से ही प्रोसिडिंग शुरू होती है, उसके बाद में आपने एक्सप्लेनेशन इसमें कहां लिखा है ?

श्री नाथूसिंह : क्लियर एक्सप्लेनेशन है, कैसे नहीं है । इसके लिए सारे रूल्स बने हुए हैं, माननीया कमला जी आप जानती हैं । 17(4) पुराना एक्ट था, उसके बाद यह 38 में आ गया, उसके तहत इसके सारे....

श्रीमती कमला : आप भी उस रूल को अच्छी तरह पढ़ो । उसमें है Demand notice is the first stage of demanding the dues to him.

उसके पहले अपील भी हो गयी, सुन भी लिया गया और फैसला भी कर दिया गया । फिर डिमांड नोटिस जारी होते हैं क्या कोई ? डिमांड नोटिस इज दी फर्स्ट स्टेज ।

श्री नाथूसिंह : यह पैसा जमा कराने का नोटिस है इसका, उस पर आलरेडी प्रूव हो चुका....

श्रीमती कमला : वही मैं जान रही हूं ।

श्री नाथूसिंह : देखिये, जैसे पुराना पैसा जमा है, अब एक्ट पास हो गया और अब वह यह कह देता है कि मुझे तो मालूम नहीं था कि मुझे यह पैसा भी जमा कराना है । इसमें सम्बन्ध है इसका और कोई ज्यादा सम्बन्ध है ।

श्रीमती कमला : इसमें कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, क्लाज 19 में वह डिस-क्वालिफिकेशन एपूर्व कर देते हैं, अगर उसको डिमांड नोटिस मिल गया है और मंत्री महोदय यह कह रहे हैं 17 (4), 17 (4) क्लाज पुराने लॉ है एनेक्टमेंट में, जो आप रिपीट करने जा रहे हैं । इससे आपका काफी डवलप हो गया है । 17 (4) में आपने यहां पर व्याख्या की थी कि मैं 17 (4) की कार्यवाही कर देता हूं । वह तो आने वाले चुनाव में 5 साल के लिए किसी को चुनाव लड़ने से रोकना है 17 (4) के अन्दर और जो आज चुनाव लड़ रहा है लेकिन डिसक्वालिफिकेशन प्रूव हो जाता है, वह कहता है, नहीं, मुझे जो डिमांड नोटिस दिया है, मैं अपील कर रहा हूं और अपीलेट अथोरिटी का फैसला होने तक उसमें तीन महीने का समय दिया गया है तो आप कह रहे हैं कि दो महीने के अन्दर ही नहीं भेजा तो वह डिस-क्वालिफाई हो जाएगा । यहां पर यह प्रावधान है कि कोई भी डिमांड अगर एस्टैब्लिश भी हो गयी है, तो पंच या सरपंच या प्रधान या प्रमुख को अधिकार यह दिया गया है कि तीन महीने के भीतर अपीलेट अथोरिटी के पास में अपील दायर कर सकेगा । इसलिए यह एनोमोली है, यह कान्ट्राडिक्शन है दोनों में ।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभा-

(श्री भंवर लाल शर्मा)

पति महोदय, सैक्शन 19 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई डिमांड उस पर निकलती है, तो वह जमा कराने के बाद उसकी डिसक्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। इसमें यह प्रोविजन दिया हुआ है। पुराने एक्ट में ही लिखा हुआ है यह कि यदि कोई डिमांड उस पर बाकी निकलती है—'For the purpose of clause (i), a person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the amount of the tax or fee due from him befor the date of filing his nomination papers.' तो वह जमा करा सकता है और फिर वह चेलेंज भी कर सकता है अपील के माध्यम से।

श्रीमती कमला : लेकिन वह समय नहीं रहता है यही तो कह रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : अपील करेगा अपील इस बात की होगी कि जो डिमांड उससे ली गयी है वह गलत है। जो पैसा उससे वसूल किया जा रहा है उसकी तो अपील का प्रोविजन है। इसमें तो टैक्स जमा करा देगा, फीस जमा करा देगा।

श्री विष्णु मोदी : हम तो टाइम की बात कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं उसके पहले सब कुछ हो चुका होगा वह आखिरी चीज है। वह तो यह कह रहे हैं और आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : टैक्स जमा कराने से हो जाएगी।

श्री विष्णु मोदी : बात दो महीने की बजाय तीन महीने करने की है। एक बात समझ में नहीं आती कि यह कोई प्रेस्टिज इश्यू है क्या ? सभापति महोदय, मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय को पूरा करने दो।

श्री भंवर लाल शर्मा : अपील पेश करते हुए डिसक्वालिफिकेशन खतम नहीं होगी। अपील का निर्णय जब होगा, केवल पेश करने से उसको अधिकार नहीं मिलेगा और अपील पेश करने का टाइम तीन महीने का है। अपील का निर्णय होने में तो बहुत टाइम लगेगा -

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाता हूं जब सर्वप्रथम पंचायती कानून बना तो उस समय स्वर्गीय श्री दामोदरजी व्यास पंचायती राज मंत्री थे और वे उस तरह से, जिस तरह से अभी श्री भंवर लालजी शर्मा पंचायत में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, नम्बर दो हैं, उन्होंने खड़े होकर बिल पेश किया तो किसी माननीय सदस्य ने अगर कोई संशोधन दिया, उसको समझा और उसी वक्त उसको एग्री किया। उसके

(श्री विष्णु मोदी)

बार यह पंचायती राज कानून बना था ओपन माइंड मे। मैया यह आपकी कोई ठेकेदारी नही है जो आप राज में बैठे रहेंगे। कानून ऐसा बनाओ, संस्था की जो मूल भावना है, क्यों भारत सरकार को कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि आप जैसे संकुचित विचारधारा के लोग जिनको समझ नहीं लेकिन उसके बाद में भी बहस करते चले जा रहे हैं। +++ दो महीने का आपने किया हम कह रहे हैं तीन महीने। उसमें तीन महीने करने से ऐसा कौनसा पहाड़ टूट पड़ेगा? 'यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सभापति +++ शब्द को हटा दीजिये।

श्रीमती कमला : और कुछ नहीं करें लेकिन मंत्री महोदय इसमें यह लिख दें कि डिमांड नोटिस जारी होने के बाद आपत्ति सुनने के बाद सक्षम अधिकारी का जो निर्णय हो जाए उसके बाद भी दो महीने तक अगर पेमेंट नहीं करें तो वह सदस्य नहीं हो सकता। यह तो होना चाहिए, नहीं तो यह पता नहीं कि कौनसा डिमांड नोटिस है, इनिसियल है, फाइनल है या और है।

श्री सभापति : शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति जी, क्लाज 19 पर मेरा एक संशोधन है और संशोधन यह है कि इसके बाद "ठ" को हटा दीजिए। माननीय सभापति जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा समर्थक हूं....

श्री विष्णु मोदी : 19 पर चल रहा है यह।

श्री शिवनाथसिंह : 19 पर ही मेरा है।

श्रीमती कमला : डिमांड नोटिस का तो क्लीयर होने दें। आप इसको क्लीयर कर दें फिर कोई दिक्कत नहीं।

श्री नाथूसिंह : देखिए, असेस्मेंट होने के बाद ही डिमांड होगी और उसे आपत्ति है तो अपील कर दे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, कांट्राडिक्ट नहीं है।

श्री विष्णु मोदी - दो महीने की जगह तीन महीने की बात कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इसमें कोई फर्क नहीं। दो महीने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग जिनमें पैसे बाकी हैं वे पैसे जमा नहीं कराते इसलिए किया है। हम इसको लिंगर-ओन नहीं करना चाहते।

श्री विष्णु मोदी : 71 (2) में तो तीन महीने कर दिये लेकिन इसमें आपको क्या समस्या है?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्रीमती कमला : "सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय देने के उपरांत", इतना लिख दें आप।

श्री सभापति : हां, यह कहिए ना।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीया कमलाजी कह रही हैं आलरेडी सक्षम अधिकारी नोटिस देता है और देता ही कौन है? क्या लिखना है? लाखों रुपया जिनमें बकाया हैं, असेस्मैंट फाइनल हो चुका है और पैसा जमा नहीं करा रहे हैं इसलिए वह पैसा जमा हो। इसलिए इसमें दो महिने लिखा है।

श्री सभापति : सक्षम अधिकारी के नोटिस के बाद ही दो महीने होंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का बहुत जबर्दस्त समर्थक हूं और यह भी चाहता हूं कि यह सफल हो। मैंने यह संशोधन इसलिए पेश किया है कि इसमें थोड़ी व्यावहारिक कठिनाई है। इसमें यह लिखा है कि चुनाव होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद में भी किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वह डिसक्वालिफाई हो जाएगा। माननीय सभापतिजी, आपके और हमारे तो नहीं है लेकिन उन जवानों का सोचिए जिसके एक बच्चा हुआ और सैकण्ड एफर्ट में उसके जुड़वा दो हो गये। उसकी कोई गलती नहीं है। उसने एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रयत्न किया था और जुड़वा दो हो गये। उस व्यक्ति का क्या होगा? इसलिये मैं चाहूंगा कि इस जुड़वा के लिए भी आप प्रावधान करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय प्रावधान करेंगे जुड़वा न होने का।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा अमैंडमैंट कर दीजिए ताकि जुड़वा बच्चे वाले सैकण्ड एफर्ट में बच जायें।.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : हां, आपका भी है, आपका भी है, आपका भी है। डा. हरिसिंह।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : वैसे तो दो बच्चे वाली सबकी भावना है हो जानी चाहिए कोई बात नहीं है। This will be challenged in the Court. क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेटरी काम करेंगे। एम. पी. को आप शामिल नहीं कर रहे हो, एम. एल. ए. को शामिल नहीं कर रहे हो, एम. पी. व एम. एल. ए. को भी करना चाहिये। एम. एल. ए. और एम. पी. तो बचे रह गये और म्युनिसिपैलिटी वाले को आप करेंगे यह तो डिस्क्रिमिनेटिव है। दो बच्चों वाला मामला है, यह ठीक है। प्रकृति के मामले में उस आदमी के तीन बच्चे हो गये तो वह इसमें क्या कर सकता है।

(डा. हरिसिंह)

He is doing his job upto two children and it happens to be three. What he can do about it ?.

श्री सभापति : माननीय मदेरणा साहब खड़े हैं, महत्वपूर्ण बात सुनें ।

श्री परसराम मदेरणा : दो-तीन दिन पहले अखबार में आया था, मैंने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा होगा । दो जुड़वा बच्चे हो गए, वे दोनों हसबैण्ड और वाइफ कह रहे थे कि हम नहीं चाहते थे लेकिन हो गये । इसलिए यह ऐसा वेलिड पाइंट है कि अगर आप नहीं कर रहे हो और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है इसमें, वह पोसिबिलिटी हो सकती है और होने के बाद में, अभी जैसे ओले पड़ गये इसमें हम क्या करें । यह तो कुदरत का खेल है । उसमें भी कुदरत किस तरह से....

श्री सभापति : कुदरत किस-किस प्रकार मेखेल करती है ।

श्री परसराम मदेरणा : हां । अभी डा. साहब ठीक कह रहे थे कोशिश तो दो की कर रहा था और हो गये तीन । इसलिए यह प्रावधान रखा जाना चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय आप बिराजें । जुबेर खान जी बोल रहे है । श्री जुबेर खान । आपको भी पुकारूंगा ।.... (व्यवधान)....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मेरा इसी में है । यह बच्चों वाला मामला चला है इसी में मेरा है ।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके तीनों के ही बच्चों के ही हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : हां । यह मजाक का मामला नहीं है बहुत अहम् मुद्दा है । आपने दो बच्चों के लिए एक कानून बना दिया । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक बच्चे के बाद में उसके दो जुड़वा बच्चे हो गये, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, आपको यह संशोधन करना चाहिए । उसको एक ही माना जाए । सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि—

विधेयक के खण्ड 19 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन शब्दों "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति" से प्रारम्भ होने वाली और "यदि ऐसा व्यक्ति" पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाय—

"किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में उस वार्ड/पंचायत सीमा क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायत राज संस्था के पंच या यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन

Page No.50

(श्री मोहनलाल मोदी)

के लिए अहित होगा यदि ऐसा व्यक्ति; और"

दूसरा, विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उप भाग ( ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सदस्य/सरपंच के चुनाव जीतने की तारीख को हो" प्रतिस्थापित की जाय।

'विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उप भाग ( ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय --

"परन्तु उक्त तारीख के पहले एक ही बच्चा हो परन्तु बाद में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते है तो उस पर दो से अधिक बच्चों वाला नियम लागू नहीं होगा।"

में उक्त संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री सभापति : मोदीजी आप विराजें। श्री जुबेर खान।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मेरा संशोधन तो मूव कर दूं।

श्री सभापति : आप बिराजें तो सही। श्री जुबेर खान जी।.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अगर तीन हो गये तो क्या होगा?

श्री सभापति : कोई प्रलय नहीं होगी।

श्री टीकम चन्द कांत : सभापति महोदय, एक सूचना।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य, आपका संशोधन नहीं है।

श्री टीकम चंद कांत : श्रीमती ताराजी के सम्बन्धी के यहां एक साथ चार बच्चे हुए और माननीय गुलाबजी तो इस दौर से गुजर चुके हैं उनके एक साथ तीन हुए।

श्री सभापति : परन्तु इसका मेरे पास कोई इलाज नही है। श्री हरीसिंह जी बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि विधेयक के खण्ड 19 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन शब्दों "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति" से प्रारम्भ होने वाली और "यदि ऐसा व्यक्ति" पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाय :—

"किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में उस वार्ड/पंचायत

(श्री हरिसिंह)

> सीमा क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायत राज संस्था के पंच या यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति; और"

दूसरा, विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उपभाग ( ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सदस्य सरपंच के चुनाव जीतने की तारीख को हो" प्रतिस्थापित की जाय।

विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उपभाग ( ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय—

> "परन्तु उक्त तारीख के पहले एक ही बच्चा हो परन्तु बाद में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस पर दो से अधिक बच्चों वाला नियम लागू नहीं होगा।"

सभापति महोदय, इस एक्ट के खण्ड 19 (ख) में एक प्रावधान रखा गया है कि एक्ट के पारित होने के दिन जिसके दो बच्चे हैं, वह तो चुनाव लड़ सकता है और साथ ही इसमें एक छूट और दी गयी है नीचे इसके चार में, उसमें यह कहा गया है कि अगर इस एक्ट के पारित होने से पहले किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो, उसको चुनाव लड़ने की छूट है। वह चुनाव लड़ सकता है, पांच है, छह हैं, दस है, बारह हैं, कितने भी हों, एक्ट के पारित होने से पहले। लेकिन, सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके एक्ट के पारित होने के दिन एक बच्चा है और उसके बाद में जब वह चुनाव लड़ता है, तो जो कुछ भी सदस्य या सरपंच या उप सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख या प्रतिनिधि किसी भी पंचायती राज संस्था का बनता है और उसके बाद में अगर दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि उस समय उसके बच्चे तीन बच्चे काउंट होंगे और वह अधिकारी ज्योंहि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वह उसको नोटिस देंगे, उसको पदच्युत कर देंगे, उसको अपने स्थान से हटा देंगे इसलिए इस एक्ट में यह प्रावधान किया जाये कि वह जो जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं तो इस एक्ट के प्रोविजन के लिए उनको एक ही माना जाए। एक इश्यू माना जाए।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : एक स्थिति और आएगी इसमें कि दो बच्चे हैं, बच्चा नहीं करना चाहते, पर प्रेगनेंट है, आज तीन महीने की प्रेगनेंट है उसकी वाइफ और छह महीने बाद में उसके बच्चा हो जाता है, तो इस कानून का क्या होगा?

श्री सभापति : वह एक साल का है, उसके लिए तो सेविंग क्लाज है इसमें। उसके लिए तो है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इस नये वाले में नहीं लिखा हुआ है, पुराने वाले

(श्रीमती कमला)

में तो था। इसमें नहीं है, छूट गया है। इस नये वाले में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें नये बिल में कोई प्रावधान नहीं रखा। जो अमेंडमेंट हुआ था इस बिल में, हाउस में पारित हुआ था 26 सितम्बर, 1992 को....

श्री सभापति : उसमें था।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें एक साल का रखा था। एक साल वाले में भी कभी-कभी सभापति महोदय, गड़बड़ हो जाती है ... व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सुनें। कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी व्यक्ति की धर्मपत्नी कंसीव होने के बाद में वह एक साल की बात जो कह रहे हैं, उसमें नौ महीने ही हो, साढ़े नौ हो, साढ़े आठ में हो जाये, वह तो एक रीजनेबल प्रावधान था और इसलिए फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, एक साल वाला प्रोविजन जो ओल्ड एक्ट में है, उस प्रावधान को डाला जाये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आपका संशोधन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अधिकार मोहम्डन में शरीयत के अनुसार....

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जहां तक माननीय शिवनाथ सिंहजी का, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का और मोहनजी मोदी का सवाल है, उनको तो यह परेशानी आनी नहीं ...

श्री सभापति : मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : हरिसिंहजी को परेशानी आ सकती है....

श्री सुरेन्द्र गोयल : चार शादी करने का उनको अधिकार है तो उनके अगर एक-एक के एक-एक बच्चा हो तो चार बच्चे हो जायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे बच्चों के लिये परेशानी आ सकती है।

श्री नाथूसिंह : हां, एक मिनट। सभापति महोदय, इसमें 92 में, अक्टूबर, 92 में जब यह अमेंडमेंट किया गया था तब एक साल का प्रोविजन इसलिये दिया गया था कि उस समय प्रोविजन कर दिया गया, वह एक साल निकल चुका है इसलिये अब इसमें एक साल....

श्रीमती कमला : उसका तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यह तो इतना समय....

Page No.53

श्री नाथूसिंह : ध्यान कैसे नहीं दिया, कानून पास हो गया। यह कोई तरीका है।

श्रीमती कमला : यह तो बीच में पोस्टपोण्ड हो गये चुनाव, कौन उसको लिये बैठा है अभी।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आज तक इसलिये चुनाव नहीं हुये कि चूंकि बीच में 73 वां अमेंडमेंट आ गया इसलिये टाइम उस समय 92 से....

श्री विष्णु मोदी : भारतीय जनता पार्टी कभी पंचायती राज में नहीं आयी इसलिये आपने हमेशा इसके साथ दुर्व्यवहार ही रखा है और आपने उस वक्त कर दिया, इस वक्त नहीं किया, जरा सीरियसली लें।

श्री नाथू सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। अक्टूबर में जब यह अमेंडमेंट आया ओरिजनल तो उस समय एक साल का हमने समय दिया। अब वह एक साल का समय चला गया इसलिए आज तो जब यह एक्ट पास होगा तब से ही लागू माना जाएगा और जहां तक आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जुड़ना बच्चों के लिये कह रहे हैं, इसके सारे कांसीक्वेंसेज देख कर बेस्ट ड्राफ्टिंग क्या हो सकती है, अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे बाद में, ले आएंगे।

श्री विष्णु मोदी : बाद में कर देंगे, बाद में क्या मतलब हुआ ?

श्रीमती कमला : बाद में कब करोगे, अभी कर दो आप, दो मिनट लगते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, बड़ी अजीब दलील दी है इन्होंने...

श्रीमती कमला : ऐसा अमेंडमेंट तो चलते--चलते ही हो जाता है, दो लाईन लिखकर बांट दें।

श्री परसराम मदेरणा : आपका जो अक्टूबर का अमेण्डिंग एक्ट है, प्रभारी मंत्रीजी ...

श्री सभापति : कृपया सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : जो अमेन्डिंग एक्ट अक्टूबर का है जिस पर गवर्नर ने कन्सेंट दी है अक्टूबर में, उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। दूसरी तरफ दूसरे सभी हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों में यह बात आ गई कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है। कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था....

श्री नाथू सिंह : हाईपोथेटिकली है....

श्री परसराम मदेरणा : वह आपका पूरे का पूरा आपरेशन आफ लॉ आज भी दिस मिनट जयपुर हाई कोर्ट से स्टे किया हुआ है उसका आपरेशन और जब लॉ ही आपरेट करने में हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो वह काहे के लिये अबंडेड कोशन लेता और इसलिये मैं यह कह

Page No.54

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता को कोई डर नहीं, उसको डर नहीं है, आप लाइट मीन में बात करते हैं, मुझे नहीं है, We are law makers. और हम जो कानून बना रहे हैं, आज के लिए नहीं बना रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी कानून बना रहे हैं। We should not be laughing stock begore the Bar and the Bench

इसलिये एक साल का प्रावधान बहुत सोच-समझ कर रखा था और एक साल का प्रावधान दिया तो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, जो वर्तमान में मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या भी की थी यहां पर, अब इसमें यह प्रावधान रहना चाहिए....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, आप विचार करें, मेरी सुन लें। दो संशोधन आये हैं। एक तो आपने दो महीने का और 90 दिन का किया है। आप विचार कर लें, दोनों, ही 90-90 दिन हो जाते हैं, तो भी इसमें कोई आपत्ति की बात, एक।

श्री विष्णु मोदी : जी, हां। श्रीमन्, वही है।

श्री सभापति : और जुड़वा बच्चों वाला जो मामला है उसमें एक परन्तुक यह, जैसा हरिसिंह जी ने कहा, संशोधन भी है, जो जुड़वा बच्चों वाला है कि दो बच्चे होने पर उसको एक गिना जाए, वह भी मैं समझता हूं कि आप विचार कर लें। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव : जुड़वां की बात नहीं होगी, एक से अधिक हो।

श्री नाथूसिंह : इसके क्या वर्ड्स होंगे, क्या ड्राफ्टिंग होगी, मैंने कहा कि इसको हम विचार करके इसको जोड़ लेंगे, इसमें मैं विरोध कहां कर रहा हूं जहां तक भावना का सवाल है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं। अब की अब, यह विधान सभा आज खतम हो रही है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। बात तो सुनिये मंत्री महोदय की।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं, यह जो जोडने की बात कह रहे हैं अब उसके बाद में आपके चुनाव पहले आ जायेंगे।

श्री नाथू सिंह : नहीं, नहीं। चुनाव के पहले हम ठीक कर लेंगे।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं। कहां से लायेंगे आप अमेंड़मेंट।

श्री नाथू सिंह : आर्डिनेंस लाया जा सकता है, इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास पावर्स है…

श्री विष्णु मोदी : संशोधन में क्या तकलीफ आ रही है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, आप इसको डेफर करके अधिकारियों को कहिये, अभी पांच मिनट में वह तैयार करके ले आते हैं। चाहे आप पढ़ दीजिए उसको, चाहे उनका मान लें, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगती, हम लोग करते रहे हैं यह सदा से।

श्री सभापति : खण्ड 19 को मैं कुछ समय के लिए डेफर करता हूं।

श्रीमती कमला : हां, ठीक है।

श्री सभापति : इस पर आप विचार कर लेंगे, और आगे चलते हैं।

श्रीमती कमला : वह तैयार करा लें।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, इसमें हमारा एक दूसरा संशोधन है।

श्री सभापति : पूरा ही, इसको 19 को मैं पूरे को ही डेफर, आप बिराजिये। 19 पर दुबारा विचार होगा, बिराजिए माननीय सदस्य। 19 डेफर किया गया। विराजिये।

श्री जुबेर खान : आप इसको डेफर कर रहे हैं तो पूरे के संशोधन आ जाए।

श्रीमती कमला : इनकी सुन तो लें।

श्री जुबेर खान : ताकि अगर जरूरत हो तो वह भी इनकारपोरेट कर लें।

श्री सभापति : हां, वह भी देख लेंगे। 19 को डेफर किया गया पूरे सेक्शन को। आप विराजिये, बाद में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : ठीक है, श्रीमन्।

श्रीमती कमला ; इनका तो दूसरा सब क्लाज है।

श्री सभापति : विचार कर रहे हैं उस पर।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह दूं, हो सकता है उसमें भी कोई, 19 में ही है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने 19 में एक संशोधन दिया है। उस पर मेरा संशोधन निम्न प्रकार से है–

विधेयक के खण्ड 19 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन शब्दों "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति" से प्रारम्भ होने वाली और "यदि ऐसा व्यक्ति" पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाय—

"किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में उस वार्ड/पंचायत सीमा क्षेत्र में मतदाता के रूप में

(श्री जुबेर खान)

रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसो पंचायत राज संस्था के पंच या यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति; और"

दूसरा, विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उपभाग ( ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सदस्य/सरपंच के चुनाव जीतने की तारीख को हो" प्रतिस्थापित की जाय।

विधेयक के खण्ड 19 के भाग (ठ) के उपभाग ( ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय:—

"परन्तु उक्त तारीख के पहले एक ही बच्चा हो परन्तु बाद में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस पर दो से अधिक बच्चों वाला नियम लागू नहीं होगा।"

श्री सभापति : अर्हित होगा, पढ लिया मैंने। इस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : नहीं, मैंने संशोधन दिया है। सभापति महोदय, यह पंचायती राज का बिल जो 73वां अमेंडमेंट भी आया, यही सोचकर आया कि जो लोग नीचे ढाणी तक रह रहे हैं उनके पास किसी तरह से सत्ता विकेन्द्रित हो और उनकी भागीदारी हो। इसलिए एक अंदेशा मेरे दिमाग में है, वह मैं मंत्रीजी के सामने रखना चाह रहा हूं। पंच और सरपंचों के लिए तो, सभापति महोदय, यह ठीक है क्योंकि उसी टेरेटेरी में रह रहे हैं लेकिन जहां तक पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए, क्योंकि पूरे जिला का आदमी मन्त्री महोदय के इस संशोधन के आधार पर कहीं से भी लड़ सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि एक तो पहले ही छोटी साइज कर दी है पंचायतों समितियों में कई जगह 15 ही रह गये, मतलब संख्यायें कम हो जायेगी। सभापति महोदय, जहां कहीं पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं वहां भी साधन सम्पन्न लोग जाकर लड़ने लग जायेंगे उस टेरेटेरी से और चुनाव महंगे हो जायेंगे और हकीकत में जो मूल भावना इस एक्ट के पीछे थी कि वहीं के लोगों की भागीदारी हो वह पूरी नहीं हो पायेगी। बहुत महंगे चुनाव हो जायेंगे, साधन-सम्पन्न लोग दूसरी जगह जायेंगे, तो मेरा इसमें एक संशोधन है कि जो व्यक्ति उस टेरेटेरी में रहता है वहां से वही चुनाव लड़ सकता है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि नहीं तो हम इस धन का, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि हम इसको इसलिए डि-सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि यहां साधन सम्पन्न लोग नहीं जाएं, लोग इस भावना से जायेंगे क्योंकि प्रधानी में 15 में से 8 वोट जो ले जाएगा, वह चुनेंगे और महंगे हो जायेंगे। इसलिए

Page No.57

(श्री जुबेर खान)

माननीय मंत्री महोदय इसको भी डेफर करा दीजिए और इस पर विचार करायें।

श्री सभापति : वह तो 19 खण्ड पूरा ही डेफर हुआ है।

(13.00)

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, अपन ने डिस्कशन के दौरान यह तय किया था कि पंचायत के पच और सरपंच पंचायत क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लेंगे, पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति एरिया से किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ लेंगे और जिला परिषद् के लोग जिला परिषद् क्षेत्र से कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे....

श्री सभापति : यही कर दिया।

श्रीमती कमला : लेकिन वह सेंटेंस इसमें सही फार्म नहीं हुआ इसलिए यह मिसइंटरप्रेट हो रहा है।

श्री सभापति : उसको भी देख लूं।

खण्ड 20 से 24 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 से 24 स्वीकार किया जाए ? (स्वीकृत)

खण्ड 20 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 25—श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 25—"कार्यभार का सम्भलाया जाना" और इसमें जो (4) है—"यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको उप धारा (3) के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, के पश्चात् तथा अभिव्यक्ति निदेश का पालन के पूर्व निम्नलिखित अभिव्यक्ति निविष्ट की जाय—"बिना किसी उचित कारण के"।

विधेयक के खण्ड-25 के उपखण्ड (5) में प्रयुक्त शब्द "पुलिस या" विलोपित किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, संविधान की मूल भावना है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, गांव के लोगों की सीधी भागीदारी हो और पुलिस, मतलब आप, क्या आपकी मानसिकता है, अगर आपकी पार्टी पंचायतों में नहीं जीतती है, तो उसमें पंचायतों के लोगों का क्या दोष है ? आप सीधी पुलिस ले आये और पुलिस के मार्फत इलेक्ट्रेट रिप्रजेंटेटिव्ज की क्या आप दुर्गति करना चाहते हैं ? पुलिस के अलावा आपको और कुछ मिला ही नहीं, आप न पढ़ना, न सोचना, न समझना और न उसकी इम्प्लीकेशंस को सोचना और सीधी आप पुलिस से करेंगे....+++

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : + + + बार बार नहीं ।

श्री विष्णु मोदी : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ।

श्री सभापति : यह आपका कलाम है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अपनी फैक्ट्री में शब्द यूज करते हैं ना, वही आदत है, + + +

श्री विष्णु मोदी : क्षमा चाहता हूं । माननीय सचेतक महोदय, क्षमा चाहता हूं लेकिन यह नोन सीरियस इश्यू नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों कह रहे है बार बार ?

श्री विष्णु मोदी : क्षमा चाह ली मैंने और क्या आप चाहते हैं, लिखित में दे दूं आपको । माननीय सभापति महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप इसमें पुलिस शब्द हटा दें और आप कोई व्यवस्था कर लें लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पुलिस की इसमें दखलंदाजी कोई उचित बात नहीं है ।

श्री शिवनार्यसिंह : सभापति जी, मेरा प्रस्ताव है कि-विधेयक के खण्ड-25 के उपखण्ड (5) को विलोपित किया जाय, सभापति जी क्लाज 25 को हम देखें तो शुरुआत इसकी होती है। 'कार्यभार का सम्भलाया जाना" यह बात सही है, कि जब एक पंचायत का सरपंच अगली पंचायत के चुनाव में नहीं जीतता है तो अपना कार्यभार नहीं सम्भलाता है और उसके लिए सब कागजात पड़े रहते हैं, आडिट नहीं हो पाता है, काफी कठिनाइयां आती हैं तो हम इस बात को तो स्वीकार करते है । जब एक सरपच चुनाव में नहीं आ पाये और अगले सरपंच जब दूसरा बन जाए तो वह अपना कार्यभार सम्भलाए और इसके लिए हमने प्रावधान किये हैं ।

सभापतिजी, इसी बिल में हमने प्रावधान रखा है कि वह अगले चुनाव नहीं लड़ पायेगा, किसी भी पंचायत का, इसी में हमने यह प्रावधान रखा है, क्लाज-4 में कि वह एक साल की सजा पा सकता है, एक हजार का जुर्माना भर सकता है या दोनों में से कोई सजा या दोनों ही सजा उसको भुगतनी पड़ सकती है लेकिन, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्लाज-5 आपने रखा है, वह हमारे जनतन्त्र के लिए, हमारे पंचायती राज के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक चीज होगी । हम एश्योर यह करना चाहते हैं, वह चार्ज दे और चार्ज नहीं दे तो उसकी अदर पैनल्टीज हमने इसमें रख दी । एक साल वह जेल में जा सकता है, यह रिस्क वह ले सकते हैं लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई यह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

तय भी कर दिया कि वह चार्ज नहीं दे रहा है, तो वह पुलिस ले जाकर के उसके घर में रखेगा, किसी मजिस्ट्रेट की सहायता लेगा तो यह बहुत बड़ी बर्बरता का काम होगा, हमारी पंचायत राज के लिए शर्म की बात होगी। हम सरपंचों के घर पुलिस ले जाएं, उनकी तलाशी लें और उनसे, उनके घरवालों से, सरपंच नहीं मिलेगा तो उसके घर की तलाशी ली जाएगी, बीबी बच्चों की तलाशी ली जाएगी और कहां उसका वह रेकार्ड रखा हुआ है, यह सब इसमें आएगी, पुलिस से वैसे भी हम भयभीत हैं ...

श्री सभापति : इसकी दूसरी व्यवस्था सुझाएं।

श्री शिवनाथ सिंह : वही मैं सुझा रहा हू ना। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है, यह क्लाज ही डिलीट कर दिया जाए, इससे पहले वाले इतने क्लाज हैं, एक साल की सजा उसमें रख रहे हैं, एक हजार का जुर्माना आप उसमें रख रहे हैं, तो वही प्रावधान सफिशिएंट है और उसके बाद भी आप उसके घर पुलिस ले जाएं और उसके यहां मजिस्ट्रेट ले जाएं, इस प्रकार का नाटक हम रचेंगे तो वह पंचायत राज के लिए बहुत बुरा होगा। मेरा इसमें यही निवेदन है कि सब क्लाज-5 को आप हटा दें। 5 के अलावा यदि आप कोई दूसरा प्रावधान रखना चाहेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन मेरी मान्यता है कि इसमें क्लाज 4 तक के प्रावधान हैं, वह सफिशिएंट हैं और सफिशिएंट होते हुए इस सब-क्लाज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कालो धारा को हटवायें, मेरा यही निवेदन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, दो शब्द, दो शब्द....

श्री सभापति : आपका संशोधन नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : संशोधन तो नहीं है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। इस सेक्शन की जरूरत ही नही है, मेरे हिसाब से धारा 78 में....

श्री सभापति : हरीसिंहजी (कुम्हेर) बोल रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट में बोल दूं ?

श्री सभापति : इनके बोलने के बाद में बोलें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैंने इसमें संशोधन दिया है सेक्शन 25 के उपखण्ड (1) भाग (घ) तथा (ड)—

"(d) in the case of a Panchayati Raj Institution of which the term of office has expired, to such new Panchayati Raj Institution as has been constituted."

(श्री हरिसिंह)

इसको विलोपित किया जाये। यहाँ एक मेम्बर दूसरे को चार्ज दे, समझ में आती है, एक सरपंच दूसरे सरपंच को चार्ज दे, यह बात समझ में आती है, एक प्रधान दूसरे प्रधान को चार्ज दे यह समझ में आती है, एक जिला प्रमुख दूसरे जिला प्रमुख को चार्ज दे, समझ में आती है, कोई बी. डी. ओ. दूसरे बी. डी. ओ. को चार्ज दे, समझ में आता है लेकिन एक पंचायत दूसरे पंचायत को चार्ज दे, एक पंचायत समिति दूसरी को चार्ज दे, एक जिला परिषद् दूसरी जिला परिषद् को चार्ज दे और अगर इसमें डिफाल्ट होता है तो सजा होगी, चार-चार महीने की या कितना टाइम दे रखा है? उसके अन्दर अगर आपने, सरकार ने कभी यह मान लिया कि एक पंचायत समिति ने दूसरी पंचायत समिति को चार्ज नहीं दिया, अब वह किन परिस्थितियों में आप मानेंगे, क्या आपने रूल्स में लिख दिया है कि पंचायत समिति कैसे चार्ज देंगी, एक दूसरे के लिए मैंने तो कभी देखा नहीं कि पंचायत समिति ने आकर के दूसरी पंचायत समिति को चार्ज दिया हो, किसी जिला परिषद् ने आकर के दूसरी जिला परिषद् को चार्ज दिया हो, कोई कहीं ऐसा डिफाल्ट हो गया तो सजा में कौन जायेंगे, वह बी. डी. ओ. जायेंगे कि पंचायत समिति के सब मैम्बर जायेंगे, जिला परिषद् के सब-मैम्बर जायेंगे, क्या जायेंगे? बहुत से ऐसे उन्होंने बैंक क्लाज में डाल दिया, मैं समझता हूं कि ऐसा किसी में होता नहीं है। आप उसमें यह लिखिए कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का एक टर्म एक्सपायर होने के बाद में उसका बी. डी. ओ. दूसरे बी. डी. ओ. को चार्ज देगा या उसका चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर है, वह दूसरे को चार्ज देगा। यह आपने क्या लिख दिया कि—

'In the case of a Panchayati Raj Institution of which the term of office has expired, to such new Panchayati Raj Institution as has been ...'

वह तो जब सदस्यता खतम हो जाती है, टर्म खतम हो जाती है, अपने अपने घर बैठ जाते हैं, चार्ज देने कौन किसको आता है। यह मंत्री महोदय जरा इस बात को एक्सप्लेन करें कि ममला क्या है, मामला क्या है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। श्री हरजीरामजी, आप कुछ कह रहे थे?

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का आशय यह है कि पहली बात तो धारा 25 में जो सारी पंचायत राज संस्थाओं का लिखा है, जबकि पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का कोई चार्ज आज तक हुआ नहीं, न कोई चार्ज देने की कोई व्यवस्था आज तक है, सिर्फ यह मामला होता है, पंचायतों के लिए जब आपने धारा 78 में यह व्यवस्था कर रखी है, 78 को आप देखिए,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उसमें लिखा है कि पंचायतों के सचिव के निम्न कर्त्तव्य होंगे--

(क) पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखना;

(ख) पंचायतों के निमित्त प्राप्त धन-राशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें जारी करना; और

(ग) पंचायत निधि के लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

जब सारी जिम्मेदारी आपने सेक्रेटरी को रख दी, उसके पास सारा रेकार्ड होगा, उसके बाद सरपंच से आप क्या चार्ज लेंगे ? पहली बात। दूसरी बात, यह जो 25 में आपने सारी पंचायती राज संस्थाओं का लिखा है विकास अधिकारी का चार्ज विकास अधिकारी लेते हैं, प्रधान के पास कोई चार्ज होता नहीं ''न तो आज तक आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है, न प्रमुख कोई चार्ज लेता फिर पंचायत राज संस्थाओं का तो सवाल ही नहीं और इसलिए सवाल नहीं है कि जब सारी जिम्मेदारी आपने सचिव की धारा 78 में फिक्स कर दी, जब उसके पास कागज नहीं, जब उसके पास पैसा नहीं, पैसा सब सचिव लेगा, जब कागज वह रखेगा, उससे चार्ज क्या लोगे आप ?

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, जहां तक चार्ज देने का मामला है पहले तो पुलिस का मामला है, प्रैक्टिकली अभी पिछले कई सालों से सरपंचों ने चार्ज नहीं दिया और बैंक डेट में पट्टे काट रहे हैं ''' (व्यवधान), लेट मी फिनिश '''आप पहले सुन तो लीजिए '' (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरपंच के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रधान प्रमुख के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और इंस्टीट्यूशन एज. ए. होल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की कोई जिम्मेदारी नहीं। सबकी जिम्मेदारी बंटी हुई है। पंचायत की जिम्मेदारी ग्रुप सचिव की है। पंचायत समिति का कस्टोडियन रिकार्ड का बी. डी. ओ. है और जिला परिषद् का चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर है। उसके बाद में संस्था, संस्था को क्या चार्ज देगी और प्रमुख प्रधान और सरपंच क्या चार्ज देंगे, मंत्रीजी क्या चार्ज देंगे ? यह पूरी जो व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय ने की है यह बिलकुल बेकार है। इसको हटा देना चाहिये। आवश्यकता ही नहीं है इसकी। कोई चार्ज है ही नहीं सरपंच के पास। हां, आज है लेकिन आगे की आपने सारी व्यवस्था ऐसी कर दी कोई चार्ज ही नहीं है उसके पास। पूरा कस्टोडियन रिकार्ड का अभिलेख, रुपये का, पैसे के लेन-देन का ग्रुप सचिव या सचिव उसका जिम्मेदार है। यही पंचायत समिति के अन्दर बी डी ओ. कस्टोडियन आफ दी रिकार्ड है और रिसीप्ट एण्ड पेमैंट का रैस्पांसिबल है, यही जिला परिषद् में है तो फिर किस बात का चार्ज, यह फालतू

(श्री रामनारायण चौधरी)

है, बिना मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, यह मुद्दा कमेटी में डिस्कस जब हुआ था तब माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि एक्चुअल पर्सनल कंट्रोल में अगर उसके कोई चीज होगी जैसे पंचायत या पंचायत समिति के कोई रजिस्टर उसके पास है या कोई दरी, सोफा उसके पास है, तो उनकी पर्सनल कस्टडी में अगर कोई चीज है तो वही उससे होनी है बाकी जो इंस्टीट्यूशन एज सच है, इंस्टीट्यूशन का जो चार्ज है वह तो उसका अधिकारी देगा। वह शब्द इसमें नहीं लिखा हुआ है।

श्री सभापति : महावीर जी बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की सबकी जानकारी में है कि इस प्रकार कस्टडी आफ दी रिकार्ड यह तो ठीक है कि कस्टडी आफ दी रिकार्ड वहां का सचिव और बी. डी. ओ. और यह होगा लेकिन प्रश्न यह है कि कई सरपंच हैं उनके पास बहुत सारे रिकार्ड हैं, जो ग्रुप सचिव के लिये हुये हैं, बहुत सारा पैसा इनवाल्व है, एक लाख रुपया एडवांस के रूप में ले लिया उन्होंने खर्च नहीं किया उसका हिसाब नहीं दिया वह उनके पास है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सरपंच के पास है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नहीं है, आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री जी के नाम भी एडवांस था, इनके नाम भी फाइलें आयेगी। कौनसा चार्ज देकर जायेंगे यह वही सरपंच की स्थिति है। मंत्रीजी ने बस्ता उठाया और चल दिये, इनके पास कौनसा रिकार्ड है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो रिकार्ड में है, पर्सनल कस्टडी में है उसके पास है, अब वह दे नहीं रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई चार्ज नहीं है उसके पास, कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं है सरपंच की और प्रधान की कुछ भी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो उसको सारी छूट दे दी जाए ऐसा कैसे होगा ?

श्री सभापति : कृपया बिराजिये, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, पूर्व में यह रिकार्ड सरपंच के पास था, ओल्ड एक्ट में फिर अमेंडमेंट कर दिया गया। सरपंच का भी रख दिया और ग्रुप सेक्रेटरी का भी रख दिया। अब हम नये बिल में जो प्रावधान ला रहे हैं नये बिल के अन्दर रिकार्ड की कस्टडी है वह सेक्रेटरी के, विकास अधिकारी के, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास में रहेगी। सरपंच, प्रधान और प्रमुख का इसमें रिकार्ड रखने के अन्दर इसकी कस्टडी में रहेगा। हैंड ओवर चार्ज तो रिकार्ड का किया जाता है। आज तो गवर्नमेंट बदलती है, माननीय सदस्य बात सही कह रहे हैं तो कौनसा तो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर है, जब गवर्नमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

आती है आपकी तो आपने उनसे जार्ज लिया या उन्होंने दिया है चार्ज, नहीं दिया है इसलिये जब कस्टडी उनके पास में है और रिकार्ड, पहले वाले की बात नही है । आप नया प्रावधान जो करने जा रहे हैं, इसमें प्रावधान रख रहे हैं आगे के लिये और इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि जब उसके पास रिकार्ड ही नही है तो फिर आप हैंड ओवर क्या करना चाहते हैं ? कस्टडी में ही नही है उसके पास रिकार्ड तो आपको हैंड ओवर कौनसा रिकार्ड वह करेगा । रिकार्ड उसके पास है नहीं, पैसा बैंक में रहता है उसके पास रहता नहीं, पासबुक उनको दे रखी है आपने और चैक काटने के पावर्स उनको दे रखे हैं । ऐसी सूरत में यह प्रावधान रखना और उस प्रावधान को रखने के अन्दर भी आपको इम्प्रीजनमैंट एक साल का, दोनों ही प्रकार के पनिशमैंट हैं । इम्प्रीजनमैंट भी है और पैनल्टी भी है उसके साथ फिर पुलिस की मदद लेना, मैं समझता हूं कि यह आपका 78 का प्रावधान, यह प्रावधान रखने के बाद में यह क्लाज 25 के सब सैक्शन 4 5, दोनों ही रीडडेंट है और माननीय मन्त्रीजी को दोनों को ही डिलीट कर देना चाहिये ।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल जी ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : जहां तक जन प्रतिनिधियों के कार्य भार ग्रहण करने का प्रश्न है वह जब कार्य भार ग्रहण करते है तो शपथ लेते हैं और शपथ लेते ही यह इम्पलाइड हो जाता है कि उन्होंने अपना चार्ज ले लिया । अब चार्ज हैंड ओवर, टेक ओवर का मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं आता । यह जो चार्ज रिकार्ड का है, आफिस का है यह तो सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों के पास होता है उनका कोई लेना देना नहीं है । यह शपथ का प्रावधान है उसमें चार्ज का प्रश्न कहां आ रहा है—this should be taken into consideration.

और जो यह चार्ज लेने-देने का है, उसमें जन-प्रतिनिधियों का मामला आता नहीं है ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय एक विचार करें कि....

श्री नाथू सिंह : I will explain.

श्री सभापति : पहले जो सरपंच के पास और प्रधान के पास था इस एक्ट में अपन ने प्रावधान यह किया है कि सारे जितने भी रिकार्ड्स होंगे उसका कस्टोडियन बी. डी. ओ. होगा या ग्रुप सचिव होगा या सी. ओ. होगा उसके बाद में....

श्री परसराम मदेरणा : सिर्फ सरपंच के पास ही था ।

श्री सभापति : अब तीनों पर ही ग्रुप सचिव को कर दिया यहां पर ।

श्री **परसराम मदेरणा** : उनके पास पहले भी नहीं था।

श्री सभापति : दोनों के पास तो पहले भी नहीं था। इस सम्बन्ध में आपका क्या है।

श्री **नाथूसिंह** : माननीय सभापति महोदय, सैक्शन 25 का (1) इसके आगे पढ़िये पेज 17 पर ' Such member or chairperson or deputy chairperson or all or any of them shall forthwith handover charge in the prescribed manner of his or their office including all papers and properties.....

पेपर्स एण्ड प्रोपर्टी, माननीय कमला जी जो बोल रही थीं ... 'pertaining to such office in his or their actual possession or occupation —'

मैं उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सरपंच जो रजिस्टर है उसको ले गया, हट रहा है, ले गया, ले जाकर एक्चुअल पजेशन में ले लिया और नहीं दे रहा है अब राज्य सरकार के पास ...

श्री **शीशराम ओला** : उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराओ इसमें काहे को उलझा रहे हो।

श्री **हरजीराम बुरडक** : अब यह मन्त्री चले गये, इनके पास कोई रजिस्टर होगा तो कोई एक्ट बनेगा क्या उनके लिए.... (व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : हां, बिलकुल बनेगा एक्ट। सभापति महोदय, पटटे जारी करने का अधिकार सरपंच के साइन से होता है। सभापति महोदय, यह इसलिये रखा कि 242 सरपंच वर्षों से हैं आज तक उन्होंने चार्ज नहीं दिया, बैंक डेट के अन्दर पट्टे काट रहे हैं। हमने पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी, केस चल रहे है even then they are not giving the charge.

इसलिये हमने सख्त प्रोविजन किये हैं अगर वह नहीं ले जा रहा है, पजेशन में उसके कुछ नहीं है उसके पास चार्ज ही नहीं तो यह अपने आप ही उस पर लागू नहीं होगा आपको आपत्ति किस बात की है, कौनसी पुलिस जाएगी उसके पास अगर उसके पास कुछ नहीं है तो।

श्रीमती **कमला** : इसमें पर्सनल लिख दो।

श्री **नाथूसिंह** : लिख दिया ना एक्चुअल पजेशन, मैंने लिख दिया है उसमें एक्चुअल पजेशन यह इसलिये रखा है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो पुलिस काहे के लिये जायेगी।

श्री सभापति : एक्चुअल पजेशन और आक्यूपेशन।

श्री **नाथूसिंह** : हां, एक्चुअल पजेशन

(श्री नाथूसिंह)

एण्ड आक्यूपेशन ।....(व्यवधान) नहीं होगा तो वह लागू नहीं होगा । आज प्रधान कोई चीज ले जाए आज कई प्रधानों ने क्वार्टर ले लिये और क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं, तो पंचायत समिति क्या करेगी, क्वार्टर खाली कैसे करायेगी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेम्बर की बात है, मन्त्री महोदय, पंचायत समिति कहां ले जायेगी चार्ज को । एक पंचायत समिति दूसरी पंचायत समिति को चार्ज कैसे देगी ।:.. (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, श्रीमती मायाराम । बिराजिये माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये । मैंने श्रीमती इन्दिरा मायाराम का नाम पुकारा है । आप बिराजें । शांती लालजी । इन्दिरा माया-राम ।... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : गलत है, वह... (व्यवधान) आप सरपंचों का चार्ज....

श्री सभापति : आप बोलने दें माननीय सदस्या को । श्रीमती इन्दिरा मायाराम

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चुने हुये सदस्यों को कहीं भी चार्ज देने का प्रावधान नहीं है । मंत्री महोदय भी चार्ज लेते हैं, देने का प्रावधान नहीं है अगर मंत्री महोदय फाइल लेकर बैठ जाए तो उनका क्या करेंगे । इसी प्रकार प्रधान और जिला प्रमुख जो हैं, उनका भी विश्वास करना चाहिये वह चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनके साथ में सरकारी आफिसर होंगे जिनके पास फाइलें रहेंगी इसलिये उनसे यह कहना कि वह चार्ज दें मुझे कुछ उचित नही लगता ।

श्री सभापति : चार्ज का सवाल नहीं है । पर्सनल शब्द एक और आ जाता है जो सारा ठीक हो जाता है ।

श्री नाथूसिंह : एक्चुअल पजेशन एण्ड आक्यूपेशन आज बेक डेट में पट्टे काट कर दिये जा रहे हैं, खा रहे हैं । कौनसी राज्य सरकार के पास शक्ति है । इसलिये रखा है इसमें ।

श्री शीशराम ओला : पंचायत राज को क्यों बदनाम करने पर तुले हैं । उसकी आवश्यकता कहां है ?.... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : आप अपना माइण्ड एप्लाई करिये ।

श्री नाथूसिंह : पूरा माइण्ड एप्लाई करके हरिसिंहजी फिर रखा है इसमें ।

डा. हरिसिंह : इससे तो ऐसा लगता है कि+++ !

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री नाथूसिंह : जैसे आपने मेडिकल प्रोफेशन में एप्लाई किया है वैसे ही है। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : पंच और सरपंच के पास चार्ज रहता कहां है, वह तो ग्रुप सचिव के पास है, बी.डी.ओ के पास है, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास है....

एक माननीय सदस्य : सभापतिजी, पाइन्ट लैंश तो थे ही +++ हो गये।

श्री नाथूसिंह : ऐसा है, सैक्शन 32 (सी) में सरपंच के पास भी चार्ज होता है।

श्री शीशराम ओला : नहीं, यह बिलकुल नहीं है। आप बताइये, आप तो आज बने हो... (व्यवधान) सरपंच रहे, प्रमुख रहे, मंत्री रहे .... (व्यवधान) .... 78 का क्या मतलब है ?

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य एक-एक तो बोलें। मंत्री महोदय बोल रहे हैं पहले। उनको सुन लें पूरा।

श्री नाथूसिंह : पंचायत राज इस्टीट्यूशन्स के कई लोग सरकारी क्वार्टर्स, पंचायत समिति के उन पर कब्जा जमाये बैठे हैं। आज वह रिकार्ड लेकर बैठे हुये हैं.... (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिये... (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : तहसील में हैं, पंचायत समिति में हैं और ....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इसलिये मैंने इसमें शब्द लिखा है दी प्रोपर्टी.... (व्यवधान) आपके रहे होंगे। आप मिनिस्टर्स के लिये पीपुल्स रीप्रिजेंटेशन एक्ट में बनेंगे कानून। पंचायत कानून बन रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मंत्रिमण्डल के बैठे हैं उनके अन्दर। मंत्रियों ने खाली नहीं किये अभी तक क्वार्टर्स।

श्री नाथूसिंह : जिस आदमी के एक्चुअल पजेशन में है, उसकी प्रोपर्टी नहीं है, चार्ज नहीं होता है, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है उसमें। उसको कौन पकड़ने जा रहा है।

श्री विष्णु मोदी : क्वार्टर देते हैं....

श्री नाथूसिंह : 242 सरपंचों ने चार्ज नहीं दिये। बेक डेट पर पट्टे काटे। सरकार उनको कैसे पकड़ेगी। ....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : और अब भी क्वार्टर्स खाली नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : जिन माननीयों सदस्य के संशोधन नहीं है, मैं उदारता से उन सबको

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

टाइम दे रहा हूं, पर इस प्रकार से करना ठीक नहीं है। आप जरा बिराजें। श्री महावीरजी को मैंने अवसर दिया है।.... (व्यवधान) आप बिराजेंगे जब अवसर दूंगा, दो को एक साथ कैसे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, क्लाज 32 में सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां और कृत्य, इसको आप पढ़िये उसमें लिखा है कि "पचायत के अभिलेख के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा," यह उस क्लाज में है तो इसमें उत्तरदायी है वह और उसके पास भी चार्ज रहता है। यही मेरा कहना है 32 (3) में....

श्री नाथूसिंह : 32 (सी) पढ़िये....

श्रीमती कमला : मैंटिनेंस आफ रिकार्ड का क्या मतलब है, जो प्रोसिडिंग्स हुई वह लिखी जाएगी जो निर्णय लिया गया वह कागजों में लिखा जाएगा, उसको मैन्टेन किया जाएगा .... (व्यवधान) वह पास बुक फटे नहीं या रजिस्टर फटे नहीं यह मैंटिनेंस थोड़े ही है।

श्री नाथूसिंह : यह आप देखें। मैंने जो पढ कर, फिर दुबारा पढ़ कर सुना रहा हूं सुन लीजिये। (... such member or chairperson or deputy chairperson or all or any of them shall forthwith handover charge in the prescribed manner of his or their office including all paper and properties pertaining to such office in his or their actual possession or occupation—' इसके लिये है प्रोविजन।

श्री विष्णु मोदी : क्या एक्चुअल पजेशन है ?

श्री नाथूसिंह : नहीं है तो नहीं है (व्यवधान) +++ की बहस कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : +++की बहस तो आप कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन है कि "विधेयक के खण्ड 25 के उप खण्ड (1) के भाग (घ) तथा (ड़) को लोपित किये जायें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान औरजिला प्रमुख के पास तो पहले भी चार्ज नहीं हुआ करता था और सरपंच के पास कुछ चार्ज हुआ करता था। राज्य सरकार को

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

एक आदेश गया, उस आदेश में यह निकाल दिया गया कि पंचायत का जितना भी रिकार्ड है वह सम्बन्धित सेक्रेटरी के पास रहेगा, सरपंच के पास नहीं रहेगा। पहले व्यवस्था थी कि बैंक या पोस्ट आफिस में खाता सरपंच के नाम से आपरेट होगा अब व्यवस्था है कि वह ज्वाइंट, दोनों आदमियों के नाम से होगा तो सरपंच और सेक्रेटरी के नाम पर जहां तक प्रधान का सवाल है, प्रधान किसी भी कीमत पर, किसी भी क्वार्टर को रखने के लिये अलाऊ नहीं है और जिला प्रमुख के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, न मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के पास होता है। आपके कार्यालय में आपकी कुर्सी है, आप चुने गये जाकर बैठिये और आप हट गये खड़े होकर चले आइये। आपके पास कोई चार्ज नहीं होता। इसलिये यह चार्ज वाला जो प्रोविजन रखा हुआ है इससे न्यायालय में कई बार ऐसे लोग जिनके खिलाफ अविश्वास पारित हो जाते हैं वह न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और वह यह कहते हैं, मान्यवर, अभी चार्ज नहीं दिया हुआ है आप यथा स्थिति कायम रखिये। यथा स्थिति कायम करने के आदेश ले आते हैं और आप जिनको सस्पेंड करते हैं या जिनको पद से रिमूव करते है, वह फिर न्यायपालिका के उस आदेश के तहत में उन पदों पर बने रहते हैं और कार्य करते रहते हैं।

श्री सभापति : अब मैं इसमें अवसर नहीं दूंगा। बिराज जाएं। जिनके संशोधन नहीं है मैंने बहुत लोगों को अलाऊ किया है। मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को पुकारा है।

श्री विष्णु मोदी : एक सेकण्ड।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, अभी प्रभारी मंत्रीजी ने क्लाज 25 के सब क्लाज 5 के अन्तर्गत ...Whenever a Panchayati Raj Institution is dissolved under this Act, such member or chairperson or deputy chairperson or all or any of them shall forthwith handover a charge. 78 में तो सब चार्ज जो आपने सेक्रेटरी के पास कर रखा है और यहां चीफ व्हीप महोदय ने 32 की व्याख्या की, और 32(सी) के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया, 32 है—'Powers, functions and duties of Sarpanch and Up-Sarpanch.,' सरपंच और उप सरपंच टाइम पर मीटिंग बुलाएगा, ग्राम सभा की समय पर मीटिंग बुलाएगा 'Sarpanch or Up-Sarpanch as the case may be, 'Sarpanch or Up-Sarpanch as the case may be, shall be responsible for the maintence of the record of Panchayat.

सरपंच और उप सरपंच ऐसे केस में भी जिम्मेदार होगा। प्रोसिडिंग लिखी जानी चाहिये, मिनिट्स लिखी जानी चाहिये और वह इसको रखेगा, उसको ओवर सी वह करता रहेगा लेकिन कस्टडी

Page No.69

(श्री परसराम मदेरणा)

में कोई चीज नहीं है। यहां 32 के अन्दर और कस्टडी में जो रखी है वह 78 के सब सैक्शन 2 (ए) में रखा है '... to keep the records and registers of the Panchayat in his custody.' रजिस्टर और रिकार्ड उसकी कस्टडी में रहेगा। आप यहां पर 242 सरपंचों का उल्लेख कर रहे हैं। जिस क्लाज को पढ़ रहे हैं 25 के अन्दर माननीय मंत्रीजी forthwith handover charge in the prescribed manner, उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो वह हैण्डओवर क्या करेगा '... of, his or their office including all papers and proverties...' चार्ज तो है नहीं, ऊपर आपने चार्ज लिखा है बिल्कुल रीडेंडेंट है, फालतू लिख रहे हो आप। चार्ज सेक्रेटरी के पास होगा। अब आप कह रहे हैं आक्यूपेशन में उसके पास में ज्यादा से ज्यादा, सभापति महोदय, पासिबिलिटी यह है कि चार्ज हैण्ड ओवर किया तो उसके पास में कोई ग्राम पंचायत में अगर दरी है तो वह हो सकती है, एक आध कुर्सी है तो वह हो सकती है (व्यवधान) पसनंल ताल्लुकात से ले गया और वापस सेक्रेटरी भी ले गया, इतनी सी बात है और उसमें कोई पजेशन में नहीं हो सकता है अगर पहले आपने अमेंडमेंट कर दिया सब रिकार्ड वगैरह ग्राम सेवक के पास में होना चाहिये और जिस आदमी को आप ढाई हजार की तनख्वाह दे रहे हो उसने अपने पास रिकार्ड क्यों नहीं रखा, सरपंच के पास रिकार्ड रह कैसे गया ?

अब पांच हजार हो गये। मंत्रीजी आपको मिल रहे हैं साढ़े तीन हजार रुपये उसको मिल रहे हैं पांच हजार रुपये, तो रुपये से कोई पद की तुलना मैं नहीं करता। पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं, एम. एल. एज. को पन्द्रह सौ ही मिलते हैं लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इतना जो फैट सेलेरी उसको दे रहे हो, जिम्मेदारी उसकी है, रिकार्ड उसके पास में है, चार्ज हैंड ओवर वह करेगा, चार्ज अब आप उसके पास में किसी प्रकार का रख नहीं रहे हो, प्रधान और प्रमुख के पास में न तो इस तरह का चार्ज देने की बात थी पहले सरपंच के पास जरूर थी रिकार्ड रखने की और वह भी सब्सिक्वेंटली आपने अमैण्ड कर दी और अमैण्ड करने के बाद में आज जो स्थिति है और नया कानून आप ला रहे हैं 78 का सबक्लाज (ब) बिलकुल स्पष्ट है और सब रिकार्ड उसके पास में रहेगा, उसकी कस्टडी में रहेगा और जब रिकार्ड उसकी कस्टडी में है, तो सरपंच के पास में कैसे चला गया और अगर उसे सरपंच ने छीन लिया तो यह ग्राम सेवक की ड्यूटी है कि ईमिजियेटली बी. डी. ओ. को या चीफ ऐग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शिकायत करे कि मेरे पास में रिकार्ड नहीं रख रहा है और सरपंच ने यह मुझ से छीन लिया है। इसलिए मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

यह निवेदन कर रहा था कि आप, सभापति महोदय, आक्यूपेशन को और पजेशन की बात कर रहे थे....

श्री सभापति : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : आक्यूपेशन और पजेशन के साथ में हैंड ओवर चार्ज की बात भी की गयी है, वह भी रीडेंडेंट है और उसमें भी आप कह रहे हो कि वह कुछ नहीं है, यह पनिशमेंट रहने दीजिये ताकि सजा का ज्यादा पीरियड होगा, एक साल का और पैनल्टी का अमाउण्ट ज्यादा होगा तो अगर उसके पास में कोई चीज है तो वह इमिजियेटली वह हम को हैंड ओवर कर देगा। शायद आपका यह इरादा है, उसके आगे आप पुलिस भी बुला रहे हैं, दूसरी बात भी कर रहे हैं, यह पंचायत राज के मामले में पुलिस, यदि मिनिस्टरों ने हैंड ओवर नहीं की हो कोई फाइल गलती से, किसी सेक्रेटरी के पास में फाइल रह गयी हो, आल इंडिया सर्विस का आफिसर है उसके पास में पुलिस जाती नहीं, स्टेट सर्विस के आफिसर के पास में पुलिस जाती नहीं, केवल आप जो पुलिस रख रहे हैं वह सरपंच के वहां पर चारों तरफ दौड़ती हुई फिरेगी, मैं समझता हूं कि यह जो आप अमेंडमेंट ला रहे है और जो प्रावधान रख रहे हैं, यह प्रावधान डेमोक्रेटिक डी--सेंटरलाइजेशन के मूल भावनाओं के 100 पर्सेन्ट प्रतिकूल है।

श्री सभापति : ताम्बीजी, क्या कह रहे हैं ?

श्री नाथू सिंह : सर, आन ए पाइंट आफ आर्डर।... (व्यवधान)... आई एम आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। आप सुनिये तो।

श्री सभापति : कृपया, हाउस आर्डर में है, आप बिराजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर खण्डशः विचार के समय प्रत्येक माननीय सदस्य को चर्चा की अनुमति

श्री नाथू सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि अमेंडमेंट जो दिये जाते हैं उन पर अमेंडमेंट देने वाला ही बोल सकता है दूसरा नहीं बोल सकता। जनरल डिबेट में भाग ले सकता है।(व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : यह कोई आर्डर नहीं है, हाउस में कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी मैम्बर उसमें बोल सकता है।....(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : माननीय सभापति महोदय, संवशन के अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट दे रहा है वही बोलेगा, ऐसे जनरल डिबेट का विषय नहीं हो सकता।....(व्यवधान)... जनरल डिबेट पर....

श्री सभापति : माननीय पूनमचंदजी विश्नोई। मैं श्री पूनमचंदजी विश्नोई को पुकार रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : किसने कह दिया यह ?

श्री सभापति : मैंने मंत्री महोदय के व्यवस्था के प्रश्न पर राय जानने के लिए श्री पूनमचंदजी विश्नोई को पुकारा है ।

श्री पूनमचंद विश्नोई (फलोदी) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, ने जो व्याख्या की है कि वही माननीय सदस्य डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने अमैंडमैंट किया हो, तो वह अकेले और आप पास करेंगे क्या इसको ?

श्री नाथूसिंह : नहीं, सैक्शन वाइज । आप तो स्वीकर रहे हैं, मैं भी इस हाउस में दस साल रहा हूं, सैक्शन वाइज ।

श्री पूनमचंद विश्नोई : एक दफे कोई भी प्रस्ताव सदन के समक्ष आ जाए....

श्री नाथूसिंह : वह केवल थर्ड रीडिंग पर, बिलकुल ।

श्री पूनमचंद विश्नोई : वह सदन की प्रोपर्टी है और उसके ऊपर सभी माननीय सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, आप गलत कानून पास करा देंगे, खण्ड गलत हो गया, तो बाद में क्या ...

श्री सभापति : मैंने आपकी विशेषज्ञ राय इसके बारे में पूछी है, बिराजिये । माननीय मंत्री महोदय ने व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया है कि खण्डशः जब विचार हो रहे हों, तो जिन माननीय सदस्यों ने उसमें संशोधन दिये हैं उन्हीं माननीय सदस्यों को उन पर बोलने का अधिकार है, इस विषय में मैंने आपकी राय मांगी थी, आप बहुत कानून जानते हैं, सारी परम्पराएं भी आपने कायम की हैं, उस सम्बन्ध में मैं आपकी राय जानना चाहता था ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने व्यवस्था दे दी, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : कृपया, आप सुनें, मैंने नहीं दी । नहीं, मैंने पुकारा था जब....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने हम को बुलवा दिया ।

श्री पूनमचंद विश्नोई : मैंने निवेदन किया कि एक बार कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया, चाहे संशोधन किसी खण्ड के संशोधन के रूप में हो वह सदन की सम्पत्ति है और पूरे सदन को किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार है कि उसमें अपनी राय व्यक्त करे ।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न अभी प्रभारी मंत्रीजी ने उठाया है उसके सम्बन्ध में अगर अमैंड, जैसा कि अभी फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई भी अमैंडमैंड मूव किया गया प्रिंसिपल एक्ट में तो....

Page No.72

श्री नाथूसिंह : प्रस्ताव नहीं है बिल है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए, सभी तरह से उसमें लोगों के विचार आ जाने चाहिए ताकि गलत कानून नहीं बने लेकिन अगर बहुत स्ट्रिक्टली आप यह कहते हैं कि मूव नहीं किया तो उनको यहां पर डिबेट में चर्चा या अपने सुझाव देने का कोई अधिकार ही नहीं होगा तो, सभापति महोदय, बिना अमेंडमेंट के, किसी क्लाज में अमेंडमेंट के रूल्स में इस तरह का प्रावधान है, देयर इज ए प्रोविजन कि वह उस क्लाज के किसी भी उप खण्ड को डिलीट करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है, सभापति महोदय, इसलिए यह मेरा प्रस्ताव है कि क्लाज 25 के सब सैक्शन चार और पांच को मैं डिलीट करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ने यह कहा....

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहना चाहता हूं। आप 71-72....

श्री सभापति : नहीं, मैं पहले आपके व्यवस्था के प्रश्न का फैसला कर दूं।

श्री नाथूसिंह : हां, व्यवस्था पर ही बोल रहा हूं, सभापति महोदय। जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य देगा वही उस अमेंडमेंट पर बोल सकेगा। आप जो कह रहे हैं वह अलग स्थिति है। आपने एक मोशन मूव किया अलग से इसलिए आपको वह अधिकार हो जाता है। जब तक कोई माननीय सदस्य किसी खण्ड में अमेंडमेंट मूव नहीं करेगा। He has no right to speak on that Section.

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहां लिखा है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : Right to support it or oppose it.

श्री नाथूसिंह : 72 पढ़िये।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : Every member has the right to support to the amendment or oppose it.

श्री नाथूसिंह : 72 पढ़िये।

श्री रामनारायण चौधरी : परम्पराओं का अध्ययन करिये।....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : परम्परा क्या, दस साल से मैं भी यहां रहा हूं सदन में।.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय मंत्रीजी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है इसके अलावा पाइंट आफ आर्डर से आप अगर यह चाहते हैं, बात सीधी-सी है कि आप....

श्री नाथूसिंह : आप जनरल डिबेट कैसे करा देंगे ?

श्री विष्णु मोदी : मेरा तो अमेंडमेंट है।

श्री नाथूसिंह : आप का तो है, पर जनरल डिबेट कैसे करा देंगे ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा है मैं भी अपने आप को उसी मोशन के साथ जोड़ता हूं और यह मेरा अमेंडमेंट है कि यह चार और पांच जो 25 का है बिलकुल रीडंडेंट है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है और इसको हटा दिया जाए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, व्यवस्था पर आप चर्चा कर रहे थे ···(व्यवधान) ···

श्री परसराम मदेरणा: सभापति महोदय, मैं फिर, मैंने अभी जो मोशन मूव किया है अमेंडमेंट, यह पूरा का पूरा क्लॉज ही रीडंडेंट है इसलिए मैं प्रपोज करता हूं कि क्लॉज 25 को डिलीट कर दिया जाए।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी।

श्रीमती कमला : मंत्रीजी, अगर किसी क्लाज में मैरिट्स और डीमैरिट्स पर चर्चा होती है और आपको उससे कोई बात पता लगती है और उसके सन्दर्भ में आप कुछ अमेंडमेंट कर लेते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है···

श्री नाथूसिंह : चर्चा अलग है, मैं कह रहा हूं मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री सभापति : माननीय, श्री रामनारायणजी, कृपया बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट, सभापति महोदय, यहां की व्यवस्थाएं हैं, शासन की व्यवस्थाएं हैं, एक माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्ताव पर इस सदन के अन्दर दूसरे माननीय सदस्यों ने हमेशा बोला है। सन् 1952 से लेकर आज तक हमेशा बोला है और आप क्लाज, धारा और उप-खण्ड हम से पास करायेंगे और जब आप पास करायेंगे उस वक्त खड़े हो जायेंगे, हम इसको पास नहीं करेंगे।

श्रीमती कमला : चर्चा से कोई हर्ज नहीं है। ···(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, एक पाइंट मैं उठाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मंत्रीजी ने कहा कि कोई भी एक सदस्य जो अमेंडमेंट मूव करता है वही बोल सकता है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सरकार की तरफ से एज ए पायलेट कर रहे हो–और आपने जो संशोधन पेश किये हैं उस सम्बन्ध में क्या होगा, संशोधन पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने तो संशोधन पेश कर दिये, हम उस पर बोल नहीं सकते और आपने जो संशोधन पेश किया है, वह हमें आज सुबह मिले हैं आपके संशोधन पर हमें संशोधन करने का मौका नहीं मिला था इसलिए आप अपने संशोधन पर भी हम को नहीं बोलने देना चाहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था इस सदन में होती है तो यह व्यवस्था न होकर अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए आपका पाइंट आफ आर्डर है

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसको आप नहीं रखें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आप इसको अध्ययन करने दीजिए।

श्री नाथू सिंह : कल ही सक्यूलेट हो गये, सभापति महोदय।

श्री शिवनाथ सिंह : जो व्यवस्था एक माननीय सदस्य के लिए होगी वही व्यवस्था माननीय मंत्रीजी के लिए भी होगी आपके अनुसार और यदि यह इस बात पर टिकते हैं कि एक माननीय सदस्य ने संशोधन पेश कर दिया तो दूसरे माननीय सदस्य उस पर नहीं बोल पायेंगे। मैं इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसमें क्लॉजेज पर संशोधन पेश किये हैं, वह हम को आज सुबह मिले हैं और हमारा यह अधिकार था कि हम उन पर संशोधन पेश करते लेकिन समय नहीं था। आप क्या यह चाहते हैं कि आपने जो संशोधन पेश कर दिये हैं उन पर भी हम अपनी राय व्यक्त नहीं करें? यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था इस सदन के लिए नहीं पूरे डेमोक्रेसी के लिए अव्यवस्था हो जायेगी इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि आपका कोई पाईंट आफ आर्डर नहीं है। इस पाइंट आफ आर्डर को रिजैक्ट करिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में सूची संख्या 2 पहले जो यहां सक्यूलेट की गयी थी। सूची संख्या 2 को सक्यूलेट करने के बाद एक सेक्रेटरी टू दी असेम्बली के सिगनेचर के बिना सूची पर कोई भी नम्बर अंकित किये हुए फिर यह सक्यूलेट की गयी, फिर सूची संख्या 3 सक्यूलेट की गयी, फिर सूची संख्या 4 की गयी और जो आज रात को आयी है वह सुबह मिली है हमको, यहां पर 12 बजे तक तो साइक्लोस्टाइल ही नहीं हुई थी, सभापति महोदय। यह जो अमैंडमैंट और करने जा रहे हैं प्रभारी मंत्री।

They are the part of the Bill.

और बिल के अन्दर कोई भी अमैंडमैंट करने जा रहे हैं, तो हमने पहले वाला बिल पढ़ा था उन सभी सूचियों को आपने इसमें सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड करके एक नयी सूची आयी है वह आज हमको प्रातः काल मिली है। अब जब यह पार्ट आफ दी बिल है, तो दो दिन का हमको समय दिया जाए ताकि प्रभारी मंत्री जी के हरेक मोशन के ऊपर हम संशोधन ला सकें।

श्री शिवनाथ सिंह : दो रोज का टाइम हमको मिलना चाहिये।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, समय तो मिलना चाहिये था, समय ही नहीं मिला हमको तो।

व्यवस्था

विधेयक पर खण्डश: विचार के समय आसन की अनुमति से चर्चा का अवसर

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय मंत्री महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि खण्डश: जब विचार हो, तो जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं वे ही माननीय सदस्य इस पर विचार रख सकते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। मेरी अवधारणा यह है कि एक संशोधन में मान लीजिये कि 10-20 माननीय सदस्यों के संशोधन आ जाते हैं और समयावधि को देखते हुए आसन अगर यह व्यवस्था करे कि उनमें से दो या तीन को बोलने का अवसर दे, बाकी सब को मूव किया मान लिया जाए। उसी प्रकार से यदि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन नहीं दिये हैं और आसन यह उचित समझे कि इस पर सदन के माननीय सदस्यों की राय ली जाये, तो बिल के निष्पादन के लिये वह राय लेना अनुचित नहीं है लेकिन वास्तविक प्रक्रिया की जटिलता और प्रक्रिया का हार्डली अगर पालन करें तो कई बार अपन कठिनाई में पड जाते हैं। प्रक्रिया के नियमों के अनुसार तो जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं उनको मूव करने का अधिकार होता है लेकिन चूंकि सदन में एक विषय आ जाये और आसन चाहे तो सबको परमिशन दे सकता है। उसी प्रकार से विपक्ष के माननीय नेता ने सूची एक, सूची दो, सूची 3, सूची 5 जारी करने की बात कही है वह नियमों को....

श्री परसराम मदेरणा : सुपरसीड हो गयी, आज नयी आ गयी है।

श्री सभापति : वह भी अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सामूहिक रूप से मिलकर पंचायती राज के लिए इस बिल को ठीक रूप से बना ले और समय की कमी के कारण सहमति से नियमों में कुछ छूट देकर इस बात का प्रावधान किया। सभी माननीय सदस्यों की राय थी इसलिए मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के प्रश्न को इस रूप में अपन निस्तारण कर लें तो उचित रहेगा। धन्यवाद।

राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994

खण्डश: विचार

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि 3 क्लाज हैं इसमें, 3 सैक्शन, सैक्शन 25 सैक्शन 32, 78....

श्री सभापति : सैक्शन 25 के बारे में जवाब दीजिये।

श्री नाथूसिंह : 25 के मामले में बोल रहा हूं। 3 तरह की व्यवस्था है। सैक्शन 78 में सेक्रेटरीज के पास रजिस्टर रखना जो वहां का सारा पंचायत का रिकार्ड होता है वह रखना एक नयी व्यवस्था की है अब इसमें, पहले एक्ट में नहीं थी। लेकिन साथ-साथ प्रैक्टिकली यह सैक्शन 32 (डी) इसमें हमको सरपंच को भी चार्ज के रूप में, वह चाहे तो चार्ज रख सकता

Page No.76

(श्री नाथूसिंह)

है और प्रैक्टिकल परपजेज के लिये, जैसे पट्टा रजिस्टर होता है सरपंच ले जाता है अपने पास में और भी दूसरी तरह का रिकार्ड होता है वह ले जाता है (व्यवधान) भाई ले जा सकता है 32 (सी) आप देखिये, 32 (सी) इसमें एक इस तरह का प्रोविजन रखा है तो इसलिये यह 32 (सी) देख लीजिये।

श्रीमती कमला : रेकार्ड का मतलब यह नहीं है कि रेकार्ड को अपने घर ले जाए। He will see that the records are maintained.

पहले लिखे गये हैं उसकी अनुपालना हो रही है उसकी मेंटेनेंस का यह मतलब है।

श्री नाथूसिंह : इसमें जो हमने प्रोविजन रखा है अगर उसके पास....

श्री शोशराम ओला : एक मिनट, गवर्नमेंट ने पहले आर्डर कर दिया कि सरपंच के पास चार्ज नहीं रहेगा और ग्रामसेवक या ग्रुप सचिव के पास रहेगा उसको आप रद्द करने जा रहे हैं क्या ?

श्री नाथूसिंह : 32 (सी) में प्रोविजन है उसमें, कोई पाबन्दी नहीं है इसलिए, सभापति महोदय, जिनके पास अगर कोई चार्ज नहीं है, एक्चुअली पजेशन में नहीं है प्रोपर्टी नहीं है उन पर आटोमेटिकली लागू ही नहीं होगा इसलिए Why are you worried about that ? (व्यवधान) अब तक 242 सरपंचों ने चार्ज नहीं दिया। (व्यवधान) वह कोई नहीं देगा चार्ज, उनके खिलाफ.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, जब 32 (सी)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इसमें लिखा है कि The Sarpanch shall be responsible for the maintenance of record.

श्री विष्णु मोदी : Maintenance, not in possession. यह 32 (सी) जो है इस पर माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : बिराज जाएं। बहुत टाइम दे चुका। बिराज जाएं, मैं वोट के लिए रखता हूं।

श्री विष्णु मोदी : तो आप इसको डेफर कर दीजिए। यह 32 (सी) जो बोल रहा है....

श्री रामनारायण चौधरी : Secretary would be the custodian of the record.

श्री विष्णु मोदी : ... for the maintenance of the record of Panchayat.

श्री रामनारायण चौधरी : रनिंग दी पंचायत भी है वह।

श्री विष्णु मोदी : Maintenance of the record of Panchayat.

श्री रामनारायण चौधरी : Maintenance of record for running of Panchayat.

श्री विष्णु मोदी : बेकार है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी ताम्बी क्या कह रहे हैं ? ताम्बी जी अब अन्तिम वक्ता होंगे, विनिश्चय करना पड़ेगा सदन को।

श्री रतनलाल ताम्बी : निवेदन यह है कि यह धारा जो दी गयी है। मैं जहां तक समझता हूं कि इस नये एक्ट के पहले जो एक्ट था उसमें से यह कापी की गयी है जो कि आज की आवश्यकता नहीं रही। वह इसलिए नहीं रही कि सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ने आर्डर द्वारा धारा 34 और धारा 78 में क्लीयर हो गया, उसके बाद सरपंच के पास कोई चार्ज कानून रह नहीं सकता। अब रहा, मंत्री महोदय ने उदाहरण दिया कि पट्टा रजिस्टर उसके पास रह सकता है, कैसे रह सकता है ? पट्टा रजिस्टर नहीं रह सकता है।

श्री सभापति : यह सारे तथ्य सदन में आ चुके हैं। इसके अलावा, सरकार का जवाब आ चुका है।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : सभापतिजी, एक मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : किसी प्रधान के पास कोई मकान रह जाए, प्रधान को मकान लेना एनटाइटल नहीं है और एनटाइटल के खिलाफ कोई प्रधान ने मकान ले लिया तो उसकी अलग से कार्यवाही होगी। इसमें कहां आता है प्रोविजन ?

श्री सभापति : बिराजिये, श्री रतन लाल जी। माननीय सदस्या क्या कह रही हैं ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं यह कह रही हूं तीन दिन हो गये, सभापति जी, यह पास करवाइये।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्या, इस सदन में कई दिन बहस हो सकती है इस पर।

श्री रतनलाल ताम्बी : और धारा 32 (सी) जो ली गयी है यह 78 धारा के खिलाफ है धारा 32 (सी) को विलोपित किया जाना जरूरी है। धारा 78 में इसका आ गया आलरेडी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 25 में श्री विष्णु मोदी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर) ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

Page No.78

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में श्री शिवनाथ सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, यह तो....

श्री सभापति : आप तो वोट के लिए सदन में....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें हां पक्ष और ना पक्ष कहां रहेंगे ? यह निष्पक्ष व्यक्ति ने प्रस्ताव किया था संशोधन तो।

श्रीमती कमला : नेता महोदय, ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर तो करिये।

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय आपने डिलीट किया जाए उसको पेश करूं नहीं करना है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

श्री परसराम मदेरणा : नोज हेव इट।

श्री सभापति : तीसरी बार पूछ लेता हूं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : समझाइये, अगर मान जाएं, जिद्द नहीं करें।

To make a deadlock reflects on the whole House.

श्री सभापति : इस खण्ड पर आप भी मान जाएं।....(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

वोट कराना है क्या ?

श्रीमती कमला : हां, वोट कराना है। यह गलत बात है। इसमें बहस हुई है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, डिवीजन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको यह याद दिला दूं। आप बिराजें मोदी जी। मैं आपको यह याद दिलाऊं कि इस बात पर अपनी थोड़ी यह सहमति हुई थी कि इन खण्डों पर अपनी सब लोगों की राय से संशोधन हुए हैं और इन पर मतदान नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक बार दुबारा, सदन के नेता भी आ गये हैं, मैं दुबारा एक बार प्रश्न पूछ लूं या आप

(श्री सभापति)

कुछ कहना चाहेंगे, नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सदन के नेता मे काम....

श्रीमती कमला : यह बात भी तय हुई थी। पुलिस कस्टडी की बात है। पुलिस भेजने वाली बात नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें। माननीय नेता महोदय यह चर्चा चल रही थी, सदन में चर्चा यह चल रही थी कि खण्ड 25 में, एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं, खण्ड 25 में यह प्रावधान है कि पंच, सरपंच प्रधान और जिला प्रमुख कोई चाज अपने पास रखते हैं, वह चार्ज नहीं देते हैं, उनकी कस्टडी और आक्यूपेसन में जो चार्ज हो, पुलिस को भेजकर उनसे चार्ज लिया जा सकता है। फंक्चुअल पजेशन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य का यह कहना है कि खण्ड 78 में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि कस्टोडियन आफ रिकार्ड ग्रुप सचिव, बी. डी. ओ. और सी. ओ. होगा उनके पास में रिकार्ड नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में आप कोई...

श्री भैरोंसिह शेखावत : रिकार्ड होगा ही नहीं तो पुलिस क्या जाएगी ? जब उनके पास में रिकार्ड नहीं होगा तो पुलिस क्यों जाएगी ? रिकार्ड नहीं होगा उनके पास और रिकार्ड किसी दूसरे के कब्जे में होगा तो उसको रिकवर करने के लिए पुलिस के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसलिये मैं समझता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रावधान रख दिया कि सब रिकॉर्ड ग्राम सेवक विकास अधिकारी और एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास रहेगा, यह प्रावधान कर दिया और उसके बाद में यह तो उसके पास में रहेगा ही नहीं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसके बाद में रिकार्ड लेने, जब तक रिकार्ड ही इनके पास नहीं है, तो ऐसे....

श्री परसराम मदेरणा : तब इसकी जरूरत क्या है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : हैंड ओवर चार्ज, जब उसके पास में कुछ भी कस्टडी में नहीं है, तो हैंड ओवर क्या करेगा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, यह प्रावधान आज नया नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : नया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए....

श्री हरजीराम बुरड़क : नया इसलिए है कि आपने सचिव का रख दिया। सचिव का 78 में कर दिया। पहले रखते, वो तो ठीक था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी, बात आप यह फरमा रहे हैं कि रिकार्ड नहीं है, तो ठीक है। लेकिन रिकार्ड या तो लिखित में कोई हो, कल वह ग्राम सेवक रिकार्ड तो कहीं रख देगा और कहेगा कि रिकार्ड तो सरपंच के पास है, वहां पुलिस ढूंढती फिरेगी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरी सुन लीजिये ...

श्री हरजीराम बुरड़क : यह कोई तरीका थोड़े ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रावधान तो पहले से ही था कि... (व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए....

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें 78 में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं एक मिनट थोड़ा बता दूं।

श्री विष्णु मोदी : मैं एक मिनट निवेदन कर दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मिनट बैठ तो जाइये।

श्री विष्णु मोदी : आप पूरी बात...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरी बात को मैं समझ गया। पूरी बात को मैं समझ गया। ... (व्यवधान) इसमें सदन भी यह चाहेगा कि जिस सरपंच को हटना है या जिस सरपंच को चार्ज लेना है, वह तुरन्त चार्ज ले। यह तो मैं ऐसा समझता हूं सबकी इच्छा है (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं। अब इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पहले के सरपंच में और अब इस एक्ट में जो सरपंच बनेगा, बहुत बड़ा फर्क है, इसमें आपने कहा ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह करिये इस धारा को पोस्टपोन कर दीजिए। हम बात कर लेते हैं।

श्री सभापति : खण्ड 25 डैफ़र किया गया।

खण्ड 26-प्रभारी मंत्रीजी संशोधन।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 26 के उप खंड (1) में, अभिव्यक्ति "तथा हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ" हटा दी जाए;

श्री सभापति : श्री भरतसिंहजी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय सभापति जी मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि विधेयक के खंड 26 के उपखण्ड (1) में प्रयुक्त शब्दों "समर्थ व्यक्ति होना चाहिए"

(श्री भरतसिंह)

तथा "और वह सम्पूर्ण" के मध्य अभिव्यक्ति "तथा उसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का सदस्य हो" अन्तर्विष्ट की जाय। यह प्रस्ताव जब मैंने पेश किया था, क्योंकि यह खण्ड सरपंच के निर्वाचन से सम्बन्ध रखता है उस पर वही कंडीशन लागू है जो पंच के ऊपर लागू है और वह खण्ड 19 में उसका विवरण दिया गया है। खण्ड 19 में जो कंडीशन दी थी, जिनके ऊपर ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव लड़ेगा, वह अत्यन्त अस्पष्ट थी और उसको देखते हुए मैंने प्रस्ताव किया था कि इसमें ये शब्द जोड़ा जाए कि "जो व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत की सभा का सदस्य हो, वही सरपंच का चुनाव लड़ सके" मूल भावना यह थी। माननीय मंत्रीजी ने एक पंच के चुनाव के संशोधन के सम्बन्ध में तीन बार, एक बार पांच तारीख को, एक बार सात तारीख को और एक बार आठ तारीख को जो संशोधन पेश किए हैं, उसमें उन्होंने यह बात रखी व्यक्ति पंच का चुनाव लड़ेगा और आज तक वह बात स्पष्ट नहीं हो पायी है। इसलिए मैं महसूस करता हूं, इस बात को ध्यान में रखें कि ग्राम पंचायत में वही व्यक्ति चुनाव लड़े जो उस पंचायत का सदस्य है। इसलिए....

श्री नाथूसिंह : आ गया उसमें। कर दिया मैंने।

श्री सभापति : यह संशोधन हो गया।

श्री भरत सिंह : आ तो गया पर तीन बार आवश्यकता पड़ी है उसकी। पंच का संशोधन देने के लिए तीन बार क्यों आवश्यकता पड़ी ? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इन्होंने हर बात को गोल-मोल तरीके से निकाला।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आ गया है।

श्री भरतसिंह : नहीं आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह यहां इस सदन में कुछ भी कह देते हैं उससे भी वह पलट जाते हैं। गत माह की पांच तारीख को मैंने एक प्रश्न किया था, सभापति महोदय, जो पंचायत के चुनाव से सम्बन्धित था, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने उसका उत्तर दिया था। वह प्रश्न यह था कि कौन व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ने में, अगर दो बच्चे से ज्यादा होंगे तो सक्षम होगा, उस पर पाबन्दी रहेगी ? उन्होंने उस समय उत्तर दिया था कि सिर्फ पंच पर ही पाबन्दी है। सदन में वह उत्तर दिया गया था और पंचायत मंत्रीजी की मौजूदगी में दिया गया था और इस प्रकार से सदन को गुमराह किया गया। जब यह एक्ट पास किया गया, उसमें यह बात सरपंच पर भी लागू है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वह सब सदन में इसको डिसाइड कर रहे हैं। मगर इस सदन के अन्दर जो मंत्री उत्तर दे रहे हैं, वह भी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इस शब्द को जोड़ा जाना मैं उपयुक्त समझता हूं

(श्री भरतसिंह)

कि "जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो" उसको इसमें जोड़ा जाए ।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैंने विधेयक के खण्ड के उपखण्ड (2) मे प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भरे जाने तक" के पश्चात् तथा "किसी व्यक्ति को नियुक्त" के पूर्व निम्नलिखित अभिव्यक्ति निविष्ट की जाय—"सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान की राय से" । माननीय सभापति महोदय ...

श्री सभापति : बस संशोधन आ गया । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं मेरा संशोधन था । मैं पढ़ दूं साहब ।

श्री सभापति : आपका आ गया ना संशोधन ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, यह नहीं है । यह तो मैं 26 (2) एक्ट पढ़ा है कि इसमें मैंने पूर्व में भी यह कहा....

श्री सभापति : संशोधन पढ़ दीजिए ।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं पढ रहा हू साहब । एक मिनट, मैने पूर्व में भी यह कहा है....

श्री सभापति : संशोधन पढ़ दीजिए ।

श्री विष्णु मोदी : कि यह डेलीगेशन आफ पावर नहीं है, यह डी-सेंटरलाइजेशन आफ पावर है । मैंने इसमें इतना कहा है कि यदि पंच, उप सरपंच का निर्वाचन नहीं हो सके तो किसी व्यक्ति को पंच या उप सरपंच नियुक्त करने का अधिकार सीधे राज्य सरकार को नहीं होगा, सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान की राय से होना चाहिए । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहां जयपुर में बैठकर फरमान जारी नहीं कर दें । आप उस पंचायत समिति का जो प्रधान है, उसकी कसल्ट से, उसकी राय से आप उसको नियुक्त करें ।

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी ।

श्री विष्णु मोदी : जहां चुनाव नहीं हो पंच का, सरपंच का....

श्री सभापति : श्रीमती कमला जी ।

श्री विष्णु मोदी : 62 जगह इस कानून में, माननीय सभापति महोदय, 62 प्लेसेज पर गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम कानून बनायेंगे या यह अधिकार करेंगे या यह करेंगे । मूल भावना यह है कि आप डी-सेन्टरलाइजेशन आफ पावर करिये । आपने पंचायती राज की 02 अक्टूबर, 1959 को, राजस्थान में जो लोड ली थी, हिन्दुस्तान में सबसे पहले पंचायती राज की

(श्री विष्णु मोदी)

व्यवस्था राजस्थान से चली, नागौर से हुई और हमने उस पचायती राज की क्या दुर्दशा की है ? और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा दुर्दशा की है, कांग्रेस ने भी की है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका चुनाव ही नहीं कराया। आज हालत यह है कि आप इस तरह के...

श्री सभापति : आपका आ गया प्रस्ताव।

श्री विष्णु मोदी : कानून बना रहे हैं तो आप कृपा करके प्रधान की राय से करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप बोल रही हैं श्रीमती कमला जी ?

श्रीमती कमला : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, शायद मंत्री महोदय को ध्यान होगा कि आगे जो धाराएं आयी थीं, जिनमें यह हुआ था कि अगर सरपंच व उप सरपंच, प्रधान व उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख की वेकेन्सीज हो जाएं तो उनकी जगह सरकार किसी सक्षम अधिकारी, किसी पर्सन को अपाइंट करेगी। हमने कमेटी में इसका एतराज किया था कि यह "पर्सन" नहीं लिखा जाना चाहिए।

(14.00)

मैम्बर जो इलेक्टेड हैं उनमें से या तो अपने आप चयन करें। मेरा तो प्रस्ताव यह था लेकिन बाद में आपने यह तय किया था कि जो इलैक्टेड मैम्बर्स हैं पंचायत में या पंचायत समिति और जिला परिषद में, उनमें से किसी को अपाइंट किया जायेगा। यह तय हुआ था लेकिन यह इसके अन्दर संशोधन होने से रह गया है। इसको उस हिसाब से लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, जहां तक पहला श्री भरतसिंहजी का संशोधन था उसमें मैम्बर, मैम्बर्स की डेफिनेशन में "Member means a member of a Panchayati Raj Institution and includes a Sarpanch."

और यह आलरेडी सेक्शन-19 में हमने संशोधन कर दिया है इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक दूसरे का सवाल है...

श्रीमती कमला : यह रह गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय मंत्री महोदय यह बात सही है।

श्री सभापति : यह संशोधन भी 19 में कर दिया है।

श्री नाथूसिंह : संशोधन में यह हो गया है, आप पढ़ लीजिये। पहला जो संशोधन हुआ उसके अन्दर यह आया है कि सरपंच का चार्ज उप सरपंच को, उप सरपंच नहीं मिलेगा तो अमंग मैम्बर्स में से

(श्री नाथूसिंह)

भी दिया जाएगा। यह आलरेडी पहले उसमें हो गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 26 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भरतसिंहजी आप मूव नहीं कर रहे हैं ? माननीय श्री विष्णुजी।

श्री विष्णु मोदी : मैंने मूव कर दिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-26 में श्री विष्णु मोदी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-26 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-26 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-27

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-27 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-27 स्वीकार किया गया।

खण्ड-28

श्री भरतसिंह जी।

श्री भरतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा इस खण्ड पर निम्न संशोधन है—विधेयक के खण्ड-28 के उप खंड (1) में प्रयुक्त शब्दों "निर्वाचित सदस्य" तथा शब्द "यथाशक्य" के मध्य अभिव्यक्ति "पंचायत समिति क्षेत्र के निर्वाचित सरपंच व ग्राम पंचायत के पंच" अन्तर्विष्ट की जाये। माननीय सभापति महोदय, खण्ड-28 प्रधान के निर्वाचन से सम्बन्ध रखता है और जो पंचायत एक्ट में संशोधन किया गया है उसमें बहुत कुछ बात कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट का नाम लेकर कही गयी है। मैंने भी 73वें अमेंडमेंट का अध्ययन किया है और यह महसूस करता हूं कि पुरानी जो व्यवस्था थी, जिसमें कि सरपंच पंचायत समिति के प्रधान को चुनते थे और पंचायत समिति में बैठते थे। उसको टेरिटोरियल कांस्टीट्यूशन नाम के ऊपर वह व्यवस्था हटा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरपंच सीधे अपने कार्य के सम्बन्ध में जो कठिनाई आती थी उसको पंचायत समिति में रखते थे और एक सीधा कनेक्शन था ग्राम पंचायत का, ग्राम के लोगों का पंचायत समिति से और

(श्री भरतसिंह)

इस टेरिटोरियल कांस्टीट्यूशन के नाम पर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह क्या ?

श्री भरतसिंह : वही रखा है। मेरा यह पास नहीं होगा। मैंने यही कहा कि सदस्य बनाये जाएं मगर वह बनेंगे नहीं पर मुझे कहने का अधिकार तो रहने दीजिये ताकि राजस्थान के लोग यह तो जान सकें कि किसी ने यह बात कही थी।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता क्या कोई संविधान संशोधन के विपरीत संशोधन है, तो इसको प्रस्तुत करने की अनुमति दूं क्या ? माननीय श्री पूनमचंदजी।

श्री भरतसिंह : मैंने कोई विपरीत बात नहीं कही है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा ...

श्रीमती कमला : यह गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है कि वह उनको वहां पर बैठने दें या नहीं दें। कहीं मना ही नहीं है।

श्री भरत सिंह : इसमें कहीं नहीं लिखा है। इसमें जो लिखा है उसी को मैं पढ़ कर बताना चाहूंगा। आप कुछ भी करिये पर कम से कम मुझे कहने का, मेरी भावना व्यक्त करने का अधिकार तो है।

श्री सभापति : भावना व्यक्त करिये।

श्री भरतसिंह : वही कर रहा हूं। उसके विपरीत नहीं जा रहा हूं।

श्री सभापति : हां, भावना व्यक्त करिये।

श्री भरत सिंह : क्योंकि वह तो आप हां, हां करके कर लेंगे पास।

श्री सभापति : भावना व्यक्त करिये।

श्री भरत सिंह : कर दिया मैंने, बस यही थी।

श्री सभापति : संशोधन मूव नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-28 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-28 स्वीकार किया गया।

खण्ड-29

श्री भरतसिंह।

श्री भरतसिंह : वही बात, वही भावना मेरी यहां भी लागू है और यह भी हां, हां करके कर लेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-29 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-29 स्वीकार किया गया।

Page No.86

खण्ड-30 व 31

खण्ड-30 व 31 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-30 व 31 को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 30 व 31 स्वीकार किये गये।

खण्ड-32

खण्ड-32, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिह : सभापति महोदय, खण्ड-32 के उप खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "ऐसे व्यक्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति" "पंचायत के ऐसे निर्वाचित सदस्य" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री सभापति : श्री हरीसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, खण्ड-32 के (1)(सी)विलोपित किये जाने का मैंने अमेंडमेंट मूव किया है "The Sarpanch shall be responsible for the maintenance of records of the Panchayat;" अभी जो बहस उभर कर आयी है सेक्शन 25 के सम्बन्ध में, वह यह बहस उभर कर आयी थी कि आपने सब शक्तियां दे दी हैं सेक्रेटरी पंचायत के लिए। इस का सेक्शन 78 को पढ़ें कि सेक्रेटरी या ग्रुप सेक्रेटरी है, 78 में इसके लिए कहता है—

"It shall be the duty of the Secretary of every Panchayat or a Group Panchayat Secretary, subject to the control of the Sarpanch—

(a) to keep the records and registers of the Panchayat in his custody;

(b) to issue receipts under his signature ...

(c) to be responsible for maintaining the accounts of the Panchayat Fund;

(d) to be responsible for the safe custody of the Panchayat Fund! '

यानी जो भी रिकार्ड के सम्बन्ध में लिखना, रखना इन सबकी ड्यूटी दे दी आपने सेक्रेटरी के लिए और रेस्पोन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं ...

श्री सभापति : कीप और मेंटेन, यह दो अलग-अलग हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेरी बात सुन लीजिये। 32 (1) (सी) कहता है—

"The Sarpanch shall be responsible for the maintenanee of records of the Panchayat."

मैन्टीनैंस से क्या मतलब होगा ?

श्री सभापति : आज्ञा देना आज्ञा देता है सरपंच सचिव को यह रिकार्ड इस प्रकार से रखना "that is maintenance".

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसके लिए अलग है। उसके लिए प्रोविजन है, इसमें 32 (ई) है-"exercise administrative supervision and control over the work of the staff of the Panchayat...."

उनमें कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यह पर्पज तो 32 (ई) से सर्व होता है। इसके अलावा इसमें यह लिखना कि—"The Sarpanch shall be responsible for the maintenance of records of the Panchayat."

यह क्या मतलब हुआ। फिर आप कहेंगे रेस्पोन्सिबल था, कोई रजिस्टर था, वह था। झगड़ा होगा सेक्रेटरी और पंचायत में।

श्री सभापति : मैंटीनेन्स का मतलब कीपिंग नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मेन्टीनेंस यानी कीपिंग, कीप

श्री सभापति : two different things.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कीप का मतलब यह है कि वह लिखेगा नहीं, मैंटेन नहीं करेगा।

श्री सभापति : वह बाई आर्डर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंटेन कौन करेगा। मेन्टीनेंस का मतलब लिखना, पढ़ना, उसका सब काम करना यह भी मेन्टीनेंस है। रिकार्ड का मेन्टीनेंस का मतलब, रोकड़ का मैंटीनेंस का मतलब, रजिस्टर का मेन्टीनेंस का मतलब, रिसीप्ट रजिस्टर मैंटीनेंस का मतलब यह होता है कि वह जारी करता है, लिखता है, तो ग्रुप सेक्रेटरी करता है मैंटेन तो।

श्री सभापति : रख-रखाव।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : रख रखाव वही करता है। रख-रखाव का मतलब यह..

श्री सभापति : माननीय मोदी जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसलिए इसको विलोपित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय मोदीजी एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, रेस्पोन्सिबिलिटी एक तरफ तो आपने दी है ग्रुप सेक्रेटरी को, Secretary to the Panchayat. वह सब रेस्पोन्सिबिलिटी उसको दी है और इसमें जहां तक रेस्पोन्सिबिलिटी सरपंच के एक और दो का प्रश्न है, वह मीटिंग में प्रीसाइड करने की है, टाइमली वह ग्रामसेवक की मीटिंग बुलाये और पंचायत की मीटिंग

(श्री परसराम मदेरणा)

बुलाये वह रेस्पोन्सिबिलिटी सरपंच की है, क्योंकि आदेश वह देता है लेकिन—

"be responsible for the maintenance of the record."

मान लो, आज वह कहता है कि मिनिट्स लिख और वह नहीं मानता हो, तो बी. डी. ओ. का शिकायत करेगा कि मिनिट्स नहीं लिख रहा है लेकिन उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी कैसे हो जाएगी। अगर आप रिकार्ड पूरा उसके पास में रखते हैं, अकाउण्ट का रेकार्ड वह रखेगा, अकाउण्ट मैंटेन करने की रेस्पोन्सिबिलिटी ग्राम सेवक की होगी। अब आप रेकार्ड को मैंटेन करने के लिए अपडेटिंग रेकार्ड रख रहे हो, अपडेटिंग रिकार्ड केवल यही रह सकता है कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स लिखी जानी चाहिए, मिनिट्स लिख जाने चाहिए। यह रेस्पोन्सिबिलिटी अगर जनरल सुपरविजन सरपंच के पास में है, वह है, वह सुपरविजन करेगा। यह जो "exercise the administrative supervision" यह सुपरवाईजिंग पावर्स, रेस्पोन्सिबिलिटी दे रहे हो आप इसको कि अगर वह डिस्आबिडिएन्स सेक्रेटरी करता है तो भी उसकी रस्पोन्सिबिलिटी सरपंच की रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रेस्पोन्सिबिलिटी का दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन क्लाज के साथ जोड़ सकते हो कि वह सुपरविजन करेगा रेकार्ड को मैंटेन करवाने के लिए। आपने सब रेस्पोन्सिबिलिटी उसको दी है, कस्टडी उसको दी है, रेस्पोन्सिबिलिटी उसको दी है ग्राम सेवक को, Secretary to the Panchayat, इसलिए मैं यह समझता हूं रेस्पोन्सिबिलिटी वर्ड यहां यूज करना, जबकि एक्चुअली रेस्पोन्सिबिलिटी ग्राम सेवक की और सेक्रेटरी की है। इस क्लाज के डिवीजन की बात की है। मैं समझता हूं कि इसका औचित्य है, इस पर मंत्रीजी को विचार करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी, बोलिये।

श्रीमती कमला : बी रेसपोंसिबल के बजाय सुपरवाइज....

श्री सभापति : इनका संशोधन है कमला जी। जो संशोधन है, उनको तो मूव करने दो।

श्रीमती कमला : बी रेसपोंसिबल फोर के बजाय सुपरवाइज लिख दें, फिर वह परपज पूरा हो जाता है।

श्री सभापति : क्या कहा आपने ?

श्रीमती कमला : बी रेसपोंसिबल फोर जो शब्द है उसको हटाकर 'सुपरवाइज the maintenance of records'

यह हो जाता है तो उसमें क्लीयर भी हो जाता है और वह मंशा भी पूरी हो जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : Exercise administrative supervision for the maintenance of the record of the Panchayats. यह है।

श्री सभापति : माननीय मोदी जी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 32 के उप खण्ड (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जो सक्षम प्राधिकारी" के पश्चात् तथा "निर्दिष्ट करें" के पूर्व निम्नलिखित अभिव्यक्ति निविष्ट कीजाए— "सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान की राय से"

मैं शुरू से माननीय सभापति महोदय....

श्रीमती कमला : इसमें संशोधन आ गया है ना।

श्री सभापति : हां, बोलिये आप।

श्री विष्णु मोदी : मेरा शुरू से यह मत है कि हम डेलिगेशन आफ पावर्स नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इसकी जो कमियां, जो उसका कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं, यह डीसेंट्रलाइजेशन है। मेरा इसमें इतना ही विनम्र निवेदन है, मंत्रीजी की अगर कोई प्रेस्टीज ही बन गयी है कि कोई अमेंडमेंट नहीं सुनना या समझना, तो उनकी मर्जी ...

श्री सभापति : नहीं सुन रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : क्योंकि आपके पास बहुमत है। जिस तरह से जोड़-तोड़ करके आपने बहुमत बना रखा है, उस तरह से पास तो आप कर ही देंगे लेकिन विनम्र शब्दों में मेरा निवेदन है .... (व्यवधान) कि प्रधान की राय ली जानी चाहिये। मेरा उसमें यह निवेदन है कि पंच और उप सरपंच के पद रिक्त रहने की स्थिति में यदि उनके कार्य किसी व्यक्ति को सौंपे जाते हैं, तो उस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान की राय ली जाये। आपने उसमें सक्षम अधिकारी की राय ली है। मेरा इतना सा कहना है।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, एक मिनट....

श्री सभापति : हर बात पर मैं सब माननीय सदस्यों को अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय श्री नाथूसिंह जी (व्यवधान) हां तो इस पर नहीं कह रहा, मैंने मंत्रीजी को पुकार लिया। मैंने आपको बहुत अवसर दिया है।

श्री शिवनाथसिंह : माननीय मंत्रीजी ने जो अमेंडमेंट रखा है, उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी ने सब क्लाज (3) में यह अमेंडमेंट रखा है पहले यह था कि जब सरपंच और पंच, दोनों के पद खाली होंगे, तो वह किसी आदमी को नियुक्त कर सकते थे। आपने उसमें अमेंडमेंट किया है कि पंचायत के जो मेम्बर्स हैं उनमें से किसी को नियुक्त कर दियाजाए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को, जो पंचायत के पंच चुनकर आये हैं, उनको क्यों नहीं यह अधिकार दो कि जब सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, उस स्थिति में वह अपने में से किसी को एक टेम्प्रेरी सरपंच चुन लें और वह उसके काम को देखें। उसमें बाहर वाले अधिकारी, मान लीजिये 9 पंच हैं, 9 में से कौनसा काम करेगा, इसका अधिकार आप दूसरे किसी व्यक्ति को देना चाहते हो, उन 9 में से तय होना चाहिये कि हमारा काम यह करेगा और टेम्प्रेरी सरपंच....

श्री सभापति : यह परमानेन्ट नहीं है अधिकार। परमानेंट अधिकार नहीं है। मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से....

श्री सभापति : चर्चा हो गयी थी।

श्री नाथूसिंह : बहुत ही गहराई से चर्चा हो गयी थी और यह सुझाव आया था कि पहले हमने एनी पर्सन कर रखा था, बाद में माननीय सदस्यों से जब, चुनाव इसलिए नहीं होगा कि चुनाव के लिए पंचायत को नोटिस देना पड़ेगा, उनको एक समय देना पड़ेगा। एक महीने की अवधि के लिए ही तो एपाइंटमेंट है, ज्यादा तो है नहीं। एक महीने बाद तो चुनाव होगा ही होगा सरपंच का। इसलिए सारी बातों पर विचार करने के बाद....

श्री सभापति : एक महीने के लिए चुनाव, तय हो गयी थी बात यह।

श्री नाथूसिंह : अमेंडमेंट किया है यह सर्व सम्मति से ही।

श्री सभापति : आप हरिसिंह जी, मूव नहीं कर रहे हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 32 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 33 श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। खण्ड 33 पर नहीं कर रहे हैं ?

विष्णु जी आप भी नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने 32 में संशोधन दिया था, हो गया ना।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 33 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खंड 33 स्वीकार किया गया।

खंड 34, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 34 के उप खण्ड (2) में, अभिव्यक्ति "ऐसे व्यक्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंचायत समिति के ऐसे निर्वाचित सदस्य" प्रतिस्थापित की जाए?

श्री सभापति : मोदी जी आपका आ गया इसमें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

मोदीजी, खण्ड 34 में आप पेश नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 35 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 35 के उप-खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "ऐसे व्यक्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला परिषद् के ऐसे निर्वाचित सदस्य" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री सभापति : आपका आ गया मोदी जी इसमें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 35 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 36, श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। श्री विष्णु मोदी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 36 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 36 स्वीकार किया गया।

खण्ड 37 श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 37 जो है, " अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के

(श्री विष्णु मोदी)

अविश्वास प्रस्ताव पर", इसमें एक महीने का टाइम दिया है। मेरा इसमें यह सुझाव है और यह मैंने संशोधन भी दिया है कि 30 दिन की अवधि बड़ी लम्बी अवधि है, उसमें....

श्री सभापति : ठीक है। ठीक है 30 दिन की अवधि, हरिसिंह जी ठीक है ?

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 37 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 37 स्वीकार किया गया।

खण्ड 38 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय खण्ड 38 में, —

(क) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" प्रयुक्त हुई हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की जाए; और

(ख) उप-खण्ड (1) की मद (ख) में, अभिव्यक्ति "उपेक्षा या" लोपित की जाए;

श्री सभापति : इस पर सबके आ गये अब तो।

प्रश्न यह है कि खण्ड 38 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 38 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 38 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 39 श्री विष्णु मोदी। श्री शिवनाथ सिंह जी। मूव नहीं कर रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : जैसी आपकी इच्छा हो, नहीं करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 39 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 39 स्वीकार किया गया।

खण्ड 40, 41 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 40, 41 स्वीकार किया जाए ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 40, 41 स्वीकार किये गये।

खण्ड 42, श्री विष्णु मोदी। पेश नहीं कर रहे हैं?

प्रश्न यह है कि खण्ड 42 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 42 स्वीकार किया गया।

खण्ड 43, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 43 स्वीकार किया गया।

खण्ड 44 श्री विष्णु मोदी। पेश नहीं कर रहे हैं?

प्रश्न यह है कि खण्ड 44 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 44 स्वीकार किया गया।

खण्ड 45 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 45 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 45 स्वीकार किया गया।

खण्ड—46, प्रभारी मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह: माननीय सभापति महोदय, खण्ड 46 के उप-खण्ड (3) में, शब्दों "ऐसे निवेदन की" से प्रारम्भ होने वाली और शब्दों "से अधिक का न हो" पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे निवेदन की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर की किसी तारीख को, बुलायेगा। ऐसे निवेदन में ऐसा उद्देश्य विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए बैठक का बुलाया जाना प्रस्तावित है। यदि प्रधान कोई विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उप-प्रधान या सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात् के पन्द्रह दिन से अनधिक के किसी दिन को विशेष बैठक बुला सकेगा" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री शिवनाथ सिंह: मेरा भी है इसमें....

श्री सभापति: श्री विष्णु मोदी, शिवनाथसिंह जी आ गया आपका इसमें समाहित हो गया।

श्री शिवनाथ सिंह: नहीं, साहब।

श्री सभापति: आप बोलिए फिर आप अपनी भावना रख दें।

श्री शिवनाथ सिंह : बिलकुल भावना रख रहा हूं साहब। प्रथम मीटिंग पंचायत समिति की मीटिंग हो वह विकास अधिकारी बुलाएगा और वही उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा यह प्रावधान है आपका। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरी समझ में जहां तक आया है, पहली मीटिंग में प्रधान का इलैक्शन होता है और प्रधान के इलैक्शन के लिए नोटिस तो विकास अधिकारी दे सकता है लेकिन उस मीटिंग में प्रधान इलैक्ट हो, उसको प्रिसाइड ओवर करके और विकास अधिकारी करे, यह अनुचित है। पहले भी प्रावधान यह था कि कलक्टर मीटिंग बुलाता था और कलक्टर के द्वारा नोमिनेट कोई भी आर. ए. एस. कैडर का अधिकारी उस मीटिंग को प्रिसाइड करता था और वही प्रधान का चुनाव कराया करता था इसलिए मैं यह उचित समझता हूं कि विकास अधिकारी प्रिसाइड करके उस मीटिंग को चुनाव कराए, वह न होकर किसी गजेटेड आफिसर को जो आर.ए.एस केडर से नीचे का नहीं हो उस प्रकार की व्यवस्था की जाए। यह मेरा निवेदन है ... (व्यवधान)... बी. डी. ओ. तो बहुत छोटा अधिकारी होता है और....

श्री नाथूसिंह : सबसे पहले यह कोई ...(व्यवधान) पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

श्री सभापति : फर्क तो है लेकिन बी.डी.ओ. बहुत छोटा है। एक तरफ आपने शिड्यूल्ड में फंक्शंस और ड्यूटीज दे रखी हैं और टाइम टू टाइम उस सूची में जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें आप संशोधन करते रहेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप डायरेक्शंस देते रहेंगे ...

श्री सभापति : इसकी चर्चा तो हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, चर्चा तो हुई थी लेकिन इस फोर्म में थोड़ी आया था यह कभी इस तरह का अपना चेंज कर देंगे और यह पावर्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहेगी। यह आया था कि इनको ओमिट किया जाए क्योंकि वहां पर जो है रिप्रजेंटेशन का था....

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, आपने....

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर रिप्रजेंटेशन की बात थी। 51, 52, 53...

श्री सभापति : वह आया है, वह भी आया है।

श्री परसराम मदेरणा : उसको ओमिट करने की बात आयी थी लेकिन इसको यह पावर्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, यह बात कहां पर आयी थी,

श्री नाथूसिंह : आज जो प्रधान कहीं से इलैक्ट होगा जो कांस्टीट्यूएंसीज बनेगी, पहली मीटिंग में वह मेम्बर्स, उन मेम्बर्स में से ही एक का इलैक्शन करेंगे और माननीय सभापति महोदय, बी. डी. ओ., वैसे भी बी डी. ओ. सक्षम अधिकारी है, पंचायत समिति का वह उसमें कुछ कर ही नहीं सकता, केवल नोमिनेशन फाइल कराएगा । अब इसमें इलैक्शन की घोषणा करेगा, बहुमत की ... (व्यवधान)... कौनसी ...

श्री शिवनाथ सिंह : जो बी. डी. ओ. अधिकारी आपने कहे ...

श्री रामनारायण चौधरी : कृषि अधिकारी, बी. डी ओ. है .. (व्यवधान) ... क्या फर्क पड़ता है आपको इससे ?

श्री हरजीराम बुरड़क : आज श्रीमान मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदन के नेता बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें यह व्यवस्था कर सकते है कि यह प्रिसाइड करने वाला अधिकारी एस. डी. एम. होगा या कलक्टर द्वारा ।

श्री सभापति : जो भी नियुक्त होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी नोमिनटेड व्यक्ति जो एस. डी. एम. के बराबर होगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : आर. ए. एस. होगा वह ।

श्री सभापति : मंत्रीजी ऐसा संशोधन बोलिये । बोलिये ऐसा संशोधन ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखकर के देंगे, इतना जल्दी नहीं ।

श्री नाथूसिंह : इसको लिखकर के अभी दे देता हूं ।

श्री सभापति : तो यथा संशोधित रूप में मान लेता हूं ।...

श्री शिवनाथ सिंह : मैंने इसमें लिखा है कि कलक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी ही करेगा वह अमैंडमैंट है, तो मान लो आप इसको ...

श्री सभापति : तो आपका अमैंडमैंट स्वीकार कर लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह कर लो, कर लो ।

श्री सभापति : मूव करिये, श्री शिवनाथसिंहजी । आपका प्रस्ताव मूव करिए ...

एक माननीय सदस्य : वह कर देंगे नाथूसिंहजी ।

श्री सभापति : नाथूसिंह जी नहीं, वह मूव करेंगे ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति जी, मैं मूव करता हूं विधेयक के खण्ड

(श्री शिवनाथसिंह)

46 के उपखण्ड (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रथम बैठक की तारीख जिला कलक्टर द्वारा नियत की जावेगी जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से नीचे के स्तर का नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : ठीक है साहब; ठीक है, एग्रीड।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 46 में ...

श्री नरपतसिंह राजवी : मूव तो करो इसको।

श्री सभापति : है ?

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापतिजी, इसे प्रभारी मंत्रीजी द्वारा मूव तो कीजिए।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी नहीं, शिवनाथसिंहजी करेंगे।

श्री शिवनाथसिंह : नहीं, नहीं, मेरे द्वारा होगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप ठहरिए, वह बात अलग कह रहा हूं, आप का अमेंडमेंट अलग है। प्रभारी मंत्रीजी का अमेंडमेंट अलग है....

श्री सभापति : वह अलग से है।

श्री परसराम मदेरणा : "....for a day not more than fifteen days after presentation of such request."

इसको आप सबस्टिट्यूट कर रहे हैं—"for a day not more than fifteen days thereafter"

श्री नाथूसिंह : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : क्या मतलब होगा इसका ?....

श्री सभापति : वह अपनी सहमति से ही हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, वह सहमति...

श्री नाथूसिंह : वह आपके साथ डिस्कस होकर ही हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, हमने बात तो की थी लेकिन इसका जो 'देअर-आफ्टर,' इन दोनों में क्या फर्क हुआ ? कुछ समझ में नहीं आया है, क्लॉज 46 का सब क्लॉज 3 की लास्ट थ्री लाइंस

श्री नाथूसिंह : एसा है अगर 15 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद बी. डी. ओ. बैठक बुला सकता है....

श्री परसराम मदेरणा : 46 का सब क्लाज 3 की लास्ट 3 लाइंस।

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, समझने के बाद जो बात समझ में नहीं आती उसको तो वह नहीं समझा सकेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, यह ड्राफ्ट नहीं हुआ था। डिस्कस हुआ था, डिस्कस होने के बाद में जो अमेंडमेंट आया है, पहले वाला, मंत्रीजी स्पष्ट कर दें कि पहले वाला जो था ...."for a day not more than fifteen days after presentation of such request" इसको आप सबस्टिट्यूट कर रहे हैं "for a day not more than fifteen days thereafter."

यह 'देअर आफ्टर' से आपका मतलब क्या है ?

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब यह है कि 15 दिन तक अगर वह बैठक नहीं बुलाएगा तो 15 दिन बाद समय दिया है उसमें उनको बैठक बुलानी पड़ेगी। यह है इसका मतलब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 46 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 46 में श्री शिवनाथसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 46 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 46 को यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(खण्ड-47)

खण्ड 47-श्री विष्णु मोदी। नहीं कर रहे हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 47 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 47 स्वीकार किया गया।

खण्ड 48 व 49

खण्ड 48 व 49, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 48 व 49 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 48 व 49 स्वीकार किये गये।

खण्ड-50

खण्ड 50 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 50, 51 और 52 के स्थान

(श्री नाथूसिंह)

पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। एक साथ ही ले लेता हूं सारे :—

50. पंचायत के कृत्य और शक्तियां :- ऐसी शक्तियों के अधीन....

श्री सभापति : आप कृपया, आप यह जो खण्ड है उसके स्थान पर दूसरा खण्ड, प्रस्तावित कर रहे हैं वह बोल दीजिए।

श्री नाथूसिंह : हां, वही कर रहा हूं। खण्ड 50, 51 और 52 :-

50. पंचायत के कृत्य और शक्तियां :- ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, पंचायत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी द्वारा विद्यमान खण्ड के स्थान पर खण्ड 50 प्रतिस्थापित किया उसे स्वीकार किया जाए ? ...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, क्लॉज 50, 51 और 52, उसके अन्दर जो ऐसे क्लॉजेज हैं उन सबको डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करके तीनों ही क्लॉजेज को एक ही प्रकार की भाषा से वह रिप्लेस कर रहे हैं। ग्राम पंचायत 50 में, पंचायत समिति 51 में और जिला परिषद् 52 में, और वह भाषा यह है कि Functions and powers of Panchayat in clause 50, Functions and powers of Panchayat Samiti in clause 51 and Functions and powers of Zila Parishad in clause 52.

अब इसमें मैं क्लाज 50 को पढ़ रहा हूं। जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने पहले वाले पूरे क्लाज को ओमिट करके और जो अब सबस्टीट्यूशन चाहते हैं "Subject to such conditions as may be speciffied by the Government from time to time, the Panchayat shall perform the functions and exercise the powers specified in the First Schedule."

51 के अन्दर सैकंड शिड्यूल्ड, 52 में थर्ड शिड्यूल्ड वर्ड यूज कर लिया है। लेकिन जब शिड्यूल्ड के अन्दर फंक्शंस पावर्स एन्ड ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड कर दी गयी है, तो इन क्लॉजेज को इंटैक्ट रखने के लिए गवर्नमेंट जो स्वीपिंग पावर लेने आ रही है, सब्जेक्ट टू सच कन्डीशंस, यह कभी इस कोर्स में, बातचीत में यह मामला ही नहीं आया था....

श्री नाथूसिंह : आया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप बाद में लाए हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह पावर्स आप अलग से लेकर के "Subject to such conditions as may be specified by the Government from time to time...."

(श्री परसराम मदेरणा)

"""स्वीपिंग पावर्स आप लेने जा रहे हैं और पूरे के पूरे शिड्यूल में जिसमें पावर्स एण्ड ड्यूटीज दी हुई है अलग-अलग पंचायत राज संस्थाओं को।

श्रीमती कमला : नहीं 50 और 51 में मैंने खुद ने ही यह रखा था कि विशेष आमंत्रित आपने लिखा है उसके बजाय प्रतिनिधित्व लिखा जाये। इसलिए 50 और 51 को हटाने का और उसकी जगह उन शक्तियों को आप जैसा चाहेंगे नोटिफाई करके देंगे।-यह तो कभी डिस्कस नहीं हुआ था।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, दो चीजें हैं इसमें। एक तो फार्मेशन और दूसरे पावर्स एण्ड फंक्शन्स। फार्मेशन के मामले में आपका यह संशोधन आया था कि फार्मेशन में एम. एल. ए. और एम. पी. रखिये। उसके कारण से एक तो संशोधन करना पड़ा। दूसरे यह भी चर्चा हुई थी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मालूम है कि शिड्यूल में हमने आलरेडी पहले भी फंक्शन्स लिख रखा है कि यह फंक्शन करेंगे, यह फंक्शन करेंगे लेकिन जब तक बजट का प्रोविजन नहीं होगा तब तक पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें उन फंक्शंस को कैसे पूरा करेंगी। यह एक्सपेरीमेंट कर्नाटका में भी हुआ कि एक बार उन्होंने ज्यादा पावर्स दे दी उसके बाद वहां स्थिति गड़बड़ा गयी। वह वापस बैक लेने की सोच रहे हैं। कुछ तो लिया भी है माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय इस बात से सहमत थे कि केवल शिड्यूल में फंक्शंस रख देंगे उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिये बजटरी प्रोविजन्स करने पड़ेंगे और इसके लिये जितना अपने पास बजट होगा, टाइम-टू-टाइम सरकार का जितना बजट होगा उतने फंक्शंस उनको देते जायेंगे यह अपनी कांसेंस हो गयी थी शायद।

श्री परसराम मदेरणा : यह बिलकुल अपसेट डाउन आर्ग्यूमेंट दे दिया। मुख्य मंत्रीजी इसका परपज यह है क्या? नहीं है यह परपज। मैं बताता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका परपज यह है कि शिड्यूल 1 में जो फंक्शंस हैं अगर इस एक्ट में जैसा आप कह रहे हैं कि इन वर्ड्स को इसमें से डिलीट कर दिया जाये तो सारे फंक्शंस इस एक्ट के अनुसार पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के अधिकार में चले गये। अब चले गये तो मान लीजिये कि प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल हमने खोलने की व्यवस्था कर दी इस एक्ट के अनुसार कि प्राथमिक स्कूलें पंचायतों को मिलेगी। अब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के लिये कौन सी कन्डीशंस होंगी- टीचर्स का एपाइंटमेंट होना है, स्कूल खुलने हैं, उसके लिये फण्ड्स प्रोवाइड करने हैं इस सारी व्यवस्था के साथ प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं कि सबजैक्ट टू कंडीशंस स्पेसिफाइड बाई दी गवर्नमेंट, इसके पीछे यह अर्थ नहीं है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो शिड्यूल में हमने काम निर्धारित किये हैं उन कामों को हम वापिस ले लेंगे लेकिन उन कामों के अन्दर विधिवत इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से हो गवर्नमेंट केवल इतनी सी ही व्यवस्था उसमें करेंगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने विद्यमान खण्ड के स्थान पर खण्ड 50 प्रतिस्थापित किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 50 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 50 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-51

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 51, पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियां :– ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, पंचायत समिति द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने विद्यमान खण्ड के स्थान पर खण्ड 51 प्रतिस्थापित किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 51 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 51 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-52

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 52—'जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियां—ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, जिला परिषद् तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।'

श्री सभापति : मोदी जी आपका इसमें समाहित हो गया।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने विद्यमान खण्ड के स्थान पर खण्ड 52 प्रतिस्थापित किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 52 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 53 से 54—कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 53 से 55 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 53 से 55 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 56

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 56 के उप-खण्ड (9) में अभिव्यक्ति 'पंचायत समिति की पदावधि की सह-विस्तीर्ण' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'एक वर्ष' प्रतिस्थापित की जाये;

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 56 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 56 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 56 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड 57 से 61—कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 57 से 61 स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 57 से 61 स्वीकार किये गये ।

खण्ड-62

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

62. शास्ति अधिरोपित करने की पंचायत शक्ति—यदि किसी पंचायत का यह समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति ने पंचायत के द्वारा पारित किसी साधारण या विशेष आदेश की अवज्ञा की है, तो वह यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसी राशि जो दो सौ रुपये तक की हो सकेगी और अवज्ञा के जारी रहने के मामले में ऐसी और राशि, जो प्रथम दिन के पश्चात् के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अवज्ञा जारी रहे, दस रुपये तक की हो सकेगी, सदत्त करेगा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्रीजी ने विद्यमान खण्ड के स्थान पर खण्ड 62 प्रतिस्थापित किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 62 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 62 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

(श्री सभापति)

खण्ड 63 से 74—कोई संशोधन नहीं हैं

प्रश्न यह है कि खण्ड 63 से 74 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 63 से 74 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 75 :

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान और श्री लक्ष्मणसिंह जी - माधवसिंहजी आपका इसमें समाहित हो गया है । आप अपनी बात रख दें ।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ जो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की जो रिपोर्ट हमको आपने सक्यूलेट करवायी है उसी का एक पैरा उद्धृत करना चाहता हूं । बकाया आक्षेपों की स्थिति—दिनांक 31-5-92 को बकाया आक्षेपों की स्थिति 3 लाख 13 हजार थी जो दिनांक 31-5-93 को निम्न प्रकार रह गयी 3 लाख 19 हजार । इस संख्या में ग्राम पंचायतें एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बकाया आक्षेप सम्मिलित नहीं हैं अन्यथा यह संख्या 10 लाख से ऊपर होगी । मतलब यह है कि यह बकाया आक्षेपों का निस्तारण करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । आडिट हो जाते हैं, आक्षेप लगा देते हैं और वह गोदामों में जाकर रिपोर्ट पड़ जाती है । यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां पंचायतों में बढ़ रही हैं । उम्मीद यह थी कि कम से कम जब यह संशोधन कर रहे हैं और यह रिपोर्ट खुद लिख रही है कि इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है । यह रिपोर्ट बोल रही है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंकेक्षण के प्रतिवेदनों की अनुपालना का अभाव एक देशव्यापी समस्या है जिसका मुख्य कारण संस्थाओं के व स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के नियमों अथवा अधिनियमों की अनुपालना नहीं होने पर किसी प्रकार का दण्डनीय प्रावधान नहीं होना संस्था अधिकारियों की अनुपालना के प्रति उदासीनता रही है । इस उदासीनता को समाप्त करने के लिए अगर कोई प्रावधान किया गया हो, तो मुझे एतराज नहीं है । कोई रूल्स में कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं ।

इसमें मेरा यही कहना है कि जो एक तो आक्षेप बच गये हैं उनके लिए जनलेखा समिति के अनुसार विधान सभा की एक समिति बना दी जाए ताकि विभाग सक्रिय हो जाए और आक्षेपों का निस्तारण हो सके । दूसरे जो आडिट कराने नहीं आते 5-5 साल तक आडिट के लिए रेकर्ड उपलब्ध नहीं कराते, उनके विरुद्ध जैसा सरकार चाहे वैसा ही दण्डनीय प्रावधान करे, यही मेरा इसमें निवेदन है ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, डायरेक्टर लोकल फण्ड आडिट द्वारा जो आडिट करके रिपोर्ट पेश की जाती है उसके पैराज कभी भी न तो हाउस की कमेटी और न हाउस में डिस्कस होते हैं वैसे हमने आडिट पैरा में जितनी राशि आयी है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे रहे हैं, इसके लिए इस बार ...

श्री माधवसिंह दीवान : 10 लाख आउटस्टैण्डिंग पैराज पड़े हैं आपके।

श्री नाथूसिंह : मैं बता रहा हूं न।

श्री सभापति : रूल्स में कोई व्यवस्था कराए, उनका कहना यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता देता हूं। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, भावना की दृष्टि से बहुत उचित है। उसके निराकरण के लिए कोई न कोई प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस धारा को पढ़ेंगे तो पंचायतों के और पंचायत समितियों के सारे अकाउण्ट्स की जिम्मेदारी आडिटर जनरल पर है। आडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आती है वह हाउस में रखी जाती है और पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के सामने भी जाता है वह मैटर। इसमें आप एक प्रोविजन देखेंगे "Provided that the Comptroller and Auditor General of India may also carry out a test audit of such accounts."

इस टैस्ट आडिट में यह बात भी निश्चित रूप से आ जाएगी कि कितनी आडिट रिपोर्ट्स के ऊपर पालना हुई या नहीं हुई। उसका भी टैस्ट हो जाएगा। यह मैटर अब अपने आप ही विधान सभा के सामने आएगा, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को स्वीकार कर लें।

श्री माधवसिंह दीवान : यह व्यवस्था तो पहले भी थी। टैस्ट आडिट में सिर्फ पांच प्रतिशत आडिट होता है। सिर्फ पांच प्रतिशत जो आडिट करते हैं पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का, वही रिपोर्ट्स विधान सभा या जन लेखा समिति के सामने आती हैं। बाकी 95 प्रतिशत नहीं। यह प्रोविजन तो पहले के एक्ट में भी था, यह कोई नया प्रोविजन एड नहीं हुआ है। पर जो ग्राम पंचायतें है उनका आडिट टाइमली होता नहीं। 5-5 साल तक के आडिट नहीं होते। नगर पालिका के लिए भी यही कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सभी जगह है, सब व्यवस्था करेंगे। लोकल फंड आडिट की रिपोर्ट पर, यह बात सही है कि जितना प्राम्प्ट एक्शन होना चाहिए वह नहीं होता है। इसके प्राम्प्ट एक्शन की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी कि इस प्रकार की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स अनअटेण्डेड नहीं जाय।

श्री सभापति : श्री माधव सिंह जी ने अपना संशोधन मूव नहीं किया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 75 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 75 स्वीकार किया गया।

खण्ड 76 से 78, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 76 से 78 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 76 से 78 स्वीकार किये गये।

खण्ड 79, श्री हरिसिंह जी, (कुम्हेर) प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 79 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 79 स्वीकार किया गया।

खण्ड 80 से 83 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 80 से 83 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 80 से 83 स्वीकार किये गये।

खण्ड 84, श्री हरि सिंह जी (कुम्हेर), प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 84 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 84 स्वीकार किया गया।

खण्ड 85, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 85 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 85 स्वीकार किया गया।

खण्ड 86, श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर), प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 86 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 86 स्वीकार किया गया।

खण्ड 87 से 90, कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 87 से 90 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 87 से 90 स्वीकार किये गये।

खण्ड 91, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 91 के उप खण्ड (2) की मद (ख) में अभिव्यक्ति "अधिरोपित किया जा सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सम्बन्धित पचायती राज संस्था के अध्यक्ष के अनुमोदन से, अधिरोपित किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 91 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 91 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 91 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 92, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 92 के उप खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "कलक्टर" और अभिव्यक्ति "लिखित आदेश द्वारा संकल्प को निलम्बित कर सकेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट कर सकेगा, जिसका इस पर लिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "संकल्प के सम्बन्ध में किसी अन्तिम विनिश्चय के लिये राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट करते समय, लिखित आदेश द्वारा संकल्प को निलम्बित कर सकेगा यदि वह किसी पंचायत या किसी पंचायत समिति का हो" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : आपकी भावना समाहित हो गयी, हरि सिंह जी।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो माननीय प्रभारी मंत्रीजी संशोधन लाये हैं।....

श्री सभापति : यह अपन ने जो किया है उसी के अनुरूप है।

श्री परसराम मदेरणा : अपन ने किया है लेकिन यह मुझे बैड ड्राफ्ट दिखता है। ड्राफ्ट जो है :

"....While making a report to the State Government for a final decision with respect to the resolu-

(श्री परसराम मदेरणा)

tion, by order in writing suspend the resolution if it is that of a Panchayat or a Panchayat Samiti."

श्री समापति : हिन्दी में सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जो खुद बैठे थे, उनके सामने डिस्कशन हुआ था। अंग्रेजी समझ गये वे। मैं यह कह रहा था कि जिला परिषद् का क्या हुआ उसमें? इसका मतलब यह हुआ कि रिजोल्यूशन को सस्पेंड करने के बाद गवर्नमेंट को पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बारे में वह रिपोर्ट करेगा और जिला परिषदों के बारे में? उसमें क्या किया है?

श्री नाथूसिंह : यही है इसका मतलब....

श्री परसराम मदेरणा : उन दो को सस्पेण्ड कर दें, ड्राफ्ट बड़ा ऐसा है....

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब यह है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इनकी जिला परिषद् का जो सी. ई. ओ. है उसके पास जाएगी और वह इसको कर सकेगा। लेकिन, जिला परिषद् की रिपोर्ट पर भी डिस्कशन हुआ था, आपने वह नहीं करके उसके स्थान पर कलक्टर रिपोर्ट करेगा। कलक्टर जिला परिषद वाली को राज्य सरकार को करेगा। आपने यह कहा कि पहले हमने यह व्यवस्था रखी थी कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की इसको सी. ई. ओ. कर सकेगा, आपने कहा, इसकी जगह कलक्टर करिये।

श्री समापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 92 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 92 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 92 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 93-94, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 93-94 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 93 व 94 स्वीकार किये गये।

खण्ड 95, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 95 के उप खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "इस धारा

(श्री नाथूसिंह)

के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 94 के अधीन" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री सभापति : हरि सिंह जी, आपकी भावना समाहित हो गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : 95 की जगह 94 करने का आपका अभिप्राय क्या है ?

श्री नाथूसिंह : आप ओरिजिनल पढ़िये उसमें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो पढ़ा हुआ हूं जब तो मैं आप से पूछ रहा हूं। आप बता दीजिए। What is the explanation ? Why have you inserted clause '94' instead of 95 ?

बिकॉज 95 के अन्दर अमेंडमेंट कर रहे हैं आप।

श्री नाथू सिंह : You go through clause (2).

(2) पढ़िये आप। "If it shall not be possible to reconstitute the Panchayati Raj Institution within the..."

श्री सभापति : मंत्रीजी ने पहले ही आभार व्यक्त कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे फालतू बना रहे हैं ? 94 में रिजोल्यूशन आया हुआ है। यह रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में था तो शायद मेरी समझ में कोई पहले गलती रह गयी है उसको दुरुस्त कर रहे होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है।

श्री सभापति : हां, यही वैसा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप ये फालतू एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो फिर ?

श्री नाथूसिंह : यही बता रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप दो पढ़ रहे हैं, दो का कोई मतलब ही नहीं है अमेंडमेंट आप तीन में लाये हैं, मुझे दो पढ़ा रहे हैं। स्कूल मास्टर बन रहे हैं यहां पर एम. ए. तक पढ़े हुए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 95 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 95 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 95 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 96 से 99 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 96 से 99 स्वीकार

(श्री सभापति)

किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 96 से 99 स्वीकार किये गये।

खण्ड 100 श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर), नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 100 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 100 स्वीकार किया गया। खण्ड 101 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 101 के उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किये गये निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" और उप-खण्ड:

(1) (क) में अभिव्यक्ति "किसी पंचायत सर्किल का भाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई पंचायत सर्किल" प्रतिस्थापित की जाए;

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 101 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 101 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 101 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 102 से 110 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 102 से 110 स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 102 से 110 स्वीकार किये गये।

खण्ड 111 श्री हरिसिंहजी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 111 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 111 स्वीकार किया गया।

खण्ड 112 से 118 कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 112 से 118 स्वीकार किये जाए।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 112 से 118 स्वीकार किये गये।

खण्ड 119 श्री विष्णु मोदीजी। नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 119 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 119 स्वीकार किया गया।

खण्ड 120 श्री विष्णु मोदी। नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 120 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 120 स्वीकार किया गया।

खण्ड 121 प्रभारी मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 121 के उप-खण्ड (6) में, अभिव्यक्ति "ऐसी रीति से चुना जाएगा जो विहित की जाए" के स्थान पर अभिव्यक्ति सम्बन्धित जिला परिषद् का प्रमुख होगा" प्रतिस्थापित की जाए, और—

(21) प्रथम और द्वितीय अनुसूची

अभिव्यक्ति "(धारा 52 देखिये)", चाहे वह प्रथम अनुसूची के नीचे प्रयुक्त हुई हो या द्वितीय अनुसूची के नीचे, के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्ति "(धारा 50 देखिये)" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बीच में क्लॉजेज आते हैं, ये अनुसूची कहां से ले आये।

श्री सभापति : 121 पढ़िये, अनुसूची बाद में आयेगी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 121 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें फुलस्टाप तो दिया ही नहीं आपने, फुलस्टाप नहीं लगाकर आपने और प्रेस्क्राइब को पूरा हटाकर के आगे फुलस्टाप जो अभी अमेंडमेंट किया है, जो प्रमुख ऑफ द जिला परिषद्। इसलिये इसमें या तो आप फुलस्टाप करते। उधर तो आपने लगा दिया और इधर फुलस्टाप ही नहीं। आपकी यह गाड़ी रूक जायेगी, नहीं फुलस्टाप हो जायेगी यहां पर।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 121 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 121 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 122 से 124 कोई संशोधन नहीं।

Page No.110

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि 122 से 124 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 122 से 124 स्वीकार किये गये।

माननीय मंत्रीजी 19 और 25.... (व्यवधान) .... नहीं, पहले नहीं होगी, जो रेफर किये हुये हैं।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं सेक्शन 19 के अन्त में स्पष्टीकरण होगा—

"19 के खण्ड (6) में प्रयोजन के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पत्ती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुये बच्चों की किसी संख्या को एक ही समझा जाएगा।"

श्री परसराम मदेरणा : ट्विन्स पर तो है, ट्विन्स को, आपका अगर पहला ही ट्विन है तो उसको एक समझोगे या दो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो।

श्री परसराम मदेरणा : उसको दो समझोगे और उसके बाद में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और चुनाव के बाद में ट्विन्स हो जाए तो उनको एक मानेंगे। दो दफा चार हो जाए उसको निकाल देंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 19 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 25

श्री नाथूसिंह : ठीक है। एज इट इज रहने दीजिये, ठीक है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 25 स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी प्रथम और द्वितीय अनुसूची।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, प्रथम और द्वितीय अनुसूची—अभिव्यक्ति "(धारा 52 देखिये)", चाहे वह प्रथम अनुसूची के नीचे प्रयुक्त हुई हो या द्वितीय अनुसूची के नीचे, के स्थान पर क्रमश: अभिव्यक्ति "(धारा 50 देखिये)' और "(धारा 51 देखिये)" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह पूछ रहा हूं कि पहले जो रेफरेंस था सो सैक्शन 52, अब यह फर्स्ट शिड्यूल में तो इन्होंने सैक्शन 50 प्रपोज किया है, किया है, अमेंडमेंट प्रपोज किया है और सैकण्ड शिड्यूल में सैक्शन 51 प्रपोज तो यह 52 कहां चला गया है। थर्ड शिड्यूल को आपने प्रपोज ही नहीं किया। आपके जो हैं फक्शंस और डयूटी जो पंचायतों की है और जो पंचायत समिति की है उसमें तो एक में सैक्शन 50 लगा दिया, एक में सैक्शन सी सैक्शन 51........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें आलरेडी है जिसमें आप कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या बात कर रहे हो आलरेडी है। आलरेडी सब्स्टीट्यूट हो गया है तीनों का एक था, तीनों का 50 था वह सब्स्टीट्यूट हो गया।

श्री नाथूसिंह : 52 भी लिया है इसमें 1/50, 51, 52 तीनों लिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : तीनों कहां है ?

श्री सभापति : परीक्षा पूरी हुई।

श्री नाथूसिंह : अमेंटमेंट दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या अमेंडमेंट दिया है, पढ़िये अमेंडमेंट।

श्री नाथूसिंह : अभी बाद में दिया है। अमेंडमेंट में है, अमेंडमेंट दिया है इसमें बाद में।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय आ चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले वाले में नहीं था। हमारे पास तो पहले वाला ही है।

श्री सभापति : बाद में आया है। प्रश्न यह है कि प्रथम और द्वितीय अनुसूची में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि प्रथम और द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

प्रथम और द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में स्वीकार की गयी।

तृतीय अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि तृतीय अनुसूची स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

तृतीय अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1–अधिनियम, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1– अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1–अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित करने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994,

श्री मार्गूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को.... (व्यवधान) बोलना चाहेंगे, बहुत बोल चुके हैं। माननीय सदस्य बोलें। बोलिये, श्री हरिसिंह (कुम्हेर), पहले मैं आपका नाम ले रहा हूं, बोलना चाहते हैं,। ली हरिसिंहजी (महुआ) ....(व्यवधान) साथ-साथ बोल लें।

(15 00)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैंने खण्ड 38 में अपनी तरफ से एक संशोधन की सूचना दी थी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सुनेंगे तब बोलूंगा।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मंत्रीजी को थोड़े ही सुनाना है, आसन की बात है।

Page No.113

श्री महावीर प्रसाद जैन : शासन की मार्फत, शासन की परमिशन होती है।.... (व्यवधान)...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसी एक्ट के खण्ड 38 के सब सैक्शन 4 में एक प्रोविजन यह रखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य हैं या जो चेयर पर्सन हैं उनके निलम्बन के सम्बन्ध में इसमें प्रोविजन रखा गया है और उसमें सब सैक्शन

(15.00)

(श्री रमाकान्त, सभापति, पदासीन।)

4 में यह व्यवस्था रखी गई है कि अगर किसी पंचायती राजस्थान संस्था के किसी भी चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी सक्षम न्यायालय में मोरल टर्पिट्यूड से सम्बन्धित कोई प्रोसीडिंग्स पेडिंग है तो उस व्यक्ति को निलम्बित कर दिया जाएगा।

मैं आपसे निवेदन करूं कि आप ऐसा एक कानूनी प्रावधान रखने जा रहे हैं जिसमें पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भयंकर अन्याय हो जाएगा। सभापति महोदय, जैसा पुलिस का आज चरित्र है वह सब आपकी जानकारी में है और न्यायालयों में जिस प्रकार से मुकद्मों की बाढ़ आ रही है वह भी आपकी जानकारी में है। पुलिस के साथ अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मोरल टर्पिट्यूड का कोई मामला, चालान पेश करवा दिया और सक्षम न्यायलय में जिस प्रकार से आज केसेज का निर्णय हो रहा है वह 8-10 वर्ष तक सामान्य सी बात है, तो 8-10 वर्ष वह व्यक्ति सस्पैंड पड़ा रहेगा और उसके बाद चुनाव हों तो उन चुनावों में वह भागीदार नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, इस प्रोविजन के रखने से जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनके ऊपर सरकार ने बिलकुल नंगी तलवार कच्चे धागे से लटका दी है, इससे बड़ा अन्याय होगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सैक्शन 19 में किसी पंच या सरपंच के रूप में निर्वाचन की अर्हताएं दी गई हैं। इसका जो (6) है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं—

> "(छ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;"

अगर सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा यहां तो यह प्रोविजन कर दिया और जब तक किसी न्यायालय से किसी व्यक्ति को मोरल टर्पिट्यूड के मामले में चाहे चालान पेश हो जाए लेकिन जब तक सिद्धदोष अपराध घोषित नहीं किया जाय न्यायालय द्वारा तब तक उसको निलम्बित नहीं किया जाय।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्री हरिसिंह)

मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वह गम्भीरतापूर्वक इस इश्यू पर सोचें। यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ घोर अन्याय होगा और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूं कि एक तो कहीं भी पूरे एक्ट में मोरल टर्पिट्यूड को परिभाषित नहीं किया गया है, कौनसा केस मोरल टर्पिट्यूड की श्रेणी में लेंगे और कोई भी झूठा-सच्चा केस पुलिस के साथ करके अगर चालान पेश करवा दें तो वह व्यक्ति तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा। इसलिए आसन के माध्यम से मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रोविजन को बिलकुल ही इसमें से डिलीट कर दें।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसी मुद्दे पर मैं भी विचार व्यक्त करना चाहता हूं। खण्ड 38 का सब क्लाज 4 है, माननीय सदस्य ने तो सीमित रखा है, यदि किसी पंचायती संस्था के सदस्य के खिलाफ फौजदारी प्रकरण जिसमें मोरल टर्पिट्यूड का प्रश्न है, तो उसको सरकार सस्पेंड कर सकती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार का कोई मुकदमा या फौजदारी प्रकरण इस सदन के किसी सदस्य के खिलाफ हो, तो उसका निलम्बन नहीं हो सकता है, लोक सभा के सदस्य के खिलाफ हो, तो उसका निलम्बन नहीं हो सकता है, तो आपने इन संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की भावना क्यों रखी जाय? मान्यवर, न्यायिक व्यवस्था जिस प्रकार चलती है वह सब को पता है, मुकदमों का निर्णय होने में काफी समय लग जाता है, नतीजा क्या होता है अगर यदि कोई जन-प्रतिनिधि पुलिस की जान-बूझकर की गयी कार्यवाही की वजह से या अन्यथा कोई कम्प्लेंट उसके खिलाफ कर दे, कोई मुकदमा लम्बित हो गया तो वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी खो देता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जहां अन्य जन-प्रतिनिधियों के निलम्बन की कोई व्यवस्था नहीं है उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों के भी निलम्बन की व्यवस्था नहीं रखी जाए और जो खण्ड 38 (4) है वह पूरा प्रावधान समाप्त करने पर सरकार विचार करे।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, तृतीय वाचन के समय पंचायती राज संस्थाओं--जिला परिषद् और पंचायत समिति का जो बिल आया

(श्री रामनारायण चौधरी)

है उसका इस आधार पर विरोध करता हूं कि इसमें परम्परागत पंचायतों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अभी हाल ही में प्रधान मंत्रीजी ने भी परम्परागत पंचायतों का उदाहरण दिया है और कहा है कि इनको गांवों में मजबूत बनाया जाना चाहिए। गांवों के झगड़े निपटाने में जितनी सक्षम परम्परागत पंचायतें हैं, आज जो राजकीय पंचायतें हैं वह किसी भी विवाद को सलटा नहीं सकती है। विवाद को आगे बढ़ाने में तो सक्षम हो सकती हैं लेकिन गांव में झगड़े मिटा नहीं सकती है। गांवों में परम्परागत पंचायतें हैं, किसी भी गांव में चले जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए तो गांव के किसी आदमी से पूछें कि यह विवाद खड़ा हो गया तो गांव में मुझे किससे सम्पर्क करना चाहिए। गांव का कोई भी बच्चा यह बता देगा कि अमुक आदमी पंच है, अमुक पंच है और राज्य वालों के नाम नहीं लेगा और गांव के परम्परागत पंच हैं उनके नाम लेगा, किसी गांव के अन्दर पांच आदमी हैं, तीन आदमी हैं या एक आदमी है उनके लिए कह देगा कि आप उनके पास चले जायें और वह आपका मामला सलटा देंगे। पंचायत वालों के पास चले जाएंगे तो कहेंगे कि रिपोर्ट लाइए, उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, थाने में भेज देंगे और केस रजिस्टर हो जाएगा।

एक विवाद और बढ़ जाएगा। गांवों के अन्दर झगड़े जब तक परम्परागत तरीके से पंचों के फैसले नहीं होंगे तो गांवों के अन्दर जो आपसी भाईचारा और अपनापन था वह नहीं रहेगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों को आप सस्पैंड करते हैं और वह 5 साल सस्पैण्ड रहते हैं, उनको रिइंस्टेट करते हैं, बहाल हो जाते हैं उनको उनके तमाम बेनेफिट्स, एरियर्स है वह उनको मिलेंगे और प्रमोशन के चान्सेज भी तय हो जाएंगे लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को यदि सरकार सस्पैण्ड कर देगी किसी भी कारण से तो उस पीरियड को कैसे एडजेस्ट करेंगे, 5 साल के लिए चयन किया गया है, 5 साल सस्पैण्ड के अन्दर निकाल देंगे, अदालत के अन्दर केस चल रहा है तब तक केस का डिस्पोजल नहीं होगा वह सस्पैंड पड़े रहेंगे, जनता ने उनको चुना था। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो विधान सभा का मेम्बर है, पार्लियामेंट का मेम्बर है, राज्य सभा का मेम्बर है उसकी टर्म सिक्योर्ड है, उसी तरीके से जनता के जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उनका चयन हुआ है, पंचायत के लिए पंच है, प्रमुख हैं उनको कोई सस्पैण्ड नहीं कर सकता है। उनका जुर्म है तो जांच करवाएं और जांच में पीरियड रख दिया जाए, दोषी पाया जाए तो हटा दिया जाए, सजा दी जाए, लेकिन जनता के प्रतिनिधि जो चुनाव में जीत कर आए हैं लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए अपनी जगह पर आये हैं, उनको सस्पैण्ड करके

(श्री रामनारायण चौधरी)

निकाल देंगे, सस्पेंड पड़े रहेंगे और वह पीरियड 3 साल का है या 5 साल वह खतम हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा, मतलब क्या हुआ ? बहुत हार्टी प्रोविजन है। मैं इस एक्ट का, इस तरह के प्रोविजंस का, मान्यवर, विरोध करता हूं, और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय प्रभारीमंत्रीजो। ...(व्यवधान) माननीय शिवनाथ सिंहजी। कृपया संक्षेप में बोलिए।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद तो देने दो।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। बताइये (व्यवधान)

श्री शिवनाथसिंह : सभापति महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं यह बिल जिस प्रकार से जल्दी में ड्राफ्ट किया गया और जिस प्रकार सदन में जल्दी से पास किया गया, यह तो निश्चित है कि पास होते ही कल इसमें अमेंडमेंट्स आयेंगे बाई आर्डिनेंस आओ, कैसे भी आओ क्योंकि माननीय मंत्रीजी के भी अपने दिमाग में स्पष्ट नहीं है और सरकार के अधिकारी जो इस बिल को ड्राफ्ट करने में लगे हुए हैं, उनके दिमाग में यह स्पष्ट नहीं है, इस बात से संकेत मिलता है कि पहले एक सूची मंत्रीजी ने पेश की, दो की, तीन की, चार की और पांच अमेंडमेंट्स की लिस्ट यहां पेश की और इसका मतलब यह है कि इस बिल के अन्दर सरकार कोई स्पष्ट दिमाग लेकर नहीं चली है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जैसा अभी ग्रामदानी गांवों का जिक्र आया था, उसके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। मंत्रीजी कहते हैं, इसके हम चुनाव करायेंगे, कराओ चुनाव लेकिन जो ग्रामदान का एक्ट बना हुआ है, जो इन्टेक्ट है, आपका आज यह पंचायत एक्ट बन गया इन्टेक्ट है, इन दोनों के बीच में कोई बड़ा कंफ्लिक्ट है कि आर्डिनेंस आपको कल ही लाना पड़ेगा।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि स्वराज्य की कल्पना की गयी है जो कहीं भी नहीं है। हमारी सबसे नीची सीढ़ी ग्रामसभा है। ग्राम सभा का इस में उल्लेख किया गया है लेकिन ग्राम सभा को पावर्स क्या है। आज होना यह चाहिये था कि ग्राम की जो योजना बने, वह ग्राम सभा में बने, इसमें वो प्रावधान नहीं है और ग्राम सभा अपने सुझाव देगी और पंचायत उसको कंसीडर करेगी, बाध्य नहीं है। होना यह चाहिये था इसमें, यदि ग्राम सभा अपने तीन-चौथाई बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर दे, वह पंचायत के ऊपर बाध्य हो, ऐसा इसमें नहीं है, तो इसी प्रकार के दूसरे भी प्रावधान हैं। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था ...

श्री सभापति : पहले निवेदन किया था, उसको दुबारा कहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री शिवनाथसिंह : मैं उसके आगे निवेदन कर रहा हूं। यह जो बिल एक्ट के रूप में बनने जा रहा है, बहुत ही फाल्टी है, गलत है और इसकी भाषा भी सुन्दर नहीं है, संयत नहीं है। आप किसी भी एक लाइन को पढ़ लो, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, तो मेरा एक निवेदन है, बिल को फिर कंसीडर किया जाए या मंत्रीजी इसको ध्यान से देखें और कब इसमें अमेंडमेंट्स लायेंगे बाई आर्डिनेंस और मैं तो यह मानता हूं पास होते ही इसको लाना पड़ेगा। इस प्रकार का गलत बिल पंचायत राज के सम्बन्ध में आज तक पेश नहीं हुआ है। हमारे 1953 के, 1959 के जो एक्ट था, बिल था, वह कानून बड़ा सुन्दर था। उन सब कानून को बिगाड़कर इस प्रकार से इसमें एक पैदा कर दिया, आज जिस प्रकार से व्यवस्था इस बिल में की गयी है। किसी भी चुने हुए सरपंच के घर पर तलाशी लेने के लिये पुलिस जाएगी, मतलब इससे अधिक काला कानून पंचायत राज के लिए नहीं हो सकता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन से चाहूंगा, इस रूप में इस बिल को पास नहीं किया जाए, नहीं किया जाए।

श्री सभापति : माननीय शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला : सभापति महोदय, एक लम्बे समय से राजस्थान की ग्रामीण जनता इस प्रतीक्षा में थी कि ग्रामीण जनता के लिए, उसके सम्पूर्ण विकास के लिए और उसकी बहबूदी के लिए एक बहुत अच्छा पंचायत बिल आ रहा है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता का समुचित विकास उनकी राय से, उनकी मर्जी से, उनके चाहे अनुसार हो पाएगा। यह तो मैं जानता हूं कि माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ग्रामीण क्षेत्र के हैं लेकिन जब यह यह बिल बना है तब इस बिल को शायद वे देख नहीं सके, देखना चाहा नहीं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन इस बिल की आड़ में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो 34 वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं में थी और अति सुन्दर थी। वह राजस्थान, जिसने राजस्थान में ही नहीं पूरे राष्ट्र में पंचायती राज के द्वारा पंचायती राज के माध्यम से लीडरशिप दी, सारे हिन्दुस्तान की अगवानी की और कई प्रान्तों ने, साउथ के भी कई राज्य, उन्होंने भी यहां आकर अध्ययन किया, अनुकरण किया आज उस पंचायत राज व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है और पंचायत राज ढांचे की जो मूल भावना थी, उसको समाप्त किया जा रहा है एक प्रकार से संविधान के 73वें संशोधन के तहत कुछ गाइड-लाइंस आयी हैं या कुछ व्यवस्थाएं आयी हैं पार्लियामेन्ट से, भारत सरकार ने पास की हैं। कहीं तो उसकी आड़ लेकर बहुत सारी चीजें इसमें बदल दी हैं और जहां उन्होंने साफ आदेश दिये हैं, उनकी सम्पूर्ण रूप से अवहेलना की गयी है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा,

(श्री शीशराम श्रोला)

पहले बी. डी. ओ. को बदलने में जब तक प्रधान की राय नहीं ली जाती थी, विकास अधिकारी को नहीं बदला जाता। यही स्थिति जिला परिषद के लिये थी लेकिन आज इस बात को समाप्त कर दिया गया है। न प्रमुख की जरुरत है, न प्रधान की जरूरत है। बी. डी. ओ. को गवर्नमेंट अपने आप बदलेगी, सचिव जिला परिषद को भी गवर्नमेंट अपने आप बदलेगी और इसी प्रकार से फाइनेंस पर कन्ट्रोल होना चाहिए प्रधान का और जिला परिषद का, वह एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। पहले यदि कोई भी गड़बड़ी होती थी तो प्रधान लेखबद्ध कर सकता था, बी. डी. ओ. लेखबद्ध कर सकता था, उस भुगतान को रूकवा देते थे और सम्बन्धित जिला परिषद और पंचायत समिति में उस मसले को रखते थे लेकिन आज उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है सम्पूर्ण रूप से नौकरशाही....(व्यवधान) मिस्टर ग्राम पचायत सुनिये, इसको जरा मजाक में नहीं उड़ायें। यहां औरों ने भी देखा है, आप नये नहीं देख रहे हैं। जरा सुनिये मेहरबानी करके। आज सम्पूर्ण रुप से अफसरशाही को सम्पूर्ण अधिकार दे दिये गये हैं। प्रधान का कोई नियंत्रण पंचायत समिति पर नहीं रखा है, उसके स्टाफ पर रखा नहीं है, फाइनेंस पर रखा नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रधान असहाय महसूस करेगा और इसके माध्यम से अधिकार अधिक मिलने चाहिये। इलेक्टोरल रोल जितनी छोटी बनायी उससे छीना-झपटी हो गयी और छीना-झपटी ही नहीं हो गयी, यह प्रजातंत्र की बहुत बड़ी बदनामी हो गयी। पहले शुरू में इस प्रकार के इलेक्टोरल रोल थे वे बहुत छोटे थे, उसके बाद यह महसूस किया गया, यह बहुत छोटे इलेक्टोरल रोल हैं तो सम्बन्धित पंचायत क्षेत्र के, पंचायत समिति क्षेत्र के सारे सरपंच, वहां का सम्बन्धित एम. एल. ए. को-ग्राप्टेड मेम्बर और पंच, वे सब मिलकर प्रधान को चुनते थे। यही स्थिति जिला परिषद की थी। सारे जिले के सरपंच, सारे जिले के एम. एल. ए, सारे जिले के को-ग्राप्टेड मैम्बर और प्रधान उसके मैम्बर होते थे। एम. पी. और राज्य सभा मेम्बर भी उसके मैम्बर होते थे, वोट डालते थे। आज पंचायत मंत्रीजी ने एक बड़ा तमाशा किया। एक ही प्रकार के दो कानून बना रहे हैं। एक यह बना रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा हो उसमें, वोट दे सकते हैं एम. पी. और एम. एल. ए. लेकिन प्रधान को प्रमुख को चुनने के लिए एम. पी. और एम. एल. का. का वोट नहीं है। इससे अच्छा है, आप बिलकुल अलग रखिये लेकिन आपका सेन्ट्रल एक्ट जहां से विधान में 73वां संशोधन हुआ है, वहां कहीं पर यह व्यवस्था नहीं है कि एम. एल. ए. वोट नहीं डालेगा, एम. पी. वोट नहीं डालेगा। वहां व्यवस्था है कि टेरिटोरियल कांस्टीट्वेंसी जो बनी है, उनमें से जो लोग चुनकर आयेंगे, उनको

Page No.119

(श्री शीशराम ओला)

इनमें से ही प्रमुख और प्रधान बनेंगे लेकिन माननीय पंचायत मंत्रीजी, कल मैं खड़ा होकर उस कांस्टीट्वेंसी माध्यम से आ जाऊंगा तो कहां व्यवस्था है आपके पास में कि मुझे आप नहीं बनने देंगे, कैसे रोकेंगे।

श्री नाथूसिंह : तब दे सकते हो।

श्री शीशराम ओला : नहीं व्यवस्था लाओ। आप इसमें लायेंगे तो हम मान लेंगे। हम विधान के विपरीत नहीं जाना चाहते, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी एम. एल ए. और एम. पी., कोई भी टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसी से यदि चुनकर आ गया और वह प्रधान भी बन गया प्रमुख भी बन गया। यह एक्ट नहीं रोक पायेगा इसी प्रकार से आप यह ..... (व्यवधान) अभी जो एक्ट ला रहे हैं, पास भी करवा रहे हैं कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला गया, तो आप चुनाव नहीं करवा पायेंगे। इतनी खामी इसमें आपने रखी है इसलिए आप हंसो मत, गम्भीरता से लो और इसमें सुधार करो। जैसे और माननीय सदस्य गम्भीरता से ले रहे हैं, उसी गम्भीरता से आप लीजिये, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले भी यह व्यवस्था थी कि एम. एल. ए., एम. पी. और राज्य सभा के मैम्बर का वोट तो होता था लेकिन वे पद ग्रहण नहीं कर सकते थे। प्रधान नहीं बन सकते थे, एम. एल. ए. प्रमुख नहीं बन सकते थे, एम. पी. भी प्रमुख नहीं बन सकता था। तो आप उसी कानून को कायम रखो। एम. एल. ए. न प्रधान बने, न प्रमुख बने लेकिन उसका वोट तो होना चाहिए। आप क्या मजाक उड़ाना चाहते हैं इस पंचायत का ?

राजीव जी का एक स्वप्न था और उन्होंने बहुत व्यापक दृष्टि से बहुत लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद यह सोचा था कि ग्रामीण जनता को उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पंचायत राज के माध्यम से अवसर दिया जाए और जो कानून की खामियां हैं उनको दूर किया जाए। वे चाहते थे प्रधान, सरपंच और प्रमुख का डायरेक्ट चुनाव हो लेकिन यह तो उसके बिलकुल विपरीत हो गया। यह हमारा दुर्भाग्य था कि उस वक्त, जब यह एक्ट आया 1989-90 में तो दो वोट से एक्ट गिर गया था। आज पुनः यह एक्ट आया है उस हम विचार कर रहे हैं लेकिन उस प्रकार का यह एक्ट नहीं है उसमें बड़ा परिवर्तन है और बड़ी कांट-छांट है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकार इस एक्ट में दिये हैं, आप पंचायतों को, जिला परिषदों को, पंचायत समितियों को देना चाहते हैं उसमें तेहतरवें संविधान संशोधन के शिड्यूल 11 के आर्टिकल 243 (जी) में Land improvement, implementation of land reforms, land conversion and soil conservation.

इसमें आपने सोइल कंजर्वेशन की कहीं चर्चा ही नहीं की है। थोड़े-थोड़े में जैसे

(श्री शीशराम ओला)

हम कोई टुकड़े डाल देते हैं या कोई छोटी-छोटी चीज डाल देते हैं। कुछ को ले लिया, कुछ को नहीं लिया और आप कह रहे हैं कि एक्ट में यह प्रोविजन नहीं है, यह एक्ट हमको इजाजत नहीं देता है।

इसी प्रकार से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सम्पूर्ण रूप से पंचायत, जिला परिषद् या पंचायत समिति जिसे भी आप देना चाहें देने का इसमें प्रावधान है लेकिन उसमें आपने लिया क्या है कटीर उद्योग, झोंपड़ी। झोंपड़ी में एक लोटिया जला दिया और यह ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। मंत्रीजी आप गांव से आये हो, गांवों का आपका बेस है, कुछ सोचिए तो सही। आपने कितना इसमें घोटाला किया है, कितनी गड़बड़ी की है। यही आपका डेयरी और एनिमल हसबेंडरी के बारे में है। मैं चाहूंगा कि पंचायत राज के माध्यम से गांवों का सम्पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और वह इस पर नियंत्रण रखे। वही इसकी सारी व्यवस्था को देखें। ड्रिंकिंग वाटर ग्रामीण व्यवस्था के लिए जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतों को देने की इस नये एक्ट में व्यवस्था है लेकिन आप केवल हैण्ड पम्प की मरम्मत या थोड़ी-बहुत मेंटिनेंस का काम दे रहे है। इससे समस्या का समाधान भी नहीं हुआ है और एक्ट की मंशा है वह भी पूरी नहीं हुई।

इसी प्रकार से आप दे रहे हैं एनिमल हसबेंड्री, डेयरी, पोलट्री फार्म्स ये संपूर्ण रूप से पंचायतों को देने की व्यवस्था उस एक्ट में है लेकिन आप क्या दे रहे हैं औषधालय और फार्मिस डेयरी। कोई 4 गाय-भैंसे अपने खेत में रख लेगा उसमें आपका क्या है? आप डेयरी की व्यवस्था जिला परिषद् या पचायत समिति को दीजिए जो इसमें आपको दिशा निर्देश नहीं आदेश दिया कि क्या-क्या होगा पंचायतों के पास जो सेंट्रल एक्ट में, तेहतरवें संविधान संशोधन में साफ-साफ अंकित है और आप उससे पीछे चल रहे हैं। एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि एम. एल. ए. वोट नहीं देगा। यह तो उसमें नहीं है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एम.एल.ए. का वोट नहीं होगा लेकिन आप उसको काट रहे हैं उसका बहाना लेकर।

श्री सभापति : आप कह चुके हैं माननीय सदस्य यह बात।

श्री शीशराम ओला : मैं बहुत कम बोलता हूं मुझे आप कहने दीजिऐ। मैं इरिलेवेंट नहीं बोल रहा हू, बहुत सही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिए, आज सूची बहुत लम्बी है।

श्री शीशराम ओला : मेहरबानी से मुझे कहने दें। जो सेंट्रल एक्ट की मंशा है उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हैं इससे क्या होगा। सेंट्रल एक्ट में जो कहा

(श्री शीशराम ओला)

गया उसको भी नहीं मान रहे हैं । पुराने एक्ट में जो व्यवस्था है उसको भी आप समाप्त करने जा रहे हैं । आपके पास जो 34 वर्ष पुराना राजस्थान का पंचायत एक्ट है वह समाप्त हो जायेगा, यह उसका स्थान ले लेगा और सारी व्यवस्थायें डगमगा जायेंगी । यह मंत्रीजी आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए था और मैं पुन. गभीरता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें सोचें । यदि जरूरत हो तो असेम्बली एक-दो दिन, 10 दिन के बाद फिर बुला लें । यह वोट आपका कायम रहेगा, आपका मन यही रहेगा आप चाहे जैसे पास करायें लेकिन इसका सम्बन्ध उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी है और हमसे भी है । आप सदस्यों के मन को जानिये । माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम भी वोट के हकदार हों लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं । कोई बात नहीं, वे नहीं बोलेंगे लेकिन मैं तो जरूर निवेदन करूंगा । ऐसी स्थिति भी आती है कि वह नहीं बोल पाते हैं । हम भी उधर बैठते थे तो कोई बात होती तो नहीं बोल पाते थे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर पुनविचार करें और इस पर पुर्नविचार करके इसमें वे सब संशोधन करें जो ग्रामीण जनता के हित के हैं । उनको उससे लाभ मिल सकेगा ।

अब आप खाद्य वितरण को लीजिए । खाद्य वितरण में आपने एक बात कही है कि जन-जाग्रति लाओ, गांवों में चेतना लाओ । माननीय मंत्रीजी, गांवों में बड़ी अच्छी चेतना है वे जैसी चेतना मन में कर लेते हैं दो मिनट में अपना फैसला कर लेते हैं । चेतना में वहां कोई कसर नहीं है लेकिन ग्रामीण खाद्य प्रणाली को पंचायत के जरिये गांवों को सौंपने का तेहतरवें संविधान संशोधन में प्रावधान है उसको आपने केवल यह कह कर टाल दिया है कि गांवों की जन-चेतना करो । क्या जन चेतना करें आप बताइये । आप पढ़िये सब तसल्ली से । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभापतिजी की मुझ पर बहुत कृपा है लेकिन उनका आदेश मानना भी जरूरी है । मेरा आपसे निवेदन यह है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एनिमल हसबेंडरी और डेयरी, खाद्य प्रणाली का सम्पूर्ण सिस्टम, ड्रिंकिग वाटर ये सब आप मेहरबानी करके पंचायती राज के माध्यम से सम्पूर्ण सुविधाएं ग्रामों को दें ।

आपने हैल्थ के लिए कहा है, सेनिटेशन के लिये भी कहा है । यहां पर आपने प्राइमरी हैल्थ सेंटर तक देने की बात कही है, हास्पिटल अलग रखे हैं, सारी व्यवस्थाएं अलग रखी हैं । माननीय मंत्रीजी, एक जमाना था जब गांधी जी आजादी की लड़ाई के लिए संघर्षरत थे उस वक्त आज जो बंबई की आबादी है उतनी आबादी पूरे शहरों की राष्ट्र में थी और आज स्थिति यह बन गयी है तीन चौथाई गांवों में रह गयी और एक चौथाई शहरों में आ गयी । लेकिन यही स्थिति हमने गांवों के प्रति रखी, गांवों की उपेक्षा रखी तो नतीजा यह होगा कि एक चौथाई गांवों में रह जायेगी और तीन चौथाई शहरों में आ जायेगी । आप

(श्री शीशराम ओला)

उनके लिए कहां व्यवस्था करेंगे ? जो व्यवस्था शहरों में है वह गांवों में दे नहीं पाते। व्यवस्थाओं से तंग आकर पढ़े-लिखे लोग और जो समझदार हो जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं वे वापस गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। गांवों में न अच्छे हास्पिटल हैं, न अच्छे स्कूल हैं और न बिजली की ठीक व्यवस्था है। उनके बच्चे पढ़ें या नहीं पढ़ें आप उनकी बिजली काट देते हैं और उनका खाना बने या न बने उनकी बिजली काट देते हैं। शहर में आप काटकर देखिये, एक घंटा नहीं काट सकते। उनको पानी मिले या नहीं मिले आप उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। पानी चार-चार दिन नहीं मिले तो परवाह नहीं करो।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं आपसे अन्त में कि आप इसको मेहरबानी करके सम्पूर्ण रूप से देखें और उसके बाद इसको पास कराने का निर्णय लें। न्याय पंचायतें पहले होती थीं, उसके बाद न्याय पंचायतें समाप्त कीं। तो पंचायत में सरपंच और दो मैम्बर, कुल मिलाकर पांच मैम्बर चुने जाते थे और वह फैसले करते थे, 250 रुपये तक के लेन-देन, आपस के झगड़े, रास्ते के झगड़े और दूसरे सब गांवों में सुलट लेते थे, आपने इसमें शायद कहीं जिक्र नहीं किया है और जो उस वक्त के 250 रुपये के अधिकार थे वह आज तो शायद पांच हजार रुपये पर चले गये भावों को देखते हुए, इसलिए सारी सम्पूर्ण प्रणाली, व्यवस्था जो व्यापक रूप से होनी चाहिए वह पंचायती राज सिस्टम के लिये आप लागू करने की एक्ट में व्यवस्था करें ताकि लोगों को इसका सम्पूर्ण लाभ मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का, इस एक्ट का घोर विरोध करते हुए आपसे यह चाहूंगा कि आप इसमें सम्पूर्ण व्यवस्था करें, इसको पुनः देखें, उसके बाद इस बिल को लाया जाए। धन्यवाद, सभापतिजी।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास का सारा आधार पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस पंचायती राज की कल्पना की थी, जो दर्शन उनके सामने था, आज के दिन हम विहंगम दृष्टि डालें तो मैं समझता हूं, 1953 का पंचायती राज अधिनियम, 1959 का पंचायत समिति, जिला परिषद अधिनियम, 41 साल पहले और 35 साल पहले का अधिनियम, इस अधिनियम के पास होने के बाद वह समाप्त हो जाएगा। सभापति महोदय, इन पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए इनमें अधिकार और शक्तियां निहित अधिक से अधिक हों जिसके जरिये ग्रामीण प्रशासन वहीं पर चले और समग्र विकास का सारा कार्यक्रम उनके माध्यम से संपादित हो।

सभापति महोदय, मैं आलोचना की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दृष्टि से भी नहीं कहना चाहता, इसके पीछे क्या भावना है उस बारे में भी नहीं कहना चाहता, पर मैं इतना चाहता हूं कि जो क्रांतिदर्शी कानून राजस्थान में था उसका सारे देश के सब राज्यों ने 1959 के पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम का अनुसरण किया। उस समय पंडित नेहरू नागौर में आये थे, मैं भी उसमें सम्मिलित था, एक अपूर्व उत्साह राजस्थान के जन-जीवन में उस समय देखा गया। मैं उस सरकार के बारे में भी कहना चाहता हूं, मैं इस सरकार के बारे में भी कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार कहने को बहुत कुछ कहती है मगर निश्चित रूप से हृदय से अधिकार देना नहीं चाहती। 1959 के पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट को भी आप देख लें उसके बाद इतने अमेंडमेंट हुए हैं, इतने संशोधन हुए हैं, सारी शक्तियां जो जनतान्त्रिक संस्थाओं के पास होनी चाहिए वह सब केन्द्रित होती चली गयी और विकेन्द्रीकरण की मूल भावना प्रायः समाप्त हो गयी। यह मान कर आपको चलना चाहिये। यह अधिनियम बना, इसके पीछे भावना अच्छी हो सकती है। राजीव गांधी ने काफी चिंतन किया, कई स्टेजेज पर इसके बारे में विचार विमर्श किया और उन्होंने कुछ मुद्दे इसमें सुझाये। उन मुद्दों में मेरे ख्याल से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो वास्तव में आवश्यक नहीं थे मगर संविधान की प्रक्रिया में आपके लिये अनिवार्यता हो गयी, उसके आधार पर आपने इस अधिनियम में प्रयास किया कि संशोधन किए जाएं। मगर उसके साथ-साथ, सभापति महोदय, उसको बहुत विस्तार से देखें तो उसकी आड़ में इसमें बहुत ही अनावश्यक रूप से भी संशोधन कर दिये गये, जो आवश्यक था उसको छोड़ दिया गया, कई अनावश्यक बातें इसमें ले ली गयी।

मैं उदाहरण के तौर पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में छोटे-छोटे मुकद्में हुआ करते थे जिसमें फौजदारी के कुछ अधिकार पचायतों को दिए हुए थे, कुछ सिविल अधिकारी पंचायतों को दिये गये थे, आज के दिन इस अधिनियम में समाप्त हो गये। पिछली सरकार ने भी उसको समाप्त किया, अभी कुछ कहेंगे लोग कि पहले ही किया गया था, पहले वाली सरकार ने गलती कर दी, आपने भी गलती कर दी। इसका असर यह रहा कि आज छोटे-मोटे मामलों में भी न्यायलयों की शरण में जाना पड़ेगा, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न्याय उनको सस्ता सुलभ नहीं होगा जो कि बहुत आवश्यक था।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप एक और अधिकार की बात करते हैं, इसकी धारा 50, 51, 52 जो शिड्यूल आपने दिये हैं वह शिड्यूल देने में भी आपने पिछले शिड्यूल के मुकाबले, कुछ जो भारत के संविधान में संशोधन करके जो बातें इसमें अंकित की गयी थी, उनको भी आपने बहुत ही, यह समझ लें कि कोताही बरती है और उन सारी बातों

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में बहुत कंजूसी बरती है, इस ढंग से उनको शिड्यूल में दिया और देने के बाद, सभापति महोदय, उसमें भी आपने इतनी सख्तियां रखी है कि सरकार निर्दिष्ट करके समय-समय पर उनमें अधिकार देगी और जब चाहे तब कुछ करती रहेगी, । तो हथियार सारा सशक्त आपने रखा है कि पचायती राज पर इतना भयंकर प्रहार किया है कि वह कराह उठा है, इस बात को आपको मानना चाहिये और आत्मा इसकी निकल गयी क्रांतिदर्शी जो कानून था पंचायत का । दो मिनट और कह रहा हूं श्रीमन्, मैं इसके साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को ठीक मानता हूं कि आज की जो व्यवस्था है, सरपंच के लिये हमने इस कानून में संशोधन किया है, अब हिन्दी पढ़ना-लिखना भी आवश्यक नहीं है इसलिए कागज, व्यवस्था, रेकार्ड उसका सारा जिम्मा सचिव का रखा, इसके लिये तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि छोटे-छोटे मामले में रोज उलझनें पड़ती थीं, बिना पढ़े-लिखे सरपंच काम क्या कर पाते, दिक्कतें आ जाती थीं, यह तो काम आपने अच्छा किया । मगर इसके साथ-साथ धारा 38 को आपने इतना सशक्त कर दिया कि इसमें चारों ओर से तलवार लटकी रहेगी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो भावना थी वह इस धारा के जरिये आपने समाप्त कर दी ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज छोटा सा कोई मामला, कोई भी झूठा-सच्चा न्यायालय में दाखिल किया और आपके पास हथियार आ गया उसको निलंबित कर दो और निलम्बन के बाद कोई अवधि, दो वर्ष में मुकदमे का फैसला होगा, पांच वर्ष में होगा, तब तक उस निलम्बन में वह सरपंच जिसको जनता ने चुना, जिस प्रधान को चुना, जिस प्रमुख को चुना, वह सब के सब बेकार एक तरह से सड़क पर आ जायेंगे, यह डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हत्या करने का आज इस सरकार पर आरोप लगता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक ढांचा खड़ा किया, टांग लाये गुजरात से, सर ले आये महाराष्ट्र से, और कहां-कहां से लाये, लाने के बाद आत्मा कहां से रखी इसमें, आज आत्मा रखने का काम आपने अच्छे ढ़ंग से किया नहीं, इसलिए पचायती राज का ढांचा, जिसका आप जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं कि सब समन्वय करके तीनों संस्थाओं का हमने एक कानून बना दिया, इस कानून में है क्या, इसमें अनेक ऐसी बातें छोड़ दी गयी और आप कहते हैं कि हम सब नियमों में लायेंगे । आप नियमों में कितना लायेगें, क्या ला पायेगें, मूल कानून के अन्तर्गत नियम बनते हैं । आपके नीति सम्बन्धी मामले इसमें बहुत सारे आ सकते थे, वह नहीं आये । आपने एक्ट के साथ नियम बनाने की बातें बहुत कही, मैं समझता हूं वह नियम पहले के आप देख लें, बार बार नियम बनते-बनते बहुत बड़ा पौधा बन गया और उस तरह नियमों के आधार पर आज इसको छोटा बनाकर आपने सब नियमों को एक तरह से समाप्त कर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज का जो अधिनियम अन्य राज्यों में बना, उसके मुकाबले में सशक्त, क्रांतिदर्शी नहीं है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपने बहुत प्रयत्न किया, जल्दबाजी में इसको लाये, अधिकारियों ने भी काफी इसमें सक्रियता से प्रयत्न किया और सब लोगों ने किया, मगर इस विधान सभा में इस कानून पर विस्तार से जितना विचार करने की आवश्यकता थी, पहले भी जो कानून बने पंचायत समिति एक्ट, जिला परिषद एक्ट, प्रवर समितियों को गये, इसमें कई बड़े-बड़े दिग्गज उस समय के विधायकों ने महीनों तक काफी विचार-विमर्श किया और एक शानदार व ऐतिहासिक कानून आपको पंचायती राज के दिये जिसकी सारे देश ने सराहना की, आज उसके मुकाबले पंचायती राज कानून लंगड़ा, लूला और अधूरा है, मेरा यह मानना है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं भी डिस्कशन में इसमें काफी शामिल रहा, मैंने भी इसमें काफी सुझाव दिये, मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, हम लोगों ने जो सुझाव दिये उनमें से आपने माने भी हैं पर कई मामलों में आपने बिलकुल इस निर्ममता का रुख अख्तियार किया और अच्छे सुझावों को न मानकर पंचायती राज की भावना के प्रति आपने न्याय नहीं किया और जो संविधान की भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज का ढांचा राजस्थान की चार करोड़ जनता अपेक्षा कर रही थी उस ढांचे को देने में बहुत कमी रह गयी। इसलिए मेरा अभी भी आपसे आग्रह है कि अभी आप महीने भर में और बुला सकते है, डेढ़ महीने में बुला सकते हैं विधान सभा में वापस इसको देखा जाए और देखने के बाद इस पंचायती राज का एक सच्चा स्वरूप दिया जाना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी के साथ भी हम बैठे हैं, उनकी भी भावना बातचीत से मुझे अच्छी लगी, परन्तु उनके पास में इतना समय नहीं कि इन सब बातों को देख सकें और पंचायती राज मंत्री....

श्री सभापति : बात समाप्त कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : एल. एल. एम. कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं पर पंचायत समितियों के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण स्थितियों को उनके काम काज के तौर तरीकों को समझने का उनको अवसर नहीं मिला है इसलिए जल्दबाजी में जो कानून बन गया वह आपके सामने ले आये इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कानून को जो राजस्थान की चार करोड़ जनता के भाग्य से जुड़ा हुआ कानून है उसको सही परिप्रेक्ष्य में सही ढंग से निर्मित करके राजस्थान में पंचायत राज के ढांचे को ऐसा बनाया जाए जिसके माध्यम से समग्र विकास हो सके, गरीबों को न्याय मिल सके, यही मैं चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा-राम।

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने अभी घोषणा की थी कि जो ग्रामदानी के ग्राम हैं, उन ग्रामों का पुनर्सीमांकन कराने के सम्बन्ध में 50 से ज्यादा जोधपुर हाइकोर्ट के अन्दर रिट पड़ी हुई हैं, उन गांवों का आप पुनर्सीमांकन करायेंगे या नहीं करायेंगे ? जो रिट पेश की गयी हैं, उनके महत्वपूर्ण आधार है और उन आधारों पर ही उन्होंने रिट पेश की है। आज 12 किलोमीटर आपकी एक पंचायत दूसरे गांव से दूर है, बड़ा गांव है पास के गांव वालों को आपने दूसरी जगह जोड़ दिया है, वहां से पहले उस गांव आता है और उसके बाद में आगे गांव आता है, तो इस प्रकार से जो गांव हैं, इस प्रकार को जो पंचायतें हैं और जिनकी रिट्स हैं, जोधपुर हाइकोर्ट में 50 से ज्यादा जिन गांव वालों ने हाइकोर्ट का वकील किया है, पैसे दिये हैं, हाइकोर्ट के वकील पांच-पांच, दस-दस हजार लेकर के वह रिट पेश करते हैं तो खास कारण है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि हमारे गांवों का, हमारी पंचायतों का पुनर्सीमांकन होना चाहिये। अभी आपने जो घोषणा की थी, ग्राम दान वाले ग्रामों के लिए उन पंचायतों का पुनर्सीमांकन करायेंगे तो ठीक उसी प्रकार मेरा आपके माध्यम से नम्र निवेदन है, कि आज ही आप इस प्रकार के जो विचाराधीन मामले हाइकोर्ट के अन्दर हैं, जन-भावनाओं को देखते हुए, आज जिन-जिन गांवों के जो हैं, 50 से अधिक जो रिट हाइकोर्ट, जोधपुर में पेंडिंग हैं और यहां भी होंगी, तो वहां की जनता आपसे आशा रखती है, उनकी आशाओं पर आप जरूर ध्यान देंगे और आज ही यह घोषणा करेंगे ...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री अमरराम चौधरी : कि जो वास्तव में दूर है और वाकई में रेगिस्तान क्षेत्र के अन्दर, जहां पानी की सुविधा नहीं है, जहां और भी कोई अन्य सुविधाएं होनी चाहिए उसको देखते हुए आप पंचायतों का पुनर्सीमांकन कराने का आदेश फरमायेंगे। धन्यवाद, सभापतिजी।

श्री सभापति : माननीय विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, हम पंचायती राज बिल के तीसरे चरण, में विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं तो, चूंकि हाउस का मूड नहीं है, आदरणीय श्रीमती ताराजी....

श्रीमती कमला : रखो भाई थोड़ा सा मूड रखो, अभी हमें भी बोलना है।

श्री विष्णु मोदी : थोड़ा सा जो मुझे निवेदन करना है कि 2 अक्टूबर, 1959 को जो पंचायती राज की नींव हिन्दुस्तान में सबसे पहले राजस्थान से रखी गयी, वह क्रांतिकारी कदम, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो परिकल्पना की इस देश के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और वह अपने आप एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, वह मूल भावना, क्योंकि अगर हम पिछली

(श्री विष्णु मोदी)

बातों को देखें कि पंचायती राज क्यों नहीं सफल हो पाया, उसके मूल में जाए....

श्री रोहिताश्व : बस बैठ जाग्रो, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : संविधान के अन्दर उसको कोई संरक्षण नहीं था, समय पर चुनाव नहीं होते थे, कई पंचायतों में आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। यह कुछ मूल कारण थे, जिससे हमारी पंचायती राज-व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पायी। इस 73वें अमेंडमेंट से पंचायतों को संविधान का संरक्षण मिला है, जवाहर रोजगार योजना के रूप में उनको आर्थिक मदद मिल रही है। भारत सरकार का काफी पैसा हिन्दुस्तान में ग्रामीण रोजगार के लिए और इस पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर साल इसमें देती है और दूसरी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पहले राज्य सरकार जो अनुदान देती थी, उससे वहां के चपरासी का पेमेंट तक नहीं हो पाता था। मैं इस थर्ड रीडिंग के वक्त मे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भूलें हम से हुई हैं, जो विकेन्द्रीकरण हम नहीं कर पाये, माननीय सभापति महोदय, 62 जगह अभी भी इस बिल में, जिसको हम पास करने जा रहे हैं, इसमें 62 जगह राज्य सरकार ने कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखा है। मैं यह नही कहता कि सरकार अपने पास अधिकार नहीं रखे, लेकिन मूल भावना डेलिगेशन ऑफ पावर नहीं है, डि-सेंटरलाइजेशन ऑफ पावर है, आप कम से कम इसके रास्ते में आइये। आप इनको सैल्फ गवर्नमेंट की जो एक मूल भावना रही है, संविधान के अनुरूप अपने आपको ढालिए। माननीय सभापति महोदय, अगर हम इससे छेड़छाड़ करेंगे और हमारी नीयत साफ नहीं होगी, कानून बनाने की....

श्री रोहिताश्व : छेड़छाड़ ?

श्री विष्णु मोदी : छेड़छाड़ का मतलब, वैसे मंत्रीजी सक्षम हैं, जवान हैं, छेड़छाड़ तो करने के पुराने आदी भी रहे हैं....

श्री रोहिताश्व : शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करो। मंत्राणीजी भी सुन रही हैं यह बात।

श्री विष्णु मोदी : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और अध्यक्षजी कोई इस बात का रास्ता निकालें क्योंकि आप जब कानून बनायेंगे, आज सत्र का आखरी दिन है, सत्रावसान होने वाला है, चुनाव अक्टूबर में आपको कराने होंगे, तो यह सदन, जो आप कानून बनाने जा रहे हैं, किसी रूप में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी जल्दी बन जाए, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में जिस तरह से कानून आते हैं, वह टेबल होते हैं और टेबल होने के बाद में कमेटी में जाते हैं, तो कोई इस तरह को एक व्यवस्था की जाए कि जितने यह कानून

(श्री विष्णु मोदी)

बनने वाले हैं, जो आपने 60, 62 जगह कानून बनाने का प्रावधान रखा है, उसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और अध्यक्षजी कोई इस तरह की व्यवस्था कराये कि जितने कानून बनाने वाले।

(1549)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

है सरकार वह सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के पास पहले आ जाएं तो मैं समझता हूं कि इस बिल के साथ न्याय करेंगे और नहीं तो लालफिताशाही, अफसरशाही, सेंट्रलाइजेशन और जिस तरह पूर्व में होती रही, वह फिर आगे होती रहेगी, इतनी सी बात मैं आपके माध्यम से कहते हुए कि किसी भी तरह इस सदन के लोगों को, वह रूल बने और अगर रूल बनने के तुरन्त बाद में चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद, पांच-सात, दस दिन के लिए आप सेशन बुलायेंगे, उस वक्त यह आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो सिट्रीक्टली तो व्यवस्था नहीं है कि सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के अन्दर वह रूल्स आ जाएंगे लेकिन इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि सर्वांगीण विकास हो सके, संविधान संशोधन की मूल भावना का पालन हो सके, वह तब ही हो सकेगी कि यह जो कानून आप बना करके लाये हैं, इसमें आपने सारे पावर्स अभी अपने हाथ में रख ली है, उनको आपने छोड़ा नहीं है, तो एक तो पावर छोड़ें और जो रूल्स बनने वाले हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए कि सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में आये और वह उसमें डिस्कस हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को मुझे निवेदन करना था, एक निवेदन मुझे यह करना था कि आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत से माननीय सदस्यों को जो सेशन में बहुत कम बोले हैं, या अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मामले नहीं उठा पाये हैं उनके लिए बहुत सा समय आज निर्धारित किया है, अगर इस चर्चा को अपन संक्षिप्त कर सकें तो उन माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा, तो दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री भरत सिंहजी

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, बहुत मेहनत के बाद पंचायत मंत्रीजी ने बिल तैयार किया है और सदन के समक्ष पेश किया है। मेरी मान्यता यह है कि किसी भी बिल की कसौटी सदन नहीं होता, उसकी कसौटी वह होती है जिससे लोग उससे प्रभावित होते हैं। राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण इलाके में रहती है और पंचायत बिल से ग्रामीण इलाके की जनता प्रभावित होगी। जिस बिल को हम मेजें ठोक-ठोक करके, हां-हां करके पास कर रहे हैं जब उसकी जानकारी लोगों को मिलेगी तो वह दुखी होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा एवं सदन के सभी सदस्यों से, खास तौर से जो सत्ता

(श्री भरतसिंह)

पक्ष के सदस्य हैं इस बिल में व्यापक कमियां हैं और इसका प्रमाण इसी बात से लगता है कि चार दिन में तीन बार तो माननीय मंत्रीजी ने खुद ने ही संशोधन बार-बार, एक के बाद एक उनको पेश किया है। जल्दबाजी में इसको नहीं रखें वापस उसके ऊपर विचार करें, जो सुझाव लोगों के आये हैं और उसके बाद लोगों की भावना समझने की कोशिश करें नहीं तो इस बिल के लागू होने से लोगों की आवाज, जो गांव के या पंचायत के माध्यम से पचायत समिति तक जाती थी वह कमजोर रहेगी और लोगों की परेशानी देहात क्षेत्र में बढ़ेगी। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, बहुत संक्षिप्त में इसका सार है कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्पष्टतया इंगित नहीं किया गया है बल्कि उनको रूल्स के माध्यम से छोड़ दिया गया है और रूल्स बनाने में गवर्नमेंट पूरा आर्बिट्रेरी रहेगी ज्यूडिशियली और मैरिट बेसिस पर नहीं करेगी जिसकी वजह से वह अपनी स्वेच्छाचारी भावनाओं को लाद देगी जो कि कांसीक्वेंशल इम्पैक्ट रूप में बहुत ही नकारात्मक पक्ष रखेगी जबकि ऐसी भावना सोची गयी थी कि यह जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया है इसका मूल उद्देश्य यही था कि अधिकतम ग्रामीण लोगों की पचायतों की धारा में अधिक तौर पर भागीदारी बन पाएगी।

इसके अलावा यह भी भावना रखी गयी थी कि इसके लिए अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था की जायेगी वह भी इसमें निहित नहीं है। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा वह यह कि इसके प्रियम्बल में यह भी रखा गया था कि कृषि भूमि का सुधार, पशुपालन, ग्रामीण और घरेलू उद्योग, पीने का पानी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य, सफाई परिवार कल्याण आदि विषय पंचायत की जिम्मेदारी के होंगे और वह वहां की एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी। हर ग्रामीण को वापस पचायत समिति के हैड क्वार्टर पर या किसी बड़े कस्बे में या किसी उप खण्ड में नहीं जाना होगा ऐसा कुछ भी दूर दराज तक लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता है इसको पूरा देखने के बाद।

इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि इसकी यह मूल भावना थी कि पंचायतों का सहयोग लेकर जो यह राहत कार्यक्रम लाखों करोड़ों रुपयों के ग्रामीण विकास के लिये चलते हैं इसमें अधिकतम भागीदारी पंचायतों के माध्यम से अपनायी जाएगी लेकिन ऐसा कोई प्रावधान दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। साथ ही इस तरह की स्वेच्छाचारिता और बरती गयी है, जैसा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अभी विष्णु मोदी साहब ने बताया कि 52 से भी ज्यादा जगह हैं इसमें आर्बिट्रेरी ताकतों को रखा गया है जो कि बाद में रूल्स के अनुरूप इफेक्टिव होंगी, एनफोर्सेबिल होंगी और बहुत दुखदायी होंगी। यदि बहुत जल्दी ही इसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो राजस्थान की जनता को वह संविधान में मूल उद्देश्य और इसकी प्रस्तावना में जो मौलिकता है उसको नष्ट माना जाएगा और यह जो ऐक्ट है, वह बेडली ड्राफ्टेड है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले तो देश की संसद को और हमारी राजस्थान की विधानसभा का आभार प्रदर्शित करूंगी कि उन्होंने बहनों के लिए तीस प्रतिशत इसमें रिजर्वेशन रखा है। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी की जो देश की पचास प्रतिशत महिलाएं हैं यह भावना और इच्छा थी कि उनका योगदान उनकी भागीदारी देश के कानून में, देश के शासन में होनी चाहिए और इसी भावना को मद्दे नजर रखकर के उन्होंने तीस प्रतिशत यहां पर किया था। हालांकि मुझे इस बात का जरूर दुःख है कि जिस भावना और जिस मेहनत से राजीव जी ने इस एक्ट को बनाया था, विचार विमर्श के बाद वह चाहते थे कि जिन ग्रामीण भाइयों के लिए यह योजना बनायें, उनकी क्रियान्विती और योजना बनाने में पूरी भागीदारी होनी चाहिए वह भावना इस एक्ट में प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर मंत्री महोदय इसको दुबारा से थोड़ा विचार करें कि भावना और योजनाएं बनाने का जो काम है वह पंचायत स्तर पर किया जाए, जिन ग्रामीणों के लिए योजना बनाई जा रही है, इसका उचित असर हो सकेगा। मुझे इस एक्ट के बारे में एक-दो बातें और बतानी हैं। एक तो यह कि दस के अन्तर्गत हैं, कोई भी पंचायत समिति, पंचायत समिति के अपवर्जित प्रभाव के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी", इसके बारे में मेरा निवेदन है कि अभी तक हमेशा यह कहा गया है कि तहसील हैड क्वार्टर पर पंचायत समिति का और कलक्टर जहां बैठते हैं वहां पर जिला परिषद् का कार्यालय होता है। इसलिए जो इसमें दिया गया है अगर किसी भी राजनैतिक दृष्टिकोण से वहां से पंचायत समिति का हैडक्वार्टर हटा देंगे तो उससे वहां के ग्रामीणों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी क्योंकि तहसील में जो काम करने आते हैं या कलक्टर के यहां भी आते हैं वह जिला परिषद् में भी साथ में अपना काम करते हैं इसलिए इसमें यह स्पेसिफिक वर्णन होना चाहिए कि हैड क्वार्टर तहसील हैडक्वार्टर पर ही होगा और जिलाधीश के कार्यालय जहां होंगे वहां पर ही जिला परिषद् का कार्यालय होगा।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि 78 में पंचायत के लिए एक सचिव होगा और समूह के लिए होगा। मेरा कहना यह है कि समूह के लिए सचिव न करके एक पंचायत को एक सचिव करें, क्योंकि जब दो-तीन के लिए कर देते हैं तो वह सचिव कहां रहता है, क्या करता है कुछ पता नहीं होता है और उसको कहीं तलाश नहीं किया जा सकता है, कोई काम नहीं होता है और गांव वाले परेशान होते हैं इसलिए इसमें एक पंचायत के लिए एक सचिव होना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक, नहीं बोलेंगे। श्री रामस्वरूप मीणा। दो मिनट में संक्षेप में कहेंगे।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : मैं तो कहता ही संक्षेप में हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय ने जो कुछ आज इतने संशोधन पेश किये हैं बड़े दुःख की बात है कि उनके बारे में शायद पूरा सदन भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है तो आम जनता तो क्या समझेगी। इसके बारे में और आपने कहा संक्षेप में कहो तो मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं लेकिन आम जनता को यह तो समझना पड़ेगा, जो संशोधन हुए हैं पंचायत राज विधेयक में उनको कम से कम जनता तक तो हम पहुंचाएं। उन पर चर्चा होगी तो जनता तक उसकी आवाज पहुंचेगी कि क्या-क्या संशोधन हुए हैं, क्या-क्या उनको अधिकार दिये गये हैं, किस प्रकार से दुबारा से निर्वाचन होगा।

श्री सभापति : यह चर्चा थर्ड स्टेज पर हो रही है विचारार्थ पर नहीं हो रही है।

श्री रामस्वरूप : उसी पर मैं निवेदन कर रहा हूं। अब जो कुछ इसके अन्दर किया गया है सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें अलग-अलग स्टेज की गयी है, किसी को किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। पहले जो हमारे सरपंच होते थे वह पंचायत समिति के होते थे, उनका वोट होता था और जिम्मेदारी होती थी। कोई जनता की बात वहां तक पहुंचा दे तो उसको किया जाता था आज उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, वह अलग हो गयी पंचायत समिति के अन्दर। तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो व्यवस्था की गयी है वास्तव में यह व्यवस्था सही नही है। जब तक नीचे का आदमी, जनता का प्रतिनिधि ऊपर के आदमी से नहीं जुड़ा रहेगा तब तक उसका कोई महत्व किसी प्रकार का नहीं होता इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो कमी रह गयी है, इस एक्ट के अन्दर वह यही रह गयी है कि सब लोगों को अलग-अलग कर दिया गया है, किसी को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। इसी का

(श्री रामस्वरूप)

परिणाम है कि आज जनता असमंजस में है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इसके माध्यम से पहले जो अधिकार दिये गये थे पंचायतों को वह अधिकार भी अब उनके इतने नहीं रहे हैं। पहले पंचायतों का यह होता था कोई भी बजट जो आता था वह सीधा पंचायत समिति में आता था, पंचायत समिति के बाद वहां पर सरपंच बैठते थे, एक स्थाई समिति होती था उनकी, उसके अन्दर वह पास होता था, उसके अन्दर उनके कार्य पास होते थे। अब पता नहीं वह बजट सीधा वहां आएगा या नीचे जाएगा या कौनसे आदमी, किसके प्रति क्या होगा। यह सचिव आज जो घोटाले कर रहे हैं यह तो उस समय और भी ज्यादा घोटाले करेंगे, और घोटाले बढ़ेंगे और भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा माननीय मंत्री महोदय, आप बड़े मुस्करा रहे हैं पता चलेगा जब आप अपने क्षेत्र में जाओगे संशोधन के बाद में....

(16.00)

जनता आपसे पूछेगी इस बात के लिये हमने आपको बिठाया था यह काला कानून हमारे ऊपर लाद दिया आपने। हम जिसको समझ ही नहीं रहे हैं, आप इसमें संशोधन करवायें, माननीय मंत्री महोदय जनता के पास इसको भेजना चाहिये था, उस पर चर्चा होनी चाहिये थी तब यह बात होनी चाहिये थी। आपने ऐसे कानून को जिसके बारे में आप और हम ही नहीं समझते हैं पूरा, उसको आम जनता क्या समझेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये, मंत्रीजी आप इतनी जल्दबाजी करके इसको तुरत फुरत पास करवा रहे हैं चर्चा भी आप नहीं करवा सके इसके ऊपर, न जनता की राय ले सके किसी प्रकार की। पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्या हो रही थी। चुनाव तो इनके भाग्य में ही नहीं है। पंचायतों के चुनाव तो न पहले कभी कराये न ये करायेंगे, उससे पहले तो हमारी सरकार आ जाएगी। इसलिये पंचायतों के चुनाव तो कांग्रेस ही करायेगी, इनके भाग्य में नहीं है। सभापति महोदय, यह तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं, इस बात के ऊपर तो आपकी भी सहमति है। क्योंकि पहले भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाये न अब करवायेंगे, न उनकी स्थिति है चुनाव करवाने की। यह तो ठीक है हमारी सरकार आज दिल्ली में बैठी है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने यह कानून चेंज किया, सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार का कानून लागू किया ताकि पंचायतों के चुनाव टाइम पर हो जाऐंगे। अगर इस प्रकार का संशोधन नहीं लाते तो चुनाव कभी भी नहीं हो सकते थे। न पांच साल न दस साल में न 15 साल में वह तो ठीक है हमारी सरकार ने नहीं करवाये लेकिन हमारी सरकार ने इन सचिवों को नहीं बैठाया था, कांग्रेस ने कभी भंग नहीं की थी आपने तो बिलकुल प्रजातन्त्र को ही खतम कर दिया।

(श्री रामस्वरूप)

आप प्रजातंत्र की दुहाई देने वालों ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया। नीचे की संस्था, जनता की आवाज उस तक पहुंचती थी उसको आपने नष्ट कर दिया और वही आप अब नष्ट करने का चाहते हैं। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके बारे में पुनर्विचार करें और इसको पास करने से पहले कम से कम इसके बारे मे चर्चा करवायी जाए। यही मेरा निवेदन है, आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जो संशोधन पारित करवाये हैं उनके अन्दर जिला परिषद् को जो अधिकार है वह पहले से ज्यादा होने चाहिये थे ताकि नीचे के लेवल पर जितना भी गांवों का काम है, ग्रामों का सारा विकास का काम जिला परिषदों के अन्दर होता है वहीं बजट पास होते है और वही सारा इन्तजाम होता है और कलक्टर जिला परिषद् का सेक्रेटरी होता है। ऐसी चर्चा एक बार पूर्व में भी चली थी। ऐसा लग रहा था....

श्री सभापति : अब बजट पास कहां होगा ?

श्री राधेश्याम : पावर जो दिये हैं वह बहुत कम दिये हैं। उससे ज्यादा मिलने चाहिये थे ताकि नीचे काम सुचारू रूप से चल सके, यह मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदय, जिस तेजी से यहां पंचायत एक्ट पास किया गया उतनी आवश्यकता नहीं थी। चर्चा काफी विस्तृत रूप से होनी चाहिये थी। संविधान का संशोधन मध्य-प्रदेश कि विधान सभा ने भी पास किया है और उन्होने पास तब किया जबकि उनका पहला अधिवेशन चालू हुआ और अधिवेशन चालू होने के कम से कम पांच-छः रोज तक उन्होंने लगातार जनता के विचार भी मांगे, जन-प्रतिनिधियों के विचार भी मांगे और विस्तार रूप से सदन में चर्चा की लेकिन टालते-टालते आज आखिरी दिन इसको यहां पर रखा गया ताकि धड़ाके से इसको पास कर दिया जाए। इसका मुख्य कारण मेरे दिमाग मे जो आया है वह यह है कि जो संविधान संशोधन की मंशा थी और जो पुराना पंचायत एक्ट यहां पर बना हुआ था वह पूरा परिपक्व बिलकुल जिसे कहते हैं कि शानदार एक्ट था लेकिन उसकी जितनी अच्छाइयां थी उनको राजनैतिक रूप से तोड़-मरोड़ करके संविधान के संशोधनों की आड़ लेकर इसमें सारा का सारा चेंज किया गया है। टेरिटोरियल कांस्टीट्यूंसीज बनाने की जिम्मेदारी किस पर होगी, सरकार पर होगी। सरकार पर होगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर होगी जिन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन में पंचायतों का कबाड़ा किया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आगे क्या उम्मीद की जा सकती है इस सरकार से और इस सरकार के नुमाइन्दों से कि वह इस टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज की रचना करते वक्त इनका गठन करते वक्त, राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे । चाहिये यह था कांस्टीट्यूशनल अमैंडमैंट में साफ लिखा हुआ है कि स्टेट इलैक्शन कमीशन बनेगा आपकी अगर नीयत साफ है तो आप स्टेट इलैक्शन कमीशन का जो भी बने वह रिटायर हाईकोर्ट का जज बनाइये फिर टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज कमिश्नर को बनाइये । अपनी नीयत यह है कि इस तरह की टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज बना दी जाए, तीन पंचायतों को मिला कर एक टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज बना दी जाए अगर उन पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो, तो फट से आपका आदमी जीतकर आ जाएगा । यह नीयत जो आपकी है, आपको जनता बख्शेगी नहीं । आपकी इस सरकार की की हुई बेईमानी को, इस एक्ट के तहत जो बेईमानी आपने की है, जो आपने गलत इरादे से इस एक्ट को ड्राफ्ट किया है उसके लिये फिर आपको पंचायत चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं अब भी वक्त है कि चेत जाओ और अपनी नीयत साफ रख लो अगर पंचायतों में कुछ थोड़े-बहुत नुमाइन्दे अपने जिताना चाहते हो, तो इलैक्शन कमीशन के कमिश्नर को जिस तरीके से लोक सभा में....

श्री सभापति : आप उनको सावधान क्यों कर रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं चेता रहा हूं, मैं राजनैतिक वर्चस्व बना रहे इसलिये चेता रहा हूं इनको ।

श्री किशनाराम नाई : 18 पंचायतें आज बनी हैं जो आगे के लिये कर रहे हैं, 18 पंचायते बनी हैं । जो आपके राज की बनायी हुई पंचायतें हैं... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरपंच और पंच मिल करके प्रधान चुनते थे । पांच इलैक्शंस यहां पर हो चुके 1959 से लेकर अब तक ग्राम पंचायतों के और हर बार उसके रिज़ल्ट्स आपने देखे 26 की 26 जिला परिषदों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और 80 प्रतिशत के अबव पंचायत समितियों पर कांग्रेस का कब्जा रहा और हजारों की तादाद में सरपंच कांग्रेस के जीतते रहे लेकिन बड़े दिमाग से एक षडयंत्र करके यह प्लान बनाया कि इसको किस तरीके से तोड़ा जाए अब आपने क्या व्यवस्था कर दी, प्रधान को कौन चुनेगा 15 आदमी, कहां प्रधान को चुनते थे दो सौ आदमी, कहां जिला प्रमुख को चुनते थे तीन सौ आदमी, ढाई सौ आदमी अब कितने चुनेंगे 30 आदमी । यह सब कुछ आपने क्यों किया । यह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

संविधान की मंशा नहीं थी, संविधान के संशोधन में यह कहीं पर भी नहीं लिखा था। गलती तो उन्होंने ही कर दी राज्य सरकार के हाथ में चाबुक दे दो अगर यह टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज की, सभापति महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज के गठन में जिस तरीके से पंचायतों के पुनर्गठन में आपने साफ-साफ राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाते हुये बेइमानी की है। अगर यही किया आपने तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। आपकी पार्टी के लिये भी अच्छे नहीं होंगे, जन-मानस के लिये भी अच्छे नहीं होंगे और स्वच्छ राजनीति के लिये भी अच्छे नहीं होंगे। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी। आप बोलेंगे।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय मैं समय के हिसाब से बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगी। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूं कि देश में पंचायत एक्ट और पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट जो राजस्थान में पहले पहल बना था और उसके तहत जितना बढ़िया पंचायत राज का स्वरूप, उनकी शक्तियां, उनकी कार्य प्रणाली और उनको स्वायत्तता दी हुई थी उससे ज्यादा देश के किसी भी राज्य में पंचायत राज का स्वरूप नहीं था। हम अग्रणी थे दिशा दिखाने में भी और उसका स्वरूप बनाने में भी। लेकिन धीरे-धीरे जो सरकारीकरण एक-एक, दो-दो क्लाजेज का करते-करते उसका परिवर्तन हुआ उससे काफी क्षोभ हुआ जन-प्रतिनिधियों में और आम लोगों में भी, कई कमेटियां बैठायी कि हमको आने वाले समय में इसके बारे में विचार करना चाहिये, अधिक शक्तियां देनी चाहिये, अधिक स्वायत्तता देनी चाहिये, सरकारीकरण खतम होना चाहिये, यह स्वायत्त-शासी संस्थाएं बनें ऐसा कुछ सोचना चाहिये। वह कमेटियां बनीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दीं लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट्स का कुछ नहीं हुआ और बाद में जब आखिर में जब संशोधन करने के प्रस्ताव आये तो राजस्थान के लोगों का जन-मानस था और हम सारे के सारे लोग यह चाहते थे कि आज राजस्थान में जिस प्रकार सरपंच का सीधा चुनाव है उसी प्रकार से प्रधान और प्रमुख का भी सीधा चुनाव हो जाए वही की वही एक पेटी सरपंच की, एक प्रधान की और एक प्रमुख की रख दी जाए, तो न तो वोटों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़े न कहीं तीर्थ-यात्रा पर ले जाना पड़े और जो आम जनता उस इलाके की चाहती है वह प्रतिनिधि भी सही आ जाए लेकिन, सभापति महोदय, नतीजा कुछ और ही निकला, ओरिजनल जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अन्दर यह प्रावधान था कि प्रधान और प्रमुख भी सीधे चुने जाएंगे लेकिन वह पहले एक बार में पास नहीं हो सका। उसके बीच में बहुत लम्बा समय निकला फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी

(श्रीमती कमला)

ने लोगों की राय ली और तमाम पार्टी एक राय होकर के उसको पास कर दे, इस चक्कर में इसका ऐसा सत्यानाश कर के कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जैसा था वैसा भी राजस्थान का नहीं रहा और दूसरा एक और अनर्थ हुआ ...

श्री सभापति : यह सभी पार्टियों को एक होकर करने में अनर्थ होता है क्या ?

श्रीमती कमला : वह अनर्थ इसलिए हुआ कि उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसी पार्टियां थीं जो प्रधान और प्रमुख के सीधे चुनाव को नहीं चाहती थी, इसलिए अनर्थ हो गया ।

श्री सभापति : आज तो आपका सिद्धांत लागू नहीं हुआ न ?

श्रीमती कमला : नहीं, आज क्या लागू नहीं हुआ ?

श्री सभापति : सब को एक कर के अनर्थ तो नहीं हुआ न आज ?

श्रीमती कमला : वह आज भी आपका पास करा दे किसी तरह से, कुछ आप ले लो कुछ हम दे देंगे, कुछ रूल्स खींचलें, कुछ छोड़ दें ऐसे कर के पास कराया । आप भी जान रहे हैं, कमेटी में आप भी बैठे थे, इसलिए दूसरा जो एक बहुत जबरदस्त धक्का लगा वह यह है कि जो राजस्थान अपने आप में पंचायत राज का अग्रणी रास्ता दिखाने वाला था उसके बजाए क्या हुआ कि पंचायत राज का सब से बढ़िया, श्रेष्ठ अगर कोई नमूना है, तो आंध्र में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, फलां जगह है-फलां जगह है और नतीजा यह हुआ कि "कहीं का ईंट कहीं रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा", वह कर के, वह लाकर के, हमारा खुद का था, बहुत बढ़िया था उसको और आगे हम सुधार लेते कभी लेकिन उसको बिलकुल बरबाद कर के आज जो आपकी यह टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएन्सीज का बीच में लाकर के रख दिया है यह सब से ज्यादा खतरनाक काम हुआ क्योंकि हमारे मंत्री महोदय और अधिकारीगण तो 24 घन्टे इसी में लगे रहे कि यह संख्या मेम्बर्स की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वह बैठेंगे कहां ? हाल ही इतना बड़ा नहीं है, इतने जने बैठेंगे तो फिर वह तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी समिति की, जिला प्रमुख की और इनकी और हम एक तरफ यह देख रहे हैं, जनता यह चाह रही थी कि इलेक्टोरेट बड़ी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, इलेक्टोरेट मुट्ठी भर है, तो उसमें क्या आप चुनाव करेंगे ? पहले यह लेकर आये थे आप कि पांच पंच होंगे, पांच पच का बहुमत कितना हुआ ? पौने तीन हुआ कि कितना हुआ ? और कोरम कितना हुआ, डेढ़ होगा कि पौने दो हुआ ? यह लेकर आये फिर हम लोगों ने जो चर्चाएं कीं, तो वह ऐसे कर रहे थे जैसे एक तो कोई दानदाता है और एक कोई भीख

(श्रीमती कमला)

मांगने वाला। साहब, आप इतना तो करो, साहब, इतना तो करो कम से कम, आप उधर मत देखो, इधर देखो। मंत्रीजी कुछ-कुछ मानते हों, तो अधिकारी नहीं मानने दें, अधिकारी कुछ मानें तो मंत्रीजी अड़ जाएं, तो इस स्थिति के अन्दर यह जो हमारा संविधान संशोधन आया है, कुछ तो इसमें लोहा खोटा और कुछ लुहार खोटा, कुछ तो यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा सफाया कर गया और कुछ इस सरकार ने रखा है, वह कर गया। कुल मिलाकर के जो भावना थी इसकी उस भावना के विपरीत यह एक्ट बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ और गलतियां भी हुई होंगी लेकिन एक बात इन्होंने साफ तौर से लिखी है, इसमें लिखा है ..

श्री नाथू सिंह : कौनसा है ?

श्रीमती कमला : 243 (G) Subject to the provisions of the Constitution the Legislature of a State may, by law endow the Panchayats with such powers and authority, as may be necessary to enable them to function as Institutions of self Government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon the Panchayats.

यह साफ लिखा है। यह आपकी सरकार की काम करने की इकाइयां नहीं होंगी यह खुद पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उस राज की इकाइयां हैं जो राज स्तर से चलती हैं, पंचायत स्तर तक पहुंचती हैं. तो यह चार इकाइयां हैं, यह तीन इकाइयां नहीं हैं। यह हमने सोच लिया कि हम तो सब-कुछ हैं और यह हमारी दी हुई भेंट है, तो इतनी भेंट आप देते हैं इतनी भेंट फिर सोचेंगे कि दें कि नहीं दें, तो इसलिए जो इसका इलाज है, माननीय मंत्री महोदय, यह इसका पूरा सार और मर्म है। हमने क्या किया है कि यह तो सब देख लिया जहां हम को यह जरूरत पड़ी तो कोई बीस बार तो मंत्रीजी बोले होंगे कि, साहब, इसकी कंसेप्ट यह है कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसकी स्पिरिट यह है कि अमेंडमेंट की, यदि भूल जाएं तो अधिकारीजी याद दिला दें, तो कंसेप्ट और स्पिरिट और उसके पीछे इन्होंने क्या किया, साहब, वार्ड बनाओ तो ऐसे होने चाहिए जो अमूमन एक तरह की आबादी के होने चाहिए इसलिए आप पंचायत समिति में अगर यह रख दोगे तो कोई बड़ा वार्ड बन जाएगा, कोई छोटा बन जाएगा, तो मैंने यह निवेदन किया कि कंस्टीट्यूशन तो पंचायत के वार्ड से लेकर जिले के वार्ड तक की कह रहा है आप सिर्फ पंचायत समिति और जिला परिषद् की बता रहे हो। क्योंकि पंचायत के वार्ड तो आपने मर्जी आये जैसे बना दिये, पंचायतें भी आपने मर्जी आये जैसे बना दीं, तो कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए पहले

(श्रीमती कमला)

दल में आपको पंचायतों और पंचायत समितियों का जो गठन किया है, जो आपने डिसप्रपोशनेट कर रखा है टोटली इनवायोलेशन ऑफ दिस कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट कर रखा है, जो आप इसकी बिलकुल भी पूर्ति नहीं कर रहे है। कहीं दो हजार की पंचायत है, तो कहीं चालीस हजार की पंचायत है, तो कहीं 22 हजार की है, कहीं 35 हजार की है, तो आपने तो बहुत भारी रिकवायरमेंट पूरी की कॉस्टीट्यूशन की और हम जब कहें कि साहब, पंचायत समिति में 21 सदस्य तो होने चाहिए, तो बोले, नहीं-नहीं, साहब, 15 ही ज्यादा हैं, क्योंकि हम को पापुलेशन का प्रपोशर्न करना है और अपने 21 मान कर भी जो संशोधन दिया है, सभापति महोदय, आप इसके गवाह हैं कि 21 उन्होंने माने थे और 15 लिखे हैं और इसी तरह से जिला परिषद् में इन्होंने माने थे 17 और 17 के बजाए 20 माने थे वह भी इन्होंने 17 ही लिखे हैं, तो इसलिए जो समिति में आपने मान लिया संशोधन वह भी आपने सही ढंग से नहीं किया जानबूझकर।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि एक तो आपने बिलकुल ही उड़ा दिया, यह कम-ज्यादा रख तो दिया, बड़ी मलमनसाहत है आपकी लेकिन, नेता महोदय, आपको भी मै याद दिलाऊं कि जो धारा 79 और 80 है इसके अन्दर, समिति के अन्दर दो घंटे तक बहस हुई थी।

श्री सभापति : कृपया, अब समाप्त करें।

श्रीमती कमला : और आपने लास्ट में माना था, सभापति महोदय, इनको याद दिलाऊं, आप भी इसके साक्षी हैं कि यह तय हुआ था, मैंने तो यह रखा था कि सरकार पंचायत राज को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहे कि वह उनसे सलाह कर के अधिकारियों को लगाये और वापस ले, तो कम से कम एक महीने का नोटिस देकर तो करे। उस बहस के बाद यह तय हुआ था कि इन कंसलटेशन विद पंचायत राज इंस्टीट्यूशन यह किया जाएगा लेकिन मै मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाना चाहती हूं कि वह संशोधन नहीं लाये हैं यह। आप देख लीजिए उस क्लाज में अगर लाये हों तो, इन्होंने उस क्लाज में संशोधन नहीं रखा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसकी भावनाओं को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर रखा गया है।

दूसरा, आपके और हमारे सब के सामने यह तय हुआ, इसको आगे आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। जो विष्णुजी ने कहा, सही कहा कि आपने 50 पर्सेंट से भी ज्यादा इसमें क्लाजेज रूल्स के लिये रख दिये, यह कौनसा तरीका हुआ ? और उसके बाद आप हम को भरोसा बराबर यह दिलाते रहे जब हमने कहा कि, साहब, अभी इसमें लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटी-सी लाइन, कहीं मैंने आधी लाइन भी बतायी तो यह कहा, साहब, यह तो बहुत बड़ा हो गया, डेढ़

(श्रीमती कमला)

लाइन भी बताई तो कहा, यह बहुत बड़ा हो गया····

श्री सभापति : कृपया, आप संक्षिप्त करें।

श्रीमती कमला : एक मिनट और। मंत्री महोदय, यह आपका 37 क्लाज देखिए इसमें आपने तीन पेज का एक प्रोसीजर लिखी है मैन बिल में। एक क्लाज का तो आप मैन बिल में तीन पेज का प्रोसीजर लिखते हैं और कहीं आप डेढ़ लाइन भी लिखना नहीं चाहते हैं और आपने कहा है कि आप चिन्ता मत करो, जब रूल्स बनाएंगे तो आप लोगों को कंसल्ट करेंगे। अब यह कैसे कंसल्ट करेंगे? सभा खतम हुई और अपने-अपने घर, छुट्टी····

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह ऐसा नहीं करेंगे।

श्रीमती कमला : तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो रूल्स आप फ्रेम करें उसमें भी कमेटी के मेम्बरों को या एक-दो को और भी जोड़ना चाहें तो जोड़ें लेकिन जो आपने हम को विश्वास दिया है कमेटी के अन्दर और अब सदन में आप विश्वास देंगे कि हम रूल्स में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई मनमानी नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो इसके लिए आप रूल्स का हम को प्रावधान बताइये। खास तौर से मैंने महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए नीचे के लेवल से लेकर ऊपर तक, चीफ मिनिस्टर तक भी अपना मुद्दा रखा लेकिन आपने यही कहा कि रूल्स में आ जाएगा, आप चिन्ता मत करो, कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप जब रूल्स बनाएं तो उस वक्त मेहरबानी कर के हम को भी कांफिडेंस में लें जिससे आप उन रूल्स में कोई भेदभाव करने वाली बात नहीं कर सकें।

इसके अलावा एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने यह जो सरपंचों का और प्रधानों का जो हाल किया है उससे ज्यादा बुरा कोई हो नहीं सकता। सरपंच और प्रधान को, जैसा अभी हमारे उप सचेतकजी कह रहे थे कि इनको आपने तीन को तीन इकाइयों में बांट दिया वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बना दिया, आपस में कोई कोर्डिनेशन नहीं। यह कार्डिनेशन करने का बहाना आपको क्या मिल गया कि, साहब, उसमें वोट देने का अधिकार तो है नहीं; सरपच और प्रधान को तो फिर भीड़ क्यों करते हो वहां ? भीड़ ही तो काम करती है इस प्रजातन्त्र में नहीं तो, आप कहां से यहां बैठे हो ? यह भीड़ का राज अगर नहीं बनता, जनता का राज अगर नहीं बनता तो आप और हम यहां होते कहां ? इसलिए आपने तो इतनी एलर्जी कर रखी थी कि 5 का 25 हो गया तो न मालूम क्या भंगज हो जाएगा, धरती ही धंस जाएगी और ऊपर से छत गिर जाएगी हाल की, तो उनको कही बैठने नहीं दिया।

श्री सभापति : यह भंगज शब्द बहुत से माननीय सदस्यों को समझ में नहीं आएगा।

श्रीमती कमला : भंगज होता है न, भूकम्प। भंगज को भूकम्प कहते हैं हिन्दी में। यह भंगज है देहात की भाषा का। अगर जो कोई गांव का है उसके तो समझ में आ रहा है और नकली गांव का है तो उसके समझ में नहीं आ रहा होगा।

एक माननीय सदस्य : नकली गांव क्या होता है ?

श्रीमती कमला : नकली आदमी जो बताता है अपने आपको गांव का, रह रहा शहर में, पीछे बैकग्राउंड नहीं, सस्कार नहीं, जानकारी नहीं, वह नकली गांव ही है और क्या है ?

श्री नाथूसिंह : जैसे घनखड़ जी हैं।

श्रीमती कमला : हां, कोई भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे। अब भी आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे आपने कुछ तो संशोधन मानकर भी नहीं किये, कुछ संशोधन जैसे 38 वाला था और 4 और 5 डिलिट करने का आपको मालूम है, सब सदस्यों की मंशा थी कि इसको नहीं रखना चाहिए था। यह बेइज्जती है इलैक्टेड लोगों की। क्या पुलिस भेजकर इसको कराना चाहते हैं ? आपने उसको सजा ठोक दी, आपने उस पर जुर्माना कर दिया, आप और भी कुछ कर सकते थे लेकिन पुलिस भेजकर उसके घर पर बेइज्जती करना, यह आप और हम भी अगर वहां होंगे कभी तो फिर कैसे आप प्रधान बनो तब तो आपमें काबिलीयत नहीं है और वही आदमी मिनिस्टर बन जाए तो उसमें बड़ी काबिलीयत आ जाती है। यह क्या बात हुई ? जो सरपंच होता है, प्रधान होता है वही आगे जाकर कहीं न कहीं मंत्री बनता है पर मैं मंत्री हूं, चाहे मेरे में सामान्य बुद्धि भी नहीं हो, तो भी वह बड़ा काबिल हुआ और वही मंत्री न हो और प्रधान बन जाए तो कहते हैं यह तो नाकाबिल हो गया, चाहे कितना ही काबिल हो, यानी यह जो हम आपस में भेद रख रहे हैं यह अपने आप में अच्छी बात नहीं है कि हम तो आ गये तो बड़े जिम्मेवार हो गये। कई घपले तो बड़े-बड़े मंत्रियों के भी होते रहते हैं, एम. एल. ए के होते रहते हैं, एम. पीज. के होते रहते हैं। कई एम. पीज. 10-10 वर्ष तक मकानों को खाली नहीं करते दिल्ली के अन्दर, यहां पर नहीं खाली करते, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो उनका तो दूसरा तरीका है कानून का, निपटिये उनसे।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्रीमती कमला : लेकिन अपनी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और अध्यक्षों को बेइज्जत करना यह अपने आपमें कोई अच्छी बात नहीं है, इस पर हमको सोचना चाहिए। अन्त में, इतना ही कहना चाहती हूं कि इसकी जो स्पिरिट है, इसका जो मर्म है, इसमें करने में जो गलतियां हुई हैं, आपने जो गलतियां की हैं उनको मेहरबानी करके कानून के जरिये से, आपके नियमों

(श्रीमती कमला)

के जरिये से सुधारने की चेष्टा करें और सदन को कांफिडेंस में लेकर, दरअसल में पंचायत का यह सारा का सारा प्रावधान सही बैठे इस तरह की कुछ व्यवस्था करें, तो यह अपने आप में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी, दो मिनट बोलें जरा आप।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, यह पंचायती राज का जो विधेयक पास करने जा रहे हैं, यह बहुत ही जल्दबाजी में बनाया हुआ कानून है और जल्दबाजी में पास करने जा रहे हैं। इसमें जो संविधान के संशोधन की मूल भावना थी, जनता को राज सत्ता सौंपने की अपने स्वायत्त शासन की, वह पूरी भावना इसमें व्यक्त नहीं हुई है। जगह-जगह हमने ब्यूरोक्रेसी को पावर्स दिये हैं और सरकार को जगह-जगह नियम बनाने के जो अधिकार दिये हैं उससे हमारी जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए उन अधिकारों में हमने कटौती की है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 73वां संविधान संशोधन में जो जिला परिषद् को अधिकार थे शिक्षा के क्षेत्र में वह हमने बहुत करटेल किये हैं। सैकण्डरी एजुकेशन तक हमने जिला परिषद् में संविधान संशोधन रखा हुआ था, वह हमने किया नहीं है। दूसरा, यह है कि जब तक हम पंचायतों को सेक्रेटरी मुहैय्या नहीं करवायेंगे तब तक वह स्वायत्तशासी इकाइयां अपने आप में पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकतीं इसीलिए अगर आप जनता को वास्तविक अधिकार देना चाहते हैं, पचायतों को वास्तविक रूप से पनपाना चाहते है, तो आवश्यक है कि हर पंचायत को आपको एक सेक्रेटरी मुहैय्या कराना पड़ेगा ताकि सुचारू रूप से वह अपनी व्यवस्था कर सके। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : आप भी दो मिनट बोलें। मैं आज थर्ड स्टेज पर किसी भी माननीय सदस्य को नहीं रोकना चाहता, दो-दो मिनट बोलें।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : दो मिनट ही बोलूंगा साहब। माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज की शुरूआत सर्वप्रथम नागौर से स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने की थी और मैं उसी जिले का रहने वाला हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस सदन का सदस्य हूं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान कानून स्वर्गीय राजीव जी गांधी की देन है। आपके कानून से समझ में नहीं आता है कि ओ बी. सी. को आप कैसे प्रतिनिधित्व देंगे। इसके बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात, यह है, सभापति महोदय, कि इस कानून को समग्र तरीके

(श्री रिछपाल सिंह)

से सरकार की तरफ से प्रचार करना चाहिए कि महिलाओं को और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिले। तीसरी बात, सभापति महोदय, यह है कि आप कानून तो ठीक तरीके से नहीं बना पाये पर नियम तो सब की राय से बनाते जाएं। चौथी बात, सभापति महोदय, यह है कि एम. एल. ए. और एम. पी. सस्पेंड नहीं होते तो फिर सरपंच सस्पेंड क्यों? यह सस्पेंड हटाया जाए और जो पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया गया है वह ठीक तरीके से नहीं किया गया है। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल जी, आप भी बोलिये। मिर्धा जी ने कहा वैसे ही कहिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदय, पंचायत राज ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रामीण विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायत राज को और मजबूत करने के लिए जो व्यवस्था की लेकिन इस संविधान संशोधन के आने के बाद जिस तरह से पंचायत से लेकर जिला परिषदों तक जो एक कड़ी थी, उस कड़ी को तीन भागों में बांट दिया गया। इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ और उसके लिए जो संशोधन यहां पर किया जा रहा है, जो यहां पर पास किया जा रहा है उसके लिए जनमानस की भावनाएं हमको जाननी चाहिए थी लेकिन जनमानस की भावनाओं को छोड़कर, माननीय, जो दो सौ पूरे सदस्य है उनके भी पूरे विचार नहीं लिये गये और एक जल्दबाजी में ही इस संविधान संशोधन को पास कर रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से लोक सभा और विधान सभा के जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस दायर होने पर कानून लागू नहीं होता है लेकिन जो पंचायत राज ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके मेम्बर इलेक्टेड आएंगे, सरपंच और पंच उनके ऊपर जो इस तरह के केस दायर होने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से, यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इसमें संशोधन किया जाए और पंचायत राज जो जल्दबाजी में लाया गया है उसको जनमानस की भावनाओं के अनुरूप और इसमें संशोधन किया जाए। जयहिन्द।

श्री सभापति : बोलिये। रामनारायण जी आप बोलेंगे?

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज विधेयक के तीसरे चरण पर चर्चा हो रही है और अभी पास होने वाला है। इस विधेयक में जो भी कुछ बातें नयी लायी गयी हैं। इस सम्बन्ध में सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, मुझे कुछ नहीं निवेदन करना है। इस विधेयक के खण्ड 16 में जो आरक्षण की बात कही गयी

(श्री दयाराम परमार)

है उसमें आपको सरपंच, प्रधान और प्रमुख के लिये आरक्षण कह दिया कि जनसख्या के आधार पर उनकी सीटें आरक्षित हो जाएगी लेकिन जो प्रतिनिधि पंचायत समिति के लिए चुने जाएंगे, जो प्रतिनिधि जिला परिषद् के लिए चुने जाएंगे उनके लिये इसके अन्दर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और अगर आपने इस विधेयक के अन्दर और नियमों के अन्दर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, तो निश्चित रूप से एरिया में उसका झगड़ा होगा। कुछ और लोग खड़े हो जाएंगे, कुछ ट्राइब्स के लोग कहेंगे कि हमारा यह रिजर्व बनता है यहां। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से चाहूंगा कि पंचायत समिति के लिये लिये जाने वाले प्रतिनिधियों के लिये और जिला परिषद् के लिये चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के लिये आरक्षण की किस तरह की नीति रहेगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? इस बात को स्पष्ट करें। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, जैसा कि 73 वां अमेंडमेंट जो है वह अभी सदन में प्रतिस्थापित किया जाएगा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। गांधीजी का जो सपना था स्वराज का और स्वराज के अन्दर उस व्यक्ति को वह सभी पार्टिसिपेट करने का हक मिले। मगर इस बिल के अन्दर जो जल्दी में, जिसके एक-एक शब्द पर व्याख्या होनी चाहिए थी, उन पर पुनर्विचार होना चाहिए था, यह ठीक है कि पंचायत राज राजस्थान के अन्दर स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को यहां लागू किया और दूसरे राज्यों में भी, और बीच में जिस प्रकार शिथिलिता आयी और उस शिथिलिता को देखते हुये कुछ संशोधन करने पड़े। मगर जो अभी जवाहर रोजगार योजना, दूसरी जो शक्तियां अपन ने पंचायतों को दीं और उन शक्तियों के आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषदों से जिस प्रकार से चुनाव था और एक पुरानी जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था मेरे हिसाब से अपने आप में पूर्ण थी और उनको वह सभी अधिकार, जो कुछ अधिकार तब थे पंचायतों में, आज पंचायतें, पंचायत समितियां या जिला परिषदें यह अमुक-अमुक कार्य करने में सक्षम नहीं होंगी, तो मेरी मान्यता यह है, सभापति महोदय, आपके मार्फत अब वह वक्त नहीं रहा, हम आजादी के पचासवें वर्ष में जा रहे हैं और जो ग्रामों का विकास, एक एरिये का का विकास और एक जिले का विकास जिस आधार और जिस मूल भावना के साथ एक छोटे से कार्यकर्ता से, जो वार्ड पंच से जुड़कर जिला परिषद् तक जाता है और उसकी परिधि के अन्दर जो भी क्षेत्र आते हैं, जो भी एक्टिविटिज होती है, उनका संचालन, उनका संधारण यह सारी एक्टिविटिज चाहे सैकेण्डरी स्कूल हों, चाहे डेयरी

(श्री रामनारायण डूडी)

के फार्म हों, चाहे उनके लोन का सिस्टम हो, आधी-अधूरी जो व्यवस्था है, उनको पूर्ण रूप से पंचायतों को दिया जाए।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पंच और सरपंच बन गये, प्रधान का चुनाव करते थे, उनकी सीधी लॉय-बिलिटी पंचायत की रहती थी और एक उनका कोडिनेशन था पंचायतों से जिला परिषदों का, अब अलग से ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे इस कानून को सेंट्रल ने लिया हो, मगर एक आम धारणा लोगों के अन्दर होगी कि पचायत, पचायत तक ही सीमित रहे। उनकी लाइजर पंचायत समिति, जिला परिषदो में नहीं होगी, तो कार्य करने के अन्दर जिस प्रकार की एक प्रगति होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, उन भावनाओं के अन्दर कमी आएगी, विकास में थोड़ा अवरोध रहेगा।

मेरा पंचायत राज मंत्रीजी से निवेदन है एक-एक वर्ड्स को वापस एग्जामिन करके ऐसा कानून बनाया जाए जो राजस्थान की जनता के हित में हो और राजस्थान की बहबूदी और प्रगति में सहायक हो, न कि एक-दूसरे की कंट्रोवर्सी पैदा करे। यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : बैरवा साहब, बोलना चाहेंगे ? संक्षेप में आप भी दो मिनट।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति जी, मैं इस समय हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी, जिन्होंने 1989 के अन्दर इस बिल को लोकसभा में रखा था और चूंकि लोकसभा में तो उनका बहुमत था, वहां पास हो गया। राज्य सभा के अन्दर वह बिल उस समय से अस्वीकार हो गया, गिर गया, जिसकी वजह से सरकार को भी जाना पड़ा। उस समय राजीव गांधी की जो मंशा थी, दो बातें उसके अन्दर मूल रूप से देखने की थी। एक तो यह कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं का जो अनुपात पहले नहीं था, इन पंचायत संस्थाओं में, उन्होंने रखा। उस समय एक बात और रखी कि सिर्फ लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं के जरिये से जो राज्य के अन्दर भागीदार होते थे जनप्रतिनिधि, उनका उन्होंने विस्तार किया और विस्तार करके उन्होंने बात कही कि कि जहां पांच हजार लोग इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब इसके माध्यम से पांच लाख लोग प्रतिनिधित्व करेंगे और वह इसकी जन भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह से रख पाएंगे। उसके लिए तो राजीव गांधी को बहुत धन्यवाद देता हूं और उसके बाद इस सरकार ने भी संविधान संशोधन को, स्वीकार किया और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का जो ध्यान रखा, उनको एक तिहाई भागीदारी इसके अन्दर रखी गयी है, उसके लिए वह भी धन्यवाद की पात्र है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

संविधान के अन्दर यह संशोधन हो गया था इसलिए आपने इसको माना है। पिछली सरकार ने पंचायत के बिल को रखा था, उसके अंदर भी सब बातें रखी थीं। हम लोगों को इस बात के अन्दर शक होता है, अगर आपकी नीयत साफ होती, इस सरकार की नीयत साफ होती, बी. जे. पी. की नीयत साफ होती तो हमारा वह बिल राज्य सभा में नहीं गिरता। सिर्फ एक छद्‌मभेष तरीके से उस बिल को रखा गया था लेकिन आज मजबूरी है जिसकी वजह से आपने इस बिल को रखा है। खैर, वह जो रखा है, बहुत अच्छी बात है।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं आपने टेरिटोरियल बनायी, जो ड्यूअल सिस्टम हो गया, ड्यूअल सिस्टम, एक तो सरपंच रहेंगे और एक आपकी पंचायत समिति के जो मैम्बर चुने जाएंगे, इन दोनों के अधिकारों के अन्दर कहीं न कहीं लड़ाई होगी और जब-जब यह ड्यूअल सिस्टम हुआ है, उसके अन्दर खराबी हुई है, उसके अन्दर कमियां रही हैं, उसके अन्दर परेशानियां हुई हैं। कोई भी कानून बने तो कभी पूर्ण नहीं हुआ है। आज हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव रखे और कुछ सरकार ने माने, कुछ सरकार ने नहीं माने लेकिन हम लोग अपनी जगह सही हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत सारी बातें रखी हैं, जो मानी नहीं गयीं। अन्ततोगत्वा इस सरकार को माननी पड़ेगी और मानकर दुबारा आपको संशोधन लाना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा तो यह रहता कि आप इस पर गौर करते, विचार करते और विचार करके जो बातें अभी कही गयी हैं, उन सबको समाहित करते, तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री सभापति : धन्यवाद। परसरामजी मदेरणा। अमराराम जी अब माफ करें। आप भी बोलिए, अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, ग्राम पंचायत एक्ट पास होने जा रहा है और निश्चित रूप से राजस्थान को इस बात के लिए गर्व है कि राजस्थान से पंचायत प्रणाली शुरू हुई। लेकिन इन पचायत संस्थाओं की शुरूआत के बाद....

श्री सभापति : आपके विधान सभा क्षेत्र की सीमा तो बिलकुल नागौर से लगी हुई है।

श्री अमराराम : नागौर से लगी हुई है। लेकिन जो माननीय सदस्य आज यहां चिन्ता कर रहे हैं और जिस राजस्थान की पंचायत प्रणाली का सबसे बड़ा सत्यानाश राज्य सरकार ने किया है तो उसी राज्य सरकार ने किया है जो आज यहां प्रतिपक्ष में बैठकर चिन्ता करती है, जिन्होंने तेरह साल तक राजस्थान की उन पंचायत इंस्टीट्यूट्स को बिलकुल धराशाही कर दिया था और पंचायत समिति और जिला परिषद् को भंग कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने....

श्री सभापति : रामेश्वर जी प्रधान रहें हैं तेरह साल तक ।

श्री अमराराम : कांग्रेस की सरकार ने उसका सत्यानाश किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसका सवा सत्यानाश किया । उन्होंने जिला परिषद् और पंचायत समितियों को छोड़कर उन ग्राम पंचायतों को भी उनके हवाले कर दिया, जो ग्राम सेवक हैं । चाहे राजनैतिक इच्छायें कुछ भी रही हों, मैं ऐसा समझता हूं उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आज भी जन-प्रतिनिधि नहीं समझते । राज्य सरकार, जो भूतपूर्व रही है, जिनको ग्राम पंचायत के सरपंच को सस्पेंड कलक्टर कर सकता था, मैं ऐसा समझता हूं कि आज के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच को कलक्टर सस्पेंड नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है । लेकिन वहीं इस एक्ट के अन्दर उन सरपंचों के रिकार्ड जहां लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए पुलिस की व्यवस्था की गयी है, इससे बुरा हो नहीं सकता और जिस तरह के चुनाव नहीं कराये थे, कांग्रेस ने सत्यनाश किया है, मैं समझता हूं राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ आने वाले समय में इस तरह का दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए मंत्री प्रबोधन करेंगे ।

श्री सभापति : धन्यवाद । हां, माननीय मदेरणा साहब ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, पंचायत राज बिल के तृतीय वाचन के अवसर पर मैं कम से कम समय लेना उपयुक्त समझता हूं । कांस्टीट्यूशन संशोधन के अनुरूप जो बिल आज सदन में आया है और उसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं और बिल का आज जो स्वरूप है, स्कीम आफ दी बिल है, इसमें, सभापति महोदय, कुछ बातें तो ऐसी हुई हैं जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी हैं । जो रिजर्वेशन हुआ है, जिन लोगों को सदियों तक सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो सका, उनका आज रिजर्वेशन हुआ है, और यह प्रथम बार हुआ कि बहुत बड़ी संख्या के अन्दर सात हजार एक सौ तिहत्तर पंचायतें हैं .. कितनी पंचायतें हैं ?

श्री सभापति : नौ हजार ।

श्री परसराम मदेरणा : हां, नौ हजार एक सौ तिहत्तर हैं । शायद इनमें एक तिहाई चेयर परसन होंगी महिलाएं और अपनी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी केवल वार्ड पंच ही नहीं बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे और प्रमुख भी बनेंगे । इसलिए कांस्टीट्यूशन में जो अमेंडमेंट का आज संशोधन आया है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक है और क्रांतिकारी है । लेकिन, सभापति महोदय, पंचायती राज को लेकर राजीव गांधीजी ने देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी दो साल तक । हजारों लोगों के प्रतिनिधि और प्रतिनिधि के अलावा राज्य के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो विकास के काम अन्य कामों के अन्दर सरकार का प्रशासन चलाने में, सरकार की

(श्री परसराम मदेरणा)

नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे भी बहुत विस्तार में चर्चा की थी। सबसे पहले इस बिल को आज हमारे सामने देखते हैं तो इस बिल के लाने के पीछे और कांस्टीट्यूशन में अबकी बार अमेंडमेंट करने के पीछे यह था कि राज्य सरकारों की पावर्स है या जो आटोनोमी है उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार दिया गया था कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के अनुरूप इनकंफरमिटि, इन कंसोलेशन आप संशोधन लायेंगे और उसके पीछे सिद्धांत यह था कि पूरे देश की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशंस हैं, इनका एक स्वरूप होगा, एक ही ढांचा होगा। वहां की जनसख्या को ध्यान में रख कर एज फार एज पासिबल उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन माननीय हमारी मंत्रीजी मुझे कहते हुए बहुत वेदना और दुःख इस बात का है कि आपने तो सरसरी में एक मट्टा बैठा दिया। सबसे पहले पंचायतों का री-आर्गेनाइजेशन किया और डीलिमिटेशन किया है उसमें जिस तरह का पक्षपात किया है, आपने सबसे पहले तो इस सिद्धांत को यहां दफना दिया।....

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री परसराम मदेरणा : वह + + + इसलिए कह रहे हैं कि जहां दूसरे राज्यों में 5 हजार और 10 हजार के बीच में पंचायतों का पुनर्गठन है....

श्री नाथूसिंह : वह सेम कह रहे हैं। सेम का मतलब बराबर होता है। एक समान का कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको इसलिए कह रहे हैं, मैं उस + + + का उदाहरण देना चाहूंगा जिससे आपको + + + आनी चाहिए मतलब + + + का यह है। आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए। बाड़मेर की पंचायत समिति के अन्दर आ रहे है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब। 1346 की जनसंख्या की पंचायत बनेगी। शिव के अन्दर 1 हजार 75 की एक पंचायत बनेगी, चौहटन के अन्दर 1800 की पंचायत बनेगी, इसी तरह बायतू के अन्दर थौनवार की 1600 की पंचायत, इसी तरह से बालोतरा के अन्दर 1600 की, सिवाना के अन्दर, लालणा पंचायत 1400 की और दूसरी तरफ पचायतें, सभापति महोदय, 10--10 हजार की और 9--9 हजार की। कोई रेशो नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हिण्डोली में 1500, 1550 की है।

श्री परसराम मदेरणा : अंधी पीसे और कुत्ता खाये। कोई देखने वाला नहीं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

है । इसी तरह से मैं जोधपुर का एग्जाम्पल आपको दूं । पन्द्रह सौ, एक हजार इस तरह की पंचायतों का पुनर्गठन करके आप इस इन्स्टीट्यूशन को सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा प्राप्त कराना चाहते हैं । इसको स्टेट्स मिल जाएगा ? हरगिज नहीं मिलेगा । चाहे कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से हो और यह बात सही है कि जो डेलिगेटेड पावर्स और रूल मेकिंग पावर्स है, इस राजस्थान विधान सभा में 1952 के बाद करीबन 400 एनेक्ट बिल्स पास हुए होंगे लेकिन 87 क्लाजेज के अन्दर डेलिगेटेड पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी । आप इसको क्या बनाना चाहते हैं ? आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में बिल है । यहां के प्रतिनिधि, आज सदन जब डिजोल्व हो रहा है साइनेडाई तो कम से कम बहुत स्पष्टतया बता देते, हालांकि एक बात तो हमारी मान ली है । हमने कहा कि हिन्दी पढ़ने, लिखने वाली बात आपने रखी है । यह प्रथम बार अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी कठिनाई हमारे सामने आ जाएगी । महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, कामन सेंस है, विजडम है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग पढ़े हुए नहीं हैं, लिख भी नहीं सकते । लेकिन यह जो क्लाज हटाया है एम, पी. और एम. एल.ए. के लिए....

श्री सभापति : वह तो विद्वान हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : सदन का यह बहुत बड़ा प्रिविलेज रहा है, सभापति महोदय, इस सदन में ऐसे माननीय सदस्य चुन कर आये हैं । अब तो मुख्य मंत्रीजी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आये हैं पहले यह रिजर्व कांस्टीट्यूएंसी थी और रिजर्व कांस्टीट्यूएंसी से जो माननीय सदस्य चुन कर आये थे, मैं नाम भूल गया हूं, गरासिया थे । वह थम्ब इम्प्रेशन देते थे । मैंने उनको पढ़ाया था महीने भर । मेरे पास आते थे कम से कम हस्ताक्षर तो कर दें । आज एम. पी. और उनका इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो यह एक अच्छा संशोधन हुआ है लेकिन इस पर भी हमारा जो लक्ष्य था और संविधान में अमेंडमेंट हुआ, जैसा अभी निवाई से आने वाले माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्यों की आप बार--बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं....

श्री सभापति : समय बढ़ाने के लिए ।

श्री परसराम मदेरणा : समय तो बढ़ाना पड़ेगा । जब सत्र आज एडजोर्न हो रहा है, साइनेडाई, कुछ बैठ जाए घंटे दो घंटे । कई दफा बैठक दो-दो बजे तक असेम्बली भी चली है ।

श्री सभापति : आज पर्याप्त समय बढ़ायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं सदन की जानकारी के लिए स्वर्गीय राजीव

(श्री परसराम मदेरणा)

गांधीजी ने जो राज्य सभा के अन्दर 13 अक्टूबर, 1989 को भाषण दिया था, संविधान संशोधन जो दो-ढाई मतों से गिर गया था वह उदाहरण मैं निश्चित तौर पर इस सदन में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सदन को यह जानकारी मिलेगी कि इसके पीछे आब्जेक्टिव सिद्धांत और प्रिंसिपल क्या थे। "एकरूप ढांचे का अर्थ है स्थानीय निकायों का एक ऐसा स्वरूप और एक समान लोकतांत्रिक प्रतिनिधि। देश के भाग में लोकतांत्रिक स्वरूप और जिस तरह दूसरे भाग में भिन्न क्यों होना चाहिए आखिरकार हम सब एक ही देश के हैं। हमारा उद्देश्य इस समय मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि से अकेले करने वाली दूरी को कम करना है। हमारे जैसे विशाल देश में दूरी को कम करना है। हमारा देश, विशाल देश इस समय 80 करोड़ लोगों का सीधे प्रतिनिधि करने वाले लोग 5 हजार 500 से अधिक नहीं हैं। 5 हजार राज्यों की विधायकों में और 500 संसद में चुने हुए प्रतिनिधि को चाहने वाले मतदाताओं की जनसंख्या इतनी अधिक होती है कि वह प्रतिनिधि किसी भी तरीके से अपने मतदाताओं की तरफ व्यक्तिगत तौर पर ध्यान नहीं दे सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को अपनी साधारण समस्याओं के समाधान के लिये अपने विधायकों, संसद सदस्यों के पास जाना पड़ता है। पंचायती राज और नगरपालिकाओं के विधायकों से निचले स्तर कर कई लाख निर्वाचित प्रतिनिधि उपलब्ध हो जाएंगे इसलिए मतदाताओं और प्रतिनिधि के बीच की दूरी बहुत सीमा तक कम हो जाएगी। प्रधान मंत्रीजी का भी उल्लेख किया कि छोटी-छोटी, कच्ची बस्तियों के लिए प्रधान मंत्री के पास में मतदाता सीधे चले हुए आते हैं।"

श्री सभापति : मूल भावना यही थी।

श्री परसराम मदेरणा : मूल भावना यही थी। सभापतिजी, जब स्कीम आफ दी बिल देखते हैं, आप भी विचार-विमर्श में कई घंटे हमारे साथ बैठे थे। संविधान संशोधन के अनुरूप जब हम एक-एक क्लाज पर चर्चा कर रहे थे। हुआ क्या है आज ? जो पंचायत राज की संस्था थी, अभी घोद से आने वाले माननीय सदस्य चले गये कांग्रेस पर आक्षेप लगा कर। ग्राम पंचायतें एक बहुत नया कंसेप्सन, एक नयी फिलासफी लेकर के माननीय मंत्रीजी आये हैं इसको एग्जीक्यूशन के लिए, ऊपर सुपरवीजन के लिए और प्लानिंग के लिए। ऐसा कुछ बताया था अलग-अलग संस्थाएं हैं। इनको वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर दिया।....

श्रीमती कमला : मानीटरिंग।

श्री परसराम मदेरणा : हां, मानीटरिंग। मानीटरिंग कमेटी, सभापति महोदय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मिनिस्टर के ऊपर ही बैठा दी जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज ग्राम पंचायत के सरपंचों का पंचायत समिति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है....

श्री सभापति : मंत्री महोदय पर तो यह सदन मानीटरिंग कमेटी ही है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं उसको वापस लेता हूं क्योंकि यह एलएल. एम हैं। मैंने मेरे प्रस्ताव को वापस ले लिया। सभापतिजी, प्रधान का कोई सम्बन्ध जिला परिषद् से नहीं रहा और प्रधान का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, तो अलग-अलग संस्थाएं जो हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाकर अपने यहां पर एयर कंडीशन हाल के लिए तो वाटर टाइट थोड़ा बहुत जरूरी था। लेकिन वहां पंचायतों का जैसा कि अभी शाहपुरा और विराट से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि भीड़ के बीच में रहो, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं चलेंगे।

श्री नाथूसिंह : विराट से नहीं, विराटनगर से।

श्री सभापति : बैराठ, विराटनगर है।

श्रीमती कमला : विराटनगर है, बैराठ कांस्टीट्यूएंसी का नाम है।

श्री परसराम मदेरणा : बैराठ नगर में अर्जुन ने जो रोल वहां प्ले किया था, आप वही रोल प्ले कर रहे हो....(व्यवधान) वहां जो उन्होंने किया था, मुझे मालूम नहीं है....

श्री नाथूसिंह : आप विराटनगर में क्या रोल प्ले कर रहे थे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था कि गांडीव आपके हाथ में होना चाहिये लेकिन आपका वही रोल है जो विराटनगर में तबलों पर आप रहते थे अर्जुन के। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का आपने भट्टा बिठा दिया....

श्री नाथूसिंह : वहां आपका रोल क्या था, वह भी बता दीजिये।

श्री सभापति : हर बात का जवाब देना उचित नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कभी आएंगे तो अलग से आपको परामर्श दूंगा। मानें न मानें आपकी इच्छा पर होगा। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि क्या हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे और कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट के बाद यह सोच रहे थे कि हम हमारे राज्य की जनता को सामाजिक न्याय दे सकेंगे। इसके पीछे सोशल जस्टिस पहला ओब्जेक्टिव था और द्रुत गति से हम विकास को दिशा देंगे, यह हमारा दूसरा ओब्जेक्टिव था। सोशल जस्टिस एक हद तक तो दिया है समाज के उन लोगों को प्रतिनिधित्व में। लेकिन उसके बाद में आर्थिक, सामाजिक न्याय भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय है और इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने शिड्यूल बनाया है, सूचियां बनायी हैं, एक, दो, तीन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने जो फंक्शंस, पावर्स, रेसपोंसिबिलिटीज और ड्यूटीज दी हैं, क्या यह संस्थाएं उन ड्यूटीज का, उन शक्तियों का, उन कर्तव्यों का सम्पादन कर सकेंगी? बिलकुल नहीं कर सकेंगी। इसलिए आप जो संशोधन लाये हो क्लाज 50 में, मैं उससे यूं डर रहा था, मुख्य मंत्रीजी ने कुछ एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दिये लेकिन स्पष्टीकरण से मैं कंवींस नहीं हुआ। क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि आप इनमें कोई संशोधन देना नहीं चाहते हैं और मूल भावना यह थी इसमें एक कमीशन बैठाया जाएगा।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति शासन में मैं गवर्नर से मिला था और गवर्नर को मैंने कहा आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन पहले बिठा देना चाहिये। आप इसको पहले बैठायेंगे तो इन शक्तियों और उनको जिम्मेदारी देने के अन्दर आपको यह हो जाएगा, आपके पास संसाधन हैं, उसके अनुरूप आप उनको पावर्स, फंक्शंस दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं अभी आर्डिनेंस भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रेसीडेंट रूल है। प्रेसीडेंट के पास में आर्डिनेंस भेजूंगा और लेजिस्लेचर पर लिखा हुआ है कि उनकी क्वालिफिकेशन तय करेंगे, मैम्बर्स की। मैंने कहा, वह तो आप आर्डिनेंस निकाल सकते हैं हक में। उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी उस वक्त के मुख्य सचिव से, वह किससे की मुझे मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यह इलैक्टेड लेजिस्लेचर इसको देखकर तो ठीक है। मैं प्रारम्भ में इस बात को कह रहा हूं कि यह सरकार हमेशा बहुत कंजूस रही है पंचायती राज संस्थाओं को फंड्स और रिसोर्सेज देने के अन्दर····

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं सदन का समय दो घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : दो घंटे में सदन में ···
(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी दो घंटे बढ़ा दें, बाद में देखेंगे।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय दो घंटे बढाया गया।

विधेयक का पारण

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए, सभापति महोदय, जिस तरह से सरकार का पिछले साढ़े तीन महीने का ट्रेक रिकार्ड रहा है, इस सरकार का ट्रेक रिकार्ड बहुत डिसमल और फेल्योर रहा है और इसलिये मैंने

(श्री परसराम मदेरणा)

क्लाज 118 के अन्दर इसका चेयर पर्सन होना चाहिये। फाइनेंस कमीशन में सीटिंग हाईकोर्ट जज होना चाहिये। मेरी बात को आपने माना नहीं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बहुत निष्पक्ष आदमी को लगाना चाहिये और निष्पक्ष आदमी को नहीं लगाएंगे तो रिसोर्सेज का डिवेल्युएशन, पंचायती राज संस्थाओं की आज बात कहो, हैण्ड पम्प की रिपेयर्स के भी पैसे इनके पास में नहीं रहेंगे और परिणाम यह होगा कि यह सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की बात तो बहुत दूर की रही, यह अपने डे-टू-डे के कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं कर सकेंगे और न सम्पादन कर सकेंगे। इसलिये मेरा पहला निवेदन यह है कि आप पंचायत राज संस्थाओं के गांव के स्तर तक विकास की गति को तेज करना चाहते हैं और वहां के लोगों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, गांवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको एडिक्वेट फंड्स उपलब्ध कराने पड़ेंगे और एडिक्वेट फंड्स उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, कांस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल 243 (आई) रखा है, 243 (आई) के साथ ही साथ इस कांस्टीट्यूशन में, इस कांस्टीट्यूशन के एक्ट 73 का जो संशोधन (3) है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के सम्बन्ध में एक संशोधन किया है, जिसका मैंने उस दिन भी उल्लेख किया था और उसके पीछे एक सिद्धान्त है। वह In Clause (3) of Article 280 of the Constitution after Sub Clause (b), the following sub clause shall be inserted, namely, the measures needed to augment the Consolidated Fund of the State.

जिस राज्य का 8860 करोड़ का जो कंसोलिडेट फंड है उसमें से 2450 करोड़ रुपये ही केवल विकास कार्यों पर हैं, बाकी सब नोन-प्लान एक्सपेंडिचर पर हैं। To supplement the resources of the Panchayats in the State on the basis of the recommendation made by the Finance Commission of the State.

इसलिए मेरा मंत्रीजी, निवेदन है और आपकी मार्फत मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्टेट फाइनेंस कमीशन इनडिपेंडेंट बाडी होनी चाहिये। इसकी इंपार्सिअल्टी के ऊपर किसी को भी शक-शुबहा, आयोटा आफ डाउट नहीं होना चाहिये। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं मंत्रीजी आपसे, आप यह बिल तो ले आये। क्लाजेज की आपको जानकारी है, क्योंकि आप लॉ के मास्टर हैं लेकिन यह आर्टिकल 280 के (बी) में आया है। 280 (बी) यह है कि—

This is for the National Finance Commission. "The principle which should govern the grant-in-aid of the revenues of the State out of the Consolidated Fund of India.

(श्री परसराम मदेरणा)

यह 280 (बी) जो है, ग्रान्ट-इन-एड के सम्बन्ध में है और ग्रान्ट-इन-एड जब-जब राजस्थान को ज्यादा मिली है, आज जैसे आप 11500 के प्लान आउट ले की बात करते हैं, इस के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हिन्दुस्तान में जो ग्रान्ट-इन-एड मिल रही है, वह राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा मिल रही है और अभी कमीशन के लोग उस दिन कह रहे थे कि आपको नाइन्थ फाइनेंस ने ज्यादा ग्रान्ट-इन-एड दी है जिससे दूसरे राज्य इस सम्बन्ध में एतराज कर रहे हैं।

(17.00)

मैं निवेदन यह कर रहा था कि इसको जोड़ने को और इस संशोधन लाने का कांस्टीट्यूशन में एक अभिप्राय है।...

श्री सभापति : ग्राण्ट-इन-एड मात्रा में तो अधिक है लेकिन पर्सेंटेज में कुछ राज्यों से बहुत कम है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा था, उनका जो टोटल डिवोल्यूशन जो होता है बड़ी स्टेट है, उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 18 करोड़ के आसपास है, तो आपकी साढे चार करोड़ है, आप बराबर ग्राण्ट-इन-एड लेना चाहते हैं ?....

श्री सभापति : नहीं मैं एक निवेदन कर रहा था....

श्री परसराम मदेरणा : आप नहीं ले सकते। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था ग्राण्ट-इन-एड लेने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने के लिए आपको टेंथ फाइनेंस कमीशन के सामने अपने मेमोरेंडम में इस बात का उल्लेख करना चाहिए था। आपने किया है, मेरे पास मेमोरेंडम की प्रतिलिपि है, मैंने देखी है और आपने टेंथ फाइनेंस कमीशन के सामने आप यह आरग्यूमेंट दे सकते हैं कि हमारा कमीशन नहीं बैठा, आपका कमीशन नहीं बैठा लेकिन अप्रैल, 1992 के अन्दर जब अमेंडमेंट हो गया और कांस्टीट्यूशन का पाट बन गया तो आप के लिए केवल मात्र 280 यह आर्टिकल काफी था, आधार था जिसके ऊपर आप फाइनेंस कमीशन के सामने अपने मेमोरेंडम में पंचायत राज संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अपना प्रस्ताव रखते। आपने प्रस्ताव रखा ? आप रखने जा रहे हैं कि नहीं रखने जा रहे हैं, मुझे यह बताइए ? आप शायद नहीं रखने जा रहे और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपको रखना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं है। आप एक बात कर सकते हो और वह यह कर सकते हो कि घाटा 206 करोड़ का और मैं भी मेरा एप्रीहेंसन है, सभापति महोदय, कि कहीं न कहीं इन्होंने फजिंग आॅफ फिगर्स किया है। मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि सेंट्रल बजट इस फजिंग, फजिंग मिस हेराफेरी, और मुझे यह दिख रहा है कि 206 करोड़ और 340 करोड़ का घाटा रहेगा कि नहीं रहेगा,

(श्री परसराम मदेरणा)

फिर हम विचार करेंगे साल भर बाद में जब हमारे पास एप्रोप्रिएशन बिल आएगा या बजट आएगा और इसके बचने की तरकीब को तो दो-एक इनको आ गयी है। इसके बाद में इन संस्थाओं को अपने पैरों पर खड़ा न कर, आपके पीछे पीछे भागती रहें, इसलिए आप इनको संसाधन नहीं देना चाहते हैं। यह सोचा गया था कि प्लान यह संस्थाएं खुद करेंगी। आपने इनको पावर दी है 5 साल के लिए योजना बनाने की, प्लान कमेटी, डिस्ट्रिक प्लानिंग कमेटी जो है वह अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजेगी। आपको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे उसको, सीमाओं के अन्दर वह अपना प्लान बना देती 5 साल में जितने साधन होते। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि वह अपने फंक्शंस, ड्यूटीज और रेस्पोंसिबिलिटीज को किसी तरह से सम्पादित नहीं कर सकते चाहे आप एक शिड्यूल बना दीजिये, दो शिड्यूल बना दीजिये, तीसरे शिड्यूल में कितनी बात लिख दीजिये, चाहे 29 लिख दीजिये, चाहे 39 लिख दीजिये अगर इन संस्थाओं को आपने संसाधन उपलब्ध नहीं कराये तो यह पंगु बनकर रह जाएंगी और सेल्फ गवर्नमेंट की बात तो बहुत दूर रही यह पहले पंचायत समिति और जिला परिषद् जो सुपरवाइजरी बॉडी थी लेकिन वह उसके स्तर, और उस हैसियत की भी नहीं रह सकेगी।

अन्त में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज के पुनर्गठन में, पंचायत समिति में, जिला परिषद् में, और ग्राम पंचायतों में आपको बहुत निष्पक्षता से ऐसे अधिकारी लगाने चाहिये, मैं तो यह सोच रहा था कि टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज को डिमार्क करने के लिए, डिलिमिट करने के लिये और रि-आर्गनाइज करने के लिये जो इलैक्शन कमीशन है, उसको आपको अधिकार देना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। मंत्रीजी, सुना आपने मेरा सुझाव क्या है? आप गर्दन हिला रहे हो। मेरा सुझाव यह है कि तीनों ही स्तर की पंचायत राज संस्थाओं को टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज के पुनर्गठन का अधिकार आपको इलैक्शन कमीशन को देना चाहिये। मेरा यह सुझाव है और मैं समझता हूं कि आप उस पर गौर करेंगे, मुख्य मंत्रीजी भी आ गये हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री सभापति : मुख्य मंत्रीजी सुन रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी को कौन सुनने देता है? वहां तो कई मुख्य मंत्रीजी के पीछे लगे रहते हैं। वह सुनने की कोशिश भी करते होंगे। मैं जाता हूं कमरे में, मुझे कोई सुनने नहीं देता, तो मैं हाउस में आकर बैठ जाता हूं। इसलिए व्यस्त रहने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए वहां क्या आराम करने की जगह है, वहां तो लोगों की भीड़ लगी

Page No.155

(श्री परसराम मदेरणा)

रहती है और, क्योंकि मुझे भी मुख्य मंत्री जी के पास जाने का एक ही अवसर मिला परसों शायद, जब एक बिल के सम्बन्ध में, कोई बात कर रहे थे, यह जो टेरिटोरियल कांस्टीट्यूएंसीज के सम्बन्ध में आप भी उपस्थित थे उसमें भी मेरा निवेदन करना यह है कि बहुत फोर्स पहले की थी, बाहर बैठी हुई तो कौन तो सुनने देता है लेकिन मैं तो मुख्य मंत्रीजी इतना ही निवेदन करूंगा कि अपने यहां एक कमीशन बना है, जो अभी बैठा है, वह है बैकवर्ड क्लासेज कमीशन। बैकवर्ड क्लासेज का आपने रिजर्वेशन किया है। इस बैकवर्ड क्लासेज कमीशन है न तो उसके पास कोई टेलीफोन है, न उसकी कोई सर्विसेज है, टेम्परेरी या परमानेंट। दूसरे राज्यों में यह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के मैम्बर हैं, वह परमानेंट मैम्बर हैं, उनको कुछ परविजिट्स सुविधाएं हैं, वह बिलकुल नहीं है। आज हम इस पोजिशन में नहीं हैं, सेंट्रल सर्विसेज में अब जो रिकमण्डेशन करनी चाहिए थी कि यहां पर क्या पर्सेंटेज मिली, वहां पर इस सम्बन्ध में हमने कोई रिकमण्डेशन नहीं भेजी है। अगर आपको कोई कमीशन ही बनाना है, तो बात अलग है लेकिन आप ऐसा नहीं करना कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की जो आज स्थिति बनी हुई है, क्या क्रिमिलेयर है क्या क्रिमिलेयर नहीं है कुछ लोग हमको पूछते हैं इस सम्बन्ध में कि सरकार को कुछ चीजें, जो डिटरमिन करनी हैं, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन में वह जल्दी ही डिटरमिन करनी चाहिए और फाइनेंस कमीशन एक इनडिपेंडेंट मैम्बर्स और चेयरमैन को बनाना चाहिए बहुत हिम्मत के साथ। जब तक कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के सिद्धान्तों के अनुरूप इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को आप सैल्फ गवर्निंग बाडीज नहीं बनाना चाहते और अगर यह आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं है आपमें तो कभी भी यह खड़ी नहीं हो सकती हैं, न तो जो हमारे सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है उसकी कोई पूर्ति होगी, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, न विकास की गति को हम आगे कोई नई दिशा दे सकेंगे इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो मूल बात है, मूलभूत आवश्यकता है उनको संसाधन उपलब्ध कराने की और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार को बहुत हिम्मत के साथ में कुछ स्टेप्स लेने चाहियें ताकि आने वाले समय में देश के सामने हम एक कीर्तिमान स्थापित कर सकें कि हमने जो रिसोर्सेज डिवोल्यूशन किया है वह राजस्थान में किसी ने नहीं किया, क्योंकि कीर्तिमान अपन दूसरी बातों में तो करें या न करें लेकिन यह एक इंडिविजुअल स्कीम का मामला नहीं है यह मामला राजस्थान के 3 करोड़ 40 लाख के भाग्य से सम्बन्ध रखता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप....

श्रीमती कमला : चार करोड़ कुछ हैं।

श्री परसराम मदेरणा : तीन करोड़ चालीस लाख हैं लेकिन अभी बढ़ गए होंगें।

श्री सभापति : 1 करोड़ चार लाख शहरी हैं 1991 की जनगणना में। 1 करोड़ 40 लाख शहर में बाकी सब गांव में।

श्री परसराम मदेरणा : बाकी सब गांव में तो टोटल कितने हैं ?

श्री सभापति : वह आप कर लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ 40 लाख या 3 करोड़ 42 लाख होंगे इससे ज्यादा नहीं है, मैं निवेदन कर रहा था कि उनके भाग्य से सम्बन्ध रखता है। विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, विकास की गंगा तभी बहेगी, विकास गंगा अपने आप ही नहीं बहती, कई दफा वह शिवजी की जटा में भी रह जाती है इसलिए फाइनेंस अगर आप नहीं देंगे तो गंगा न तो नीचे उतरने वाली है, न हरिद्वार आने वाली है, न आपको और हमको अवसर मिलेगा, यह अपने भी परिवार के लोगों के काम आने वाली नहीं, केवल एक ही बात रहेगी कि फूल डालने वाला मामला जो अधकचरा मामला रह जाएगा छोटी सी गंगा में। इसलिए आप हिम्मत करके आर्टिकल आॅफ फेथ समझिए कि हमें इन संस्थाओं को एक सैल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस बनाना है और इनको बनाकर के सभी शक्ति, उनकी रेस्पोंसिबिलिटीज, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके जो पावर्स हैं उसका वह सम्पादन और निर्वहन कर सकें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। पहली बात तो यह कहूंगा कि यह जल्दबाजी में लाया हुआ नहीं है। अभी यहां यह कहा गया कि यह जल्दबाजी में पास कराया गया, जल्दबाजी में बनाया गया और बिना सोचे-समझे बनाया गया। यह आप सब की जानकारी में है कि कई सेमिनार्स हमने करवाये, एक्सपर्ट्स के सुझाव लिये, इसको बहुत अच्छी तरह एग्जामिन करवाया और करीब 6-7 दिन तक आप सब के साथ बैठकर इस पर क्लाज बाई क्लाज हमने विचार किया, सुझाव लिये और ला कमीशन की रिपोर्ट थी, उनके जो सुझाव थे उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया। ऐसा कहना कि जल्दबाजी में, बिना सोचे-समझे यह किया गया, तो मैं समझता हूं कि यह बात कहां से आ गयी ?........

श्री परसराम मदेरणा : हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है पंचायत राज का वहां से एक माडल बिल आया था........

श्री नाथूसिंह : उसको भी पढ़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ा तो है मगर उसके कितने क्लाज आपने इनकारपोरेट कर लिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : याद थोड़े ही रहता है कि कितने कर लिये।

श्री नाथूसिंह : पहले हमने उसको भी पढ़ा और उसको हमने आधार भी बनाया। ऐसा नहीं है उसको छोड़ दिया हो। उसको आधार बनाया और उस आधार पर हमने........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी कान्फ्रेंस में माननीय मंत्रीजी को बुलाया गया था स्पेशल इनवाइटी के तौर पर। इनकी उपलब्धि कितनी बड़ी है इसी से अन्दाज लगा लो।

श्री नाथूसिंह : ...और आपको ध्यान होगा कि जब सेमिनार थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी दिन भर वहां बैठे और एक एक क्लाज पर कांसेंसस पर पहुंचे और उसके बाद भी अभी पूरा ध्यान देकर इस कानून को हम कैसे बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं, वह बनाने की कोशिश की। अब एक और बात का इम्प्रेशन दिया गया कि आप अमैंडमेंट की एक सूची ले आये, फिर दूसरी ले आये, फिर तीसरी ले आये और फिर चौथी ले आये। यह दोनों बातें आपकी कांट्राडिक्टरी हैं। यदि इतना डिस्कस करके एकोमोडेट नहीं करते, तो यह सूचियां कहां से आतीं और फिर आपने यह कहा कि यह फाइनल सूची जो आपने दी, आपका ही सुझाव था कि कन्सोलिडेट करके एक सूची दे देते......

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज बाई क्लाज में दी थी। उसके बाद में तो विचारार्थ आपका प्रस्ताव स्वीकार हो गया। आप इन सूचियों को बीच में बोल रहे हो। मोस्ट हैपहैजर्ड-वे में लाये। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सी जगह सेमिकोलन नहीं है, फुलस्टाप नहीं है। यह लाये उसकी सूची में नम्बर नहीं है। यह आपकी वजह से नहीं हुआ है, यह तो मैंने स्पीकर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कल यह बात कही थी कि इनको कंसोलिडेट कर दीजिए ताकि अगर कंसोलिडेट नहीं करते हैं तो एल.एल.एम. का इम्तिहान हो जाता और 3 किस्तों में पढ़नी पड़ती। एक ऐसा क्लाज है जिसमें 3 अमैंडमेंट हैं। तीन अमैंडमेंटस आपसे पढ़े ही नहीं जाते और आप होते घराशाही। आज यह अच्छा हो गया कि एक कंसोलिडेट आ गयी आपके सामने और पढ़ना पड़ा। आसानी हो गयी आपके लिये।

श्री नाथूसिंह : हमने इसको कल ही कंसोलिडेट करके कल ही सर्कुलेट करवा दी........

श्री परसराम मदेरणा : कल सर्कुलेट नहीं हुई है। कल रात को 12 बजे तो यहां साइक्लोस्टाइल हो रही थी।

श्री नाथूसिंह : कल 4 बजे ही हमने कंसोलिडेट करके दे दी थी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने दे दी। आपने तो एक दी होगी पर उनकी कापियां तो बहुत बनानी पड़ती हैं।

Page No.158

श्री नाथूसिंह : अभी यहां यह भी बात कही गयी कि यह रिजर्वेशन है यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। आपको ध्यान होगा अक्टूबर, 1992 में हमारे यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में इसी सरकार ने, पहले ही रिजर्वेशन दे दिया। यह 73 वां अमेंडमेंट तो बाद में आया है यहां। पहले ही दे दिया। अब इसके सदर्भ में तो बिल अभी लाये हैं........

श्री परसराम मदेरणा : देखिये, मैं समझता हूं कि उस समय जे. पी. सी. की रिपोर्ट आ गयी थी पार्लियामेंट के सामने। मैं जब मुख्य मंत्रीजी से मिलने गया था और मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं जे. पी. सी. की रिपोर्ट रात को लेकर आया हूं मैंने कहा कि उसकी प्रतिलिपि मुझे दे सकते हैं क्या ? आपने कहा कि मैं फोटो स्टेट करके आपके पास भेज दूंगा। आपने आधा घंटे में भेज दी। जून, 1992 में आ गयी थी। अक्टूबर में बिल लाये, तो आप खुद समझ रहे थे कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट तो होने वाला है तो उसी के अनुसार आपने राजस्थान पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट कर दिये। सिक्स्थ सेंस तो मैं डवलप नहीं कहूंगा लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि आप दूरदर्शी जरूर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि पार्लियामेंट ने इस मूल बिल को जो पेश हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया था। यह कोई हमारे ऊपर कम्पलशन नहीं था। उस रिजेक्शन के बाद में भी हमने अमेंडमेंट किये तो यह तो कम से कम तारीफ करें।

श्री परसराम मदेरणा : यह रिजेक्शन कब कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य सभा में।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो 1989 में कर दिया। जे. पी. सी. की रिपोर्ट जब जून, 1992 में आ गयी, आप सितम्बर में यहां बिल लेकर आये थे उस समय जे.पी.सी. की रिपोर्ट आपके हाथ में थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आप एक इंटेंशन तो समझते हैं ना।

श्री परसराम मदेरणा : 1989 की बात को 1992 में मुख्य मंत्रीजी कहां आप गोलमाल कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोलमाल कहां कर रहा हूं। 3 वर्ष आगे बढ़ा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जे. पी. सी. की रिपोर्ट आयी है और पार्लियामेंट में पेश हुई एक साल के डेलि-

(श्री परसराम मदेरणा)

डेलिबेशन के बाद में जून, 1992 में। आप यहां अमैंडिंग बिल लाये थे सितम्बर, 1992 में और आपको मालूम था कि कांस्टीट्यूशन में यह अमैंडमेंट होने वाले हैं। इसलिए दूरदर्शिता तो मैं इसको कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, इतना सा ही कह दो।

श्री परसराम मदेरणा : आप जानते थे कि यह तो होता रहेगा इसलिए हम इसका श्रेय लूट लें और फिर रिजर्वेशन हुई और हाइकोर्ट ने स्टे कर दिया। हमको भी आपके बारे में आशंका हैं। हमने पंचायत समितियों का सम्मेलन किया कि यह सरकार वापस कोई आर्डिनेंस लाना चाहती है, जो रिजर्वेशन किया है और जो प्रावधान जे. पी. सी. की रिपोर्ट के अनुसरण में है या उसकी कनफर्मिटी में है, उसमें चेंज करना चाहते हैं तो उस चर्चा के दौरान ही आपकी सरकार बरखास्त हो गयी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आपको सर्टीफिकेट मिल गया कि यह सरकार बरखास्त ठीक की या नहीं की।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने........

अनेक माननीय सदस्य : हो गया, हो गया।

श्री सभापति : आप सब सहमत हैं माननीय सदस्य ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयकों का पुरःस्थापन
राजस्थान पास बुक कृषि जोत (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पास बुक कृषि जोत (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक कृषि जोत (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान पास बुक कृषि जोत

(श्री गंगाराम चौधरी)

(संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री रघुवीर सिंह कौशल (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री समापति)

विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : समापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री समापति : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन)विधेयक, 1994 । श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय समापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री समापति : श्री विष्णु मोदी । मोदी जी, बहुत छोटा-सा यू. आई.टी. और उसका मामला है ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : यह मामला बहुत छोटा-सा है लेकिन इसके परिणाम बड़े गम्भीर होने वाले हैं ।

माननीय सभापति महोदय, ये दो बिल हमें इस तरह से पेश किये गये कि यह पुरःस्थापित किया कल और कापी आज सुबह मिली । यू. आई. टी. की सर्विसेज और जे. डी. ए. की सर्विसेस को आपस में इण्टर ट्रांसफर करने का यह बिल है । जब जे. डी. ए. बना था और यू. आई. टी. खतम हुई थी उस वक्त, यू. आई. टी. के जो कर्मचारी थे उनसे एक आप्शन लिया गया था । उस आप्शन में यह था कि आप क्या जे. डी. ए. की सर्विस में जाना चाहते हैं ? कुछ लोगों ने आप्शन दिया, कुछ ने नहीं दिया । अब जे. डी. ए. काम कर रहा था, लेकिन भंवरलाल जी शर्मा पहले भी जब मंत्री रहे और अब जब दुबारा स्वायत्त शासन मंत्री बने तब से इस जे. डी. ए. का सत्यानाश करने का काम उन्होंने शुरू कर रखा है । पहले कुछ स्कीमें जो जे. डी. ए. की थीं वे नगर निगम को ट्रांसफर कर दीं । वे स्कीमें आज तक यूं-की-यूं पड़ी है । इस देश में कितनी सारी डवलपमेंट अथारिटीज बनीं, एक भी डवलपमेंट अथारिटी में यह कानून नहीं है कि यू. आई. टी. और उसके अन्दर उनका ट्रांसफर होगा । एक भी डवलपमेंट अथारिटी में नहीं है । इसके पीछे मूल मंशा यह है कि इनके अपने चहेते जो इधर-उधर हैं उनको लाकर यहां जे. डी. ए. में बैठा दें । देश की किसी भी डवलपमेंट अथारिटी में यह कानून नहीं है कि उसके अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो । यह राजस्थान में ही क्यों शुरूआत हो रही है ? इसके

Page No.162

(श्री विष्णु मोदी)

पीछे मंशा सिर्फ यह है कि इस जयपुर डवलपमैंट अथारिटी का सत्यानाश किया जाए। इसकी स्कीमें जो ट्रांसफर की गयीं उसके पीछे भी यही नीयत थी और अब तो एक एक्सपर्टीज बन गयी है। इस डवलपमैंट अथारिटी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, अच्छा काम हो उसकी वकालत नहीं है। आप यू आई. टी, का इधर ट्रांसफर करेंगे, उधर से उधर करेंगे इससे सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ने के, अकार्यकुशलता बढ़ने के और कुछ नहीं होगा इसमें।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं इस पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : करिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यदि आप देखेंगे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस तो उन्होंने लिखा है—

"Under the existing provisions of the Jaipur Development Authority Act, 198?, the State Government has no power to transfer an officer or employee of Jaipur Development Authority, Jaipur to an Urban Improvement Trust. Situations may, however, arise where it is felt desirable to make such transfers in public interest. It is, therefore, proposed to insert new section 90-A in the Act, so as to acheve the purpose."

अब आप सेक्शन देखिये: 90-A, Power to transfer. कितने ब्लैंकेट पावर लिये गये हैं :

"The officers and employees of the Authority may, in accordance with the rules made under section 95, be transferred, by the State Government, to any Urban Improvement Trust in the State."

मेरा यह कहना है कि जब जयपुर डवलपमेंट अथारिटी एक ऐसी अथारिटी है जिसका एक निश्चित उद्देश्य है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की एक एक्सपर्टीज है तो अब कौनसा पब्लिक इन्ट्रेस्ट आ गया बीच में कि एक पर्टिकुलर एम्प्लायी को आप फार-फलग एरिया तक भी भेज दें? Such a power is bound to be misused.

सरकार की जो एक इण्डस्ट्री है ट्रांसफर इण्डस्ट्री, उसके विकास में निश्चित रूप से यह एक नया डाइमेंशन एड हो जाएगा। बिना बात कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना आएगी। इसका निश्चित रूप से मिसयूज किया जाएगा। और, मान्यवर, मुझे कहते हुए संकोच है कि You are trying to pack Jaipur Development Authority with R. S. S. people.

(श्री जगदीप धनखड़)

जहां भी कहीं प्रान्त से मिलेंगे आप उनको ढूंढ-ढूंढकर ले आएंगे । इस प्रकार का काम लैजिस्लेशन के माध्यम से क्यों किया जाए ? इतना ब्लैंकेट, अनरेगुलेटेड, अनक्वालिफाइड पावर टू ट्रांसफर आप ले लें ? इस प्रकार के मामलों से क्या होगा कि न्यायपालिका पर वजन बढ़ेगा । कर्मचारी न्याय प्राप्ति के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे और ट्रांसफर के पीछे जो भी कारण हैं वे सब उभर कर आ जाएंगे । कोई न्याय हित का कार्य नहीं है । किसी प्रकार का संकट नहीं है, कोई ऐसा कारण आपने नहीं बताया है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में, तो क्यों आप ऐसे पावर को ग्रेब करना चाहते हैं ? क्यों आप जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी के स्वरूप को बदलना चाहते हैं ? क्यों आप उन लोगों की एक्सपर्टीज को यहां काम में नहीं लेकर कहीं अन्यत्र काम में लेना चाहते हैं ? मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दूंगा कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए । इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा, उनमें असुरक्षा की भावना आएगी और न्यायपालिका पर निश्चित रूप से वजन बढ़ेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे एक क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्रीजी से सीक करना है । यह दूसरा बिल जो ला रहे हैं यू. आई. टी. अमेंडमेंट बिल, इसमें यू. आई. टी. के एम्प्लाइज को भी वहां भेजने की बात है ? इसका मतलब वहां सरप्लस तो नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई जा सकता है, आ सकता है ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई जा सकता है, आ सकता है उसमें आदमी ज्यादा नहीं हैं. मैं तो यह सोच रहा था कि वहां सरप्लस हो गया है । आप इधर ला रहे हैं और इधर का उधर कर रहे हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं । इनके फंक्शंस, इनकी ड्यूटीज को आप इण्टरमिंगल करने क्यों जा रहे हो ? यह तो एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आर. ए. एस. अफसर सेल्स टैक्स का डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा, एक्साइज में भी चला जाएगा और विकास अधिकारी भी हो जाएगा । ये अलग-अलग संस्थाएं हैं, आपस में इनकी सर्विसेज को या तो इंटीग्रेट करते थे आप । आप इस तरह ट्रांसफर कर रहे हैं, केवल ट्रांसफर के लिए पावर्स ले रहे हैं इसके पीछे आपका इण्टेंशन क्या है ? वैल इण्टेशन है या मैलाफाइड?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफर एक व्यवस्था है सरकार में । जहां जिस आदमी की उपयोगिता होती है, वहां ट्रांसफर किया जाता है । यही लिखा है हमने कि जिस व्यक्ति की जहां उपयोगिता होगी । आज हम कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कि यू. आई. टी. का व्यक्ति जे. डी. ए. में अच्छा काम कर सकता है, जे. डी. ए. का कोई अधिकारी यू. आई. टी. में जाकर अच्छा काम कर सकता है । उसका ट्रांसफर करने में पब्लिक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इण्ट्रेस्ट है या उस संस्थान को ठीक से चलाना ही एक उद्देश्य है। कई अधिकारी डेपुटेशन पर लेते हैं इसीलिए हम। यह जो सोचना कि हम इसे राजनैतिक उद्देश्य से करना चाहते हैं, यह सोच तो बिलकुल गलत है। "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

श्री जगदीप धनखड़ : टोटल विक्टिमाइजेशन करेंगे आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल न्यायपूर्वक करेंगे, उपयोग के लिए करेंगे और अच्छी संस्था चले इसके लिए करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2, श्री विष्णु मोदी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : यही है, माननीय सभापति महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही है न जो पहले कहा था ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियम सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री, जयपुर विकास प्राधिकरण पारित करने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994. श्रीमान् भंवर लालजी शर्मा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान 'नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी, वही बात है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी एक जवाब दे दें कि जितनी भी डवलपमेंट अथोरिटीज हैं हिन्दुस्तान में, इतनी जगह हैं उनमें क्या ऐसा प्रावधान है ? इसलिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह हमसे प्रेरणा ले लेंगे।

श्री सभापति : यह उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वे प्रेरणा ले लेंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। श्री विष्णु मोदी। पारित का प्रस्ताव करिये।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, बिराजें। कोई संशोधन नहीं है। पारित का प्रस्ताव कर दिया आपने।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया गया ।

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 माननीय गंगारामजी ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पास-बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास-बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

माननीय मंत्री महोदय पारित का प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पास-बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर यह परम्परा नहीं है लेकिन कंसीडरेशन स्टेज के ऊपर लोकसभा और राज्य सभा में इस प्रकार की जो परम्परा और वहां प्रीसीडेंट है कि कोई भी मिनिस्टर जब किसी बिल को विचारार्थ लेता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पर नहीं, कई दफा इंट्रोडक्शन स्टेज पर भी कि आप इस बिल को क्यों ला रहे हैं । आपका अच्छा विचार भी हो सकता है उसके सम्बन्ध में लेकिन संक्षेप में वह वहां पर उसके उद्देश्यों के बारे में सदन को जानकारी दे देता है । आज हुआ यह है, सभापति महोदय, कि एक तो हमारे पास हाथ में जो यह इतने बिल हैं । आज यहां पर दो ही कीर्तिमान स्थापित हुये हैं । एक तो यह हुआ है कि आप प्रातःकाल से लगातार यहां पर बैठे हैं और इसलिये यह आपकी रिहर्सल हो रही है किसी पद के लिये । आप इसको निश्चित तौर पर मानकर चलिये...

श्री सभापति : मैं ऐसे चंगुल में आने वाला नहीं हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा, जो अब हो गया है....

श्री रामस्वरूप : क्या दिक्कत आ रही है फायदा ही है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा, इतने बिल है मुख्य मंत्रीजी कि इनके टाइटल और हैडिंग्स पढ़ते-पढ़ते, कौनसा कहां है इसलिये मैं चाहता हूं राजस्व मंत्रीजी आप इस पास बुक के सम्बन्ध में जो डिलीट करवाना चाहते हैं, सैक्शन 6 और 7, यह प्रोविजोज यह आप क्यों करवाना चाहते हैं ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, सन् 1983 में यह पास बुक एक्ट पास किया गया और प्रेसीडेंट की असेंट के बाद में इसको लागू किया गया। उसके बाद इसकी क्रियान्विति की गयी, नियमानुसार पास बुकें बनायी गयी, बांटी गयीं। उद्देश्य उस वक्त यह था कि नेशनलाइज बैंक, को-आपरेटिव बैंक और दूसरे फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशंस से कृषक इस पास-बुक से अपने रिकार्ड का सबूत, अपनी जमीन के सबूत के रूप में पेश करके वह ऋण ले पाएगा या वह आर्थिक सहायता ले पाएगा। लेकिन उस वक्त में सभी किसानों को पास बुक बांटी नहीं जा सकीं। आज भी स्थिति यह है कि करीब 85 परसेंट खातेदारों और गैर खातेदारों को हम पास बुक दे पायें हैं। अभी तक 15 परसेन्ट कृषकों के पास में पास बुक नहीं है और इसलिये ये कुछ प्रोविजंस इसमें इस कानून में जोड़े गये थे कि यदि पास बुक किसी कृषक के पास उपलब्ध नहीं हो, तो वह अपना एक घोषणा-पत्र देकर रजिस्ट्री भी करवा सकता है और वह म्यूटेशन भी करवा सकता है। इन प्रोविजंस को देखकर बैंकों ने यह धारणा बना ली कि कृषक, जिसके पास में पास बुक मौजूद हो, वह शायद हलफनामा देकर के ऐसा करवा ले, तो उन्होंने इस पास बुक की एन्ट्रीज को रेकार्ड ऑफ राइट्स का सबूत नहीं माना और फिर भी वह बैंक अथोरिटीज यह कहती गयी कि हरेक कृषक जमाबन्दी की नकल लाये, रेकार्ड ऑफ राइट्स की प्रमाणित प्रति लाये। इसलिये पास बुक का मतलब हल नहीं हुआ है, इस कारण इस बात पर दुबारा सोचा गया और सन् 1991-92 में बैंक अथोरिटीज से राजस्व विभाग ने चर्चा की, परामर्श किया, सलाह की और उसके बाद में यह प्रारूप उस वक्त तैयार हो गया था लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण वह पेश नहीं किया जा सका। जब दुबारा सरकार बनी तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कुछ अधिकारीगण से और कुछ स्थानीय बैंक अधिकारीगण से सलाह मशविरा किया और उन्होंने ये कुछ बातें जो बतायीं कि अगर इस प्रकार के संशोधन और प्रशासनिक आदेश अभी अगर जारी कर देते हैं तो हम इस पास बुक को पूर्णतया मान्यता,

Page No.168

(श्री गंगाराम चौधरी)

रिकार्ड आफ राइट्स की एण्ट्रीज को दे देंगे। उन्होंने यह कहा कि हर हस्तान्तरण, ट्रांसफर के वक्त में जब रजिस्ट्री कराने के लिये क्रेता और विक्रेता दोनों जाते हैं तो दोनों के पास बुक वहां पर रजिस्ट्रिंग अथोरिटी के पास में पेश हो जाए और रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी, उस पास बुक के अन्दर एण्ट्री कर दे, दोनों के अन्दर, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की पास-बुक के अन्दर यह एण्ट्री कर दे कि फलां जमीन का इतना भाग इस आदमी ने खरीदा, इस आदमी ने बेचा है वह एण्ट्री उसमें कर दे।

दूसरा, उन्होंने यह कहा है, कि म्यूटेशंस के वक्त में, म्यूटेशन जब करे तब भी दोनों पास बुक या एक पास बुक, म्यूटेशन तो एक का भी हो सकता है। खातेदार गुजर जाये तो उसके वारिसों के हक में म्यूटेशन हो, उस वक्त भी जिन खातों में म्यूटेशन नामान्तरण करना हो, जिन खातों में हेराफेरी करनी हो वह पास-बुक म्यूटेशन के वक्त में मौजूद हो और म्यूटेशन तभी पास हो जब पास बुक के अन्दर एण्ट्री कर दी जाए और म्यूटेशन पास हो। यह अगर आप कानून में प्रावधान कर देते हैं, एक बात।

दूसरी, उन्होंने कही कि यदि सभी कृषकों को, खातेदार, गैर खातेदार सभी कृषकों को प्रत्येक को पास बुक दे देते हैं।

तीसरी बात, कही उन्होंने यह कि यदि किसी निर्धारित तिथि तक रिकार्ड ऑफ राइट्स जो राजस्थान में उपलब्ध है वह सारा अपडेट हो जाये और पासबुक किसानों के पास में जो आज दे रखी है उन पास बुक के अन्दर भी एक पर्टिकुलर डेट तक एण्ट्री एफिडेविट हो जाए तब उसके बाद में जमाबन्दी की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पास बुक से हम यह मान लें कि यह वैरिफाइड तहसीलदार ने फलां तारीख तक एण्ट्रीज कर दी हैं, उसके बाद में जो भी एण्ट्री होगी वह नियमों के अनुसार होगी। तो हम पास बुक को पूरी मान्यता दे देंगे। यह बात बैंक अथोरिटीज ने कही, उसकी तामील में हम यह अमेंडमेंट ला रहे हैं कि अब जो भी प्रोविजन.....

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यह कह रहा था कि अमेंडमेंट ठीक है इसको आप रिकार्ड ऑफ राइट्स बनाना चाहते हैं जो एफिडेविट वगैरह दूसरे जरिये से, वह बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते थे और इसको रिकार्ड ऑफ राइट्स नहीं मान रहे थे। मैं यह कह रहा हूं कि आपके पूरे राजस्थान के अन्दर आज यह पास बुक खातेदारों को ही देते हैं या गैर खातेदारों को या टीनेंट या सब-टीनेंट को भी देते हैं।

दूसरा, अगर 85 पर्सेंट किसानों के पास में हां पास बुक है, 15 पर्सेंट के पास में नहीं है, तो यह 15 पर्सेंट की पास बुक आप कब तक तैयार करवा लेंगे। और इसकी गारन्टी क्या है राजस्व मंत्रीजी

(श्री परसराम मदेरणा)

जमाबन्दी है या खतौनी है वह किसी भी पटवारी के पास 4 साल में पूरी नहीं होती है, आप कलक्टर्स कांफ्रेंस में पूछ लेना। आपको दूसरी जगह एडीशनल स्टाफ लगा कर छह साल में और कई जगहों पर साढ़े पांच साल में पूरी होती है, वह भी तो रेकार्ड आफ राइट्स है उसको अपडेटिंग करने के बारे में क्या गारंटी है, वह खतौनी अपडेटेड रहेगी और यह भी आपको अपडेटेड रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई लेप्स नहीं होगा, यह यार्ड स्टिक क्या रहेगा आपके पास में ? कुल काश्तकार कितने हैं ? 40 लाख हैं, 50 लाख हैं या 60 लाख है, इनमें से कितने काश्तकार हैं ? और इनमें से को-आपरेटिव्ज से जो लोन लेते हैं उनके लिए तो शायद मेरी समझ में इसकी आवश्यकता नहीं है एन्ट्री कराने की, या है ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चोधरी : सभापति महोदय, रेकार्ड आफ राइट्स अपडेटेड करना और कितने काश्तकारों के पास अब तक है और कितनों के पास नहीं है, सभापति महोदय, कुल 55 लाख हमारे यहां कृषक हैं, 55 लाख कृषकों में खातेदारी

श्री सभापति : कृपया सुनिये, माननीय सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री गंगाराम चोधरी : खातेदार और गैर-खातेदार हैं, दोनों हैं और पास बुक दोनों को ही दी जाती है, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि कानून के अन्दर प्रावधान है कि गैर-खातेदार भी कर्जा ले सकता है नेशनलाइज्ड बैंक से, दोनों को ही हम पास बुक देते हैं। उनमें से 85 पर्सेंट के पास है बाकी के पास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : संख्या क्या है ?

श्री गंगाराम चोधरी : यह प्रश्न आपने उठाया है....

श्री सभापति : 85 पर्सेंट के पास है 55 लाख में से।

श्री गंगाराम चोधरी : 55 लाख में से 85 पर्सेंट के पास है और 15 पर्सेंट के पास नहीं है...... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं कि 85 पर्सेंट को आपने पहले दे दी और उनमें यह एण्ट्री नहीं है, क्या वे पास-बुक वापस लेकर उनमें एण्ट्री करेंगे या नये सिरे से उनको देनी पड़ेगी ? अगर उनको देनी पड़ी तो यह सेंट पर्सेंट बिना पास बुक के हो गये, एण्ट्री करेंगे तो सेंट पर्सेंट बिना पास बुक्स के हो गये आज की तारीख में।

श्री गंगाराम चोधरी : हां, मैं बता रहा हूं कि सभी को एक दफा अपडेटेड

(श्री गंगाराम चौधरी)

करवानी पड़ेगी और वह किस तरह से होगी वह मैं सदन के सामने अर्ज कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, एक तिथि मुकर्र की जाएगी, 30 जून से पहले सारा कार्यक्रम रेकार्ड ग्राफ अपडेटेड का, पास बुक्स में अपडेटेड एण्ट्री करवाने का सारा काम भी जून तक करना चाहते हैं। एक डेट देने के बाद उस डेट तक हमारी जमाबन्दी भी अप-टू-डेट हो जाएगी और उस तारीख के बाद में उस तारीख तक की एण्ट्री पास बुक्स में भी की जाएगी, एक तरह के अभियान के जरिए। यह अभियान कोई एक दिन का नहीं रहेगा, उसको हमको लगातार कई दिन तक कायम रखना पड़ेगा। गांव के अन्दर जमाबन्दी काश्तकारों को पढ़कर सुनानी पड़ती है, उसमें करेक्शन अप-टू-डेट करना पड़ता है और उसके बाद में पास बुक्स में एण्ट्री आएगी। इस तरह से सारे कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं, उस तिथि तक अटेस्टेड एण्ट्री पास बुक्स में हो जाएगी और उसके बाद में यह कानून लागू हो जायेगा तब इस कानून के अन्तर्गत हर एण्ट्री, हर स्टेज पर कोई भी रद्दो-बदल उस रेकार्ड की, हर रेकार्ड की उसमें एण्ट्री हो जाएगी और इस तरह से यह कार्यक्रम पूरा किया जाएगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास-बुक्स (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पास-बुक्स (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994–माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने ठीक ही कहा था कि इतने सारे बिल्स हैं और आप जिस तरह से रश-थ्रू कर रहे हैं, सेल्स टैक्स का, जो बिल लेकर आये हैं उसके एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स भी नहीं हैं कि आप क्या लेकर आये हैं, किस बारे में है और क्या पास कराना चाहते हैं?

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : कोई रश-थ्रू नहीं कर रहे हैं रात भर बैठेंगे।

श्री विष्णु मोदी : यह इससे ही मालूम होता है कि क्या तो आपकी इन्टेंशंस है, क्या इस सरकार की इन्टेंशंस हैं और क्या लेजिस्लेशन के काम को कितनी इम्पोर्टेन्स दे रखी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर आप यह चाहते हैं कि सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए ?

श्री विष्णु मोदी : जी, सलेक्ट कमेटी......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पर खूब खुलासा, विचार किया जाए, यह चाहते हैं ? हां, तो हम सलेक्ट कमेटी का मूव कर देंगे।

श्री सभापति : नहीं, माननीय नेता महोदय, प्रवर समिति को जाएगा लेकिन इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स तो होने चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : एम्स एण्ड आब्जेक्टस भी नहीं हैं। यह तो मुझे पता है कि आप प्रवर समिति को सौंपने के लिये लेकर आये हैं लेकिन किसी भी कानून को, आप तो खुद इतने वर्षों से यहां पर हैं, इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स भी नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, इंगलिश ट्रांसलेशन इसकी कहां है ? दूसरी यह बात है कि मैं भी ऐसा सोच रहा था कि जो प्रस्ताव बजट में (व्यवधान)....

श्री शांति कुमार धारीवाल : है तो गलत जगह पर है, नहीं मानते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : यह भी छिपा कर दिया है, यह भी साफ तरीके से नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपयुक्त स्थान पर नहीं है एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स हमेशा पहले या दूसरे पेज पर होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही है कि उपयुक्त व्यक्ति के पास नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पेज 68 पर उद्देश्य और कारणों का कथन और वित्तीय ज्ञापन भी साथ-साथ लगे हुए हैं, यह आपकी आपत्ति गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : आब्जेक्ट्स तो बहुत बढ़िया हैं। यह पूरा, सभापति महोदय, 100 क्लोजेज का बिल है और मुख्य मंत्रीजी बजट लेकर आये हैं 210 पैराग्राफ्स का, पूरा आस्पिरशस फिगर है, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह अभी पारित कैसे होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पारित नहीं होगा, प्रवर समिति को....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, तो फिर विचारार्थ क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचारार्थ के बाद ही में आएगा।

श्री सभापति : विचारार्थ के बाद ही प्रवर समिति का आएगा।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा।

श्री सभापति : पेश करें प्रवर समिति का।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को प्रवर समिति को रेफर किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : नाम तो बतायें।

श्री सभापति : नाम बाद में घोषित कर देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन सी प्रवर समिति के ?

श्री सभापति : प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में हो जाएगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में कर दी जाएगी और समिति का प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले दिन सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, अभी दो दिन पहले ही हमारे जिले में इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि तमाम फसल चौपट हो गयी, बर्बाद हो गयी तो पहले तो मैसेज.... (व्यवधान)... सुनिये आप, वहां के किसान यह मैसेज चाहते थे इस हाउस से उठने के पहले कि आपकी जो सीमा है प्रति एकड़

(श्री हरिसिंह)

साढ़े सात सौ रुपये प्रति बीघा, उनके लिए रिलीफ देने की मैक्सिमम सीमा एक हजार रुपये की है आपकी, उसमें कोई बढ़ोतरी हो, वह यह चाहते थे, भूखे और परेशान लोग आपकी तरफ देख रहे थे कि सदन से क्या मैसेज जाएगा, बढ़ौतरी करने से पहले किसानों को यह मैसेज जाना चाहिए उनके अपने दामों में, उनके पेट भरने में, राहत देने में क्या मैसेज आपने दिया ? इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बढ़ौतरी का बिल पास हो, उसके पहले मैसेज हाउस से उन किसानों की रिलीफ के लिये क्या मैसेज दिया जा रहा है ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

पारित के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि 'राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994-श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारी तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

Page No.174

(श्री सभापति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान) बिराजिये। अब स्टेज निकल गयी। माननीय सदस्य बिराजिये। विचारार्थ का ध्यान रखना चाहिये था। बिराजिये। नहीं, अब अवसर नहीं दूंगा। बिराजिये।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 6 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : "For sub clause (b) of clause 6 of the Rajasthan Legislative Assembly Officers and Members Emoluments and Pension (IInd Amendment) Bill, 1994 (Bill No. 21 of 1994), the following be substiuted, namely :

In sub-section (2) for the words 'a fixed allowance of rupees 2,000/— "the words 'a constituency allowance of rupees 4,000/— ' shall be substituted."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र नामादि स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल पारित के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री अमरा राम : सभापति महोदय....

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भीमसेन चौधरी।

याचिका का उपस्थापन

राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा बीकानेर से खाजूवाला की वास्तविक दूरी के अनुसार किराया वसूल किया जाना

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं बीकानेर से खाजूवाला की वास्तविक दूरी 113 किमी. के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री किराये वसूल किये जाने की व्यवस्था के साथ यात्रियों से 11 किमी. की दूरी के अब तक वसूल की गई अतिरिक्त किराया राशि से यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए व्यय करने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

(17.55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री रामस्वरूप : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : विद्युत मण्डल की वार्षिक प्रतिवेदन....

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन पर

श्री रामस्वरूप : नहीं नहीं, इनफार्मेशन है मेरी।

श्री अध्यक्ष : पहले ये रख दें, फिर उठा लेना।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91

श्री रघुवीर सिंह कौशल : (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 सदन की मेज पर रखता हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : अब शून्यकाल ।

मैंने जैसा कहा कि शून्यकाल में जो श्री माननीय सदस्य ऐसे हैं, आप उनको मौका दीजिये जो इस सत्र में....

श्री रामनारायण मीणा : मेरे जैसे ।

श्री अध्यक्ष : आप कह देना मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं अपना सुझाव दे रहा हूं कि जो माननीय सदस्य कोई प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी विषय पर नहीं बोल पाये हों, यदि उनको अपनी कोई बात कहानी हो, तो आप उनको मौका दीजिये बाकी सब बोलें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । ऐसा कोई माननीय सदस्य है, जो इस सत्र में नहीं बोला हो और आपने क्षेत्र की समस्या रखनी हो, तो कृपया बोलें । नहीं है । श्री रामस्वरूपजी, अब बोलिये पाइंट आफ- इन्फार्मेशन क्या है आपकी ?

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महान तीर्थ स्थान मेंहदीपुर के बालाजी में सरकार के द्वारा पिछली बार एक सड़क को चौड़ा किया गया था, धर्मशालाएं तोड़ी गयी थीं, विकास कार्य शुरू किये गये थे, बहुत अच्छी बात थी । सारी जनता को खुशी हुई थी । धर्मशालाएं टूट गयी, दुकानें टूट गयी, सड़क तो चौड़ी हो जाएगी । बाहर से आने वाले हजारों-लाखों यात्रियों को आराम मिल जाएगा लेकिन बड़े दुःख की बात है, सड़क का जो मलबा गिरा था वह सारा मलबा सड़क पर ही पड़ा हुआ है । उसकी वजह से कल एक्सीडेंट हुआ, उस ऐक्सीडेंट की वजह से दो व्यक्ति मारे गये, भीड़ में आपस में घायल हो गये । ट्रैफिक 4 घंटे तक जाम रहा । मेरा निवेदन है कि अब उस मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, सड़क को चौड़ा किया जाए और जो कार्य नालियों और सड़क का बन्द कर दिया गया था । उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए ताकि जो भयंकर दुर्घटना हुई है, भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादी लाल जी । ....(व्यवधान) पहले ये बोल लें । परसादी लालजी । सब का नाम आएगा । देखिये, मैं आज इस तसल्ली से बैठा हूं जब तक आप बैठना चाहें, बैठें, जितना बोलना चाहें, बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो जाना चाहें ?

श्री अध्यक्ष : सदन की जब तक मर्जी हो सदन चलायें, जब सदन कहें कि

(श्री ग्रध्यक्ष)

नहीं अब नहीं, तो फिर मैं सोचूंगा। ग्रभी तो ग्राप बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : ग्रध्यक्ष महोदय, 5 ग्रौर 6 तारीख को जिस प्रकार से प्राकृतिक ग्रापदा से किसानों की तबाही हुई ग्रौर उस पर यहां चर्चा हुई। उस चर्चा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सभी सदस्य ग्रपने इलाके में जाकर तबाही के बारे में सूचना एकत्र करें।

ग्रध्यक्ष महोदय, किस तरह की तबाही हुई, किस तरह से किसानों की खड़ी फसल, जैसे कोई बिलकुल ही साफ करके, किसानों को इस स्थिति से भी नहीं छोड़ा, उसमें ग्रपने बीज भी उनको मिले। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 47 गांवों में किसानों की खड़ी फसल ऐसे बरबाद हो गयी, किसानों का एक दाना भी, गेहूं ग्रौर चने की जो भी फसल थी, सारी चौपट हो गयी ग्रौर चौपट होने के बाद न कोई खाने को दाना है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज : ग्रार्डर प्लीज।

श्री परसादीलाल मीणा : न मवेशियों को चराने के लिये किसी प्रकार का उनके पास साधन है जो किसान ग्राज खुशहाल होता, जो एक ग्राशा संजोये बैठा था कि हमको कुछ फसलें मिलेंगी, मैंने कल सभी गांवों में जाकर, मैंने एक-एक गांव का निरीक्षण किया ग्रौर किसानों की फसल काटने लायक नहीं रही, सारी फसल चौपट हो गयी। ग्राज किसान को किसी बैंक का कर्ज देना है, किसी को डीजल का पेमेंट करना है, किसी को जुताई का पेमेंट करना है, किसी को खाद का पेमेंट करना है, बीज का पेमेंट करना है। ग्राज किसान से एक शब्द भी ग्रात्मा से नहीं निकल रहा है, कि ग्राखिर हमारे साथ क्या हुग्रा, हम क्या करेंगे, क्या खायेंगे, क्या मवेशियों को खिलायेंगे ग्रौर हम ग्रागे हमारे पैरों पर कैसे खड़े होंगे। ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की तबाही के लिए गांव वाले कहते हैं कि ऐसी तबाही पिछले 100 सालों में भी उन गांवों में नहीं हुई, जिन गांवों में यह घटना हुई है।

ग्रध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि वहां के ग्रधिकारियों ने वहां जाकर संवेदनशीलता दिखायी। पांच तारीख को ग्रतिवृष्टि हुई, छह तारीख को सारे ग्रधिकारी गांव-गांव में पहुच गये। कल मैं गया, मुझे सब गांवों में वहां पर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राज उन ग्रधिकारियों के पास भी शब्द नहीं हैं कि हम ग्रापकी क्या मदद करेंगे। जिस तरह से खराबा हुग्रा है, मुख्य मंत्रीजी शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी हैं ग्रौर उन गांवों में नष्ट हुई हैं जहां पर इंजिन से कमाई हुई थी। ग्राठ रुपये प्रति लीटर डीजल से लोगों ने गेहूं की फसलें की थीं। मुझे 2-3 गांवों में लोग यह कह रहे थे कि, माननीय एम. एल. ए. साहब, ऐसी फसल हमारे यहां 10-20 सालों में भी नहीं हुई। क्या यह फसल सिर्फ

(श्री परसादी लाल मीणा)

जाने के लिए ही हुई थी। मुख्य मंत्रीजी; यह मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनका जिस तरह का करुण-क्रंदन मैंने देखा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गये। इस तरह से इनको देखा नहीं जाता। फसलें खेतों में पड़ी हैं।

(18.00)

एक दाना भी खेतों में से नहीं उठा सकते हैं। गांव वाले कह रहे थे कि एक-एक फीट तक खेतों में ओलों के ढेर पड़े हुए थे। हर खेत में एक फीट की चादर ओलों की बिछी हुई थी। एक दिन तक, सारे दिन तक वह पिघले नहीं। आज एक भी दाना किसानों के पास नहीं है। मैंने एक-एक गांव, 47 गांवों को कल सुबह पांच बजे से रात को दस बजे तक देखा है, एक-एक गांव में मिला हूं। आज उन लोगों को हम क्या मदद करें, नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया में सारा नुकसान हुआ है, किसान ने आठ रुपये लीटर डीजल ले जाकर खेती की है, एक-एक किसान कह रहा था कि हमारे पच्चीस-पच्चीस हजार, तीस-तीस हजार रुपये खर्च हुए हैं, आखिर हमने जिनसे कर्जा लिया है उनको कर्जा कहां से देंगे। आगामी फसल हम कैसे करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज किसान बहुत विपत्ति में हैं। पहले वहां पर 24 गांवों की सूचना आई थी, जब मैं वहां पर गया तो एक ही पट्टी मैंने मुख्य मंत्रीजी, आपको दिखायी, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप स्वयं वहां पर चलिये और लोगों को ढाढ़स बंधाइये कि हम आपको इस तरह सहायता करेंगे, इस तरह आपको पैरों पर खड़ा करेंगे। मैंने देखा है, एक किसान के पच्चीस बीघा पक्के गेहूं, 19 बीघा चने, एक दाना भी उनमें नहीं रहा है। उनके एक-एक, दो-दो, आठ-आठ इंच के टुकड़े ओलों ने कर दिये। पहले यह कहते थे किसान कि ओले गोल आते हैं, अब कहते हैं कि धारदार ओले आये हैं जिन्होंने सब चौपट कर दिया। आठ-दस लोगों के मकानों की पट्टियां टूट गयीं, हजारों आम के पेड़ टूट गये। एक गांव है मेरे धोली, वहां पर पांच हजार एक ही गांव में आम के पेड़ थे, आज उन किसानों के दूसरी फसल नहीं होती, सारे आमों में से एक रुपये की भी उनकी फसल नहीं रही। यह कहते हैं कि हमारी पांच हजार की इनकम है। आज उन किसानों का कैसे गुजारा चलेगा, कैसे वह लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे, क्या खायेंगे, क्या खिलायेंगे, बच्चे-बच्चियों को पढ़ाने लायक भी उनकी स्थिति नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय, आज उन गांवों की हालत देखने लायक है, भगवान ने यह कैसी विपत्ति इनको दी है। प्रशासन वहां पर थोड़ी सजगता दिखाकर एक-एक किसान की रिपोर्ट बना रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप खाने का इंतजाम करिये, आप दीर्घकालीन उनको कर्जा दीजिए। जो गांव आज इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं और उन गांवों में तबाही हुई है, आप उन गांवों को इलेक्ट्रिफाइड कीजिए, जितनी मदद

(श्री परसादी लाल मीणा)

आप दे सकते हैं आपके नियमों में, उनको हेरफेर करिये, उनको बदलिये और भारत सरकार से भी कह कर आप प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी स्वयं रिक्वेस्ट करें। मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं चलकर उन गांवों की तबाही देखें। दौसा और लालसोट में गांवों की जो भीषण तबाही हुई है, ऐसी भयंकर तबाही कभी सौ साल में भी किसानों की नहीं हुई। आज किसान बिलकुल खाली बैठा हुआ है, लोग रो रहे हैं, बच्चे, औरतें रो रही हैं सब, आज अधिकारी कोई जाएगा उसको इस तरह देखते हैं कि हमको कुछ देने आया है, हमको कुछ ढाढ़स बंधाने आया है और, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास क्या है, उन अधिकारियों के पास क्या है, वह रिपोर्ट बना सकते हैं। कई लोग तो यह कहते हैं कि रिपोर्ट का क्या होगा, हमको कब सहायता मिलेगी, हमारे मवेशी क्या खायेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, हालत यह है कि आज किसान को कोई ढाढ़स बंधाने वाला नहीं, किसान का कोई मालिक नहीं, आज किसान बिलकुल चौराहे पर खड़ा है, आज बिलकुल सड़क पर खड़ा है। आज वह कहां जाये, उसके मकान भी टूट गये, उसकी फसल बरबाद हो गई, आगामी फसल करने के लिए उतना ही कर्जा चाहिए, उनको उतना ही डीजल चाहिए। उनको आज खेती का एक दाना नहीं मिला। मैं स्वयं गांव-गांव में गया हूं। 15-20 हजार जो आम की खेती थी वह नष्ट हो गई। हजारों किसानों की खेती में से एक दाना भी नहीं मिला। जिनकी खड़ी फसल थी वह तो शत-प्रतिशत बरबाद हो गई और जो खेत में काटकर रखी थी उसमें भी अस्सी प्रतिशत नुकसान है। मैं आठ दस पूले यहां पर मेरी गाड़ी में लाया हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सुबह दिखाऊंगा कि किस तरह की तबाही हुई है, इस तरह तो कभी किसानों ने तबाही हुई नहीं देखी थी।

आपसे मेरी प्रार्थना है, मुख्य मंत्रीजी, आप स्वयं चलने के लिए आश्वस्त करिये कि मैं वहां फलां तारीख को चलूंगा, लोगों के दुख-दर्द सुनूंगा। जो भी आप दे सकते हैं उनको दीजिए। जो भी आप उनको इस विपत्ति में धैर्य बंधा सकते हैं, वह धैर्य बंधाइये। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इस तरह की तबाही, अध्यक्ष महोदय, हुई है। यह ऊपर का पेड़ है चने का, इसमें एक भी दाना नहीं है। इस तरह के हजारों किसानों के उदाहरण हैं। इसी तरह गेहूं की बालियों के, गेहूं की बालियों में एक बाली भी वहां नहीं है, इस तरह की भयंकर तबाही कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि ओले पड़ते हैं, छोटे-मोटे पड़कर चले जाते हैं पर एक तरह से कहर बरपाया है, एक पट्टी में होकर वह निकला है, उसका बिलकुल सत्यानाश करते हुए निकल गया।

मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है, मुख्य मंत्रीजी, कि आप स्वयं चलने का समय

(श्री पन्सादी लाल मीणा)

दीजिए और मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूं कि किसान आज चौराहे पर खड़ा है, आप उनको किसी भी तरह धैर्य बंधाइये, मदद करिये, मेरी पहली प्रार्थना तो आपसे यही है कि जो बिलकुल नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, 15-20-25 गांव ऐसे हैं, आप उनको बिजली भी दे दें तो किसान यह सोचेंगे कि अब इंजन का हमारा डीजल का खर्चा तो नहीं लगेगा। कई किसानों के, जो बिजली के पांच-सात गांव हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे डिमाण्ड नोटिस अभी इसमें निकले हैं, उनके पैसे कहां से जमा करायेंगे। मुख्य मंत्रीजी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि उस डिमाण्ड नोटिस की अवधि बढ़ाइये जिससे किसानों की फाइल कैंसिल न हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप वहां चलकर किसानों को ढाढ़स बंधाइये। मैं यह सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। मैं बोल रहा हूं नाम, एक-एक का बोल रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन-प्रस्ताव भी दिया था वह आया नहीं कि यहां से अजमेर रोड पर दस किलोमीटर पर चुंगी नाका है और उस चुंगी नाके से ही लगे हुए हमारे केशुपुरा गांव, कमला नेहरू नगर और केशरीचन्द नगर है। उस चुंगी नाके पर रास्ता जाम हो जाता है, ट्रक जाते हैं और उस चुंगी की वजह से जब ट्रक वहां से भागते हैं बचने के लिए तो रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। पिछले दो महीने में पांच एक्सीडेंट हुए हैं और उन्हीं गांवों और उसी क्षेत्र के पांच आदमी मारे गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उस चुंगी नाके को, क्योंकि अब वहां दो कालोनियां बस गयी हैं, कमला नेहरू नगर, केशरीचन्द चौधरी नगर और केशुपुरा गांव भी उसमें लगा हुआ है इसलिए उस चुंगी नाके को वहां से आगे हटायें ताकि रोजाना की होने वाली जो मौतें हैं उससे हमारे वहां के रहने वालों को बचाया जा सके।

दूसरा, मेरा निवेदन आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को यह है कि हमारे सांगानेर क्षेत्र में अभी अकाल घोषित नहीं किया गया था उसके बाद में अब यह जो कहर हुआ है, बीस गांवों में तो एकदम से कुछ भी नहीं बचा है, पांच पंचायतों के बीस गांवों में तो नब्बे प्रतिशत खेती खतम हो गयी है, लोगों के घर खतम हो गये हैं, झोंपड़िया टूट गयी हैं। वहां पर उनको आज जो सुविधा दे सकते हैं वह तो दिलायें ही, उसके अलावा कुछ राहत कार्य भी खोलिये, क्योंकि अब आगे के छह माह तक उनको कोई अनाज आने वाला नहीं है और जिस प्रकार अभी हमारे माननीय

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

सदस्य कह रहे थे, न उनके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे हैं, न उनके खाने के लिए अनाज है, इसलिए उनके लिए अनुदान तो जो आपका कानून है उसके अनुसार ही देंगे लेकिन कुछ राहत कार्य भी खोलेंगे तो उन लोगों का खाने का प्रबन्ध हो सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस ओलावृष्टि पर मुख्य मंत्रीजी कुछ फरमा दें तो ...

श्री जगदीप धनखड़ : पहले बरसात हुई थी तो आपने कहा था कि इन्द्र देवता की आप पर भारी कृपा है। आपके मुख्य मंत्री बनते ही जब बरसात हुई तो आपने कहा—"इन्द्र देवता की आप पर भारी कृपा है," अब वह इन्द्र देवता आपसे नाराज हो गये तो किसानों को कुछ राहत दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं आपके कहने से इन्द्र देवता मेरे से नाराज नहीं होने वाले, आपकी अभी तक वहां पहुंच नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बात करते हैं रोजाना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है मेरी भी उसी प्रकार की सहानुभूति है। मैं कल प्रातः काल सात बजे यहां से रवाना हुआ था और मैंने चौमूं, बैराठ, शाहपुरा, गोविन्दगढ़, माननीय घनश्यामजी और माननीय कमला जी के साथ उन क्षेत्रों में प्रवास किया है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की हानि हुई है। आज प्रातःकाल सुबह सात बजे निकल कर मैंने अलवर की थानागाजी तहसील, राजगढ़ तहसील और दौसा के क्षेत्रों का दौरा किया और मेरा विचार था कि मैं स्वयं आज लालसोट पहुंचूं और लालसोट जाकर आऊं लेकिन विधान सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में मुझे सूचना मिली कि मैं तुरंत ही यहां पहुंचूं। मैं आ गया, माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि देखूं या नहीं देखूं लेकिन जो नमूना देखा है उस नमूने से निश्चित रूप से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है और उस दृष्टि से भी सारे जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिये हैं कि अब तक के जो नार्म्स हैं उन नार्म्स के आधार पर तो तत्काल सहायता शुरू कर दें और इसमें और सहायता किस प्रकार से दी जा सकती है, 15 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक रख कर उस पर विचार-विमर्श करूंगा और जहां तक सम्भव हो सका, ज्यादा से ज्यादा मैं सहायता देने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भवरसिंह।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोटन में स्थित नियोन निर्माण कम्पनी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। यह कम्पनी श्री मालोटिया के 51 प्रतिशत शेयर, आर. एफ. सी., रीको व आर. एस. एम. डी. सी. के 49 पर्सेंट शेयर से बनी है। निर्माण करते वक्त कस्ट्रक्शन कोस्ट को ज्यादा दिखाकर मशीनों में लगने वाले स्क्रैप को बेचकर श्री मालोटिया ने इतना धन कमाया कि उनकी पूंजी करीब-करीब निकल गयी। उसके निर्माण के बाद जितना भी कच्चा माल आया उसका ओवरबिलिंग किया और ओवरबिलिंग करके सारी शेष पूंजी निकाल ली। ज्योंहि तीन साल बीते मजदूरों को जब जी. पी. एफ. देने का टाइम आया, उनको पक्का करने का टाइम आया तो इन्होंने बिना कोई नोटिस दिए इस फैक्ट्री को बन्द कर दिया। आज वहां के सारे मजदूर बिना तनख्वाह, उनके बच्चे, उनकी औरतें दाने-दाने को मोहताज हो रहे हैं।

श्रीमान, मैं आपको निवेदन कर दूं कि इन्होंने जितना भी पैसा लगाया उससे अधिक वापस ले लिया। अपने साले के नाम से एक सिस्टर यूनिट खड़ी की। उसकी तालाबन्दी कर उधर धधा करना शुरू कर दिया। आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में आज भी उस फैक्ट्री में एक साल चलने तक का कच्चा माल पड़ा है। फैक्ट्री की तालाबन्दी कर रखी है। फैक्ट्री सरकार द्वारा ले ली जाए, क्योंकि उनका कोई पैसा शेष नहीं रहा है और गरीब मजदूरों को उनका वेतन देकर फैक्ट्री को चालू किया जाए, यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं आज सदन की कार्यवाही का आखिरी दिन है, वे सब हो चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं अभी कॉल अटेंशन, 295 सब पड़े हैं।

श्री मगराज चौधरी : हां, ठीक है, But I have not spoken anything. मैं तो यह चाहता था कि शायद माननीय सदस्य जल्दी जाने के लिये आतुर न हों फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा खास कर पश्चिमी राजस्थान के यातायात के साधनों के बारे में। जालौर जिला यातायात के साधनों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। बाड़मेर और जैसलमेर भी किसी जमाने में थे पर वहां तो डिफेंस की सड़कें बन गयीं, बीकानेर में बन गयीं। इसलिए विकास की दृष्टि से जहां तक सड़कों का सवाल है वे जालौर से काफी आगे बढ़ गये हैं। जालौर एक ऐसा जिला है जहां पर सड़कें नहीं हैं। खासकर पिछले अकाल के दौरान हमने कच्ची सड़कें तो बहुत बनायी पर जब अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आयी तो सारी सड़कें नष्ट हो गयीं और धन बर्बाद हो गया।

मैं यह चाहता था इस वर्ष इन्द्र

Page No.183

(श्री मगराज चौधरी)

भगवान की मेहरबानी से फिर अकाल पड़ा हुआ है तो कम से कम मुख्य मंत्रीजी मेहरबानी करके आप और सार्वजनिक निर्माण मंत्री बैठ करके जो हमारी मैटल सड़कें बनी हुई हैं जिन पर मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर बिछे हुए हैं और साथ में रोलर चला रखे हैं, 15-15 साल से ऐसी सड़कें बनी हुई हैं और उन पर डामर नहीं पड़ने के कारण से मिट्टी निकल गयी, रोड़-पत्थर निकल गये और आज वे सड़कें चलने-फिरने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप प्लान का कुछ पैसा लगा लीजिए, कुछ पैसा आप अकाल सहायता कोष से लगा दीजिए और कम से कम सारी मैटल सड़कों पर डामर पड़ जावे तो एक स्थायी प्रकृति के यातायात के साधन डवलप हो जायेंगे नहीं तो जो भी हमने धन खर्च किया था वह सारा धन बेकार जा रहा है और चला गया। आने-जाने वाले साधनों के दृष्टिकोण से वे सारी सड़कें हमारे लिए अभिशाप साबित हो रही हैं। उन सड़कों को छोड़कर चलना पड़ता है। न साइकिल चल पाती है, न ठेले और बैलगाड़ी चल पाती हैं। इस प्रकार की सड़कें जालोर में हैं।

जालोर जिले के अन्दर और जहां मेरा क्षेत्र है उसमें करीब 125 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जहां पर ग्रैवल पड़ा हुआ है लेकिन डामर नहीं होने की वजह से उन सड़कों पर चलने-फिरने की स्थिति नहीं है। मैं चाहता हूं कम से कम मंत्री महोदय इस पर विचार करें और यातायात प्लान से पैसा लगायें इस साल 140 करोड़ रुपये की आपने प्लान मद में स्वीकृति ली है तो प्लान में या तो सड़कों को स्वीकृत करें या 60/40 का जो रेशो आपने अकाल राहत कार्यों में मुकरर्र किया है उसका 40 पर्सेंट पैसा अकाल सहायता से मिल जायेगा। 10 पर्सेंट पैसा आप लगा दीजिए और मेरे ख्याल से 50 पर्सेंट पैसा कुल लागत का जो उस पर खर्च करेंगे, उससे सारी सड़कों पर डामर पड़ जायेगी और वे सड़कें स्थायी प्रकृति की बन जायेंगी। सड़कों की यह स्थिति है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक प्लान सड़क थी उस पर 20-25 किलोमीटर सड़क अभी भी 15-20 साल से पड़ी है और पिछले दो-तीन साल में तो माननीय मंत्री महोदय आपने उस पर राशि अलाट की नहीं, यह हमारे जालोर की स्थिति है। उसके मुकाबले आपने कोटा डिवीजन के अन्दर विश्व बैंक की मार्फत सड़कें बनवा दीं। प्लान का सारा पैसा वहां लगा दिया और यातायात के साधनों के दृष्टिकोण से पश्चिमी राजस्थान पिछड़ता जा रहा है और पूर्वी जिले हैं, कोटा डिवीजन के और आसपास के हैं, वे विकसित होते जा रहे हैं। इसलिए जहां तक यातायात के साधनों का सवाल है हमारे साथ बहुत भेदभाव बरता गया है और बरता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस साल इस प्रकार की भेदभाव की नीति न अपनायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(श्री भगराज चौधरी)

इसके अलावा जहां तक विद्युत का सवाल है, विद्युत की समस्या काफी गंभीर है। आपूर्ति तो गंभीर है ही मगर विद्युत महकमे में जबर्दस्त भ्रष्टाचार है। आज घर में कनेक्शन देना हो तो पैसा लेते हैं, कुओं पर कनेक्शन लेना हो तो पैसा लेते है। अध्यक्ष महोदय, पैसा भी कम नहीं, कुओं पर कनेक्शन देने के लिए 2 हजार से लेकर 5-10 हजार तक प्रति कनेक्शन पैसा लिया जाता है और एक भी कनेक्शन बिना पैसे लिए रिलीज नहीं किया जाता। आखिर में आप इस पर विचार क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार बनी थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया था और इस साल आपके चुनाव घोषणा-पत्र में भी यह बात कही गयी कि हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में एक भी किसी प्रकार का कोई काम आपने करके दिखाया नहीं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर आप क्या कर रहे हैं? आज इस बात से सारे किसान दुःखी हैं। इस साल आप 25 हजार नये कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं मगर 25 हजार कनेक्शन को आप 10 हजार से जोड़ दीजिए तो मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपया यह भ्रष्टाचार के रूप में जायेगा, नीचे से ऊपर तक जायेगा, भगवान जाने कहां तक जायेगा। सारे मंत्री, मुख्य मंत्री मौन हैं। विधान सभा की बैठक आप साइनेडाई समाप्त कर रहे हैं मगर फिर भी बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में न तो मंत्रीजी ने कुछ कहा और न विधान सभा इस बारे में कोई निष्कर्ष पर पहुंच पायी। भ्रष्टाचार तो व्याप्त है इसको खत्म कैसे करें।

इस साल अकाल की स्थिति है। अकाल की स्थिति होने के कारण से पश्चिमी राजस्थान में खासकर जहां पर बरसात की कमी है, जहां पर अकाल है, कुएं भी हैं, कुछ कम हैं वहां पर चारे की भयकर समस्या है। चारे की समस्या वाले जिलों के अंदर और जहां कुएं भी हैं अगर वहां चारा पैदा करने काश्तकार चारा पैदा करना चाहे तो वहां के नाम पर जहां सिंगल पोल लगता हो, सिंगल पोल से कनेक्शन होता हो तो आपको कनेक्शन देने चाहिए। पहले जब अकाल पड़े थे तो कांग्रेस सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी और मुझे याद है कि चारा उगाने के लिए सारे राजस्थान के अन्दर 2 हजार कनेक्शन दिये थे। इस साल भी सरकार को, गर्मी का मौसम है, चारा उगाने की जरूरत पड़ेगी तो सिंगल पोल के कनेक्शन अगर हो सकते हैं तो आपको प्रायोरिटी के आधार पर देने चाहिए। जहां तक विद्युत कनेक्शनों में प्रायोरिटी देने का सवाल है प्रायोरिटी भी बहुत होच-पोच है। आपकी प्रायोरिटी स्पष्ट नहीं है आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर प्रायोरिटी रखनी चाहिए, गांव वाइज प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आज मुझे पता नहीं मेरे क्षेत्र में प्रायोरिटी क्या है, किस गांव को कनेक्शन पहले मिलने वाला है, किस गांव को कनेक्शन बाद में मिलने वाला है।

(श्री भगराज चौधरी)

मेहरबानी करके विद्युत विभाग के अन्दर कनेक्शन रिलीज करने में जो भयंकर भ्रष्टाचार है इसको खतम करने के लिए आपको कमेटी का गठन करना चाहिए और विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विधान सभा सदस्य को अथवा और किसी अधिकारी को विधान सभा सदस्य के साथ जोड़कर एक कमेटी का गठन करना चाहिए और उनके माध्यम से अगर आप कनेक्शन रिलीज कराते हैं तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी और उनका नियन्त्रण भी रहेगा और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी कुछ अंकुश लगेगा। माननीय मंत्रीजी आपका इस बारे में क्या ख्याल है? .... (व्यवधान) .... मैंने नहीं कहा ना। मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ये बार-बार एक ही बात को कह रहे हैं इससे क्या होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कोई नयी चीज कहें तो सुनने में आनन्द भी आवे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। वे अपने क्षेत्र की बात कह रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या है और वह है आवास की समस्या। आवास की समस्या इतनी भयंकर है कि 25 साल के अन्दर परिवार की बढ़ोतरी हो गयी, लड़कों की शादी होने पर परिवार बढ़ गया, पोते हो गये और एक-एक परिवार में 20-20 मैम्बर हैं पर उनके पास रहने के लिए वही मकान पुरानी छोटी साइज का आज से 50 साल पहले था वही है। आपने उस प्रकार से उनको आवासीय प्लाट्स के रूप में भूमि देने का प्रोग्राम पिछले 10, 12, 15 साल में कभी हाथ में नहीं लिया। उसके कारण से जब रहने को जमीन नहीं है, तो फिर किसान मरता है, आज वह गांव का किसान गांव की आबादी के पास में कहीं न कहीं तो छोटी-मोटी झोंपड़ी बनायेगा ही, बाड़ा बनायेगा, चारा भी रखेगा, छोटे-मोटे खेती-बाड़ी के औजार भी रखेगा और ऐसा करने पर आप उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं, जुर्माना भी लगाते हैं और जुर्माना लगाने के बाद में एक साल तो जुर्माना लगता है, दूसरे साल आप उसमें सजा भी कर देंगे तो आखिर में इस प्रकार की जो मानवीय समस्याएं हैं, किसानों के लिए खेती बाड़ी के लिए, औजार रखने के लिए, बाड़ों की समस्या, चारा रखने की समस्या, गोबर खाद रखने की समस्या और बढ़ते हुए परिवार के लिये नये आवासीय मकान बनाने के लिये भूमि की जो जरूरत होती है, उन जरूरतों के बारे में सरकार को फैसला करना चाहिए जिससे एक्ट की धारा 91 है, जिसके अन्दर हजारों मुकदमें हर साल दर्ज किये जाते हैं, हर तहसील के अन्दर और जुर्माना भी करते हैं, सजा भी करते हैं, प्रशासन को

(श्री मगराज चौधरी)

परेशानी भी होती है, समय भी लगता है। आम काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम सरकार अब गर्मी के दिनों में प्रोग्राम बनाकर के, जैसा कांग्रेस सरकार के समय में आज से 10-12 साल पहले कैम्प चलाकर के आवश्यक भूमि, का प्लाट्स में आबंटन किया था, वैसा आपको आबंटन करना चाहिए। जहां तक बाड़ों के आवंटन का सवाल है, वह भी जरूरत माफिक हर गांव का सर्वे करके अधिकारियों को साथ में लेकर, साथ में आप हमें भी जोड़ दीजिए, दूसरे जनता के नुमाइंदे हैं उनको भी जोड़ दीजिए और इस प्रकार का कार्यक्रम लेकर के आप कोई न कोई तरीका निकाल कर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय समस्या है उसका आपको निदान करना चाहिए, उसका निपटारा आपको करना चाहिए, यह बहुत गम्भीर समस्या है।

एक मैं और निवेदन करना चाहूंगा, शायद मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों का ध्यान होगा कि शिक्षा के दृष्टिकोण से पश्चिमी राजस्थान बहुत पीछे है। जहां तक साक्षरता का प्रतिशत पूरे राजस्थान में 38 प्रतिशत है, जालोर जिले में केवल 17, 18 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत से गांवों में प्राइमरी स्कूलें नहीं हैं, प्राइमरी स्कूलें हैं, तो प्राइमरी स्कूल के ऊपर 10--12 किलोमीटर के फासले से मिडल स्कूलें नहीं है, 15-15, 20-20 किलोमीटर की परिधि के अन्दर सैकण्डरी स्कूलें नहीं हैं और जहां तक हायर सैकण्डरी स्कूल व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल का प्रश्न है वह तो 50-50 किलोमीटर की परिधि में नहीं है। मेरे क्षेत्र की मैंने सूची बनायी है, उसके अनुसार हायर सैकन्डरी स्कूल करीबन पचास किलोमीटर की परिधि में कोई नहीं है, इसलिए वहां पर जब प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद में बच्चे मिडल स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो नजदीक स्कूल नहीं होने के कारण से आगे पढ़ नहीं पाते। मिडल स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैट्रिक कक्षा में जाते हैं, तो स्कूलें बहुत दूर पड़ती हैं, जहां न तो छात्रावास की सुविधा है और सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे दूर नहीं जा पाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको सही मायने में साक्षरता में वृद्धि करनी है तो मेहरबानी करके इस साल आप जो स्कूलें खोल रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का पक्षपात मत करिये और जो-जो क्षेत्र साक्षरता में पीछे रह गये हैं, उनको पहले थोड़ी प्रायोरिटी दीजिए, ज्यादा स्कूलें दीजिए, जिससे कि कम से कम आने वाले पांच-दस साल के अन्दर हम लोग भी साक्षरता के दृष्टिकोण से उन जिलों के बराबर आ सकें जो कि आज उनसे काफी आगे चल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गोपीचन्द।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की सबसे

(श्री गोपीचन्द)

जघन्य समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम गौहत्या के लिए एक बिल भी लाएंगे और बिल नहीं आ पाएगा तो बिल आने तक कोई प्रशासनिक कठोर व्यवस्था करेंगे, जिससे गौ-हत्या जैसा जघन्य अपराध इस इलाके में या राजस्थान के अन्दर नहीं हो। आज की तारीख में भी इलाके के अन्दर गौ-हत्या के ऊपर कहीं प्रतिबन्ध नहीं है। अभी पिछले सप्ताह में 750 गायें धौलपुर के अन्दर पकड़ी गयी हैं। 40-50 गायें मेरे यहां पाटवाड़ के अन्दर पकड़ी गयी हैं और वह अधिकारी जो गोसिंग कांड के अन्दर भी उस गौ-हत्या के अपराध के अन्दर लिप्त थे, 200 गायों को काटा गया, उनको जब बरामद करने की स्थिति आयी तो बी. के. बांगड़ नाम का एक एडीशनल एस.पी. जिसने गायों की खाल बरामद करने के नाम पर अपराधियों से तो बरामद नहीं की, उन से लाखों का गोलमाल किया स्वयं ने 19 गायों को कटवा करके, उन गायों को बरामद करके और उन्हें मुलजिमों के ऊपर लाद कर आज भी वह उसी इलाके के अन्दर बैठा हुआ है। अब स्थिति और गम्भीर हो रही है। मेरे इलाके के अन्दर रोजाना हजारों सैकड़ों तो कम से कम मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, जीप, आदि की चोरी का धंधा हो रहा है, बड़ी भयंकर स्थिति भरतपुर में, डीग उप खण्ड के अन्दर जो हो रही है, अभी मनवापुरा एक गांव है, मेरे यहां 1 अगस्त, 1993 में जो गौ-हत्या की घटना हुयी थी, उसके मुलजिम को निकालने के लिये स्थानीय जो अभी डी. वाई. एस. पी. दत्ताजी के बाद में पहुंचे हैं, 40 हजार रुपये लेकर मुलजिमों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। रात को ही वह फ़ाइल मैंने, डी. आई. जी. साहब से फ़ोन करके ट्रांसफर करायी है, यानि इतने जघन्य अपराध के अन्दर इस तरीके से अपराधी लिप्त हैं, तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस जघन्य अपराध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिये जब सदन तैयार था, प्रतिपक्ष भी इस कानून को लागू करने के लिये, इस बिल के लिये तैयार था। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चाह रहे थे, फिर कौनसी ऐसी मजबूरी आ गयी कि हमने इस बिल को इस सदन के अन्दर पास नहीं किया और बिल को पास नहीं किया लेकिन कम से कम जब तक बिल आये, इतनी कठोर व्यवस्था तो होनी चाहिए कि गौ जैसी पूजनीय अपने धन के लिये इस तरह से नहीं काटी जाए, केवल धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, गौ- माता का आर्थिक भावना से भी जुड़ा हुआ विषय है। कितने-कितने तरीके से इस भावनात्मक पशु को किस-किस तरीके से काटा जा रहा है और आज भी यदि गाय काटी जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इस सदन में हम जैसे छोटे से, अदने से कार्यकर्ता का आने का कोई औचित्य नहीं है। हम क्या जवाब देंगे ? आने से पहले जब हम मूवमेंट अपने इलाके के अन्दर किया करते थे उस समय बन्द

(श्री गोपीचन्द)

होती थी, लड़ाइयां करते थे, झगड़ा करते थे, संघर्ष करते थे, पकड़वाते थे अपरोधियों को, लेकिन आज की स्थिति में यदि गाय इलाके के अन्दर कटती है, हम अपने आपको उस गो-हत्या के अपराधी से दूर नहीं मानते। हम भी यही मानकर के चलते हैं कि यदि आज गाय कटती है, तो मैं भी उस चीज का मुल्जिम हूं और मैं यह मानकर के चलता हूं कि सरकार के सानिध्य में यदि इस तरह का जघन्य अपराध होता है, तो सरकार भी अपराध से दूर अपने आपको नहीं रख सकती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से गौ जैसे प्रश्न के लिये कि स्थायी रूप से इतनी कठोर व्यवस्था होनी चाहिए कि राजस्थान के अन्दर गौ-माता नहीं काटी जाए। अभी भीलवाड़ा के अन्दर एक....

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा उत्साहित मत होइये। यह तो हो गया समाप्त करिये।

श्री गोपीचन्द : गौ-सदन को पालने के लिये जो जमीन अलाट हुयी थी, उस जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस गहन मुद्दे पर मैं इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, आज सदन एडजोर्न हो जाएगा और उसके बाद अगले सदन तक फिर धीमी गति से वहीं अपराध बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से, माननीय मुख्य मंत्रीजी, से निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहते हैं, बिल के लाने से पहले आज उसकी ही सदन में घोषणा की जाए और उस तरह की नाकाबंदी कर दी जाए। 40 हजार गायें डांग के अन्दर आज उपलब्ध हैं, जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत काटने की नीयत से ले जाने का उनका इरादा है और रोजाना के तरीके से गायें जा रही हैं। पहाड़ी, सिकरी, जहरेरा, कामां के थानों से पास होकर के जा रही हैं। चौथ वसूल कर रहे हैं। कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो पा रहा है और विधान सभा के बाद क्षेत्रों में जाएंगे यदि यह चीज नहीं रूकी तो हमको मौके पर जाना पड़ेगा और इस स्थिति के लिये हमें अपराधियों से सीधा भी मुकाबला करना पड़ा तो हम कम से कम नहीं चुक पायें। इसलिए मैं तो इस गम्भीर मुद्दे की तरफ सारे सदन का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका निवेदन, बार-बार निवेदन, निवेदन, वही तो कर रहे हैं।

श्री गोपीचन्द : इस कठोर मामले के प्रति कठोरता के साथ निपटा जाए और कोई सख्त प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी कायम की जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री विष्णु मोदी : तिवाड़ी साहब के विचार होने चाहिए, इस विषय पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे भी यही विचार हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी किसानों की ओलावृष्टि से जो हालत खराब हुई है, उसको देखने के लिए पधारे लेकिन मुझे सख्त अफसोस है कि वह टोंक को क्यों भूल गये। वहां बहुत भारी क्षति हुई है, वहां किसान बहुत परेशान हैं, मौतें हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : आज तो आप राज मार्ग पर बोल रहे हैं, राज-मार्ग-12.

श्री बनवारीलाल बैरवा : अर्ज कर रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : बाईपास।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मुख्य मंत्रीजी ने सूचना दी है, उसके कारण से मैंने अर्ज किया है....

श्री अध्यक्ष : लिखित में दिया है इसलिए याद दिला रहा हूं आपको।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : राजमार्ग पर क्षति पहुंची कि नहीं पहुंची।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पहुंची है, श्रीमान।

श्री परसराम मदेरणा : हां यही बात वह दिखाना चाहते थे।

श्री गोपीराम : गो-माता की रक्षा के लिए प्रशासनिक तरीके से जो व्यवस्था हो, उसके बारे में कुछ न कुछ सदन में घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए, आप बोलिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आगे दौरा करें, तो हमारे टोंक जिले को न भूलें, वह भी देखें, वहां का काश्तकार आज बहुत परेशान है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हालत बतायी है हमारे वहां उससे भी बुरी हालत है। न पहले घर में कुछ खाने को था न बाद में अब रहा। माननीय अध्यक्ष जी, टोंक जिला जहां स्थित है, नेशनल हाइवे-12 उधर से गुजरती है। सबसे पहला कस्बा हमारा निवाई उसके बीच में पड़ता है, बाई पास बनकर तैयार हुआ है उसके ऊपर डामर नहीं हुई है जिसके कारण आज हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही शोरगुल वही प्रदूषण, वही धुंआ, गुब्बार इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस सड़क पर अब कोई विशेष कमी नहीं रही है माननीय मंत्री जी अगर उस पर जोर दें, तो जल्दी से उस पर डामर हो जाए और रास्ता खुले। उसके साथ-साथ हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब है। माननीय

Page No.190

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

मन्त्री महोदय स्वयं वहां देखकर आये हैं कि जितनी हमारे देहात में जुड़ने वाली सड़कें हैं, उनकी हालतें बहुत खराब हो रही हैं और उनके बारे में आपने कहीं आश्वासन भी दिया है।

मंत्रीजी, मैं कुछ सड़कों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे नेशनल हाइवे-12 के पास से गुजरती है इससे आकर के मिलती है सोंपरी, अरनियां, केदार, आप स्वयं देखकर के आये हैं कितनी बुरी हालत है। बरूड जोला बहुत बुरी हालत है। वहां काश्तकार इतना परेशान है कि वह अपने माल को बहुत मुश्किल से पैदा करता है लेकर के कैसे जाए वह सड़क जो अकाल राहत में बनी हुई थी, अब यहां आपका प्रोग्राम भी है कि अकाल राहत के अन्दर उन तमाम सड़कों को पूरा किया जाए, माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके उपर ध्यान दें। बरूणी सड़क की हालत भी यही है। बराणा से नटवाड़ा की हालत भी यही है और एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है हमारे वनस्थली से देवनारायण जी की, जहां पर हजारों यात्री बाहर से आते हैं, देवनारायण जी भगवान का वहां मन्दिर है। हमारे यहां सबसे बड़ा तीर्थस्थल है उसके लिए तो रुपया आपके यहां पर इयर मार्क होकर के पड़ा हुआ है, तो उसको बनवाने में तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर खास तौर से ध्यान दें। लुहारा और हरगावता की जो सड़कें हैं वह बहुत अधूरी रह गयी हैं आधी आधी बनाने से उनका कोई लाभ नहीं हुआ। आधी की वजह से लोग आपको भी बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं तो मेहरबानी करके उनकी तरफ ध्यान दीजिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अकाल से हम लोगों को बहुत क्षति हुई है, अकाल बहुत भारी पैमाने पर है तो अकाल का मुकाबला या तो सड़कों के निर्माण से करेंगे या तालाबों से करेंगे। मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि आप तालाबों के काम ज्यादा से ज्यादा खोलिये। बजाए तालाबों के स्कूल की बाउण्ड्री पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है लेकिन उसके अन्दर मजदूर ज्यादा लग नहीं पायेगा तब वह अकाल का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। मेहरबानी करके उन तालाबों के काम के लिए भी आप निर्देश फरमावें ताकि हम अकाल से वहां पर मुकाबला कर सकें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जून, 1994 तक निवाई बाई पास पर डामर कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : सबको जवाब देना पड़ेगा फिर।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सिरोही में सुभाष नगर हाऊसिंग सोसायटी बनी थी आज से करीब दस साल पहले। टाउन प्लानर से उसका नक्शा मंजूर है, नगरपालिका

(श्रीमती तारा भण्डारी)

की एन. ओ. सी. है, भूमि का कोई विवाद नहीं, सदस्यता का कोई विवाद नहीं। लेकिन पिछले दस सालों से इस सोसायटी के काम में लगातार बाधा आ रही है, 3 सितम्बर, 1990 को वहां के जिलाधीश ने इस सोसायटी के 147 भूखण्डों का रूपान्तरण शुल्क लिया, नगरपालिका ने विकास शुल्क लिया और 147 भूखण्डों के रूपान्तरण की स्वीकृति दे दी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस स्वीकृति के तुरन्त पश्चात कमिश्नर जोधपुर ने 11 नवम्बर, 1990 को उन भूखण्डों में आवासीय मकान बनाने की रोक लगा दी। नवम्बर 90 में रोक लगी हुई, अध्यक्ष महोदय, आज चार वर्ष हो गये कमिश्नर ने उस सोसायटी को सुना नहीं, किसी तरह का लीगल नोटिस दिया नहीं, किसी तरह की कोई बात चीत सोसायटी के सदस्यों के साथ नहीं की और ना ही वह रोक हटायी। आज उस सोसायटी के लगभग 400 सदस्य हैं। मध्यम वर्ग के हैं और उनके द्वारा जमा कराया हुआ शुल्क वह भी नगरपालिका और कलक्टर कार्यालय में जमा है लेकिन उस सोसायटी के सदस्यों को मकान बनाने की स्वीकृति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मकान बनाने की रेट, उस सामग्री का दाम दिनों दिन बढ़ रहा है। वहां मध्यम वर्ग के लोग कमिश्नर से एप्रोच करते हैं तो कमिश्नर जोधपुर उस पत्रावली को भेज देते हैं जयपुर रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास, जब रेवेन्यू सेक्रेटरी जयपुर से बात-चीत करते हैं तो पत्रावली भेज देते हैं कमिश्नर जोधपुर के पास। इस सोसायटी को वहां से वहां और यहां से वहां किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है, हमारी सरकार की इच्छा है कि जो भी कृषि भूमि पर कोई आवासीय प्लाट कट गये हैं या कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो नियमों में सरलीकरण करके सरकार नियमन करेगी, रूपान्तरण करेगी। ऐसी घोषणा अभी 26 जनवरी, 1994 को हमारी सरकार ने की है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी कहना चाहती हूं या तो यह अधिकारी लोग राज्य की कल्याणकारी छवी को खराब करना चाहते हैं या इस पर काम नहीं करना चाहते। एक सोसायटी विधिवत बनी हुई है, टाउन प्लानर का नक्शा पास है, उसमें कोई भूमि का विवाद नहीं, सदस्यों का कोई विवाद नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उसमें शेष नहीं लेकिन उनके जो रूपान्तरित प्लाट हैं उन पर मकान बनाने की स्वीकृति नहीं। तो, अध्यक्ष महोदय, हमारी यह इच्छा है कि राज्य में जो आवासीय प्राब्लम है वह सुलझे, इसका निपटारा कैसे होगा ? मैं आज सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, राजस्व मंत्रीजी तो नहीं है, मैं कई बार राजस्व मंत्री जी से निवेदन कर चुकी हूं कि इसमें सभी गरीब लोगों हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं तो यह जो रोक अनावश्यक रूप से लगाई है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर इस प्रकार की रोक लगानी थी, तो उस समिति को नोटिस दिया

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था। आज चार वर्ष में समिति को सुना नहीं गया, किस प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया इस प्रकार का जो अन्धेर है....

श्री विष्णु मोदी : वह अन्धेर चारों तरफ ही है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : बीच में आप आ गये थे ना 1992-93 में ।

अध्यक्ष महोदय, एक समस्या और है। सिरोही नगर में पेयजल समस्या गम्भीर होती जा रही है। माननीय पेयजल मन्त्रीजी भी बिराजे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : सब समस्याओं पर बोलेंगी क्या आप? आपने मुझे एक समस्या रखी थी, सब पर बोलेंगी क्या आप? जिन्होंने लिखकर दिया है उनको याद तो दिलाऊं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में पूरे सदन के पूरे सत्र में मैं कभी बोल न पायी। मेरा यही निवेदन है कि सिरोही नगर की जो पेयजल समस्या है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे नगर में जब से पेयजल योजना बनी होगी, आज से चालीस साल पूर्व या तीस साल पूर्व तब की पाइप लाइनें लगी हुई है, एक-एक इंच या आधा इंच की जो पाइप लाइन लगायी गयी थी उस पर कई गुना कंजूमर बढ़ गये। अब लोगों को पानी नहीं मिलता, गर्मी शुरू हो गयी है, तो पानी की मुख्य समस्या है इसके बारे में कई बार मैंने पत्र दिये हैं, प्रश्न भी उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1990 से 1994 आ गया। मैंने हमेशा हुडको स्कीम का उत्तर जो सरकार देती है उसमें यही उत्तर आता है कि सिरोही नगर की योजना सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गयी है। अब सिद्धान्ततः योजना स्वीकार कर ली लेकिन वह योजना या तो सिरोही से हिलती नहीं या राज्य सरकार में आकर वापस सिरोही चली जाती है यह कैसा मोह है समझ में नहीं आता। अब कुछ नहीं तो योजना तो जब मंजूर होगी तब होगी। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सिरोही नगर के लिए कुछ पाइप की स्वीकृति भी दे दें, तो जहां जहां पानी की भीषण समस्या है वहां पाइप बदल कर लोगों को हम पानी दे सकें तो यह हमारी उपलब्धि होगी। हमारी कठिनाई भी कम होगी। अब इस सदन का सत्रावसान हो रहा है, कल हम सिरोही जाएंगे जाते ही लोग पूछेंगे इसलिए मैंने पानी की भी बात कह दी।

इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की बहुत समस्या है हम को एक तहसील में तीन हैंड पम्प दिये गये थे, उन तीन हैंड पम्प से हम किसी को भी ना राजी रख सकते हैं ना बेराजी रख सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों

(श्रीमती तारा भण्डारी)

के लिए दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हैंड पम्प पचायत समितिवार तो हमें मंत्री जी दें ।

धन्यवाद आपने समय दिया ।

श्री अध्यक्ष : मेरा तो एक निवेदन है मैंने जो यह छूट दी है वह केवल यह जानने के लिये दो है कि जिस तरह प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता मिलती है मगर दूसरों की स्वतंत्रताओं का हम कितना ध्यान रखते हैं । इसलिए माननीय सदस्य बोलने के साथ-साथ और लोग भी बोलने वाले हैं उनका भी ध्यान रखें तब तो लगेगा कि आप वाकई छूट का फायदा उठा रहे हैं । इसलिये इस बात का थोड़ा ध्यान रखें । श्री रामचन्द्र रावत ।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरी तहसील कोटपूतली को जो बिजली की समस्या है, उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 1975 के अन्दर तीन जगह ऐसी थीं, जिनमें बिजली बोर्ड नहीं बना कर के बिजली सोसायटी बनाई गयी थी यह कोटपूतली भी एक सोसायटी थी जो कोटपूतली रूरल को-आपरेटिव सोसायटी बनी थी और उस को-ओपरेटिव सोसायटी के अन्दर इसलिये दिन प्रतिदिन धांधलेबाजी होती रही, भ्रष्टाचार होता रहा, जनता की शिकायतें होती रहीं और उन शिकायतों की वजह से उस सोसायटी को सरकार ने खत्म तो कर दिया मगर जो भी उसमें कर्मचारी आज काम कर रहे है, एक साल पहले उसको खतम किया था, अधिकारी तो आर. एस. ई. बी. बिजली बोर्ड के चले गये हैं लेकिन जो 50-60 कर्मचारी जिस रूप में काम करते थे वह कर्मचारी वैसे के वैसे वहां हैं । बिजली बोर्ड ने उन अधिकारियों को अपना कर्मचारी नहीं माना हैं और बिजली बोर्ड उन लोगों को वेतन भी नहीं दे रहा है । ऐसी दुविधा के अन्दर काम चल रहा है वह कर्मचारी काम तो वहां करते हैं मगर बिजली बोर्ड वाले उनको अपना कर्मचारी नहीं मानकर काम पर नहीं लेता है, उनको अपनी सर्विस में नहीं मानता । मगर उन लोगों ने भ्रष्टाचार का काम कर रखा है कि जो भी कोई कनेक्शन होता है बिजली का, अधिकारी मिल करके, उनसे पैसा लेकर के वन पोल की जहां स्कीम हो, वहां वन पोल स्कीम के अन्दर भी एक हजार रुपये लेकर कनेक्शन देते है, दूसरे भी बिजली के जो कनेक्शन देते हैं । वह सारे के सारे उन अधिकारियों से मिल गये हैं और जनता यह कहती है कि इन अधिकारियों की बस की बात नहीं, अधिकारियों के कहने की बात नहीं, उन कर्मचारियों को कह दो, जो काम तहसील में आप लोगों को करवाना हो, वह उन कर्मचारियों से कह दो वह कर्मचारी अपने आप काम कर देंगे । मेरा निवेदन है कोटपूतली के अन्दर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें आज भी बिजली से जोड़ा नहीं गया है जैसे पदमगढ़ है, जैचीपुरा है और दूसरे गांव हैं । सरकार की यह नीयत है, सरकार की यह मंशा है

(श्री रामचन्द्र रावत)

कि प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ा जाए और बिजली दी जाए। उन गांवों के अन्दर करीब-करीब तीस-तीस, चालीस-चालीस फाइलें लगा चुके हैं मगर आज तक उन गांवों के अन्दर बिजली सरकार ने नहीं पहुंचाई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इन गांवों में जहां बिजली कोटपूतली क्षेत्र में नहीं दी गयी है, वहां बिजली दिलायी जाए और जो कर्मचारी हैं, जो पचास-साठ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बिजली बोर्ड का कर्मचारी माना जाए, उनको बोर्ड से वेतन दिया जाए। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)। श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आज तो आप लोग सब कुछ संदेश लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इससे खराबी लगेगी आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : काहे की कमजोरी आएगी। आप सबको जानकारी रहे इसलिये आवश्यक समझता हूं कि मैं सदन को जानकारी दूं कि टोंक में जो ओलावृष्टि हुई है, टोंक जिला उसके कारण प्रभावित हुआ है।....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य सचेतक बनने के बाद अब आप कम बोलते हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है, गुबार निकल जायेगा। आप बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आज निकल जाने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपके मन के दर्द को जानता हूं। ...(व्यवधान) निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो टोंक के वोटर हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अभी उन्होंने थोड़ी चिन्ता ओलावृष्टि के मामले में, अतिवृष्टि के मामले में जतायी और उसके बाद सड़क पर आ गये कि सड़कें टूटी हुई हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि चालीस-पचास गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। मैं जानता हूं कि उनमें बनवारी लालजी का खेत भी शायद आया है और इस प्रकार की ओलावृष्टि...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपकी दुकान में कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, इनके तो खेत ही हैं। ओलों का जो डायरेक्शन था वह बिल्कुल ऐसा था कि जिनके स्थान बिलकुल ही आ गये अगर कोई छत नहीं थी तो डायरेक्टली...

श्री अध्यक्ष : मगर किसी के दुकान हो तब ना। यह तो पूछिये कि आपकी कोई दुकान भी है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बनवारी लालजी के दुकान भी है, इनके खेत भी है और इनकी बहुत सारी एक्टीविटीज चलती है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वहां मेरी कोई दुकान नहीं है और न किसी प्रकार का वहां मेरा घर है, मेरा घर है तो मेरे पिताजी का है ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप घनश्याम जी को तो हेलीकाप्टर में बैठा करके ले गये अब इनको आश्वासन दे दो कि टोंक आप इनको साथ ले जायेंगे तो काम हो जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो हेलीकाप्टर में जब आपकी सरकार थी ना, तब भी गया था प्रतिपक्ष के नेता महोदय जानते हैं, उस समय बाढ़ आयी थी। उस समय आपके कई विधायक, वहां के जिला प्रमुख आदि लोग नहीं जा सके थे लेकिन उस समय भी मैं हेलीकाप्टर से गया था ... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय परसरामजी मदेरणा उसके अन्दर मौजूद थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, जानकारी नहीं है इनको क्योंकि टोंक में रहते जरूर हैं। ...

श्री परसराम मदेरणा : निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, वहां की समस्याएं हैं उनका आप उत्तर दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : समर्थन कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसे उन्होंने यह बात कही वहां से वहां आ गये वहां से वहां कूद गये, आप अपने वाली बात साफ-साफ कहो ना।

श्री अध्यक्ष : वह तो रेटोरिक है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने अपनी बात कह दी, बात इन्होंने सही-सही कही है और बहुत ही माइण्ड लेंगवेज में इन्होंने बात कही थी जिससे यह समस्या है। यह सड़कों की है, यह जो नुकसान हुआ है। अभी ओलों से और बरसात से, अब आप उस पर कह रहे हैं कि सड़कों पर आ गये, सड़कों से स्कूल पर चले गये, स्कूलों से वहां जम्प कर गये, तो आप यह बार-बार क्यों जम्प कर रहे हैं, सीधे पाइंट पर आओ ना। Come to the point straight.

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, वहां लगभग पचास गांव प्रभावित हुए हैं, पचास गांवों में पाँच सौ जानवर मर गये हैं लगभग ढाई सौ जानवर घायल हुये हैं और पांच छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। केवल पांच-छः व्यक्तियों की मृत्यु ही नहीं हुई, अकाल राहत में जो मजदूर काम कर रहे थे दो-ढाई सौ लोग, वह उससे घायल हुए हैं। घायल भी ऐसी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अवस्था में हुए हैं कि कहीं पर भाग नहीं सकते थे, ओलों की इस प्रकार की बौछार थी कि जिसके कारण से वह कहीं जा नहीं सके और अपने छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको बचाने के चक्कर में भी इतनी मार उनके ऊपर पड़ी, हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनकी छतें उड़ गयी इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वहां जो टीनें थीं सीमेंट की जो चद्दरें थीं, जैसे कोई छलनी हो गयी हों, इस प्रकार से वे टीन टूट गये हैं और आज लोग बेघरबार हो गये है। उनकी आज यह स्थिति है कि यदि वापस बारिश आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए या कोई छींटा आ जाए तो वो आज रहने की स्थिति में नहीं है। इसके लिये सरकार ने तत्काल कुछ कार्यवाही की है 10 हजार रुपये सहायता के रूप में और पांच हजार रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से, जो मृतक हैं, उनके परिवारों को दिये हैं। एक हजार रुपये जो मकान टूट गये हैं उनको दिए हैं लेकिन जो पशु मर गये हैं और अकाल राहत में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, उनके बारे में अभी निर्णय लिया जा रहा है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्री परसराम मदेरणा : अकाल राहत वाले में क्या करना चाहते हैं, दवाओं की व्यवस्था करना या जो छलनी हो गये हैं टीन के चद्दर उनको ब्लाक करना कि छलनी कहां-कहां से हुए हैं यह भी देखने की बात है। मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि सिर्फ लोग अफेक्टेड हुए हैं उनको हम राहत दे सकते हैं। कम्पनसेशन नहीं दे सकते अब यह मेडिकल एड दे सकते हैं। अब आप मेडिकल एड चाहते हो उसमें मजदूरों को या छलनी वालों को, पतरों वाले मकान वालों को चाहते हो या अपना खुद का भी मकान पूरा छलनी हो गया है ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता जब आये थे तब वह कम से कम आठ सौ लोगों को चद्दरें देकर आये थे। आज वहां पर जो लोग बिलकुल बेघरबार हो गये हैं उनके लिए, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को तत्काल चद्दरें प्रोवाइड करें ताकि वह अपना सर छुपाने की कोई व्यवस्था कर सकें।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपकी कांस्टीट्यूएंसी में जो लोग प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाने की बात कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये स्वयं प्रभावित हैं, उनको मैं राहत देने की बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि 15 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग और सहायता उनको पहुंचाई जाए। जहां तक मेडिकल फैसेलिटी का सवाल है, मेडिकल टीम वहां गयी है,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उसको दवा दी है और मेडिकल की दृष्टि से सब प्रकार से इंतजाम किया जा रहा है, जो लोग अकाल में काम कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों को, क्योंकि अब वह ऐसी अवस्था में हैं कि काम नहीं कर सकते, तो उनका भी सब प्रकार से ख्याल रख कर निर्णय हमारी सरकार निश्चित रूप से लेगी लेकिन आप सब को जानकारी रहे, इस दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी क्या, उनके लगी है तो लगने से कोई हड्डी टूटी की नहीं टूटी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : टूटी है।

श्री परसराम मदेरणा : हड्डी नहीं टूटी है, उनके बड़े-बड़े गूमड़े हुए होंगे। यहां से मालिश करने वालों को ले जाओ, आप इतना ही काम नहीं कर सकते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भिजवा दें मालिश करने वालों को और कुछ लोगों के फ्रेक्चर हुए हैं उनकी भी जुड़ जाएगी, यदि आप उनको भिजवा दें तो।

श्री अध्यक्ष : अब वोट लेने होते तो यह खुद ही कर देते मालिश और वह सब।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज एक बात और हुई है जो माननीय मदेरणा साहब के कारण से हुई है। माननीय नाथूसिंहजी, प्रभारी मंत्री बिल आज पायलेट कर रहे थे तो उनका सारा क्रिया-कलाप देखने के लिये उनकी धर्म-पत्नीजी और उनकी सास भी साथ में आयी थीं, वह वहां बैठे-बैठे देख रही थीं और माननीय मदेरणा साहब जब इनको बार-बार प्रश्न पूछ रहे थे इस कारण से इनकी सास बेहोश हो गयी दुर्भाग्य से, वह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको हास्पिटल लेकर गये।

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज पार कर गये मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्रीजी की धर्म पत्नी यहां पर आयी थीं, तो मंत्रीजी का इतना संतोषजनक उत्तर था, वह देखकर बहुत प्रसन्न हुई होंगी, उससे आपको क्या एतराज है ?

एक माननीय सदस्य : सास बेहोश हो गयी, साहब।

श्री टीकमचन्द कांत : आपने छेड़-छाड़ शब्द कहा न उस समय हुई है वह।

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय एक घंटा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाए ?....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आधा घण्टा बढ़ाओ, अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप आधा घण्टे में पूरा कर दो, इसमें क्या है। ....(व्यवधान) ...

श्री भगराज चौधरी : अधिकतर माननीय सदस्य सारे विषय पर बोल चुके हैं, सारी डिमाण्ड्स पर बोल चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : फिर एक घंटा ही रहने दीजिए।

श्री भगराज चौधरी : और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बोलने की गुंजाइश है नहीं, बात यह है।

श्री अध्यक्ष : गुंजाइश नहीं है।.... (व्यवधान)— आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : आधा घंटा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जितना कहें बढ़ा दें।

(स्वीकृत)

सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान....

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी-जल्दी बोल लीजिए, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ बोलना है।

श्री आर. पी. शर्मा : आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर जब बसा था, हमारे यहां एक सुजान गंगा नहर है जो करीब ढाई सौ वर्ष पुरानी है, उसमें पूर्व में सिंचाई की व्यवस्था भी थी और कोनी बंध से पानी भरा जाता था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, दस सालों से उसमें कुछ लोगों ने रास्ता रोक दिया है, सिंचाई करने की जो व्यवस्था थी वह रुक गयी है। साथ ही साथ नगर परिषद् की लापरवाही से जो गंदे नाले हैं वह उस नहर में डाले जा रहे हैं, जिससे शहर

(श्री आर. पी. शर्मा)

में नहर की मार्फत से बहुत प्रदूषण हो गया है। इसलिए में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर की सफाई करायी जाए, नहर के जो घाट हैं उनकी मरम्मत करायी जाए और इस नहर की पूर्व में पानी भरने की जो व्यवस्था चलती थी वह करायी जाए।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर की जनसंख्या जो लगभग एक लाख साठ हजार है उसमें सफाई कर्मचारी मात्र पौने तीन सौ हैं जबकि स्पेसिफाइड नार्म्स हैं, वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन के हिसाब से प्रत्येक हजार जनता पर चार होने चाहिए लेकिन सिर्फ पौने तीन सौ कर्मचारी होने की वजह से भरतपुर में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है। इधर एक तो नहर में प्रदूषण फैल रहा है दूसरी तरफ कूड़े के ढेर पड़े रहने से शहर में गंदगी पड़ी हुई है। इससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नहर की सफाई, शहर के सौन्दर्यकरण और उसकी सफाई के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री बद्री प्रसाद गुरूजी।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मेरा गांव बिजोलिया है और....

श्री अध्यक्ष : जल्दी-जल्दी बोलिये, धीमी गति से नहीं, द्रुत गति से।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : आजादी की लड़ाई में, स्वतन्त्रता संग्राम में बिजोलिया अग्रणी रहा है। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से भी बिजोलिया आगे रहा है, विजय सिंह पथिक की कर्म-स्थली रही है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां की जनता कई वर्षों से मांग कर रही है अतिरिक्त तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की। 356 वर्ग किलोमीटर का मेरा क्षेत्र है, 18 पटवार सर्कल हैं, 18 पंचायतें हैं और करीब पांच करोड़ की राजस्व आय वहां होती है, मुंसिफ कोर्ट भी है, परन्तु जान-बूझकर, सन् 1952 में माणिकलालजी वर्मा वहां से चुनाव लड़े थे और वह हार गये। स्टेट टाइम में वहां पर मुंसिफ कोर्ट था, तहसील थी, परन्तु माणिकलालजी वर्मा जब वहां से चुनाव हार गये तो उन्होंने राजनीतिक द्वेषता की वजह से तहसील नहीं की थी इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि उसको तहसील कराएं।

श्री अध्यक्ष : पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य (अनुपस्थित)।

श्री कासनिया। (अनुपस्थित)।

श्री परसराम मदेरणा : माणिकलालजी

(श्री परसराम मदेरणा)

वर्मा के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, आप जैसे गंभीर व्यक्ति को, गुरूजी, आपके प्रति मेरा काफी मातृ भाव है....

श्री अध्यक्ष : बोल रहा हूं । श्री मोहन मेघवाल ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन क्योंकि वह चुनाव हार गये, मुख्य मंत्रीजी हार गये हैं चुनाव, अभी खड़े ही नहीं हुए लेकिन धौलपुर में थर्मल पावर स्टेशन लगाने की बात लगातार कर रहे हैं। इसलिए यह कोई बात, आप कह रहे हो कि माणिकलालजी वर्मा हार गये इसलिए हमारे मुंसिफ कोर्ट वहां से ले गये, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो आदमी आज इस दुनिया में है भी नहीं....

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी : मैं माणिकलाल जी का बहुत सम्मान करता हूं उनके आजादी की लड़ाई में योगदान के बारे में बहुत ही सम्मान रखता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : और इतना बड़ा नेता, उसके बारे में उनकी मृत्यु के बाद कोई बात इस तरह की कहना कहां तक ठीक है, आप खुद सोच लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह यह कह रहे हैं कि माणिकलालजी वर्मा हार गये उसके बाद में वहां से हटा दिया अगर वह रहते तो नहीं हटती ।

श्री परसराम मदेरणा : हां, वह बात अलग है ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने हटा दिया, यह नहीं कहा । श्री मोहन मेघवाल ।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की तरफ आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग डेढ सौ कच्ची बस्तियां हैं और इन डेढ सौ कच्ची बस्तियों का दो बार सर्वे हुआ और दोनों दफा सर्वे के अन्दर कुछ भेदभाव की नीति अपनायी गयी । 1980-81 के अन्दर हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने इस प्रकार कार्य किया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे उनका नाम नहीं जोड़ा जाए, उसके बाद में 1982-83 में हुआ तो तब भी इसी प्रकार की नीति अपनायी । मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम अब या तो 1992 तक का सर्वे कार्य कराया जाए और सर्वे करा कर के जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उनका नियमन किया जाए ।

मेरा एक और निवेदन है कि पिछली बार एक आदर्श बस्ती के नाम से सरकार ने घोषणा की थी, मैं यह चाहूंगा कि कम से

(श्री मोहन मेघवाल)

कम एक आदर्श बस्ती, इन्हीं बस्तियों में से नियमन कर के और उसको आदर्शबस्ती के रूप में करायी जाए। जब मैंने पहले चुनाव लड़ा था

(19.00)

उस वक्त तो 78 हजार वोट थे। आज लगभग इसी क्षेत्र के ढाई लाख वोटर्स हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 1992 तक की जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उनका एक दफा केम्प लगवाकर या सर्वे कराकर उनके नियमन की कार्यवाही की जाए ताकि हमेशा का जो झगड़ा है वह समाप्त हो जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि ये जो नॉन स्कीम्स एरिया है। नॉन स्कीम्स एरिया से वोट तो हम लोग लेते हैं उनका उन नॉन स्कीम्स एरिया में यू. आई. टी. तो यह कहती है हमारा एरिया नहीं है, म्युनिसिपलिटी यह कहती है कि ये हमारे एरिया नहीं हैं, फिर इन एरियाज का मालिक कौन है? वोट तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन विकास का काम नहीं होता इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए।

तीसरी बात यह है कि हमारे जोधपुर में तीन आवासन मण्डल की बस्तियां हैं उनमे प्रतापनगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और मधुबन, मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इन आवासन बोर्ड की बस्तियों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि वहां पर सफाई के मामले में म्युनिसिपलिटी कहती है कि यह हमारा एरिया नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि जहां नागरिक रहते हैं कम से कम वहां सफाई की लाइट्स की रोड्स, की या सीवर लाइंस की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं की जयपुर की जो कच्ची बस्तियां हमने देखी हैं, उन बस्तियों के अन्दर तो पांच-पांच फुट की सीवर लाइन डाली हुई है, दो-दो फुट की डाली हुई हैं एक फुट की भी डाली हुई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में वहां 6-6 इंच की लाइन डाली हुई है और बस्तियां करीब 250 मकानों से लेकर हजार मकानों की बस्तियां बस गयी हैं। वहां पर सीवर लाईन किसी काम की नहीं है वहां रोड पर हर वक्त पानी बहता रहता है जिससे रोड्स जो बनती हैं वे वह वापस बनायी जाएं। इसी सीवर लाइन के पानी से रोड सारी टूट गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरा आपसे एक और निवेदन है, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पी. डब्लू. डी. की जितनी भी रोड्स का कार्य है यह सारा कार्य शुरू हुये 12-12 महीने हो गये मगर अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आज वहां पर जो खनिज उद्योग है उससे लाखों, करोडों की आय होती है लेकिन उस

(श्री मोहन मेघवाल)

के बावजूद भी हमारे ट्रक वालों का जितना नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि ये रोड्स जल्द से जल्द तैयार करायी जाएं।

तत्कालीन व मौजूदा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी आपके द्वारा 1992 में मुख्य मंत्रीजी की मौजुदगी में आप जोधपुर पधारे थे, उस वक्त एक रेफरल हास्पिटल की घोषणा की गयी थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो रेफरल हास्पिटल की घोषणा की थी, वह रेफरल हास्पिटल बनना चाहिए। क्योंकि हमारे वहां कम से कम 40-50 हजार मजदूर खानों में काम करते हैं अगर किसी प्रकार की घटना घट जाए तो उस मरीज को शहर में लाने में 10 किलोमीटर की दूरी है और इतनी दूर लाने में अगर उस आदमी का खून बह जाए तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

इतना ही मैं कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माही परियोजना को मूंगड़ा कैनाल अभी दो तीन दिन पहले अचानक टूटने से वहां के काश्तकारों की फसलें चौपट हो गयीं वहां के काश्तकारों की जमीनें भी बह गयी। इसलिए मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां के काश्तकारों की अचानक नहर टूटने से जो फसलें नष्ट हो गयीं हैं, उनको राहत दी जाए।

साथ ही, मेरा दूसरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान दिये जाते हैं और उसमें वित्तीय सहायता डी. आर. डी. ए. से जो दी जाती है नौ हजार के आसपास, उसमें पक्के मकान नहीं बनते हैं और बांसवाड़ा जिले की जमीन रब्बे के लिए बहुत ही उपयुक्त जमीन है। अगर उनको सरकार की ओर से आदेश दिया जाए तो पक्के मकान न बनाकर, ? हजार रुपये में पक्के मकान आदिवासी नहीं बना सकते, उनके पास खुद का धन भी नहीं होता है, ऐसी हालत में पक्के मकान छोटे-छोटे बनते हैं और अधूरे रह जाते हैं और अधूरे की श्रेणी में आते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आदिवासी क्षेत्रों में कच्चे रब्बे का मकान बनाने के लिए स्वीकृति दें, वहां के जिलाधीश को आदेश दें ताकि वहां के आदिवासियों के रहने के लिए अपना खुद का मकान हो जाए। कम से कम आप जो उनको राहत पहुंचा रहे हैं उससे उन्हें बहुत सहायता हो जाएगी।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

पंचायत समिति पीपलखूंट में ग्राजकल हजारों करोड़ों रुपये के जो विकास के काम हो रहे हैं, ग्रकाल राहत के काम हैं लेकिन पंचायत समिति में जीप नहीं है। विकास ग्रधिकारी को, क्योंकि ग्रादिवासी क्षेत्र है, उतार-चढ़ाव ग्रौर जंगलों में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहां के विकास ग्रधिकारी के मौके पर नहीं जाने से, वहां के कार्य ग्रधूरे रह जाते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जिनकी लाइनिंग सही नहीं दी जाती है ग्रौर वहां के ग्रुप सचिव लाईनिंग देते हैं। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति पीपलखूंट के लिए जीप देने का मैं सरकार से ग्रनुरोध करता हूं।

मेरा तीसरा ग्रनुरोध यह है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में माही विभाग ग्रौर कड़ाना परियोजना के जो कार्य हो रहे हैं, वहां जमीन के कटाव के लिये कार्य किये जाते हैं लेकिन ग्रधिकारियों का एक ग्राफिस तो प्रतापगढ़ है ग्रौर एक ग्राफिस बांसवाड़ा में है। वहां के ग्रधिकारी मौके पर नहीं ग्राते हैं, वहां के प्रोपर मेप नहीं देते हैं, वहां सीधी लाईनिंग नहीं होकर टेक्निकल लाइन नहीं मिलती है ग्रौर ग्रधिकारी उनकी सुचारू रूप से देख-रेख नहीं करते हैं, जिससे वहां धन का दुरुपयोग होता है। वहां पर एनीकट्स का जो छोटासा काम होता है वह भी सही रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से ग्रनुरोध है कि एक ग्राफिस प्रतापगढ़ ग्रौर एक ग्राफिस माही में होने से वहां के ग्रधिकारी वहीं बैठे रहते हैं, मौके पर ग्रधिकारी नहीं जाते हैं, लोकल ग्रादमी लाइनिंग करते हैं, वहां का जो मेटेरियल होता है वह भी लोकल ग्रादमी लगाते हैं उसके कारण घटिया किस्म का काम होता है। इसलिए मेरा सरकार से ग्रौर खास कर सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि मौके पर या तो तहसील हैड क्वार्टर पर ग्रधिकारी रहें ताकि उसकी देख-रेख सही हो, लाइनिंग सही हो ग्रौर टेक्निकल लाइनिंग होगी तो ग्रच्छा काम होगा। सरकार जो काम कराना चाहती है उसको सुचारू रूप से कराया जाए ताकी उनका लाभ मिल सके। मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके मार्फत मैं सरकार का सिर्फ दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ग्रौर ग्राग्रह करना चाहता हूं कि उन पर शीघ्र निर्णय ले। एक तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी होते हुए भी काफी लोगों ने ट्यूबवैल खोदे हैं, उनमें पानी हो गया है पर उन्हें बिजली का कनैक्शन नहीं मिल सकता। पानी की व्यवस्था देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको प्रायोरिटी के ग्राधार पर कनैक्शन दिलाया जाए ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो ग्रौर काश्तकार को भी राहत मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्रम से आ रहा है और लोगों के नाम लिखे हुए हैं।

श्री पराक्रम सिंह : दूसरा निवेदन मेरा आपसे यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांवों में सिंचाई के कोई तालाब नहीं हैं और अगर तालाब हैं, तो वे निजी जागीरदारों के हैं जिनको न तो सिंचाई विभाग लेना चाहता है और अकाल राहत कार्य में भी हम उन पर काम नहीं करा सकते। मेरा आपके मार्फत यही निवेदन है कि इन तालाबों पर कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

एक माननीय सदस्य : ये तो रोज बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं वह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो रोज बोलता हूं।

श्री पराक्रम सिंह : ये तो रोज ही इम्पार्टेंट बात बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह : मैं घी की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आज आपको बटर खिला रहे हैं।

श्री पराक्रम सिंह : आज अति इम्पार्टेंट होगी साहब।

श्री अध्यक्ष : देखिये, आज पहली बार वह बटर लगा रहे हैं।

श्री पराक्रम सिंह : आपके या सदन के ?

श्री अध्यक्ष : सदन के, मेरे कहां लगाएंगे ?

श्री हरिसिंह : आज मेरे हाथ में एक ऐसा घी का पैकेट है, अध्यक्ष महोदय, जिस पर लिखा हुआ है ग्वाला ब्रांड प्योर घी, हिन्दी में लिखा हुआ है शुद्ध घी, उच्च कोटि का घी और इस पर ग्वाले की तो तस्वीर है और गाय विदेशी है, विदेशी नस्ल की। तकलीफ मुझे यह है कि गूजरों के साथ धोखा हो रहा है। यह जयपुर की संदीप इण्डस्ट्री कोई झोटवाड़ा में है जो इस घी को बनाती है। इस घी को बनाने का काम संदीप इण्डस्ट्री का है और इसकी मार्केटिंग कर रही है कानोडिया एण्टरप्राइजेज, चांदपोल, रामसिंह एण्ड गर्ग कम्पनी, यह भी चांदपोल में ही है, वह अलग है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपकी सेवा में निवेदन करूं कि यह घी बिलकुल नहीं है, यह है बटर आयल है। इसमें दोहरा बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।

(श्री हरिसिंह)

बटर ऑयल यूनीसेफ के माध्यम से डेनमार्क से हिन्दुस्तान में फ्री वितरण करने के लिये आता है। अब मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे बिका यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। मैं आपको....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बटर ऑयल होता क्या है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : बता रहा हूं साहब। बटर आयल, घी के जो आवश्यक कंटेंट्स हैं, उसमें से फेट निकाल लिया जाता है और उसके बाद में जो बचता है उसको बटर आयल की संज्ञा दी जाती है और यह तेल होता है, जमता नहीं है। घी में और इसमें यह फर्क है कि घी जम जाता है, यह बटर आयल जमता नहीं है, जैसे अपने दूसरे आयल नहीं जमते। लेकिन यह अखाद्य तेल तो नहीं है, खाद्य तेल है, सवाल इस बात का है कि इसको बटर आयल भी नहीं छोड़ा। यह जमा दिया, तो बटर आयल भी एडल्टरेटेड है। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल : कहना क्या चाहते हैं, यह बताओ ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी आप सुनिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर के एक प्रवर्तन निरीक्षक ने डी. एस. ओ. जयपुर के यहां एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की। (व्यवधान) नहीं, वह बोर हो जाए उससे, कोई बात नहीं, क्योंकि घी खाने को उनको शायद मिला नहीं। वह गोपनीय रिपोर्ट पेश की है और यह रिपोर्ट पेश किये सत्तरह दिन हो गये, आज तक इस फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसका प्रयोगशाला में विश्लेषण करवाया है। मैं उस पर तो बाद में जाऊंगा अध्यक्ष महोदय, यह बटर आयल है, यह सिद्ध करने के लिये इस फर्म के जिन्होंने चालान किये हैं, जो ईसको जमाने का काम कर रहा है, वह तिरूपति उद्योग, झोटवाड़ा है। तिरूपति उद्योग, झोटवाड़ा को इन्होंने 22-10-93 को अपने यहां से भिजवाए हैं। जिसमें लिखा है 59 ड्रम्स आफ बटर आयल अबाउट 175 किलोग्राम फोर जोब वर्क। इसी प्रकार का यह है, अध्यक्ष महोदय, इसमें 60 ड्रम्स हैं, वही 175 किलोग्राम के और वह भी जोब वर्क है। यह कुल मिलाकर कुछ मेरे हाथ लगे हैं, इनमें लम्बा-चौड़ा घोटाला है और यदि तिरूपति उद्योग ने जोब वर्क करके इनको पन्द्रह टीन के उसमें पैक करके इनके पास वापस भेजा है। भेजा यह 15 किलोग्राम के लिये, संदीप इण्डस्ट्रीज इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, इसमें लिखा है फिल्टर बटर आयल, वापस जो भेजा है, उसमें फिल्टर बटर आयल 72 टीन, यह 23-10-1993 में है। इसी प्रकार से यह कुछ उनके द्वारा भेजे गये चालान हैं, वह मेरे पास हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को इनको पेश कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी, इसकी प्रयोगशाला में जांच भी करवायी है और जांच में इन्होंने तीन से चार जो स्टेंडर्ड है, जैसे फ्री फेट एसिड्स,

(श्री हरिसिंह)

यह प्योर घी में होते हैं। अध्यक्ष महोदय, तीन प्रतिशत बटर आयल में होते हैं, 0.38 प्रतिशत और इस तथाकथित घी में है .776 प्रतिशत। यानी कितना फेट इसका निकाला लिया गया है और इसके बाद में या तो इसमें मूंगफली का तेल मिलाया है या इसमें वनस्पति आयल कोई दूसरा मिलाकर के इसको जमा दिया है। तो यह बटर आयल भी वह कर दिया है। इसमें एडल्टरेशन कर दिया है और वह भी शुद्ध नहीं है। इसके दूसरे पैरामीटर्स और हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह मुख्य मन्त्रीजी की तरफ में.... (व्यवधान) सवाल इस बात का है....

श्री अध्यक्ष : सदन का समय अब पन्द्रह मिनट ही रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सिर्फ दो मिनट में कनक्लूड कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह है कि अगर बटर आयल, जो कानून है और इसी एक्ट के जो रूल्स बने हुए हैं कि अगर पांच क्विंटल से ज्यादा का कोई आदमी बिजनिस करता है तो उसको लाइसेंस लेना चाहिये....

श्री शीशराम ओला : टाइम दिया था मंत्री महोदय को, हमारा निवेदन किया हुआ है, पांच बार रिमाइण्डर करने के बाद आपने उसको लगाने की बात कही थी, उसमें कितने आदमियों की मृत्यु हो गयी और रास्ता बिलकुल अवरूद्ध हो गया, सड़क तोड़कर रख दी। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर आप...

श्री अध्यक्ष : सदन की इच्छा हो तो मैं ले लूंगा। मुझे क्या आपत्ति है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सदीप इण्डस्ट्रीज के पास इसका कोई लाइसेंस नहीं है। पांच क्विंटल से ज्यादा कोई धंधा करे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह उपभोक्ता के साथ धोखा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास एक ही डिब्बा है या और है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह एक ही डिब्बा है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर एक है जब तो नहीं दें, नहीं तो सुन्दरलाल जी चाहते थे एक डिब्बा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, सुन्दरलाल जी को तो मैं भिजवा दूंगा। सुन्दरलाल जी को मैं भिजवा दूंगा यह पैक डिब्बा मेरे पास एक है, वह भी इसलिए कि यह जनवरी का प्रोडक्ट है और जनवरी का चूंकि ....

श्री शीशराम ओला : नहीं, यहां तो बेस यह होता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करूं कि इस प्रकार से जो जनता के साथ धोखा हो रहा है, उसको देखा जाए। चार सौ बीस, चीटिंग और आपके इ. सी. एक्ट के साथ में जो लाइसेंस न होने का ये जो फ्राड है, उपभोक्ताओं के साथ में यह बहुत बड़ा धोखा है और मुख्य मंत्रीजी यह छोटा-मोटा नहीं है अब तक तो इतनी जानकारी मिली है 1500 क्विंटल का निर्माण कर चुका है। इसलिए आप इस आदमी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। मैं इतना ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : लिया हुआ है उसमें इस कम्पनी को नोटिस दिया है कि उसके नाम से यह गलत बेच रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के अनेक महापुरुषों में डॉ. अम्बेडकर भी हुए हैं। डॉ. अम्बेडकर के प्रति दलित वर्ग की विशेष श्रद्धा है। आज तो स्थिति यह है कि वह उन्हें अपना आराध्य मानती है। यह वर्ग और यह समाज डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी या डा. अम्बेडकर का चित्र वहां सेंट्रल हाल में लगना चाहिए था, कांग्रेस तो अपने कुछ ऐतिहासिक कारणों से और कुछ राजनैतिक कारणों से नहीं लगाया और न ही इतना सम्मान कभी डा. अम्बेडकर को दिया ...

अनेक माननीय सदस्य : यह गलत बात है ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : डा. अम्बेडकर का चित्र सेंटर हॉल में लगा हुआ है ... (व्यवधान) यह सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है, बाहर मूर्ति लगी हुई है। ...

श्री टीकमचन्द कान्त : वह तो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल हॉल में लगा है।

श्रीमती कमला : संसद समाचार जो आते हैं, वह संसद के बाहर उनकी मूर्ति को दिखाते हुए आते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने उनको लॉ मिनिस्टर बनाया था।

श्री टीकमचन्द कान्त : उनके प्रति एक नेक भाव, एक नया विचार अनुसूचित जाति के लोगों में और जनजाति के लोगों में पैदा हुआ है, कि वह विशेषतया इस वर्ग का ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। तब इस पवित्र सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिया है कि जो कांग्रेस शासन नहीं कर सकी, वह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्य मंत्री ने 14 अप्रेल के जन्म दिन की उस

(श्री टीकमचन्द कान्त)

महान् डा. अम्बेडकर की छुट्टी करे, सार्वजनिक अवकाश घोषित करे ...

श्री कुबेर खान : अम्बेडकर की छुट्टी कर रहे हैं ?

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, उनकी जन्म तिथि 14 अप्रेल की छुट्टी करके इस वर्ग की भावनाओं की कद्र करे। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं यह घोषणा इस दलित वर्ग के लिए एक महान उपलब्धि होगी और यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : अब मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि समय बढ़ाया है उसके हिसाब से दस मिनट का समय शेष है और इस दस मिनट में अभी दो व्यवस्थाएं मुझे देनी हैं। इसके अलावा आज सत्र का अन्तिम दिन है, इसलिए कुछ और फोर्मलिटिज भी करनी हैं, 295 भी हैं और ध्यानाकर्षण भी है ...

श्री रामनारायण चौधरी : 295 पढ़े हुए मान लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : तो 295 पढ़े हुए मान लिए जाएं ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

(कृपया नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री अध्यक्ष : चलिए। अब सुनिये, आप मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मैं कह दूं। कुछ कह दूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : शीशराम जी को बुलवा दें अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब मुझे दो व्यवस्थाएं देनी हैं --

श्री भीमसेन चौधरी : पुलिस भर्ती के बारे में भी है।

श्री अध्यक्ष : और मैं समझता हूं कि शीशराम जी का जो ध्यानाकर्षण है, वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और वह एक ध्यानाकर्षण भी हो सकता है। तो इसके लिए आप तय करिये। समय बढ़ाना हो, तो बढ़ाइए, नहीं तो ...

श्री विष्णु मोदी : पन्द्रह मिनट बढ़ा लें।

श्री रामस्वरूप : समय बढ़ा दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शीशरामजी ओला ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है मैं भी उसको बहुत गम्भीरता से स्वीकार करता हूं और मेरे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पास पूरा उसका वक्तव्य भी है। वह वर्ल्ड बैंक की रोड थी, आने वाली कठिनाइयां जो आयीं वह सब प्रकार की आयी, उनकी जानकारी उनको भी है मुझको भी है। एक बार देने के बाद उससे वापस लेने में बहुत कठिनाई पैदा होती थी, किन्तु इन सब के बावजूद अब हमने तय किया है कि विदिन 25 डेज जो ठेकेदार है, जो वर्ल्ड बैंक का है उससे काम वापस लेकर पहले डिपार्टमेंटली काम शुरू करवायेंगे फिर उसका उसी बीच में हम टेण्डर करेंगे और 12 महीने से 15 महीने में उस सड़क को ठीक रूप से करने की व्यवस्था करेंगे, यह हमने निश्चय किया है। मैं आपके माध्यम से झुंझूनूं और सीकर जिलों से आने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह इसको और ठीक रूप से चलाने के लिए जो सुझाव देंगे उनके साथ बैठ कर, उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। सहमति होगी और जल्दी से जल्दी इस काम को कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

श्री भीमसेन चौधरी : खादी बोर्ड की अनियमित भर्ती के बारे में मेरा नोटिस है। खादी बोर्ड का है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : अब मुझे दो व्यवस्थाए देनी हैं फिर भी मैं समझता हूं कि आप आधा घंटे का समय और बढ़ाइये।

क्या सदन की इच्छा है ?

(स्वीकृत)

सदन का आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

मैं व्यवस्थाएं देता हूं फिर जितनी शून्य काल की या जो आप लेना चाहें वह लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : खादी पर मेरा नोटिस था।

श्री अध्यक्ष : हां, वह कर लेना। खादी ग्राम वगैरह जो उठाना है, अब जितना टाइम मिलेगा वह उठाइये मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री भीमसेन चौधरी : समय ज्यादा नहीं लगेगा।

व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी

(श्री अध्यक्ष)

नियमों के नियम 157, 158 के अधीन माननीय सदस्यगण श्री जगदीप धनखड़, श्री शांति कुमार धारीवाल, श्री परसादी लाल मीणा, श्री माधव सिंह दीवान, श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उस सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी जा रही है।

प्रस्ताव में इन माननीय सदस्यों द्वारा यह अंकित किया गया है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में दिनांक 16 मार्च, 1994 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा में भाग लेते हुए वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्यगण, इस वक्तव्य का अंश प्रस्ताव में उद्धृत किया गया है।

इससे पूर्व कि मैं माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था देऊं मैं यह व्यक्त करना उचित समझता हूं कि कतिपय माननीय सदस्य संभवतः ऐसा भ्रम रखे हुए हैं कि विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन में कभी भी उठाया जाकर उस पर चर्चा की जा सकती है। यदि यही स्थिति देखी जाती है, तो स्पष्ट होता है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को नियमों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रक्रिया नियमों के अध्याय 19 में सर्वप्रथम नियम 157 में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सदन के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो। नियम 158 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा। विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्त भी नियम 159 में अंकित की गयी है जिसके अनुसार प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहना चाहिए और विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित रहना चाहिए।

इस प्रकार की सारी प्रक्रिया अंकित करने के पश्चात् भी नियम 160 में यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष यदि नियम 157 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा। नियमावली के नियम 160 का परन्तुक भी महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार यदि नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सम्मति

(श्री अध्यक्ष)

देने से अध्यक्ष इन्कार करता है या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना मात्र पढ़ कर सुनाने के पश्चात् अध्यक्ष यह कह सकता है कि वह सम्मति देने से इन्कार करते हैं या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराते। नियम 157 के अधीन अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दी भी जाती है और ऐसी अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हो, अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहता है, तदनुसार यदि कम से कम 10 सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी गयी। यदि 10 से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख मात्र इसी उद्देश्य से किया है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसे उठाने वाले व्यक्ति द्वारा एवं उस पर विचार करने वाले अध्यक्ष द्वारा गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया जाना होता है।

अब जहां तक माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के गुणावगुण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम तथ्यात्मक रूप में यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मुख्य मंत्रीजी ने दिनांक 16 मार्च, 1994 को सदन में इस प्रसंग में जो कुछ कहा है उसे असत्य कथन की संज्ञा दी जा सकती है ?

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ दिनांक 16 मार्च, 1994 को सदन में कहा उसे प्रस्ताव में माननीय सदस्यगण द्वारा अंकित किया गया है। इसी संदर्भ में दिनांक 16 मार्च, 1994 को माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री परसराम मदेरणा के बीच सदन में जो कार्यवाही हुई उसके अवलोकन से भी ऐसा ही प्रकट होगा कि प्रकरण सी. बी. आई को भेजा गया और सी. बी. आई. की रिपोर्ट प्राप्त हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में जो बात कही उसके पश्चात् श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा एवं श्री भैरोंसिंह शेखावत, माननीय मुख्य मंत्री ने जो कुछ उत्तर दिया वह निम्न प्रकार है :—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भण्डारी की रिपोर्ट पढ़ी है और पढ़ने के बाद में मैं सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा, इसमें लिखा है—'A near look on this Khatedari suggests that these have been tempered within the sense that the entries appearing against the names of these persons have been written in a hand much different from the one which prepared the original

(श्री अध्यक्ष)

khatoni. These khatonis bear no relation to the basic revenue record, khasra, girdavari of the relevant time where these persons have not been shown as tenants in the Samvat year 2007-2009 corresponding to the calendar year April, 1951 to March, 1953. आगे लिखा है,

> 'However, subsequently the fictitious entries in the khasra, girdavari have been made by Abdul Gafoor, patwari, in collusion with Shri Amar Singh, Patwari....' Not Amarsingh Rajvi. 'In collusion with Amarsing, Patwari.'

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कौन कह रहा है नरपत सिंह राजवी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप बोल रहे थे ना....(व्यवधान) आप सुन लीजिये। आप सुन लीजिये, जो भी आप इस रिपोर्ट को आधार बना करके किला बना रहे हैं'

फिर वह मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

'However, subsequently the fictitious entries in the khasra, girdanari have been made by Abdul Gafoor Patwari, in collusion with Shri Amar Singh, Patwari and others to bring these revenue record in line with these khatonis mentioned above.'

यह रिपोर्ट है। 1977 की और जिस समय रिपोर्ट पेश की थी, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था।"

यह मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

"मैं जून में चीफ मिनिस्टर बना। जून में चीफ मिनिस्टर बना तो आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इस रिपोर्ट को सी. बी. आई. के पास इन्क्वायरी के लिये भेजा। सी. बी. आई. ने इसकी इन्क्वायरी की। क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स-अप करने के लिए भंडारी जी ने सिफारिश की थी। फिक्टीशिस एण्ट्रीज, एक दूसरा मामला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि उस समय, सी. बी. आई. की रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है लेकिन मुझे जानकारी है, सी बी. आई. की रिपोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल लायबिलिटी बिलकुल खतम कर दी कि कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। बल्कि उस रिपोर्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी खतम करने के साथ ही यह लिख दिया कि जो एण्ट्रीज हैं, जिनमें इंटरपोलेशंस हैं, इन एण्ट्रीज को करेक्ट कराया जाये और रेवेन्यू एक्ट या

(श्री अध्यक्ष)

रेवेन्यू ला जो भी हैं उनके अनुसार इसके अन्दर इनकी दुरुस्ती की जाये। अब वह दुरुस्ती करने का मामला कोर्टस में गया और जाते-जाते मामला वहीं के एस. डी. ओ. ने उसको करेक्ट किया। एस. डी. ओ. ने उस पर फैसला दिया और फैसले में इन सारे इंटरपोलेशंस के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उस उल्लेख करने के बाद कम से कम भंडारी की रिपोर्ट तो वहीं खतम हो गयी। क्रिमिनल लायबिलिटी होती और क्रिमिनल लायबिलिटी की सिफारिश सी. बी. आई. करती और उस पर मैं कोई एक्शन नहीं लेता तो यह समझ में आ सकता था। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी खतम। उन्होंने जांच की। सदन को शायद जानकारी नहीं होगी कि यह फाइल में दबा नहीं रहा था, इस कागज की इन्क्वायरी हुई, सी. बी. आई. ने इन्क्वायरी की, इन्क्वायरी करने के बाद में क्रिमिनल लायबिलिटी खतम की और एण्ट्रीज में....

श्री परसराम मदेरणा : और भी मैटर थे। यह था, नहीं था, मुझे पता नहीं। मालपानी के और बांगड़ के और दूसरे कई लोगों के मामले थे, महाराजा हिम्मतसिंह जी के। और यह सब मामले सी. बी. आई. में गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब मालूम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नोटिस नहीं दिया....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है, यह है कि नहीं है, गया कि नहीं गया लेकिन मामले दूसरे थे मुझे मालूम है क्योंकि मैंने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, ठीक है बहुत मामले गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने स्वयं ने उसमें आदेश पास किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी याद है, मुझे भी याद है,....

इस प्रकार प्रतिपक्ष के नेता श्री परसराम मदेरणा के अनुसार भी यह तो स्थिति प्रकट की गयी कि उनके मन्त्रित्व काल में कुछ मामले सी. बी. आई. को भेजे गये थे जिसमें मालपानी, बांगड़ आदि लोगों के मामले थे। जहां तक प्रश्नगत श्री पी. एन. भण्डारी की रिपोर्ट का प्रश्न है इस सम्बन्ध में श्री परसराम मदेरणा का कहना है कि उन्हें यह पता नहीं कि उसमें यह मामला सम्मिलित था अथवा नहीं। परन्तु कई मामले सी. बी. आई. को भेजे गये और उन पर सी.बी. आई. ने कोई रिपोर्ट दी यह स्थिति श्री मदेरणा के कथन से भी प्रकट हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह कहना कि मैंने स्वयं ने उस पर आदेश पास किया है और श्री भैरोंसिंह शेखावत, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह कहना कि आपको भी याद है मुझे भी

(श्री अध्यक्ष)

याद है यह प्रकट करता है कि सी. बी. आई. को मामला भेजा गया। अब प्रश्न रहा कि श्री पी. एन. भण्डारी के पत्र में जिस मामले का उल्लेख किया गया है वह मामला भी सी. बी. आई. को भेजा गया अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे समक्ष सी. बी. आई. की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे मेरे द्वारा देखा जा चुका है। इस रिपोर्ट को देखने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि पी एन. भण्डारी के पत्र में श्री नरपत सिंह राजवी का उल्लेख है। वह प्रकरण भी सी. बी. आई. को प्रेषित किया गया था। उस पर सी. बी. आई. ने अपनी राय दी है। ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि सी. बी. आई. द्वारा मामले में जांच पड़ताल की गयी और उसके बाद रिपोर्ट दी गयी। यह तथ्यात्मक रूप से सही स्थिति है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मेरे समक्ष मौखिक रूप से बहस के दौरान माननीय सदस्य गण ने प्रारम्भ में यही आपत्ति की कि मामला सी बी.आई. को किसी भी प्रकरण पर जांच के लिये भेजा ही नही गया था और मुख्य मंत्री ने सदन में इस सम्बन्ध में जो कुछ कथन किया है वह असत्य है। अब जबकि मैंने स्वयं अपनी संतुष्टि सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट को देखने के बाद कर ली है, तो यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि मामला सी. बी. आई. को भेजा गया था।

माननीय सदस्यगण द्वारा मेरे मे इस सम्बन्ध में विचार- विमर्श करने के दौरान जब सी. बी. आई. की जांच रिपोर्ट के वजूद में होने की स्थिति उनके समक्ष प्रकट हुई तो उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाने लगा कि भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मत्री ने जून, 1977 में यह मामला सी बी.आई. को नहीं भेजा था और इस सीमा तक उनका कथन असत्य है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह ने मौखिक तर्क करते हुए मुझे बताया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के कथन से ऐसा अनुमान होता है जबकि वास्तविकता यह है कि मुख्य मत्रीजी ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि उन्होने सी. बी. आई. को जांच के लिये मामला भेजा था। ऐसी सूरत में यदि अनुमान ही लगाना है तो इस सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के नेता के कथनों पर भी अवश्य ध्यान देना होगा और प्रतिपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको यह तो याद नहीं कि यह मामला उसमें था या नहीं किन्तु मालपानी, बांगड़ आदि के मामले थे तथा प्रतिपक्ष के नेता ने सी. बी. आई. को जांच के आदेश देने की बात स्वीकार की है। मैंने सी. बी. आई. की रिपोर्ट देखी, उसमें बांगड़ के साथ-साथ यह मामला भी सम्मिलित है, ऐसी सूरत में अब अनुमान की गुंजाइश ही नहीं रहती और बांगड़ के साथ-साथ यह मामला भी था यह सिद्ध हो चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में दिनांक 16 मार्च, 1994 को स्पष्ट कहा कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मुख्य मंत्री को असत्य कथन करने का दोषी ठहराने का कोई औचित्य प्रकट नहीं हो रहा है।

सारी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात तथ्यात्मक रूप से संतुष्टि हो चुकी है कि श्री पी. एन. भंडारी के कथित पत्र में जिस मामले का उल्लेख है उसकी जांच सी. बी. आई. द्वारा की गयी और सी. बी. आई. ने उस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोई असत्य कथन सदन में दिया गया हो।

तथ्यात्मक रूप से उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट--कौल एंड शकधर (संस्करण पृष्ठ 258) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो निम्न प्रकार है :-

"Cases not amounting to a Breach of privilege or Contempt of the House :-

If any Statement is made on the floor of the House by a member or Minister which another member believes to be untrue, incomplete or incorrect, it does not constitute a breach of privilege. If an incorrect statement is made, there are other remedies by which the issue can be decided. In order to constitute a breach of privilege or contempt of the House, it has to be proved that the statement was not only wrong or misleading but it was made deliberately to mislead the House. A breach of privilege can arise only when the member or the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly."

लोक सभा के समक्ष भी एक समय लोक सभा के दो माननीय सदस्यों ने रसद एवं कृषि विभाग के मंत्री महोदय के विरुद्ध यह प्रश्न उठाना चाहा कि मंत्री महोदय ने लोक लेखा समिति के समक्ष असत्य बयान कर लोक लेखा समिति को भ्रम में रखा है। इस प्रकार का प्रश्न उठाये जाने पर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी :-

"Incorrect statement made by a Minister cannot make any basis for a breach of privilege. It is only a deliberate lie, if it can be substantiated, that would certainly bring the offence within the meaning of a breach of privilege. Other lapses, other mistakes do not come

(श्री अध्यक्ष)

under this category, becouse every day we find that Ministers, make there statement in which they make mistakes and which they correct afterwards."

इसी संदर्भ में श्री रामचन्द्रन की पुस्तक, "ला आफ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसेज इन इण्डिया" के पृष्ठ 285 पर जिस मामले पर विचार किया गया है उसका भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। इस मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा गया था जिसमें मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह कहा गया था कि कुछ मकानों का ले-आउट-प्लान म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। मामले की जांच किये जाने पर कहा गया कि मकान प्लान के अनुमोदन के पूर्व ही बना लिये गये थे। इस प्रकार की परिस्थितियों में विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया गया तो अध्यक्षीय व्यवस्था दी गयी कि विशेषाधिकार हनन प्रश्न को प्रथम दृष्टया ग्राह्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने जान-बूझ कर सदस्य को गलत सूचना नहीं दी है।

इस विधान सभा में भी अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन द्वितीय खण्ड के पृष्ठ संख्या 205 पर भी तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है उसी अनुरूप मेरे द्वारा व्यवस्था दी गयी है।

ऊपरी सारे विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय मुख्य मंत्री ने जान-बूझकर सदन को गुमराह करने के लिए कोई असत्य बात दिनांक 16 मार्च, 1994 को सदन में कही है अतः विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया ग्राह्य नहीं मानते हुए अस्वीकार किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत ... व्यवधान)... आप हाउस की परम्पराओं को ध्यान में रखें। प्लीज, प्लीज, आप परम्पराओं को प्लीज, प्लीज, प्लीज बैठिये।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो...

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी व्यवस्थाएं हो जाने दीजिए। आप बैठिये।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : वह ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन जो मैंने मूव किया...

श्री अध्यक्ष : I am on my legs. I am doing my duty and you are standing. देखिये माननीय सदस्य, कल भी आपको बहुत निवेदन कर चुका हूं और फिर बहुत नम्रता से कहता हूं कि मेहरबानी करके नियमों को पढ़िये, कोड आफ कंडक्ट मेम्बर्स

(श्री अध्यक्ष)

का क्या होना चाहिए, उसको पढ़िये फिर खड़े होइये।

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव की ग्राह्यता

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत सदस्यगण श्री शिव किशोर सनाढ्य व पन्द्रह अन्य ने विधान सभा के सदस्य श्री जगदीप धनखड़ के विरूद्ध निम्नलिखित निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :-

> "श्री धनखड़ ने दिनांक 31-3-94 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विषय की चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि :-"मान्यवर, इस चीज के बारे में मैं नहीं कहता कि कोई व्यक्ति ने करप्शन किया है पर इस ग्रुप में कहा जाता है, भारी चर्चा है कि चुनाव में एक करोड़ से ज्यादा की मदद की थी। अब चुनाव में मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, सब दल लेते हैं, सभी कॅंडिडेट्स लेते हैं।"

श्री शिवकिशोर सनाढ्य व अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त स्थिति अंकित करते हुये कहा गया है कि श्री धनखड़ ने विद्युत मण्डल की चर्चा में दो मुद्दे उठाये जिनमें एक ट्रान्सफार्मर के क्रय के सम्बन्ध में और दूसरा विद्युत मण्डल में बकाया राशि का ग्राउट ग्राफ दी वे भुगतान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यगण के अनुसार माननीय श्री धनखड़ के इस कथन से विधान सभा के सभी सदस्यों पर आरोप बनता है। श्री धनखड़ ने यह आरोप लगाने से पूर्व न तो किसी को किसी प्रकार की सूचना दी न ही अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली। माननीय सदस्यगण ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली तथा अब तक की मान्य परम्परा और व्यवस्थाओं के अनुरूप सदन में कोई भी सदस्य किसी बात का उल्लेख करता है, तो स्वतः ही उस पर उस कथन की प्रमाणिकता का उत्तरदायित्व बनता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री धनखड़ के उक्त कथन से सदन के माननीय सदस्यों की एवं सदन की मानहानि हुई है और श्री धनखड़ ने यह सब कुछ जानते हुए कि यह आरोप सही नहीं हैं तथा निराधार हैं, यह आरोप लगाये हैं। माननीय सदस्यगण ने अपने प्रस्ताव में अंकित किया है कि "जब श्री धनखड़ यह कहते हैं कि सब कॅंडिडेट्स लेते हैं उससे यह स्पष्ट है कि कम से कम वह स्वयं तो इस आरोप की परिधि में आते ही हैं।" इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय सदस्यगण ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि :-

> "यह सदन सदस्य श्री जगदीप धनखड़ के उपरोक्त दुराचरण की निंदा करता है।"

निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई नियम लोक सभा के नियमों में अथवा इस

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा के नियमों में नहीं है। इस विधान सभा की नियमावली का नियम 119 निम्न प्रकार है :-

"119. लोक-हित के किसी विषय पर चर्चा संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

नियम 120 में प्रस्ताव की सूचना लिखित में सचिव को सम्बोधित होगी। नियम 121 में प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें अंकित की गयी हैं। नियम 122 में अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता को विनिश्चित करेगा।

इस प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री धनखड़ को दी गयी परन्तु उन्होंने इसके सम्बन्ध में कोई लिखित टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। पूर्व में इस विधान सभा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जैसा कि राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन के प्रथम खण्ड के अध्याय 12 में पृष्ठ संख्या 145 पर अंकित है। इस अध्यक्षीय व्यवस्था में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि "जहां तक मैं समझता हूं रूल 119 के तहत मेरी मान्यता है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से सम्बन्धित कोई सैंसर मोशन आ सकता है" तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी व्यवस्था दी गयी कि नियम 119 के अन्तर्गत केवल लोकहित का ही कोई प्रश्न चर्चा में आ सकता है। माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी अंकित किया गया कि :—

"जहां तक सवाल सैंसर मोशन का है, इसके लिए कोई रूल लोकसभा में भी नहीं है और दूसरी स्टेट्स में भी नहीं है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव और सैंसर मोशन दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं इसलिए नो कांफिडेंस की शर्तें इस पर लागू नहीं होती हैं।"

इसी प्रकार की परिस्थितियों में किसी मंत्री के विरूद्ध प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व का पाया जाने पर प्रक्रिया के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव की अनुमति पूर्व में इस विधान सभा में दी गयी है।

"पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज" डाइजेस्ट आफ केसेज 1950--1985 के पृष्ठ 97 पर श्री भूपेश गुप्त, जो कि राज्य सभा के सदस्य थे, के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला सन् 1970 में निम्न परिस्थितियों में उठाया गया था।

दिनांक 2 सितम्बर, 1970 को श्री भूपेश गुप्त, जो कि राज्य सभा के सदस्य थे ने राज्य सभा में बहस के दौरान निम्न प्रकार की बात कही थी :—

"I have definite information and personal information and I can produce the evidence through witnesses. Last night several M.Ps

(श्री अध्यक्ष)

were taken to the houses of some Princes and Maharajas and I know in one case where a member of a certain party was taken to the residence of one Maharaja, the Rajmata offered him bribe. I am ready to present him to you. I can ask him to come and tell you ...

What guarantee we have and what is the Central Government doing. The whole night it went on and poor Adivasi members were picked up and then they were told : 'You can take as much money as you like."

दिनांक 3-9-70 को श्री रामचरण, जो कि लोकसभा के सदस्य थे, ने विशेषाधिकार का प्रश्न श्री भूपेश गुप्त के विरूद्ध लोक सभा में उठाया और उन्होंने इस सम्बन्ध में श्री भूपेश गुप्त के राज्य सभा में दिये गये उस कथन को "नवभारत टाइम्स" से पढ़कर सुनाया । इस पर विचार-विमर्श के पश्चात तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री जी. एस. ढिल्लो ने यह आश्वासन दिया कि वे राज्य सभा के सभापति, महोदय से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे । लोक सभा अध्यक्ष द्वारा तत्कालीन सभापति राज्य सभा श्री जी. एस. पाठक को पत्र भेजा गया, जिसके उत्तर में श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा निम्न स्थिति अंकित की गयी :—

"The allegations by Shri Bhupesh Gupta to which Shri Ram Charan, M. P. apparently refers, did not relate to any particular member of either the Lok Sabha or the Rajya sabha.... You would thus see that Shri Bhupesh Gupta did not refer personally to any member of either House.

I have always held the view that members of one House should not make allegations or cast reflections on the floor of the House, or outside, on the members of the other House. In the Rajya Sabha, the Chair has invariably deprecated such conduct on th part of any member. In the present instance also, the Deputy Chairman, Shri Khobragade who was in the Chair at the time Shri Gupta said this, made the following observations :—

"Members of Parliament of both House are very responsible persons and at the time of voting they will surely use their judgment

(श्री अध्यक्ष)

and vote according to their conscience. I do not think they will be swayed by any other consideration."

इस प्रकार पत्र पढ़े जाने के बाद कार्यवाही ड्राप कर दी गयी। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री जगदीप धनखड़ का उक्त वक्तव्य किसी भी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं है।

इस सम्बन्ध में श्री एम. ओ मथाई प्रकरण पर विचार किया जा सकता है। श्री मथाई जो कि भारत के प्रधान मंत्री के विशिष्ट सहायक थे, ने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ऐसे कथन किये कि जिससे सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ। श्री एम. ओ. मथाई द्वारा अपने पत्र में जो कुछ लिखा गया था वह निम्न प्रकार था :—

"But the ever-mounting tendency in our Parliment and our Press to attack public servants without caring to verify facts in having a devastatingly demoralising effect. Under such deplorable conditions very few self-respecting persons will care to enter Govt. service or public life."

इस पत्र का उल्लेख करते हुए लोक सभा के सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। श्री वाजपेयी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया :—

"... Shri Mathai has made a wild charge against this House ... He has accused the House of growing tendency to attack public servants without even caring for facts ...And that letter has been circulated by the Press Information Bureau of the Government of India and with the permission of the Prime Minister who is the Leader of the House and is expected to safeguard the dignity and honour of this House ... I think the statement is quite clear, selfevident, and it amounts to a breach of privilege of this House ..."

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा निम्न स्थिति सदन के समक्ष रखी गयी :—

"I should like to distinguish, if I may, between an impropriety and a question of privilege.

Speaking for myself, I think that the wording referred to is regrettable and not Proper. That is a different matter. And, as a

(श्री अध्यक्ष)

matter of fact, I am given to understand that Shri Mathai some time ago addressed you on this question expressing his deep regret that in a moment of whatever it was he wrote something without ever intending anything against the dignity of this House..."

X X X

....While these remarks are unfortunate and regrettable and for my part, I regret them, and Mr. Mathai also is deeply sorry, as he has expressed it to you, sir, Yet so far as the question of privilege is concerned, I do not think that is raised, and as far as I know, whenever something even much stronger than this has been said on these lines, it has been held elsewhere that no question of privilege is, raised I merely make this submission to you; it is for you to decide."

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति दी गयी चूंकि 25 सदस्यों ने प्रस्ताव को उठाने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की, अतः विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति स्वीकार की गयी।

इस सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया, उसके द्वारा निम्न राय दी गयी :—

"The Committee of Privileges in their Ninth Report presented to the House on 6th March, 1959, reported inter alia as follows :—

(i) "The Committee have carefully considered the remarks made by Shri M. O. Mathai in his letter or resignation to the Prime Minister, which are mentioned in the reference made by the House to the Committee. The Committee are of the opinion that such remarks which cast aspersions and attribute irresponsibility tend to diminish the respect due to parliament. Strictly construed, they would amount to a breach of the privileges of the House. The Committee, however, feel that it is not consistent with the dignity of the House to take notice of every such statement which may technically

(श्री अध्यक्ष)

constitute a contempt of the House. The House would best consult its dignity if it ignored such improprieties and indiscretions."

(ii) "The Committee have also noted the expression of regret by Shri M. O. Mathai in his letter dated 11th February, 1959, to the Speaker, Lok Sabha, which reads :

'I deeply regret that my letter of resignation to the Prime Minister recently published in the press should have given the impression that I meant to cast any aspersions on Parliament. I should like to assure you that nothing was farther from my thoughts and I am sorry if I said anything that could have been thus interpreted."

(iii) "The Committee are of the opinion that there is no reflection on the Speaker in the words used."

(iv) "The Committee recommend that in the circumstances, no further action be taken by the House in the case."

अन्ततोगत्वा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जैसा कि 'पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज' डाइजेस्ट के पृष्ठ 535 से प्रकट हो रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में माननीय सदस्यगण ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़ के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाने की जो प्रार्थना की है वह उस रूप में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं हो रही है। इसके विपरीत माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़ द्वारा दिनांक 31-3-94 को विद्युत मण्डल के सम्बन्ध में हुई चर्चा में भाग लेते हुए जिस तरह की टिप्पणी सदन के सदस्यों के एक ग्रुप के सम्बन्ध में चुनाव में एक करोड़ से ज्यादा की मदद लेने की की गयी है व साथ ही उनके द्वारा जो यह भी कहा गया है कि चुनाव में मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है सभी दल लेते हैं, सभी कॅंडिडेट्स लेते हैं—इस प्रकार की टिप्पणी से सदन व इसके सदस्यों की अवमानना का प्रथम दृष्टया प्रकरण दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः माननीय सदस्यगण श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत किये गये इस निंदा प्रस्ताव पर उपरोक्त दृष्टान्तों के संदर्भ में विचार करते हुए मैं प्रक्रिया

(श्री अध्यक्ष)

तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत इस विशेषाधिकार प्रश्न व सदन की अवमानना के प्रश्न को सदन में उठाने के साथ-साथ यह भी निर्धारित करता हूं कि माननीय सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत किया गया विषय सदन की अवमानना के प्रश्न के सम्बन्ध में नियमानुकूल है अतः सम्बन्धित सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। यदि सदन में इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है, तो नियम 160 (2) के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और तत्पश्चात् नियम 160 (2) की पालना हो जाने पर सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकेगा और विनिश्चय कर सकेगा या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या अन्य किसी सदस्य के प्रस्ताव पर इसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर....

श्री अध्यक्ष : किस पर पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करता हूं कि यह मुद्दा विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रिविलेज मोशन पर निर्णय दिया....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट समय बढ़ा देता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रश्न की ग्राह्यता

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी व्यवस्था दी और चूंकि 'पाइंट आफ आर्डर' के तहत 'A point of order may be raised in relantion to the business before the House at the moment.'

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पाइंट आफ प्रिविलेज लोक सभा 1974 की रूलिंग पर 'Alleged misleading statement made in the House by a Minister in connection with Pondichery import licence....'

यह प्रिविलेज मोशन, अध्यक्ष महोदय, जिसमें लोक सभा के अध्यक्ष जी ने निर्णय भी दिया था बिलकुल आपके सामने जो प्रिविलेज का मोशन आया करीब-करीब शुरू से लेकर आखिर तक सिमिलर फैक्ट्स हैं। सी. बी. आई. की जांच हुई उस रिपोर्ट को माननीय चार सदस्यों ने लोक सभा में रेंज किया और मैं कोट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)..मेरा पाइंट आफ आर्डर है... कृपया एक मिनट....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ने जो व्यवस्था दी है, अध्यक्ष की व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना सदन की सारी परम्पराओं को तोड़कर है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि आपकी व्यवस्था के बाद... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कोई बात जब हो रही है, तो इस तरह से क्यों बोलते हैं ? क्यों खड़े हैं ? वह एक पाइंट उठा रहे हैं, 'Why don't you hear it ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर है....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों को सुन लीजिए। 'लेट हिम से,' जो वह कह रहे हैं कानूनी बात कह रहे हैं ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके वाजपेयी जी का ही है....

श्री अध्यक्ष : देयर इज नो पाइंट आफ आर्डर। मेरी व्यवस्था पर भी पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता मगर आप तो इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे ही नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं ?....मैं शांति से इसलिए सुन रहा हूं कि आप रूलिंग के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी व्यवस्था पर आप अपनी व्यवस्था दे रहे हैं या उस पर आरग्यूमेंट कर रहे हैं or you are giving your own case separately as if it is a Court.

(श्री अध्यक्ष)

यह तो वकील इस तरह से बोल रहे हैं कि आपने यह केस बताया में दूसरा केस साइट कर रहा हूं । I am not in a court.

मैंने जब व्यवस्था दे दी उस व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं हो सकती । मगर मैं इसलिए सुन रहा हूं कि आपको वह शिकायत नहीं हो कि हमको सुना नहीं गया लेकिन...

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत का प्रश्न नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

श्री जगदीप धनखड़ : यह कोई इन्डीविजुअल का मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, इसलिए जहां तक मेरा प्रश्न है मैं तो आपके नियम विरुद्ध काम को भी चुपचाप सुनने के लिये तैयार हूं मगर मैं सब मैम्बर्स को बाउण्ड नहीं कर सकता । मैं मैं चुप रह सकता हूं मैं नहीं बोलूंगा मगर दूसरे मैम्बर्स इस पर आपत्ति करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं । जब आप कानून तोड़ेंगे, तो मैं हाउस को कंट्रोल कैसे करूंगा । जब मैं चुप रह सकता हूं इसलिए चुप रह सकता हूं कि आप कहेंगे कि माफी मांग, मैं चुप रह सकता हूं बाकी मैं सारे हाउस को चुप रहने के लिये नहीं कह सकता ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था के बाद में श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य प्रस्ताव मूव करेंगे और मामला विशेषाधिकार समिति को जाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । माननीय शिवकिशोर जी सनाढ्य इसको मूव करेंगे और आप प्रिविलेज कमेटी को भेजें या सदन में चर्चा करायें यह आपके विवेक पर निर्भर है । अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का व्यवस्था का मसला उठाना नियमों के, विधान के और आज की परम्पराओं के सर्वथा खिलाफ है । यही मुझे आपसे निवेदन करना है । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय किसी माननीय सदस्य को मौका दिया है और मौका देने के बाद में इनको कहा कि आप बोलिये तो इनको और थोड़ा सा समय दीजिए । इनको बोलने दीजिए ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों के तहत ही मौका दे सकते हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको उतना ही अधिकार है जितना श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी का है (व्यवधान) उतना ही माननीय धनखड़ जी का है ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । माननीन अध्यक्ष जी की व्यवस्था पर आप मत बोलिये । माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था पर टिप्पणी करना गलत है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बोलने के लिये नहीं कहा है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (व्यवधान) अधिकार मुझे है...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था पर आप टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेन्द्रसिंह जी भाटी को बैठाइये। उनको भी बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसको किसी भी तरीके से त्यागने के लिये कोई तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को जमीन से निकाल कर नष्ट करने का संकल्प रखते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) कुछ नोट नहीं करें।

(20.00)

प्लीज, एक मिनट बिराजिये। आप बैठिये, एक मिनट। यदि तो सदन में नियमों-व्यवस्था का पालन होगा या मनमानी होगी ? मैं आपको व्यवस्था पर व्यवस्था दे रहा हूं। आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया इस सम्बन्ध में, आप सुन लीजिए, मैं इसलिए चुप रहा कि आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं वे जो प्रस्ताव कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन आप तो कुछ मेरी व्यवस्था के बारे में बोलने लग गये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं नहीं। रूलिंग का विवरण दे रहा हूं।

व्यवस्था

अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए आप पहले, एक मिनट।

इसी सदन में दिनांक 28-3-1981 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों पर दी गयी व्यवस्था पर यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया, कि मेरा नियम 52 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। उसमें इस प्रकार के ग्राउण्ड्स दिये गये हैं जिन ग्राउण्ड्स के आधार पर 'अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन के स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार है।

"अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह मुख्य मंत्री के त्याग पत्र देने

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्धी है। मेरी बात सुन लें, साहब। तो इसमें जो एक-एक करके आठ पाइंट दिये हैं उनमें से किसी के भी अन्तर्गत यह नहीं है। मेरा प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का इसलिए है कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्पेशल वायरलेस मैसेज के द्वारा प्रधान मंत्री को अपना त्याग पत्र भेजा और रात को उनका विदाई समारोह हो गया। उसमें सिर्फ चार मंत्री और कुछ विधायक उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। इस विषय पर आपने चर्चा न करने की बात कही है। यह प्रदेश के हित का सवाल है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, आज की तारीख में राज्य में कोई सरकार नही है, काम चलाऊ सरकार है। इस विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा ग्राउण्ड आता नहीं है जिसके अन्तर्गत आपने चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार अन्य स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करते हैं उसी प्रकार इसको भी रिजेक्ट करके इस पर चर्चा करने की अनुमति आप कृपा कर दें।"

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :—

"अध्यक्ष ने अगर कोई व्यवस्था दी हो तो उसके विरूद्ध कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।"

इसलिए आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है वह मैं निरस्त करता हूं। जहां तक अवसर देने का सवाल है आपने स्वय ही प्राप्त कर लिया है। कोई घटना नहीं है, घटना के बारे में आप स्वयं को पूर्ण जानकारी नहीं है। इसलिए, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) इसलिए इसके अनुसार मैं, श्री माननीय भाटी जी, आपको पाइंट आफ आर्डर उठाने की अनुमति निरस्त करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं दे रहा हूं मैं अनुमति। माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर। बोलिये आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर पर तो आपको देनी पड़ेगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्षजी, मैं नियम 157 के अनुसार इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या इसमें किसी को आपत्ति है?

अनेक माननीय सदस्य : नो।

Page No.228

श्री अध्यक्ष : आपत्ति नहीं है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, आप क्या बोलना चाहते हैं ?

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री जगदीप धनखड, सदस्य द्वारा 16 मार्च, 1994 को सदन में दिये गये वक्तव्य के आधार पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से बिजली विभाग की चर्चा के अन्तर्गत माननीय धनखड़ साहब ने, जिस तरीके से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सारे सदन के माननीय सदस्यों के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया है....

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और आरोप लगाकर एक करोड़ रुपया लेने की बात कही....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : .... कि किसी ग्रुप के अन्दर कहा जाता है....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसी तरीके से अपमान किया गया कि प्रत्येक सदस्य इलैक्शन के दिनों में लेता है, प्रत्येक पार्टी लेती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसलिए मैं इस विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव को मूव करता हूं। रख रहा हूं मैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन इसका अभी निर्णय करेगा या विशेषाधिकार समिति को भेजना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति को भेजने का प्रस्ताव कौन रख रहा है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : विशेषाधिकार समिति को भेजने का प्रस्ताव मैं रखता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रस्ताव के पक्ष में जो माननीय सदस्य हैं, हां कहें। जो इसके विपक्ष में हैं ना कहें।

(स्वीकृत)

प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर था, आपने सुना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर के लिए मैं पहले व्यवस्था दे चुका कि मेरी व्यवस्था पर.... । यह आप ही का फैसला है, मैंने अभी सुनाया है।

There can be no point of order.

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट आफ आर्डर सुने पहले ही कैसे पता लग गया, किस बात पर है ? कैसे पता चल गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम उस पर नहीं कह रहे।

श्री अध्यक्ष : तो किस पर बोल रहे थे आप ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप सुनें तो सही, पहले एण्टिसिपेट कर रहे हैं।.... (व्यवधान) रहने दीजिए आप, चेयर की कुछ बात मानिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विशेषाधिकार हनन का, हनन का तो नहीं 119 का उन्होंने प्रस्ताव पेश किया जिसको आपने 157 में बाद में कंवर्ट किया है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि यहां पर विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है और यह मानकर चलते हैं कि जो कोई भी यहां बात कही जाती है वह सदस्य अपनी जिम्मेदारी पर और अपने आपको संतुष्ट कर कहता है। लेकिन यह कतई मंशा नहीं है कि जो कुछ भी यहां कहा जाए वह शत-प्रतिशत सत्य ही हो। अगर ऐसा नहीं होता (व्यवधान) यह आपके और हमारे, सबके आगे सवाल आएगा। रात-दिन अपन चर्चा करते हैं कई तरह के विषयों पर, जिसमें भ्रष्टाचार, आप और हम जानते हैं कि एक मुख्य मुद्दा है। और है, भ्रष्टाचार है, इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या तो आपके पास, माननीय सनाढ्य के पास ऐसे तथ्य होने चाहिए जो प्राइमाफेसी इनका जो एलीगेशन है उसको

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गलत साबित करता हो। या तो ऐसा कोई प्रूफ देते।

एक माननीय सदस्य : वर्ना साबित हो गया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको कह दिया कि बर्डन आफ प्रूफ का सवाल इसमें नहीं है। इसमें प्रश्न यह है यहां विचारों की स्वतंत्रता। सदन के नेता महोदय स्वयं जानते हैं कि वे भ्रष्टाचार के कितने आरोप अपनी जिन्दगी में लगा चुके हैं और उन पर कितने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव या इस तरह के मामले इस सदन के सामने आये हैं। मैंने कहा न कि जब तक ऐसा कोई सबूत नहीं हो माननीय सदस्य के पास, जो विशेषाधिकार हनन का मामला लाते हैं, जो प्राइमाफेसी यह बताता हो कि इन्होंने बात असत्य कही है, निराधार कही है। तब तक इस तरह से विशेषाधिकार हनन के मामले इस सदन में विचारार्थ लेना, मैं समझता हूं अपने विचारों की जो स्वतंत्रता है उस पर भयंकर एक आघात होगा। इसका मतलब तो फिर अपन चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, हर विषय का कोई न कोई सबूत अपन को लाना होगा। वह सबूत आप कहां से लाएंगे ? यह तो आज नहीं कल आपके ही उठ जाएगा, आप ही कहेंगे। हम उसी वक्त उठकर कह देंगे। अपने कितनों के पास है ? छाती पर हाथ रखकर नेता महोदय कह दें कि विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है क्या उसमें। विशेषाधिकार हनन का मामला, मैंने निवेदन किया, जब इनके पास ऐसा सबूत हो, अकाट्य तर्क हो इनके पास, उस आधार पर यह साबित हो जाए कि इन्होंने असत्य कहा है, गलत कहा है, निराधार कहा है उस अवस्था के अन्दर ही हो सकता है। वर्ना तो अपन को प्रोटेक्शन किस बात का है ? कि इस सदन के प्रांगण में जो बात कही जाएगी उस सम्बन्ध में किसी अदालत में कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल सकेगा, यह प्रोटेक्शन किसलिए है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपन तो दे सकते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अपन भी जब करेंगे जब ये बताएं कि यह चीज गलत कही है इन्होंने। हो सकता है सही हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि बहुत शांतिपूर्वक दो महीने तक सदन चला है और आखिर में जाकर मामूली-से मामले पर आपने....

श्री अध्यक्ष : माननीय विश्नोई जी ने जो सवाल उठाया है, जवाब तो देने दीजिए मुझे।

माननीय विश्नोई जी, आप सदन के न केवल सम्मानीय सदस्य हैं बल्कि आप भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए मैं आपकी राय की बहुत इज्जत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की मैंने अपनी व्यवस्था दी है उसमें बहुत विस्तार से मैंने उदाहरण देकर यह व्यवस्था दी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं भाटी जी वाले मामले का नहीं कह रहा हूं, मैंने वह नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात फिर सुन लीजिए।

जहां तक आपका यह कहना है कि हमारे सदन में इस तरह से तो आरोप लगते ही हैं और यह स्वतंत्रता है, **You are privileged also.** मेरा निवेदन यह है कि चूंकि इस सदन के सदस्य प्रीविलेज्ड है इसलिये बाहर उनको कोई पनिश नहीं कर सकता। परन्तु इस सदन ने यह अधिकार अपने पास रखा है कि इस सदन में भी कोई सदस्य असत्य बोलेगा या बिना सबूत के बात करेगा तो बाहर तो कोई दावा नहीं होगा, कोर्ट तो आपको सजा नहीं देगी लेकिन इस सदन को अधिकार है कि वह उसमें कर सकेगा। अब सवाल यह आता है कि यह अमूमन होता है। जिस तरह से बाहर चोरियां बहुत हो रही हैं, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, डाकाजनी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। परन्तु यदि किसी केस में रिपोर्ट हो जाती है, किसी चोर के खिलाफ शिकायत होती है तो चाहे भ्रष्टाचार होता हो, चोरियां होती हों, सरकार को या पुलिस को उस पर कार्यवाही करनी ही पड़ती है। फिर वह चाहे उसमें बरी हो जाए, यह अदालत की बात है कि वह बरी हो जाए या उसको सजा हो। मगर वह यह कहकर के कि चूंकि सब चोरी कर रहे हैं इसलिये मेरे खिलाफ ही शिकायत क्यों हो रही है और लोगों के खिलाफ क्यों नहीं। यह उसका तर्क नहीं हो सकता। इसी तरह से जब इस सदन में यह बात आ गयी है और मेरे पास इस सम्बन्ध में नोटिस आये हैं तो नोटिस आने के बाद रूल 158 के अन्तर्गत मेरे पास जो प्रावधान है 159 वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पढ़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन फिर भी याद दिला दूं कि उसमें मेरे पास दो ही प्रावधान हैं (व्यवधान) प्लीज हियर, आप मेरी बात सुनिये (व्यवधान) पढ़े हुये नहीं माने जायेंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। (व्यवधान) दो कडीशन ऑफ "(व्यवधान) प्लीज, यह क्या हो रहा है। माननीय नेता महोदय यह क्या हो रहा है (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हमें तो सुनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : **I am on my legs. Mr. Dhankhad. Ex-Parliament Member, Ex-Minister and the**

Page No.232

(श्री अध्यक्ष)

Legal Luminary, you must know that I am on my legs.

श्री जगदीप धनखड़ : You are right Sir.

श्री अध्यक्ष : So long I am on my legs please sit down.

श्री जगदीप धनखड़ : How can from this anybody be imposed ?

श्री अध्यक्ष : Conditions of admissibility of the question of privilege : The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely : मेरे पास दो कंडीशन हैं । पहली तो यह है कि the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence; दूसरा है कि the matter requires the intervention of the House. अब आज जो यह पेश हुआ है इसमें सजा नहीं हुई है, यह फैसला नहीं है । केवल चूंकि यह आरोप लगा है, अब यह आरोप सही है या असत्य है इसकी जांच समिति करेगी और समिति जो भी रिपोर्ट देगी उस पर फिर यह सदन विचार करेगा । डिबेट होगी, सदन निश्चय करेगा कि आरोप सत्य है या गलत है, जो भी एविडेंस कमेटी लेगी उन एविडेंस के आधार पर सदन यह भी कह सकता है कि इस तरह की बातें कॉमन हैं, यह भी कह सकता है कि उन्होंने माफी मांग ली, कई कारण हो सकते हैं कि उसमें आगे कोई एक्शन नहीं ले । यह सदन की मर्जी पर है, यह कोई मैं आज डिसीजन नहीं दे रहा हूं । मेरे सामने तो केवल दो कंडीशंस हैं कि मामला रिसेंट आकरेंस का है और यह it requires the intervention of the House. मैं यह डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने सत्य बोला या असत्य बोला । मैं तो केवल सदन को कह सकता हूं कि सदन की इण्टरवेंशन इसमें जरूरी है इसलिए मैंने यह मैटर रेज करने की इजाजत उनको दी ...(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, विचार कीजिएगा, अब यह तो डिबेट में कल सुबह, अब तो खैर सत्रावसान हो रहा है, अगली मर्तबा यह आ जाएंगे । जब कभी कोई माननीय सदस्य एलिगेशन लगाएंगे तो सबूत वह कहां से लाएंगे, इधर से हम मूव कर देंगे....

श्री अध्यक्ष : It is his responsibility. यह अपनी रेस्पोंसिबिलिटी पर है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो यह कंडीशन वो ही फुलफिल कर देंगे....

श्री अध्यक्ष : तो हो जायेगा, मैं क्या कर सकता हूं, What can I do ? I am helpless.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो इसमें सदन और माननीय सदस्य हैं वे वंचित हो जाएंगे, कतई तौर पर जो इनको प्रोटेक्शन दिया है कि इनके ऊपर जो कोई भी बात यहां कही जाएगी जनहित में, उसके ऊपर कहीं बाहर मुकदमा नहीं चल सकता....

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : वे बहुमत में हैं....

श्री अध्यक्ष : अब चूंकि समाप्त हो रहा है, एक मिनट....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यदि प्राइमा-फेसी केस बनता हो और गलत साबित हो जाए तो यह सदन सजा दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, एक मिनट बैठिये। सदन का समय....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको हमें भी सुन लेना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : वह तो पूरा मिलेगा। जब विशेषाधिकार कमेटी जांच करेगी पूरा मिलेगा वह....

श्रीमती कमला : तो फिर फैसला देते तो अच्छा रहता....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमको भी कम से कम सुनिये....आपको व्यवस्था के पहले हमें....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी नहीं, रूल्स में नहीं है। आज तो रूल्स में केवल उन्हीं को है कि वह रेज कर दें बाकी कमेटी में आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय धारीवाल साहब वहां जितना चाहें बोलें, जितने चाहें सबूत पेश करें और भी कोई माननीय, और फिर सदन में जब यह आएगा तब भी आपको बोलने का मौका मिलेगा, खुलकर के आप बोलेंगे, इसमें कोई बिना बोले नहीं होगा। अब चूंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है इसलिये मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र के अन्दर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं, इस सत्र में....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : You have to give me on opportunity.

श्री अध्यक्ष : जिन प्रतिपक्ष और पक्ष ने बहुत ही उदारतापूर्वक इस आसन के साथ में सहयोग किया....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर पर तो आपको देनी ही पड़ेगी अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : और सारी कार्यवाही पर मैंने बहुत स्टेटिस्टिक्स आपको दिये हैं; और स्टेटिस्टिक्स प्रेस में दे दूंगा....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके कृपया जन-गण-मन के लिये खड़े हो जाएं।

एक माननीय सदस्य : कीर्तिमान स्थापित कर दिया।....(व्यवधान)

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.16 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।)

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं)

परिशिष्ट—1

[श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)]

बूंदी में नया औद्योगिक क्षेत्र लगाया जाना

बूंदी जिले का मुख्यालय बूंदी नगर है। इसकी आबादी वर्तमान में लगभग 75,000 है यहां पर कृषि, पत्थर में लाइम स्टोन व सीमेन्ट का पत्थर, मार्बल का पत्थर, स्लेट का पत्थर आदि काफी मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग लगाने के वास्ते जहां सरकार उद्योग विभाग के माध्यम जैसे रीको, जमीन खरीदता है या सरकार व जिला प्रशासन जमीन सुनिश्चित करती है।

यह कि बूंदी नगर में उद्योग लगाने के लिए जो भूमि निश्चित की थी वहां पानी नहीं होने के कारण उधमियों ने जमीन खरीदने के बाद भी जमीन छोड़कर चले गये हैं, क्योंकि ट्यूबवैल खोदने के पश्चात भी पानी नहीं आया, तो उद्यमी उद्योग कैसे लगाये।

यह कि राज्य सरकार चाहती है कि बूंदी में बेरोजगारी को रोकने के लिये तथा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा होने के कारण उसका लाभ कैसे उठाया जावे। इसके लिये सरकार की इच्छा हैं कि उद्योग लगे परन्तु उद्योग कहां लगे, उद्योग लगाने के लिये पहली आवश्यकता भूमि की है जब भूमि ही नहीं होगी तो उद्योग क्या आसमान में लगेंगे इसलिये उद्योग लगाने के लिये जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो वहां रीको के माध्यम से भूमि दी जावें।

यह कि बूंदी नगर सीमा के लगभग 4 कि.मी. दूर नहरी एरिया प्रारम्भ हो जाता है जो कोटा रोड पर है वहां पर भूमि सरकारी है, कुछ खातेदारों की है, कुछ भूमि वन विभाग की है जहां 20 वर्षों से लोग अवैध रूप से काश्त कर रहे हैं एवं दौलाड़ा नहर के पास भी है। इसके अतिरिक्त भी सरकार जहां चाहे वहां, भूमि उपलब्ध करावे जिससे जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हैं उनको सुविधा मिलेगी तथा बूंदी नगर के लोगों को रोजगार मिलेगा।

मैं राज्य सरकार, वर्तमान में मुख्य मंत्री ही उद्योग मंत्री का कार्य भी देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखकर शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

[श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़)]

श्री डूंगरगढ़ तहसील में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित धन राशि

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में पिछले वित्तीय वर्ष में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत इकट्ठे हुए धन की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील जिला चूरू पिछले 7 वर्षों से अल्प बचत योजना में प्रथम स्थान पर आता रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 1993-94 में भी 4 करोड़ के धन को इकट्ठा कर राज्य में प्रथम रहा है परन्तु इस बचत में से इस क्षेत्र के विकास कार्यों अथवा अन्य योजना के अन्तर्गत विकास हेतु बिलकुल भी धन नहीं दिया गया है जो कि नियमानुसार दिया जाना चाहिए था। यह राशि नहीं दिये जाने से आम जनता में आक्रोश पैदा हो गया है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त राशि में से कुछ प्रतिशत विकास के कार्यों हेतु आवटन करने का कष्ट करें तथा साथ ही यह बतावें कि उक्त राशि पिछले 7 वर्षों से इकट्ठी हुई कहां-कहां, किस-किस कार्यों हेतु आवंटित की जायेगी अथवा की जा चुकी है।

[डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)]

विषय : नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई. डी. पी. एल. एवं राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम) में फैला व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कथित भ्रष्टाचार

मैं आपका ध्यान आर. डी. पी. एल. में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसी कारण से यह फर्म राजस्थान सरकार से करोड़ों रुपयों के ऑर्डर लेने के पश्चात् भी भारी घाटे में चल रही है। इसका मुख्य कारण यह

प्रतीत होता है कि आर. डी. पी. एल. के उच्च अधिकारी ज्यादातर कमीशन खोरी में लगे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ही गम्भीर घोटालों एवं अनियमितताओं का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(1) बड़ोदा स्थित गुजरात इनजेक्ट लिमिटेड से आई. वी. फ्ल्यूड की बोतलों की खरीद में भारी घोटाला :

(i) आर. डी. पी. एल. ने उपरोक्त फर्म से करोड़ों रुपयों की आई. वी. फ्ल्यूड की बोतले बिना निविदा के आमंत्रित किये ही क्रय कर ली। आर. डी. पी. एल. के अधिकारियों ने उक्त कम्पनी के खुले बाजार की दरों से भी ज्यादा दर पर क्रय कर लाखों रुपये कमीशन में प्राप्त किये।

(ii) इसमें से ज्यादातर माल ऊँचे दामों में राज्य सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय को बेच दिया गया। स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों ने रेट कान्ट्रैक्ट के नियमों की अवहेलना कर आर. डी. पी. एल. की नई दरें स्वीकृत कर ली। ऊँची दरों पर आदेश देने हेतु आर. डी. पी. एल. के एक उच्च अधिकारी ने स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों को भारी घूस दी जिसका ठोस एवं लिखित प्रमाण अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मौजूद है।

(iii) गुजरात इन्जेक्ट लि. से आई. वी. फ्ल्यूड की बोतलें क्रय करने में आर. डी. पी. एल. ने भारत सरकार के कानूनों का एवं अपने ही निदेशक मण्डल के निर्देशों का खुला उल्लघंन किया। भारत सरकार के साफ निर्देश थे कि इस तरह की औषधियां अन्य सरकारी उपक्रमों से ही क्रय की जायें। आर. डी. पी. एल. के निदेशकों ने मण्डलीय बैठक में यह निर्णय किया था कि 25,000 बोतलें तक हर माह सरकारी उपक्रम यू. पी. डी. पी. एल. से उनकी न्यूनतम दरों पर क्रय की जावे तथा उसके ऊपर जरूरत पड़ने पर निविदायें आमंत्रित कर क्रय की जावे। आर. डी. पी. एल. के अधिकारियों ने सारे निर्देशों एवं कानूनों को ताक में रख दिया और गुजरात इन्जेक्ट से आनन फानन में क्रय करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आर. डी. पी. एल. के चीफ मेटिरियल्स मैनेजर तक की भी अनुमति नहीं ली।

(iv). आर. डी. पी. एल. ने अप्रैल/मई 1991 में गुजरात इन्जेक्ट लि. से बोतलों के दाम में वृद्धि कर दी और यह भी 6.27 रुपये प्रति बोतल से सीधे 8.00 रुपये प्रति बोतल। गौर तलब तथ्य यह है कि न तो इस तरह दर वृद्धि का उनके बीच हुए अनुबन्ध में कोई प्रावधान था और न ही गुजरात इन्जेक्ट ने दरों में वृद्धि की कोई लिखित में मांग रखी थी। ठीक इसी समय गुजरात इन्जेक्ट लि. अपना माल खुले बाजार में बिक्री के लिये जयपुर स्थित आलोक मेडिकल को आर. डी. पी. एल. से करीब दस प्रतिशत नीचे दामों पर दे रहा था। यही नहीं यह साथ में करीबन 20 से 30 प्रतिशत फ्री स्कीम भी खुले बाजार में दे रहा था जो कि आर. डी. पी. एल. को नहीं दी। इसका सीधा कारण था कि वह 30 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन आर. डी. पी. एल. के अधिकारियों को दे रहा था। आर. डी. पी. एल. ने कुल तीन साल में 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का यह माल खरीदा और कहा जाता है कि इसके एवज में आर. डी. पी. एल. के अधिकारियों को करीब 90 (नब्बे) लाख रुपया तीस प्रतिशत के हिसाब से कमीशन के तौर पर प्राप्त हुआ।

(v) इस घोटाले का सबसे रोचक तथ्य स्वयं आर. डी. पी. एल. फाइल में वर्णित है। आर. डी. पी एल. के चीफ मेटिरियल्स मैनेजर जिसको इस कमीशन का हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा था अपने प्रबन्ध निदेशक को अप्रैल 91/मई 91 में एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर सारे घोटाले को उजागर करने की धमकी दी। यह पत्र आर. डी. पी. एल. की फाइलों में आज भी है। इस अधिकारी के कमीशन की मांग को पूरा करने हेतु ही बोतलों के दाम में वृद्धि की गयी ताकि गुजरात इन्जेक्ट लि. इस अधिकारी को भी कमीशन की रकम दे सके। दाम वृद्धि के पश्चात इस अधिकारी ने सारे मामले पर फिर से चुप्पी साध ली।

(2) आर. डी. पी. एल. की दिल्ली शाखा के माध्यम से एवं सर्जिकल उपकरणों की खरीद में भारी घोटाले एवं अनियमिततायें :

आर. डी. पी. एल. की दिल्ली शाखा भारी घोटालों का घर है। यह

शाखा सिर्फ राज्य सरकार की नजरों से बच कर घोटाले की नियत से खोली गयी है।

इस शाखा से करोड़ों रुपयों के सर्जिकल आईटमों की खरीद बिना किसी निविदा आमंत्रित किये की जाती है, क्योंकि आर. डी. पी. एल. एक सरकारी प्रतिष्ठान है इसलिये उनका सामान उन्हीं की दरों पर राज्य सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। इसका फायदा उठा कर आर. डी. पी. एल. के अधिकारी सर्जिकल आईटम्स भारी कमीशन पर खरीद कर उन अपना ठप्पा लगाकर, राज्य सरकारों को ऊँचे दामों पर बेच देते हैं।

आर. डी. पी. एल. ने स्वास्थ्य सचिव, राजस्थान सरकार को कम्पनी का Ex-officio चैयरमैन बना रखा है। इसी कारण मे राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली जाँच स्वास्थ्य सचिव अपने पद का दुरुपयोग कर बीच में ही रुकवा देते हैं या फिर आर. डी. पी. एल. के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हैं।

हाल ही में स्वास्थ्य सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्वास्थ्य निदेशक को 31 मार्च, 1994 में बिना माल प्राप्ति के आर. डी. पी. एल. के नाम पर लाखों रुपयों का ड्राफ्ट बनाने के लिये मजबूर किया, जबकि इस पर पहले ही ऑडिट की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त हो चुकी थी।

स्वास्थ्य सचिव की मिली भगत के कारण आर. डी. पी. एल. के अधिकारी खुले रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है कि आर. डी. पी. एल. में हो रहे करोड़ों के घपलों को जनहित में जाँच करवाई जाय तथा दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दण्डित किया जाये। चूंकि भ्रष्टाचार का ठोस प्रमाण मौजूद है ईसलिये दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया जाये ताकि वह जाँच कार्य शुरू होने तक रिकार्डों में हेरा-फेरी न कर सकें।

————

[श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)]

मानसरोवर (जयपुर) कालोनी के सैक्टर-4 में अवैध निर्माण

जयपुर नगर की मानसरोवर कालोनी के सैक्टर-4 में प्रतिदिन अवैध निर्माण का कार्य होता जा रहा है जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे कालोनी की सुन्दरता भी समाप्त होती जा रही है। इस सम्बन्ध में सैक्टर-4 के निवासियों द्वारा लिखित व मौखिक रूप से कई बार प्रशासक नगर निगम, जयपुर तथा आयुक्त सांगानेर जोन, सांगानेर नगर निगम, जयपुर को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन इसके सम्बन्ध में अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे यहां के आम नागरिकों में काफी रोष उत्पन्न हो रहा है।

मैं इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर मानसरोवर कालोनी के सैक्टर-4 में हाल ही में हुए अवैध निर्माण के सम्बन्ध में ध्वस्त करने बाबत विशेष उल्लेख की अनुमति प्रदान करें।

———

[श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)]

पचपदरा व सिवाना तहसील में ओलावृष्टि से काश्तकारों को नुकसान

गत दिनों पचपदरा व सिवाना तहसील के गांवों में तेज अन्धड़ व ओले पड़ने से काश्तकारों की खड़ी फसल इसबगोल (जीरा) व खलियान में पड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। भारत विख्यात तिलवाड़ा पशु मेले में, तेज आंधी व ओलों की वर्षा से पशुपालकों व दुकानदारों को भी काफी कष्ट उठाना पड़ा। इस प्रकार प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति को गंभीरता से लेकर यथासम्भव सरकार को इन काश्तकारों की मदद करने के लिए निर्देश दिलावें।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में इस समय भयंकर अकाल है। बार-बार निवेदन किया जा रहा है लेकिन भयंकर अकालग्रस्त गांव में अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं जिसके कारण भी जनता बहुत ही परेशान है। लोग अपने घरों को छोड़कर

पलायन कर रहे हैं जिसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः श्रीमान् के माध्यम मे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि अविलम्ब सरकार को उक्त समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्यवाही कराने के आदेश प्रदान करावें।

———

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

सूरजगढ़ थाना के एस. एच. ओ. द्वारा गाड़ियों से अवैध चौथ वसूली

पुलिस थाना, सूरजगढ़ हरियाणा सीमा से लगता हुआ है। हरियाणा की गाड़ियां जो सूरजगढ़ होकर आती हैं उनसे एक हजार रुपये प्रत्येक गाड़ी से लेते हैं और नहीं देने पर गाड़ियों को नाजायज बन्द कर देते हैं। दिनांक 6-4-94 को गाड़ी नं. एच. आर. 19/3141 व गाड़ी नं. एच. आर. 46/8684 हरियाणा से आयी थी जिनके पास सभी कागजात थे जिनको शिवपाल सिंह थानेदार को दिखा दिये। तब थानेदार शिवपाल सिंह ने कहा कि दो हजार रुपये दो वरना गाड़ी बन्द कर दूंगा। हमने कहा कि इतने रुपये हैं नहीं तब उसने गाड़ी बन्द करदी थाने में लाकर। उसके बाद हम हमारे जानकर गाड़ी वालों से मिले, शेरसिंह देवरोड़, बहादुर घन्डावा, व पवन कुमार सूरजगढ़ मण्डी व रामनाथ ब्राह्मणों की ढाणी को लेकर थाने में गये तो थानेदार ने हम सभी को गालियां निकालना शुरू कर दिया और डण्डा लेकर हमें मारने के लिए आये और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगा और साले जो सिफारिश लेकर आये हैं उनको हवालात में बन्द कर दो व शेर सिंह को पकड़ कर थाप-मुक्कों से मारपीट की और हवालात में बन्द कर दिया। अन्य डर के मारे भाग गये। मुझे भी पता लगने पर थानेदार से बात की तो मेरे साथ भी बदतमीजी से पेश आया, कहा कि तुम्हारे जैसे एम.एल.ए. बहुत फिरते हैं। शेरसिंह को थानेदार ने गलत 151 के तहत गिरफ्तार किया है जबकि शेरसिह से किसी को खतरा नहीं था। इसलिए महोदय शिवपाल सिंह थानेदार को निलंबित किया जाये और उसकी जांच करायी जावे।

———

[श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)]

जयपुर की सिन्धी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल का जीर्णशीर्ण भवन

जयपुर सिन्धी केम्प बस अड्डा के पास एक छोटे से भवन में चल रहा सिन्धी सरकारी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल एक कैदखाना बन कर रह गया है।

1953 में एक हाल व पांच कमरों के अंधकारमय जिस भवन में प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई थी, वह धीरे-धीरे क्रमोन्नत होकर सैकण्डरी स्तर का हो गया, पर चल उन्हीं पांच कमरों में रहा है। राज्य सरकार की महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाओं के बीच इस स्कूल में शिक्षा लेना मात्र खाना-पूर्ति दिखाई पड़ती है।

ऐसा नहीं है कि शिक्षा महकमा या राज्य सरकार को स्कूल की दयनीय व उपेक्षित हालत का पता नहीं है। बच्चों के अभिभावकों से लेकर इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका और यहां तक एक मंत्री भी स्कूल का खाका खींच चुके हैं, पर वही शोचनीय हालत है और कोई सुधार नहीं हुआ है।

सिन्धी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय जिस भवन में चल रहा है, वह वास्तव में देखा जाये, तो किसी स्कूल के लायक भवन ही नहीं है, और जैसा भी है, वह छात्राओं की बढ़ती संख्या के कारण विद्यालय न होकर यातना गृह हो गया है। जब स्कूल चलता है, तो वहां जाकर देखा जा सकता है कि लड़कियां हाथ-पैर नहीं हिला सकतीं, जिसमें कक्षा कार्य करना तो स्वप्न-सा लगता है। ऐसे माहौल में गर्मी के मौसम में चक्कर आना, उल्टियां आना जैसी बीमारियां भी बालिकाओं में स्वतः ही प्रारम्भ हो जाती हैं।

इतना ही नहीं, शिक्षा का मखौल किस तरह उड़ रहा है, वह भी इस विद्यालय में अध्यापिकाओं को एक ही समय में एक ही कमरे में अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाते समय देखा जा सकता है।

यदि शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी इस भवन में जाकर स्कूल की स्थिति से प्रत्यक्ष अवगत हों, जैसा कि पूर्व में वहां की प्रधानाध्यापिका ऐसा आग्रह कर चुकी है, तो उन्हें पता लग सकता है कि राजधानी में भी महिला शिक्षा की क्या स्थिति है।

स्कूल का भवन कितना छोटा पड़ता जा रहा है, यह दुर्दशा वाला एक पक्ष है स्कूल की दुरावस्था का दूसरा पहलू यह है कि भवन जिस जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच गया उससे उसके बरसात में कभी भी गिर जाने की प्रबल आशंका है।

एक हाल व पांच कमरों के इस स्कूल में दो कक्षाएं खुले बरामदे और खुले चबूतरे पर लगाई जाती हैं। बरसात आने पर चबूतरे पर पढ़ने वाली बालिकाओं की छुट्टी करदी जाती है। तेज गर्मी में भी वे वहां नहीं बैठ सकती। बरामदे में बारिश का पानी अन्दर तक जाता है। चबूतरे पर लोगों के आने-जाने का रास्ता भी बना रखा है। विद्यालय भवन के चारों तरफ होटलों का जाल बिछा हुआ है। स्कूल के बाहर ही लोहे का कारखाना फल-सब्जी के ठेले व टैक्सी स्टैंड है।

छात्राओं के अभिभावकों ने सारी स्थिति और वातावरण को अभिशाप की संज्ञा देते हुए शिक्षा के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को रोके जाने की पुरजोर मांग एक बार फिर सरकार से की है।

[श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा)]

बांसवाड़ा में जनजाति समुदाय के छात्र–छात्राओं को 1991–92 की पोशाकें नहीं देने से उत्पन्न स्थिति

निवेदन है कि राज्य सरकार जनजाति समुदाय के छात्र छात्राओं को शैक्षिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पोशाकें एवं पुस्तकें दी जाती हैं। उस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में जिला बांसवाड़ा को करीब 24 हजार छात्र छात्राओं को पोशाकें दी जानी थी। उसके लिए निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर द्वारा 21,81,000 रुपये आवंटन कर दिये।

इस धन के आवंटन व होते ही जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा ने निविदायें आमन्त्रित कीं और निविदाये 24 हजार छात्रों के स्थान पर 25 हजार पोशाकें ही आमन्त्रित की गई। लेकिन जिस दिन निविदायें खोली जानी थी उसी दिन निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर से तार द्वारा सूचित किया गया कि निविदायें नहीं दी जायें। इसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने बुनकर सहकारी संघ जयपुर से बिना निविदाओं के 14 लाख से अधिक राशि का कपड़ा खरीद लिया।

और उस खरीद के बाद राजस्थान खादी ग्रामोद्योग, बांसवाड़ा ने नियम विरुद्ध कपड़ा खरीदा जाने के विरोध हाईकोर्ट में चले गये और कोर्ट में उस खरीद पर रोक लगा दी।

लेकिन तब तक जिला शिक्षा अधिकारी कपड़ा खरीद चुके थे और उस कपड़े को जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा के कार्यालय में एक कमरे में लाकर बन्द कर लिया। लेकिन उस कपड़े का भुगतान नहीं हो पाया। आगे यहां तक कि 1991–92 का बजट लेप्स भी हो गया और भुगतान नहीं हो पाया। अधिकारियों की बहुत बड़ी दौड़धाम करने के बाद 1993 में भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर लिया और 14 लाख से अधिक राशि को बुनकर सहकारी संघ सरकार को भुगतान भी कर दिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कपड़ा अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के एक कमरे में अभी तक बन्द पड़ा है और यह इस तरह गल कर ही हो गया है कि सिलाई करने योग्य नहीं रहा है। न उसको सिलाई कराने का बजट है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है और लाखों रुपये के धन का दुरुपयोग किया है तथा जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं की पोशाकें 1991-92 में दी जाने थी। अभी तक नहीं दी है। उनके विरुद्ध जांच करके कार्यवाही की जाय और यदि कपड़ा ठीक है तो पोशाके बनाकर वितरण करवा दिया जाये।

———

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

मादरा से सिद्धमुख सड़क निर्माण के स्वीकृत अलायनमेंट को बदलने से जनता को असुविधा

श्रीगंगानगर जिले में मादरा से सिद्धमुख सड़क निर्माण की स्वीकृति वाया उत्तरादा बास, मनाई, ढाका, गदरा होकर की गई थी। इस पर निर्माण कार्य मनाई तक भी इक्के-दुक्के है पूरा हो चुका है। इस संबंध में तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता (सड़क) के पत्र क्रमांक एफ. 8 (36) 11/179 दिनांक 3-12-87 एवं मुख्य अभियन्ता सड़क ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 8/36/11/179 दिनांक 11-3-1983 को अधीक्षण अभियन्ता श्री गंगानगर को इस सड़क के अलायनमेंट को मादरा से

सिद्धमुख वाया उत्तरादावास, मनाई, ढाका, गदरा ही रखने के आदेश दिये थे परन्तु वर्तमान में इस सड़क के स्वीकृत अलायनमेंट को मनाह से बदलकर ढाणी। चाहूर वाली जो कि 6 किलोमीटर पडती का स्वीकृत कर दिया व इस रास्ते में कोई भी गांव ढाणी एवं आबादी नहीं है एवं रेल्वे क्रासिंग पर भी समपार (रास्ता) नहीं बना हुआ है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में रुका हुआ है एवं ठेकेदार भाग गया है। दूसरी ओर इस स्वीकृत अलाईनमेंट के बदलने के बाद बड़े-बडे गांवों ढाकर,एवं गदरा एवं कई ढाणियां सडक सुविधा से वंचित हो गये हैं। इस रास्ते पर ढाका गदरा के आगे आने वाले रेल्वे क्रासिंग पर सम्पार बना हुआ (रास्ता) है। क्योंकि शुरू से ही यह आम रास्ता रहा है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में मनाई से ढाणी चार वाली सडक निर्माण कार्य रूका हुआ है वहां पर सडक निर्माण किसी भी स्थिति में जनहित में नहीं है। इसलिए इसे बदलकर पुनः मनाई से ढाका से गदरा होकर सडक निर्माण को स्वीकृति जनहित में सरकार निर्देश जारी कर वहां रहने वाले ग्रमीणों को सड़क सुविधा के लाभ से जोडे जिससे जनता के पैसे का सही उपयोग हो सकेगा।

———

[श्री हीरालाल मीणा(बामनवास)]

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग

महोदय, कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए सभी पद जो निम्न है—निदेशक, उपकुल सचिव, सहायक कुल सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, व लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त पड़े हुए है परन्तु वि. वि. प्रशासन द्वारा अभी तक रिक्त को को नहीं भरा है। यह अनु. जा./जनजाति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव अपनाया जाया रहा है।

वि. वि. प्रशासन द्वारा उक्त सभी पदों पर सामान्य वर्गों के कर्मचारियों से तदर्थ पदोन्नती पर लगा रखो है परन्तु अनु. जा./जनजाति के कर्मचारियों को किसी भी पद पर तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई है।

वि. वि. प्रशासन को संघ द्वारा कई बार इन सभांगो के लिए ज्ञापन दिये गये लेकिन प्रशासन द्वारा इन मांगों पर विचार नहीं किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र कार्यवाही करके वि. वि. प्रशासन द्वारा अनु0जाति/जनजाति के कर्मचारियों के साथ में भेदभाव पूर्ण बर्ताव अपना रखा है उसे मुक्ति दिलवाने की कृपा करे।

[श्री राधेश्याम (श्री गंगानगर)]

श्री गंगानगर की समाज कल्याण परियोजना के कर्मचारियों का वेतन

निवेदन है कि समाज कल्याण परियोजना सीमा क्षेत्र, श्रीगंगानगर के कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मंहगाई इस के जमाने में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य एवं बच्चों के भरण-पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कर्मचारी वेतन भुगतान के अभाव में परिवार का खर्च चलाने के लिए राशि का प्रबन्ध करने हेतु दर-दर की ठोकरें खाने हेतु मजबूर हो गया है। काफी अरसे से कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी के परिवार के सम्मुख पारिवारिक व्यय चलाने के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जिसके लिए राज्य सरकार को वेतन भुगतान कराने के लिए निर्देश दिलाये जावें।

अतः श्रीमान के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि अविलम्ब ही उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को उचित कार्यवाही कराने के आदेश प्रदान करावें।

[श्री रामनारायण मीणा(नैनवां)]

चिकित्सा विभाग के मृत कर्मचारी के परिवार को पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति

प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री लाभचन्द जैन की मृत्यु दिनांक 20-3-92 को होने के दो वर्ष से अधिक समय बाद भी, अभी तक मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन राशि नहीं दी जा रही है। ग्रेच्युटी राशि एवं बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

स्वर्गीय लाभचन्द जैन मृत्यु के समय निलम्बित थे तथा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। लाभ चन्द जैन के खिलाफ चल रहे मुकदमें को खारिज कर दिया जाने से तथाकथित गबन राशि रुपये 56527.35 की वसूली को सरकार द्वारा अपलिखित किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त राशि की वसूली को अपलेखित करने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति बाबत निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक लेखा (सी. ओ.) (111) 94/11 दिनांक 15-1-94 के एवं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर से उक्त राशि की वसूली अपलेखित की जाने हेतु मांगी गई है ताकि मृतक की पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा सके।

अतः निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक द्वारा दिनांक 15-1-94 को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) विभाग को लिखे गये पत्र पर शीघ्र निर्णय किया जावे, तथा मृतक राज्य कर्मचारी की विधवा को पेंशन राशि, ग्रेच्युटी एवं बकाया राशि का तुरन्त भुगतान किया जावे। पेंशन स्वीकृत में देरी करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

पांचना सिंचाई परियोजना के भेड़का तालाब में पानी छोड़ना

उपर्युक्त सन्दर्भ में. निवेदन है कि पांचना सिंचाई परियोजना में अभी भी बहुत पानी भरा हुआ है। परियोजना के अधिकतर सिंचित क्षेत्र (सी0 सी0 ए0) में सरसों की फसल थी जिसकी सिंचाई हो गयी है। परियोजना का कोई ऐसा क्षेत्र सिंचाई बिना नहीं रहा है जिसकी सिंचाई नहर द्वारा होना सम्भव हो। नहरें जगह-जगह पर टूटी हुई हैं जिसमे चोदन गांव, कोडीपा, कैमला, झोपडो, नोहवा आदि गांवों की फसलों को पानी नष्ट करता हुआ गम्भीर नदी/गडवा (नाला) में होता हुआ आगे बहता जा रहा है। यह एक विडम्बना है कि इन्सान बिना पानी के अपनी प्यास नहीं बुझा रहा है, जबकि दूसरी ओर सिंचाई विभाग के विषय-विशेषज्ञ उसी पानी को नदी, नालों में छोड़कर बरबाद कर रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पांचना बांध की नहर से गांव रौसी के तालाब में पानी छोड़ने एवं नहरों द्वारा छोडे गये पानी से फसलों की हुई बरबादी की जांच करने के आदेश देने की कृपा करें।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

इटावा ई. बी. सी से टेल एण्ड तक लिफ्ट इरिगेशन

इटावा ई. बी. सी. से टेल तक एरिया कमाण्ड होते हुए भी सिंचाई से वंचित रहता है। हजारों एकड़ भूमि असिंचित रहती है जो किसानों के साथ सबसे बड़ा

अन्याय ही नहीं धोखा भी है। जब से नहर बनी है तब से ही टेल एण्ड रहता है जिससे हजारों किसान प्रतिवर्ष अकाल की स्थिति से ग्रसित रहते हैं। यदि इटावा ई. बी. सी. से टेल तक हाई पावर वाटर पम्प अथवा ट्यूबवेल 10-12 की संख्या में लगवा दिये जाएं या चम्बल नदी या पार्वती नदी से पानी लिफ्ट कर दिया जाये तो तहसील पीपल्दा के सैंकड़ों गांव जो सिंचाई से वंचित हैं, उनको राहत मिल सकती है तथा उत्पादन में राष्ट्र को पूर्ण भागीदारी में सहयोग दे सकता है।

समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक, संसद सदस्य, माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी आदि को ज्ञापन देकर मांग की जाती रही है व चुनावी सभाओं में राज्य नेताओं द्वारा घोषणाएं भी की जा कर जनता को असत्य आश्वासन दिये जाते रहे हैं।

अतः इटावा क्षेत्र की जनता इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव द्वारा मांग करती है कि ई.बी.सी. इटावा से टेल पोर्शन तक लिफ्ट सिंचाई योजना व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से जनहित में करवाया जाना न्यायोचित होगा।

———

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

अव्यावसायिक स्थानों पर दुकानों का आवंटन

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं :—

राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी दुकान वितरण योजना के अन्तर्गत भरतपुर

शहर में कुछ दुकानें आबंटित की गयी हैं। यह दुकानें अनुपयुक्त तथा अव्यावसायिक जगहों पर जैसे सुपर मार्केट, रंजीत नगर इत्यादि पर निर्मित कराके दी गयी हैं। आबंटियों ने इन दुकानों में और धनराशि लगाकर दुकान चलाने का भरपूर प्रयास किया है, किन्तु अव्यावसायिक स्थान होने के कारण यह दुकानें चल नहीं पाती हैं। आबंटन से जो ऋण दुकानदारों को मिला है, उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है और दुकानें भी जीर्ण-क्षीण अवस्था में होती जा रही हैं। नगर परिषद्, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास, जिनके कि क्षेत्र में यह दुकानें आबंटित हुई हैं, वह उनके भूखण्ड पर दुकानें निर्मित हुई हैं, लीज राशि की वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं। इस प्रकार यह योजना गरीब लोगों को स्वावलम्बी बनाने के स्थान पर दुखदायी सम्भव हो रही है और कोई लाभ इन व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार को यह आवश्यक है कि ऐसे दुकानदारों को जिन्हें अव्यावसायिक स्थानों पर दुकानें दी गयी हैं और वह आबंटियों के काफी प्रयास के बावजूद भी नहीं चल पा रही हैं, इस खर्चे से मुक्त किये जाने की कोई योजना बनायें अथवा इन्हें उपयुक्त स्थानों पर दुकान आवंटित कराई जावें।

[श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)]

निम्बाहेड़ा उपखण्ड के भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही

निम्बाहेड़ा उपखण्ड तत्कालीन अधिकारी मूलचन्द मीणा ने अप्रैल 1991 में भूमि आबंटन हेतु गांव नाराणी में मीटिंग रखी थी जिसमें प्रार्थियों ने उपखण्ड अधिकारी के सामने स्पष्ट कहा की पटवारी परसराम सुथार ने हमसे भूमि आबंटन के लिए प्रति बीघा 1500 रुपये लेना तय किया है और फार्म भरने के 100-100 रु. लिये हैं। उपखण्ड अधिकारी ने बयान कलम बन्द करके जिला कलक्टर को भिजवाये। जिला कलक्टर ने एक अन्य आर. ए. एस. अधिकारी से पुनः जांच कराई, जांच सही पायी गयी, पटवारी को 16 सी. सी. का नोटिस दिया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरी घटना निम्बाहेड़ा तहसील के पटवार हलका मेलाना की है। जहाँ कार्यरत पटवारी श्री व्यास ने शोभालाल धाकड़ द्वारा आय प्रमाण-पत्र लेने हेतु पटवारी को केवल 50 रु. ही देने से तैयार प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित सभी कागजात फाड़ डाले फिर बीच में मध्यस्थों ने पड़ कर 300 रु. देने पर आय प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसकी शिकायत जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को की गयी। उपखण्ड अधिकारी ने जांच की घटना को सही पाया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है कि स्पष्ट आरोप होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः निवेदन है कि भ्रष्ट व्यक्तियों (पटवारियों) के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

[श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)]

कोटपूतली तहसील के गांव केशवाना राजपूत में काबिज हरिजन काश्तकार को बेदखल किया जाना

मान्यवर, जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के गांव केशवाना-राजपूत के पुराने खसरा नम्बर 83 व 213 की जमाबन्दी 2026 से 2029 में श्योनारायण बैरवा आदि परिवार की खातेदारी में है। उक्त खसरा नम्बरान पर खातेदारों का कब्जा सं. 2018 में दर्ज है। उक्त परिवार की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 83 व 213 में लगातार 30-35 वर्ष से खेती करते आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी इसी अनुसूचित जाति के परिवार का कब्जा है। कोटपूतली तहसील में बन्दोबस्त के दौरान खसरा नम्बर 83 व 213 के नये नम्बर परिवर्तन करके अनेक नये नम्बर बनाये गये है। बन्दोबस्त में पुराने खसरा नम्बर 83 का नया नम्बर 188 व खसरा नम्बर 213 का नया नम्बर 289 को कानून के विपरीत सिवाय चक दर्ज

किया गया है। जबकि पुराने नम्बर में श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज है। जबकि पुराने नम्बरों में 50 हरिजन परिवारों का कब्जा कानूनी है। खसरा नम्बर 188 का रकबा 4.28 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 289 का रकबा 12 हैक्टेयर है। जिसे खुद कानून आयुक्त, जयपुर द्वारा श्रीमती उत्सव कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री कमला देवी भूतपूर्व जागीरदार निवासी वाढेयाल कलां तहसील बस्वा को अलाटमेंट करा दिया गया है जिसके कारण अनुसूचित जाति के परिवारों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। उक्त भूमि बन्दोबस्त से पहले खातेदारी में दर्ज है उसे नये नम्बरों के दौरान सिवाय चक दर्ज करना कानून के विपरीत है जिसे जांच करके निरस्त किया जाना चाहिये एवं सिवाय चक दर्ज होने पर अलाटमेन्ट की कार्यवाही की जांच हो तब तक स्थगित किया जावे एवं गरीब परिवारों के अधिकारों की रक्षा की जावे। अलाटी भूतपूर्व जागीरदार अधिकारियों से मिलकर पहले से काबिज हरिजन परिवारों को बेदखल की कार्यवाही कर रहे हैं। जिन्हें बन्द किया जावे। यदि अधिकारियों ने उक्त भूमि का कब्जा जबरदस्ती जागीरदार को दिलाने की कोशिश की तो भयंकर जन-आक्रोश फैलने की संभावना है।

————

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

जयपुर के बाबा हरिशचन्द्र मार्ग में श्योपुर हाउस में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

मान्यवर,

निवेदन है कि बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग (चांदपोल बाजार), चोकड़ी तोपखाना देश, अंधेरी दरवाजे के पास, श्योपुर हाउस में म. नं. 1513, 1514, 1515 व 1516 के सामने सरकारी भूमि पर से विभाग ने दिनांक 30-9-92 को अतिक्रमण को उठाया था। उसके बाद उक्त चोकड़ी के निवासियों ने पुनः अतिक्रमण न हो इसकी सूचना विभाग को दी थी तथा उक्त खाली जमीन पर पार्क, हैण्ड

पम्प व सड़क बनाने के लिए विभाग को लिखित में दिनांक 1-10-92 को सूचित किया था। उक्त जमीन पर विष्णु सिंह व पृथ्वी सिंह ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर, अग्रिम फर्जी स्टे आर्डर लेकर पुनः अतिक्रमण किया और इसके साथ ही नल का कनेक्शन भी जनवरी, 1993 में बावजूद स्टे आर्डर के लगवाया तथा इसके साथ ही साथ दीवारों में चुने हुए हरे वृक्षों की कटाई भी रातों रात करवाई गयी। स्टे आर्डर दिनांक 1-10-92 को लिया गया जो कि दिनांक 3-10-92 तक का थ जबकि बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 4, 5 व 6 अक्टूबर, 1992 को रात-दिन काम चलवाकर बनाई गयी। थाना कोतवाली एवं नगर निगम प्रशासक को पुन अतिक्रमण होने की सूचना निवासियों ने दिनांक 4-10-92 को सुबह करीब 10.00 बजे दी और बाद में भी समय-समय पर अवैध निर्माण कार्य की सूचना निवासि विभाग को देते रहे हैं। पुलिसकर्मी कुछ समय के लिए आए भी लेकिन फर्जी स्टे आर्डर होने की वजह से निर्माण कार्य थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया किन्तु उसके बाद कार्य पुनः शुरू कर दिया गया। उसी दिन नगर निगम के कर्मचारीगण भी मौका मुआयना करने आये। मौका देखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की और चले गये।

वर्तमान में मेरे तारांकित प्रश्न सं. 85/12/जन. स्वा. अभि. मंत्र के दिनांक 28-2-94 के लिखित उत्तर में विभाग ने पुनः हुए अतिक्रमण को हटाने में न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की आड़ में पुनः अतिक्रमित स्थल को मुक्त कराने एवं अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की है जो कि अधिकारियों तथा अतिक्रमियों की मिलीभगत एवं सरकार व विभाग की उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है उपरोक्त विवरण के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि नगर निगम के विधि सलाहकार महेश चन्द्र शर्मा तथा अतिक्रमियों की मिलीभगत से फर्जी स्टे आर्डर लिया गया तथा स्टे की तारीख भी आगे बढ़ाई गई और पुनः अतिक्रमण करवाया गया। फर्जी स्टे आर्डर अतिक्रमियों द्वारा अवैध निर्माण करने की नीयत से पूर्व में ही ले लिया गया।

अतः सरकार स्टे आर्डर को अतिशीघ्र निरस्त करवाते हुए सरकारी जमीन पर किये हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कराने में सक्षम है। अतः दोषी अधिकारियों एवं अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए फर्जी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जांच निष्पक्ष एवं अनुभवी अधिकारी से करावें।

इसलिए मैं इस लोक महत्व के विषय पर नियम 295 के तहत माननीय वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

———

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जिला कृषि अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जाना।

होदय,

हम आपका ध्यान राज. लोक सेवा आयोग द्वारा अ.जा./ज. जाति वर्ग के हित की ो रही अनदेखी की तरफ दिलाना चाहते हैं। आप जन-प्रतिनिधि के नाते इस आवाज ो विधान सभा में चर्चा करवाकर न्याय दिला सकते हैं। हमें आशा ही नहीं अपितु र्ण विश्वास है कि आप पूर्ण सहयोग करेंगे।

मान्यवर, राज. लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी के 33 पद हेतु विज्ञापन सं. 1/91-92 दिनांक 12-4-91 को विज्ञप्ति जारी करके ृषि स्नातक से आवेदन कराया था। जिसमें आरक्षित पदों की संख्या 24 थी। िकिन बाद में योग्यता एम. एस. सी. (कृषि) करके विज्ञप्ति को रद्द कर दिया। ान्यवर, हम बताना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्षों से आरक्षित पदों के लिए कृषि नातक भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब योग्यता परिवर्तन से आरक्षित वर्ग के ृषि स्नातक वंचित हो गये।

कुछ समय बाद दिनांक 8-1-92 को सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) ; 120 पद थे, जिसमें अ. जा./ज. जाति के क्रमश: 53 व 41 पद थे। आयोग ने अपनी विज्ञप्ति 9/1991-92 में योग्य कृषि स्नातकों से आवेदन कराया। सामान्य र्ग के लिए साक्षात्कार में शामिल होने हेतु लिखित परीक्षा 21-2-93 को रखकर 6-7-93 को परिणाम घोषित कर दिया तथा इधर अनु. जाति/ज. जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के सीधे साक्षात्कार का प्रावधान रखा।

लेकिन अब आयोग सभी औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर भी साक्षात्कार लेने में आनाकानी कर रहा है। हमें आशंका है कि इन्हें रद्द किया जा सकता है। शायद अ. जाति/जन जाति की सीटें अधिक होने के कारण सामान्य वर्ग एवं उच्चाधिकारी वर्ग कुंठित है। फलस्वरूप वर्ग विशेष की उपेक्षा क्रमवतः जारी है।

अतः इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों का विद्युतीकरण

जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आज भी अनेकों ग्राम हैं जहां सरकार ने विद्युतीकरण घोषित कर रखा है पर आज तक वहां बिजली नहीं लगायी गयी हैं। टोडाभीम तहसील के ग्राम मोहनपुरा में लट्ठे डाल दिये गये और बर्बाद भी हो गये पर आज तक वहां बिजली नहीं है। इसी प्रकार बिसनपुरा ग्राम में सुजानपुरा, मेहंदीपुर, अछयापुरा, रानोली बैरवा बस्ती, सांकरवाड़ा बैरवा बस्ती, करीरी की बैरवा बस्ती, महस्वा बैरवा बस्ती का ट्रांसफारमर दे दिया पर लगा नहीं। इसी प्रकार उक्त ग्राम कागजों में विद्युतिकृत घोषित कर दिये पर आज तक इन ग्रामों के गरीबों के घर में, जबकि मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि गरीब को गणेश मानते हैं जबकि गरीब को कागजों में बिजली बताकर उस के साथ अन्याय किया जा रहा है।

इसी प्रकार नादोती तहसील के ग्राम रोंशी, रड़ावता, मिल कसरा, गुढ़ाचन्द्रजी की बैरवा बस्ती को भी कागजों में विद्युतिकृत घोषित कर रखा है। इसके बारे में पूर्व मंत्री जी को कई बार लिखा जा चुका है। पर प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंगती और असत्य जवाब सदन में पेश कर दिये जाते हैं और आज भी बिजली इन ग्रामों को नहीं दी गयी है।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन ग्रामों को कब तक बिजली दिला देगी ।

————

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

सेटलमेंट कार्य में अनियमितता

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इन्द्रगढ़ नायल तहसील के पंचायत बाबई के सभी गांवों में जो पिछले वर्षों से सेटलमेंट का कार्यक्रम लागू किया गया था उस सेटलमेंट के प्रोग्राम में अधिकारियों के द्वारा अनियमितता करके एक खसरा नं. भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया जिसमें आज एक खसरा नं. जमीन के 2 व तीन मालिक रिकार्ड में है । और सरकार के अधिकारी वहां की जनता को दो व तीन खातेदार होने की वजह से बार-बार परेशान करते हैं ।

अतः सरकार सभी किसानों की समस्या को मध्य नजर रखते हुए वहां शिविर लगाकर सही व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करवायी जावें ताकि वहां की जनता को न्याय मिल सके ।

————

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में रिक्त निदेशक का पद

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में निदेशक के पद पर अनेक वर्षों से उप निदेशक ही कार्य कर रहे हैं, जिन्हें निदेशक की योग्यताएँ प्राप्त नहीं हैं। विभाग में इसी कारण से शोध कार्य एक प्रकार से रुका हुआ है और विभाग के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन भी नहीं हो पा रहा है। इस विभाग में कर्मचारियों की योग्यताओं के सम्बन्ध में भी बड़ी विषमताएँ हैं तथा काफी पदों पर आवेदकों की योग्यता बी. ए. अथवा आचार्य है जो कि आचार्य एम. ए. के समकक्ष मानी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि शोध कार्य के लिये अनाधिकृत पदाधिकारियों के सम्बन्ध भी में विषमताएँ हैं। इस विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर का शोध भी अपेक्षित है। गत वर्षों में इस विभाग ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, जो इस बात से विदित है कि इस विभाग का शोध कार्य पूर्णतया "शून्य" के बराबर है। अतः राज्य सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए, जिससे कि इस विभाग का शोध कार्य सुचारू रूप से चल सके।

———

[श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)]

रोजवास ग्राम को हिण्डौन वाया बाजना होते हुए, सड़क मार्ग से जोड़ना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रीजवास, तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर की सीमा पर बहुत ही पिछड़ापन लिए हुए गम्भीर नदी के तट पर स्थित है। इस गांव की आबादी सन 1991 की जनगणना के आधार पर लगभग 3000 है। इस गांव की पश्चिम व उत्तर दिशाओं को गम्भीर व जग्गर नदियों ने घेर रखा है और तीसरी ओर पैदल मार्ग ऊबड़-खाबड़ व बड़े बड़े नदी नालों से लिप्त है। जो अनजान व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं

वे सही मार्ग न होने के कारण पथ भ्रष्ट होकर चोर, लुटेरों का शिकार बन जाते हैं। इस तरह की घटना पड़ोसी गांव में अनेक व्यक्तियों के साथ भी घट चुकी है जिनकी रिपोर्ट थानों में दर्ज करायी जा चुकी है एवं अनेक व्यक्तियों ने लूट पाट होने के बावजूद भी भय के कारण मामले दर्ज नहीं कराये एव अपने घरों में मन मारकर बैठ गये। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने व अपने आप में सम्पन्न न होने के कारण आगा-पीछा सोचकर चुप हो गये। इन गांव के लोगों को बाहर जाने एवं तहसील मुख्यालय व बाजार जाने हेतु लगभग 15 किलोमीटर पैदल मार्ग चलना पड़ता है इसलिए इस गांव के लोगों को पैदल आवागमन से रेल व बस मार्ग तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं किसान अपने माल को मण्डियों/बाजारों में ले जाते हैं तो उचित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और न ही समय से अपने गनतव्य स्थान (घरों) पर आ पाते हैं। इसके अलावा इन गांव के विशेष पिछड़ेपन के कारण सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपना वाहन लेकर पहली बार तो आते नहीं हैं और वे इस गांव का नाम लेते ही कतराते हैं। अगर किसी विशेष परपज से भूल-भुलाव में आ भी जाते हैं तो इस गांव के रेतीले टेडे-मेढ़े मार्ग के कारण उन कर्मचारियों/अधिकारियों व उनकी गाड़ियों (वाहनों) के चौखटे ही चैंज हो जाते हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्रामवासियों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रीजवास को हिण्डौन वाया बाजना होते हुए सड़क मार्ग से जोड़ा जावें जिससे कई गांव सड़कों से जुड़ेंगे ही नहीं अपितु ग्रामवासियों के धन, श्रम व चरित्र हनन की भी रक्षा होगी।

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

नगर निगम कोटा के सहायक नाकेदार को बढ़े हुए वेतन का लाभ न दिया जाना

मान्यवर,

दिनांक 12-6-68 को नगर परिषद् (हाल नगर निगम) कोटा में श्री शम्भूलाल मीणा की सहायक नाकेदार के पद पर नियुक्ति की गयी थी। सहायक नाकेदार के स्थाई पद पर कार्यरत उक्त श्री शम्भूलाल मीणा को नगर पालिका/नगर परिषद् सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 1976 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर

चयनित किया गया। श्री मीणा के खिलाफ बीमारी की अधिक छुट्टियां लेने का कारण बताकर दिनांक 12-1-77 को सेवा पृथक कर दिये जाने के पश्चात् अपील में स्वायत्त शासन निदेशालय के उप निदेशक द्वारा 16-1-79 को कोटा कैम्प पर फैसला प्रदान करते हुए दिनांक 12-1-77 के आदेश को निरस्त कर दिया गया। जिसकी सूचना दिनांक 23-3-79 को मिलने पर दिनांक 24-3-79 से श्री शम्भूलाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक के पद पर निरन्तर कार्यरत चले आ रहे हैं। किन्तु उन्हें अभी तक भी दिनांक 12-1-77 से 23-3-79 की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस बाबत आयुक्त, नगर परिषद्, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 15901 दिनांक 15-1-84 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को भी प्रेषित किया था। नगर निगम, कोटा ने उक्त कर्मचारी को वर्ष 1976 से अब तक समय-समय पर बढ़े हुए वेतन के मुताबिक भुगतान भी नहीं किया गया है। नवीन वेतनमान का मिलने वाला काम भी नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति में पदों के अधिशेष रहे बैकलाग के स्थान पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद दी जाने वाली पदोन्नति भी कर्मचारी को नहीं मिली है।

अतः निवेदन है कि अल्प आय वर्ग के उक्त कर्मचारी को दिनांक 12-1-77 से 23.3.79 तक के वेतन का भुगतान किया जाने (2) वर्ष 1976 से अब तक की अवधि में समय-2 पर बढ़ाये गये वेतन मान के मुताबिक वेतन वृद्धियां लगाई जाकर वेतन भुगतान किया जाने (3) नवीन वेतन मान का लाभ दिया जाने (4) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति में पदों के अधिशेष-बैकलाग रहे स्थान पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

————

[श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा के भवन में टूट-फूट

मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में तहसील मुख्यालय पर 1983 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सरकार द्वारा खोला गया। इससे पहले खैरवाड़ा में एक डिस्पेन्सरी थी, जिसका भवन खैरवाड़ा में आजाद चौक के पास बना हुआ है। ज्योंही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के आदेश हुए तो

विभागीय अधिकारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाने के लिए ढाई बीघा भूमि की आवश्यकता जताई और उस जमीन की पूर्ति करने के लिए विभाग के अधिकारियों ने सात दिन का समय दिया था और सात दिन में जमीन नहीं दिलाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को खैरवाड़ा से अन्य चले जाने की बात की कही थी। और तात्कालीन डिस्पेन्सरी का जो भवन था उसको उपयुक्त नहीं माना गया था।

इसी आधार पर तात्कालीन डिस्पेन्सरीभवन से करीब दो फर्लांग की दूरी पर ढाई बीघा जमीन विभाग को पंचायत ने आबंटन करके पट्टा जारी कर दिया। और उसी पर विभाग ने भवन निर्माण कर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ट्रान्सफर उस नये भवन में कर दिया और वहां पर करीब तीन साल तक कार्य करता रहा लेकिन 1990 में आकर सरकार ने उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुनः उस पुराने डिस्पेन्सरी वाले भवन में स्थानान्तरित कर दिया। और उस भवन की दशा ऐसी हो गई कि सारी खिड़कियां निकाल कर ले गये और सारा वायरिंग उखाड़ लिया है। और आने वाले एक-दो वर्षों में सारा खण्डहर हो जायेगा।

मैं, सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराने डिस्पेन्सरी भवन में चल रहा है ? वह उसके लिए उपयुक्त है ? यदि वह उपयुक्त है तो फिर पहले ढाई बीघा जमीन की आवश्यकता क्यों बताई और आठ लाख रुपया लगाकर भवन वहां क्यों बनाया गया ? और बनाया तो फिर उसे खाली क्यों किया गया और खाली करने के बाद किसी अन्य विभाग को क्यों नहीं दिया गया ? उस खाली भवन को किसके जिम्मे छोड़ा गया ? क्या उस भवन पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिका रहा या नहीं ? यदि नहीं रहा तो उस टूटे-फूटे भवन का आज मालिक कौन है ?

ऐसी सारी परिस्थिति में मैं, राज्य सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन खैरवाड़ा का भविष्य तत्काल निश्चय करें अन्यथा चन्द दिनों में लाखों रुपयों का भवन नष्ट हो जावेगा।

शुद्धि-पत्र

क. सं. 1	स्कम्भ सं. 2	पंक्ति सं. 3	अशुद्ध 4	शुद्ध 5
1.	17	20	के उपस्थापन हेतु नियुक्त	के उपस्थापन हेतु नियत
2.	23	27	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1994	राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994
3.	24	13	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. राज्य मंत्री	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री
4.	68	17	श्री हरीसिंह (कुम्हेर)	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
5.	73	फोलियो	विधयक	विधेयक
6.	79	फोलियो	विधयक	विधेयक
7.	111	फोलियो	वियधेक	विधेयक
8.	151	फोलियो	अप्रल	अप्रेल
9.	171	1	—	श्री सभापति
10.	223	20, 21	राज. पंचायतो राज (संशोधन) विधेयक, 1994	राज. पंचायती राज विधेयक, 1994
11.	235	1	(श्री शीशराम ग्रोला)	(श्री शीशराम ओला)
12.	261	1	श्रीमतो इन्दिरा मायाराम	श्रीमती इन्दिरा मायाराम
13.	318	10	राजस्थान पास बुक कृषि जोत (संशोधन) विधेयक, 1994	राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1994
14.	346	17	(अधिकारों तथा सदस्यों की परिलब्धियां तथा पेंशन)	(अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां तथा पेंशन)
15.	400	8	(सरसागर)	(सूरसागर)
16.	403	फोलियो	प्रस्ताब	प्रस्ताव
17.	406	फोलियो	चचा	चर्चा
18.	452	13	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
19.	470	1	(श्री डूंगरगढ़)	(डूंगरगढ़)

राजस्थान विधान सभा

सचिवालय, जयपुर